Monday, 30 July, 1984

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 30 जुलाई, 1984/8 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पंक्ति 5 के पश्चात् "815 से 819" का लोप किया जाये।

विषय सूची, अंतिम पंक्ति, "डा० सुब्रह्मनियम स्वामी" के स्थान पर "डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 1, "श्रीमती जयन्ती यटनायक" के स्थान पर "श्रीमती जयन्ती पटनायक" पढ़िये।

पृष्ठ 30, पंक्ति 13, "श्री दौलत सिंह जी" के पश्चात् "जदेजा" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 33, पंक्ति नीचे से 5, "के आयात" के स्थान पर "का आयात" पढ़िये।

पृष्ठ 35, पंक्ति 17, "फास्फेट युत्त" के स्थान पर "फास्फेट युक्त" पढ़िये।

पृष्ठ 36, नीचे से पंक्ति 6, "श्री रास बिहारी" के पश्चात "बहेरा" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 72, पंक्ति 18, "(श्री डी०एस० ए० शिवप्रकाशन)" के स्थान पर "श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम" पढ़िये।

पृष्ठ 73, नीचे से पंक्ति 6, "श्री ए०के० राजंन" के स्थान पर "श्री के०ए० राजन पढ़िये।

पृष्ठ 73, पंक्ति 9, "शिकायक" के स्थान पर "शिकायत" पढ़िये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 4, "अनुत्पादन" के स्थान पर "अनुत्पादक" पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 15, "श्री हरिश कुमार गंगवार" के स्थान पर "श्री हरीश कुमार गंगवार" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 13, "डा0सुब्रह्नणयम स्वाभी" के_स्थान_पर "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" पढ़िये_।

पृष्ठ 87, पंक्ति 16, "व्यायारियों" के_स्थान_पर "व्यापारियों" पढ़िये_।

पृष्ठ 90, पंक्ति 16, अ0प्र0संख्या "171" के_स्थान_पर "1071" पढ़िये_।

पृष्ठ 95, पंक्ति 20, "श्री बापूसाहिब पारुलेकर" के_स्थान_पर "श्री बापूसाहिब परुलेकर" पढ़िये_।

पृष्ठ 112, पंक्ति 15, "उड़ीसा का" के_स्थान_पर "उड़ीसा के" पढ़िये_।

पृष्ठ 125, पंक्ति 14, "श्री ए0नीलोलोहित दसन नाडार" के_स्थान_पर "श्री ए0नीलालोहितदसन नाडार" पढ़िये_।

पृष्ठ 136, नीचे से पंक्ति 4, "श्री पी0गोपलनायडू" के_स्थान_पर "श्री पी0राजगोपाल नायडू" पढ़िये_।

पृष्ठ 136, पंक्ति 7, "श्री मूलचंद डाग" के_स्थान_पर "श्री मूलचंद डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 142, पंक्ति 2, "श्री गिरिधर गामांगो" के_स्थान_पर "श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िये_।

पृष्ठ 143, पंक्ति 9, "श्री दौलत राम शरण" के_स्थान_पर "श्री दौलत राम सारन" पढ़िये_।

पृष्ठ 143, पंक्ति नीचे से 4, "श्री राम बिहारी बहेरा" के_स्थान_पर "श्री रास बिहारी बहेरा" पढ़िये_।

पृष्ठ 145, पंक्ति 13, "विवरण-3" के_स्थान_पर "विवरण-2" पढ़िये_।

पृष्ठ 150, नीचे से पंक्ति 10, "श्री वाम निवास मिर्धा" के_स्थान_पर "श्री राम निवास मिर्धा" पढ़िये_।

पृष्ठ 151, पंक्ति 23, अ0प्र0संख्या "1134" के_स्थान_पर_ "1135" पढ़िये_।

पृष्ठ 154, पंक्ति 19, "श्री रामवतार शास्त्री" के_स्थान_पर "श्री रामावतार शास्त्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 166, पंक्ति 17, "श्री नोलालोहित दसन नाडार" के स्थान पर "श्री नोलालोहितदसन नाडार" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति 17, "स्वायतसाशो" तथा पंक्ति 19, "स्वायत्तशाशो" के स्थान पर "स्वायत्तशासो" पढ़िये।

पृष्ठ 186, अंतिम पंक्ति "श्री जो0भूपपति" के स्थान पर "श्री जो0भूपति" पढ़िये

पृष्ठ 207, नीचे से पंक्ति 10, "श्री जे0एस0राजन्" के स्थान पर "श्री के0ए0 राजन" पढ़िये।

पृष्ठ 211, पंक्ति 17, "श्री नीलालोहित दतन नाडार" के स्थान पर "श्री नोलालोहितदसन नाडार" पढ़िये।

पृष्ठ 226, पंक्ति 20, "उड़ीसा को नेशनल एल्युमोनियम" के स्थान पर "उड़ीसा को एल्युमोनियम" पढ़िये।

पृष्ठ 234, पंक्ति 19, "प्रो0 सैफुद्दीन सोज" के स्थान पर "प्रो0 सैफुद्दीन सोज़" पढ़िये।

पृष्ठ 235, पंक्ति 9, "प्रो0 फैजुद्दीन सोज" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन सोज" पढ़िये।

पृष्ठ 249, नीचे से पंक्ति 5, "ट्रेस्ट" के स्थान पर "टेस्ट" पढ़िये।

पृष्ठ 251, पंक्ति 7, "श्री के0ब्रह्मनन्द रेड्डी" के स्थान पर "श्री के0ब्रह्मानन्द रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 252, नीचे से पंक्ति 4, "श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी" के स्थान पर "श्री के0ब्रह्मानन्द रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 253, नीचे से पंक्ति 4, "श्री सतीश आग्रवाल" के स्थान पर "श्री सतीश अग्रवाल" पढ़िये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 6, "श्री जार्जा फर्नान्डीज" के स्थान पर "श्री जार्ज फर्नान्डीज" पढ़िये।

पृष्ठ 274, पंक्ति 28, पृष्ठ 275, पंक्ति 19 तथा 25 तथा पृष्ठ 279, पंक्ति 6, "महोदय" के स्थान पर "महोदया" पढ़िये।

पृष्ठ 277, पंक्ति 24, "श्री आरिफ मोहम्सद खां" के स्थान पर "आरिफ मोहम्मद खां" पढ़िये।

पृष्ठ 277, नीचे से पंक्ति 2, "श्री आरिफ मोहमद खां" के स्थान पर "श्री आरिफ मोहम्मद खां" पढ़िये।

पृष्ठ 297, नीचे से पंक्ति 7, "श्री के0जी0उन्नीकृष्णन" के स्थान पर "श्री के0पी0उन्नीकृष्णन" पढ़िये।

पृष्ठ 298, पंक्ति 12, "प्रो0 सैफुददीन सोज" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन सोज" पढ़िये।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 49, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 6, सोमवार, 30 जुलाई, 1984/8 श्रावण, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 103 से 107	...	5-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 101, 102, 108 से 120 815 से 819	...	29-40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1026 से 1204	...	40-214
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	215-219
राज्य सभा से सन्देश	...	219
राज्य सभा द्वारा यथापारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1984	...	220
एक सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण		
(डा. सुब्रह्मनियम स्वामी)	...	221-222

---

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के ताडीघाट स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर ... 222

(दो) ग्वालियर में उच्चशक्ति का एक टी. वी. ट्रांसमीटर तथा शिवपुरी और गुना में कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री माधवराव सिंधिया ... 223

(तीन) उड़ीसा की नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई एल्युमीना परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जैना ... 223-224

(चार) आग्नेय अस्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री बी. डी. सिंह ... 224

(पांच) बर्दमान-आसनसोल सेक्शन को उपनगरीय रेल सेक्शन घोषित करने तथा उस उपनगरीय सेक्शन पर रेल-गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 224-225

(छः) राजधानी में बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं में की जा रही मिलावट को रोकने हेतु सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ... 225

(सात) कर्नाटक के सभी सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने हेतु उदारता पूर्वक सहायता देने की तत्काल आवश्यकता

श्री टी. आर शमन्ना ... 225-226

जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा

श्री चित्त बसु	...	226-233
डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	...	233-240
श्री ई. बालानन्दन	...	240-244
श्री जैनुल बशर	...	244-250
श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी	...	250-256
श्री जार्ज फर्नांडीज	—	256-271
श्री आरिफ मौहम्मद खां	...	272-293
प्रो. सैफुद्दीन सोज (भाषण असमाप्त)	...	274-300

लोक सभा

सोमवार, 30 जुलाई, 1984/8 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : महोदय, मैंने एक पत्र लिखा है। यह एक गम्भीर मामले के बारे में है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब बोलेंगे, तो मेरा फायदा क्या है, बोलने का। (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : यह एक बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला बड़ा गम्भीर है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप तरीका निकालें, कि किस तरीके से चर्चा हो सकती है। ··· (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर सारे बोलेंगे तो मैं किस की बात सुनूंगा बात सुनूं कैसे, कोई सुनने देगा तो न। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सारे बोलिए, तो कैसे बात बनेगी। ···(व्यवधान)···

प्रो. मधु दंडवते : यह केवल उस पत्र ही की मांग नहीं है। हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह केवल सत्ताधारी दल की ही मांग नहीं है। हम सत्ताधारी दल के सदस्यों का समर्थन करते हैं। इस पर चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन कोई सुनने भी तो दे। (व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अमरीकी राजदूत को बुलाकर तथा उससे स्पष्टीकरण लेकर

सरकार वक्तव्य दे । अमरीका के राजदूत को बुलाकर उससे इस विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद सरकार को बयान देना चाहिए ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह एक गम्भीर मामला है । इस प्रश्न पर सारा सदन एकमत है । आप कृपया प्रत्येक दल के एक सदस्य विशेष रूप से उस दल के नेता को सुनना पसन्द करेंगे, ताकि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें ।

(व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : हमारा दल सबसे बड़ा है । इसलिए, हमें अवसर दिया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्वेश्चन आवर के बाद ले लीजिए :

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुनने को तैयार हूं, कोई सुनने तो दे, वाजपेयी जी । कोई सुनने ही नहीं देना चाहता है । मैं क्या करूं ।

श्री के. लकप्पा : यह समूचे देश का प्रश्न है ।··· **(व्यवधान)** ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकारी पार्टी यह मांग कर रही है कि क्वेश्चन आवर ससपेंड कर दिया जाए । क्या आपके पास फार्मल मोशन आया है, तो आप उसको रखिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनाना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं और बताना चाहता हूं । देखिए, कोई सुनने तो देता नहीं है । मैं क्या करूं । ··· **(व्यवधान)** ···

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 388 के अन्दर दिया है । मैंने कहा है कि क्वेश्चन आवर ससपेंड कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्र हित के खिलाफ विदेशी बहुत बड़ा आन्दोलन है । राष्ट्रद्रोह जहां हो, वहां पर राष्ट्र हित के लिए इस लोकसभा को सारे काम छोड़ कर करना चाहिए । अगर अमरीका के अन्दर खालिस्तान की बात हो रही है ।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की ही बात कह रहा हूं ··· **(व्यवधान)** ···

प्रो. के. के. तिवारी : हमने उनसे पहले नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस आ गया है । मेरी बात सुन लीजिए ।

प्रो. के. के. तिवारी : हम पहले ही स्थिति की गम्भीरता को आपके ध्यान में ला चुके हैं । हमने नोटिस भी दिया है । कुछ गम्भीर घटनाएं हुई हैं । इसलिए स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं । कृपया प्रश्न काल को निलम्बित कर दें और इस सदन को इस विषय पर इसी समय चर्चा करने दें । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बताता हूँ। कोई कहने दे, तो न। मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मैं क्या कह रहा हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : आपकी बात क्या सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप ही की बात कह रहा हूं। श्रीमन्, मैं अपनी बात कहां कह रहा हूं। आप जो कहना चाहते हैं, हाउस जो बात कहना चाहता है, मैं सुनना चहता हूँ।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं श्री बागड़ी का समर्थन करने के लिए एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है।

प्रो. के. के. तिवारी : हमने भी दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। आप सुनते नहीं हैं। यदि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है तो हमें यह एकमत से स्वीकार कर लेना चाहिए और इस पर आगे चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान) यदि सत्ताधारी दल तथा विपक्ष दोनों के सदस्यों ने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सदन में इस मामले पर कोई मतभेद नहीं है। अतः आप प्रश्न काल को निलम्बित कर दें तथा सीधे इस मुद्दे पर चर्चा आरम्भ करवाएं।

श्री बूटा सिंह : इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सारा सदन एकमत है। आप जो भी निर्णय देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। यदि वक्तव्य की आवश्यकता हो तो हम वक्तव्य देने को भी तैयार हैं, मैं अपने सहयोग से अनुरोध करूंगा कि यह वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप ही की बात सुनने के लिए कह रहा था। आप 25 आदमी एक साथ बोल रहे थे, तो किस की समझ में बात पड़ी। मैं इतना कहना चाहता था, सदन का एक मत है, मैं आपके सदन के हाथ में हूं। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूंगा। जब सदन का मत है, तो सदन मालिक है। आप जो चाहें करें। अब सवाल यह है कि आप अभी करना चाहते हैं या ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं सदन के भावों को, उनके मन में जो विचार हैं, उनके दिल में इस वक्त क्या है, मैं जानता हूं। जब भारत की स्वतंत्रता, अखण्डता और हमारे प्रभुत्व कोई भी शक्ति चुनौति देती है, तो यह सदन हमेशा एक रहा है। हमारा भी यही मत रहा है, बापू गांधी ने और हमारे बुजुर्गों ने सब ने यही कहा है। हम तो मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। बड़े देशों को हम कदर करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे बीच में कोई उंगली डालने की कोशिश करे। यदि हम उनको सुखी चाहते हैं, तो उनको यह चाहिए कि हमें भी जीने दे। आपकी बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। आप बताइए कि आप किस हिसाब से इसको करना चाहते हैं। आप एक-एक करके बताइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : घबराइए मत, मैं आपसे भी पूछ लूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रुकियें। मेरी बात पहले आप सुन लीजिए। अब यही कमजोरी रह जाती है। आप धैर्य के साथ सुनते क्यों नहीं ? हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : एक्सटरनल एफैयर्स मिनिस्टर का स्टैटमेंट आज करवा दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज का डिस्कशन भी हो जाए और यह भी हो जाए, दोनों हो जाएं। किस ढंग से करना चाहिए, यह तलाश करना है। देखते हैं।

श्री बूटा सिंह : महोदय, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिए हैं, जिसका सम्बन्ध देश की अखंडता तथा प्रभुसत्ता से है और मैं सभी दलों द्वारा सदन में एक स्वर में उठाई गई आवाज का स्वागत करता हूं। जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है, आज हमने जम्मू तथा काश्मीर पर वाद-विवाद नियत किया है। यदि यह चर्चा आज करनी है तो जम्मू तथा काश्मीर पर चर्चा कल हो सकती है तथा मैं सम्बन्धित मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तथ्यों के साथ तैयार होकर आए तथा हम इस पर आज या कल चर्चा कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज हो जाए, तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर कल आता है, तो उस बयान के तुरन्त बाद चर्चा शुरू हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप कहेंगे, करवा देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आज स्टेटमेंट नहीं आता है, तो इस सवाल का महत्व खत्म हो जाता है। स्टेटमेंट आज ही आ जाना चाहिए और अब तो हमारी विदेश मंत्री प्रधान मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि पूरा हाऊस एक मत का है। देश सर्वोपरि है। देश से ऊपर कुछ नहीं है। न जान है, न माल है और न कुछ और है। देश के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और अगर कोई हमारे देश की तरफ उंगली उठा कर देखे, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज आप मिनिस्टर साहब से कहिये कि आज ही बयान दें और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको किया जाए। देश की तरफ अगर कोई आंख उठा कर देखता है, तो वह देशद्रोही है और हम बिल्कुल किसी से डरने वाले नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह हम करेंगे। इस बात पर जब सारा हाऊस एक है, तो क्या झगड़ा रह गया है।

किन्हीं दलों से सम्बन्धित होने की बात को ध्यान में न रखते हुए हम यह कर रहे हैं।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

*103. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कृषि गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कोई सर्वेक्षण/प्रयास किये गये हैं; और

(ख) बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पानी भर जाने और बड़ी मात्रा में कंकड़ और गाद जमा होने को रोकने और फसल उगाने के वैज्ञानिक तरीके अपनाने और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यद्यपि देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का सामान्य रूप से कोई योजनाबद्ध और विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी ऐसे क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये प्रयास किये गये हैं।

(ख) बाढ़ नियन्त्रण राज्य का विषय है। अतः बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें अमल में लाया जाता है। ऐसी योजनाओं में देहाती इलाकों में जमा पानी की निकासी के लिए पुश्तों पर जलद्वारों का निर्माण करने की व्यवस्था की जाती है। पुश्तों के निर्माण के पश्चात् जलनिकासी के लिए कुछ क्षेत्रों में पुश्ता पद्धति में अतिरिक्त जलद्वारों की भी व्यवस्था की गई है। निकास नालियों के निर्माण और विद्यमान तन्त्र के सुधार का कार्य भी शुरू किया गया है ताकि निकास नालियों में पानी जमा न होने पाये और बाढ़ का पानी तेजी से निकल जाए।

राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के 180 स्रवण क्षेत्रों में समेकित जलधारा प्रबन्ध की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस योजना में अधिक मात्रा में जल के अन्तः स्रवण गहन परिस्रवण और पानी का भंडारण करने के गहरे गड्ढे बनाकर पनधारा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के उपाय करने की व्यवस्था है, ताकि अत्यधिक बहाव को कम किया जा सके, जलवाहिका के बहाव में गाद को कम किया जा सके और स्रवण क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दियारा भूमि संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए

किसानों के समक्ष प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चावल की सामुदायिक नर्सरियों की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना भी क्रियान्वित की जा रही है ताकि अगेती बुवाई की जा सके और फसल पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन किया जा सके कि बाढ़ के कारण क्षति कम से कम हो। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, अगर बाढ़ का पानी सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक घट जाता है, तो खरीफ और रबी मौसम के बीच अन्तः फसल के रूप में तोरिया जैसी अल्पावधि तिलहन फसल की सिफारिश की जाती है। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ग्रीष्म मौसम के दौरान मूंग की फसल उगाने के लिये भी प्रयास किये गये हैं। बिहार के ताल क्षेत्रों में जो कि वर्षा के मौसम में पानी से डूबा रहता है, रबी मौसम के दौरान चना और मसूर की सफलतापूर्वक बुवाई की गयी है।

श्रीमती माधुरी सिंह : मान्यवर, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां हर वर्ष बाढ़ आती है। क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण हेतु कोई योजना तैयार की है और क्या सरकार बतायेगी कि कब तक बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया जाएगा ?

क्या नेशनल ग्रिड योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है कि एक तरफ सूखा और दूसरी ओर बाढ़ से राहत मिल सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक बाढ़ का सवाल है, यह स्टेट सबजेक्ट है। फिर भी हमारी जो इर्रीगेशन मिनिस्ट्री है, वह सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम चला रही है। आज जो इन्फार्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक करीबन 40 मिलियन हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है और उसमें से करीबन 32 मिलियन हैक्टेयर भूमि ऐसी है, जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मार्च 1983 तक करीबन 12.4 मिलियन हैक्टेयर किया गया है।

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सरकार बताएगी कि अभी तक प्रति वर्ष बाढ़ से औसतन कितना नुकसान होता है ? क्या सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को क्षति के अनुपात में मुआवजा देने पर विचार कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : नुकसान होता है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट मेमोरेण्डम भेजती है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया फिर अपनी टीम भेजती है और रिलीफ मेजर्स के लिए कुछ पैसा यहां से दिया जाता है। इसके बारे में सरटेन नार्म्स फिक्स किए हुए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : दामोदर घाटी निगम में विभिन्न बांधों में गाद भर जाने के कारण निचले दामोदर क्षेत्र में हर साल बाढ़ आ जाती है। मुख्य प्रश्न में यह पूछा गया है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खेती करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दामोदर घाटी निगम तथा अजोय घाटी क्षेत्रों में, विशेष रूप से, बांध का गाद हटाना आवश्यक है ताकि अधिक जल एकत्रित किया जा सके तथा बाढ़ों को रोका जा सके। बाढ़ रोकने तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों को जल की आपूर्ति के लिए अजोय नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा सकता है ताकि उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, इर्रीगेशन मिनिस्ट्री का आज एक सेप्रेट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के जवाब में इर्रीगेशन मिनिस्टर सारी सूचना देंगे।

श्रीमती माधुरी सिंह ने जो पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हर साल 8.3 लाख हेक्टेअर फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है।

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष जी, 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बाढ़ से सम्बन्धित और पानी के उपयोग के बारे में 7 अनुशंसाएं की थीं। उन अनुशंसाओं में से कितनी अनुशंसाएं ऐसी हैं जो कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित हैं और उन अनुशंसाओं पर कृषि मंत्रालय ने क्या-क्या उपाय किये हैं जिससे बाढ़ से होने वाली क्षति कम हो सके और बाढ़ वाले क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने अभी बताया है कि बाढ़ योजनाओं के सम्बन्ध में एक अलग से प्रश्न है। उसका जवाब देते हुए सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, श्रीमती माधुरी सिंह ने एक अच्छा प्रश्न किया है कि पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से कितनी क्षति हुई है और किसानों को क्या मुआवजे देने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग हैं। किसान और गरीब लोग अपने-अपने गांवों को छोड़ कर भाग जाते हैं और यह सैंकड़ों वर्षों से चल रहा है। सरकार ने नेशनल ग्रिड योजना के सम्बन्ध में पहले कहा था कि सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को मुआवजा मिले, क्योंकि किसानों को बहुत क्षति हो रही है, और जो किसान सौ बीघा वाला किसान था वह भी अब लेण्डलेस लेवरर तक पहुंच गया है, इसलिए गरीबों राहत दिया जाना बहुत जरूरी है, इसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे माननीय साथी ने बताया कि हर साल हमारे अन्दाजे के मुताबिक और जो हमे रिपोर्ट प्राप्त होती हैं उनके मुताबिक 83 लाख हेक्टेयर भूमि में बाढ़ आती है। लेकिन इसमें से कितनी फसलों की भूमि बाढ़ ग्रस्त होती है, वह भूमि कुल बाढ़ग्रस्त भूमि से कम ही होती है और कम ही हो सकती है क्योंकि हर साल फर्क पड़ता रहता है। बाढ़ के नीचे जितनी फसलों की भूमि आती है उसमें भी नुकसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। कहीं पानी बढ़कर उतर जाता है। कहीं पानी बढ़कर जाता है। कहीं फसल को बर्बाद कर जाता है। इसलिये रुपयों के हिसाब से यह बताना कि कितना नुकसान हुआ है, यह बड़ा मुश्किल है। यह कहने में हम असमर्थ हैं। इसका अन्दाजा कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने मेमोरेंडम में राहत के लिए मांग करती है कि किसानों को सुविधाएं दी जाए खेती करने के लिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए स्कीम्स हैं।

श्री रामविलास पासवान : मुआवजा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मुआवजे के बारे में हमने कहा है कि हमारी स्कीम नहीं है मुआवजा देने की। भारत सरकार फसल के लिए कंपसेट नहीं कर सकती। किसका कितना नुकसान हुआ है, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। उसके अनुसार किसी भी सरकार के लिए मुआवजा देना नामुमकिन है।

श्री रामविलास पासवान : बाढ़ को रोकने के लिए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके लिये कार्यवाही हो रही है। इसके लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, मिर्धा जी जवाब देंगे। इर्रीगेशन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट का इरीगेशन डिपार्टमेंट और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको देखते हैं और इस सिलसिले में हर साल के लिए प्लान बनाते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसके लिये प्रावधान किया जाता है।

कृषि के सम्बन्ध में फ्रांस के साथ समझौता

*104. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 में फ्रांस के साथ कृषि सम्बन्धी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) न्याधार की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-फ्रांस नयाचार

भारत गणराज्य सरकार तथा फ्रांस गणराज्य सरकार कृषि तथा ग्रामीण विकास के महत्व को मानते हुए दोनों सरकारों के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के जरिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए;

आपसी हितों को, जिन्हें अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कृषि और ग्रामीण विकास की समस्याओं से सम्बन्धित संस्थानों के बीच निकट सहयोग के जरिये प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान में रखते हुए;

कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए;

सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के संबंध में 7 जून, 1966 को हस्ताक्षर किए गए करार पर विचार करते हुए;

विज्ञान और प्रोद्योगिकी के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1978 को हस्ताक्षर किए गए करार पर विचार करते हुए;

दोनों सरकारों के बीच कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग के सम्बन्ध में 28 जनवरी 1980 को हस्ताक्षर किए गए भारत-फ्रांस नयाचार और 1 से 4 जनवरी, 1984 के दौरान राव वीरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री तथा मि. माइकल रेकार्ड, फ्रांस के कृषि मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के बीच हुए विचार-विमर्शों पर विचार करते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुई :—

अनुच्छेद—1

भारत गणराज्य सरकार तथा फ्रांस गणराज्य सरकार कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के विकास का प्रयास करेंगी।

अनुच्छेद—2

फ्रांस गणराज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच कृषि तथा इससे सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समान हितों के क्षेत्रों का चयन मौजूदा नयाचार की अनुबंध के रूप में संलग्न सूची से किया जाएगा। परन्तु आपसी सहमति द्वारा इनमें संशोधन हो सकता है।

यह सहयोग वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों, सामग्री तथा सूचना के आदान-प्रदान, उपकरणों की आपूर्ति और कार्यशालाओं/गोष्ठियों के आयोजन के रूप में होगा।

अनुच्छेद—3

दोनों पक्ष प्रोद्योगिक और औद्योगिक सहयोग के कार्य के संवर्धन का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, पशुपालन तथा कृषि खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में सार्वजनिक सहयोग और निजी उद्यम शामिल होंगे।

अनुच्छेद—4

नयाचार के अनुसार सहयोग भारत तथा फ्रांस में बारी-बारी से होने वाली वार्षिक बैठकों के आधार पर 2 वर्षों के लिए तैयार की गई कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यकलापों के उद्देश्य, कार्यान्वयन की पद्धति, तथा समय सारणी के बारे में ब्योरा होगा।

अनुच्छेद 2 तथा 3 में दिए गए विनिमय को अन्तिम रूप देने के लिए इस सहयोग द्वारा

सम्बन्धित सरकार के संगठन सम्बद्ध सरकारों की पूर्व स्वीकृति से विशेष समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।

अनुच्छेद—5

इस नयाचार के तहत सहयोग के लिए प्रशासनिक, वित्तीय तथा न्यायिक कार्य पद्धतियां निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होंगी :

किसी दौरे अथवा कार्मिकों की अदला-बदली के संबंध में :

(क) दिल्ली से पेरिस और पेरिस से दिल्ली को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का पूरा खर्च भेजने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) जब आगुन्तक मेजवान देश में सरकारी कार्य पर हो तो उसके खान-पान, आवास और आन्तरिक यात्रा का पूरा खर्च मेजवान पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

किसी भी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के सम्बन्ध में कार्य-योजना के अनुसार मेजवान देश को प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल का उपयुक्त नोटिस दिया जाएगा।

दोनों पक्ष सभी उपकरणों, जिन्हें फ्रांस की सरकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में तथा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं के उपयोग के प्रायोजन के लिये करार के तहत भारतीय पक्ष को सप्लाई करना चाहेगी, के निःशुल्क आयात से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के लिए 7 जून 1966 को भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के करार से सम्बन्धित वित्तीय शर्तों के नयाचार के भाग 3, अनुच्छेद 8 के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाएंगे।

अनुच्छेद—6

यह नयाचार इस पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा।

नयाचार पर सन् एक हजार नौ सो चौरासी के जून महीने की 25 तारीख को पैरिस में हस्ताक्षर किए गए तथा तीन मूल प्रतियों हिन्दी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी में तैयार किया गया, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रभावित हैं। कोई असंगति होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह० राव वीरेन्द्र सिंह
भारत गणराज्य सरकार के वास्ते

ह० एम० रेकार्ड
फ्रांस गणराज्य सरकार के वास्ते

अनुबंध

कृषि तथा इससे सम्बद्ध विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में सहयोग के लिये समान हितों के क्षेत्र

1. **फसल विज्ञान**

1.1 तोरिया तथा सरसों-टिशू कल्चर, जीवद्रव्यक संसयन आदि तकनीकों का प्रयोग करके आनुवंशि परिचालन के जरिये उपज क्षमता तथा तेल की क्वालिटी में सुधार करना।

1.2 अनाज फली-वनस्पति प्रजनन को आधुनिकी तकनीकी के जरिये उपज क्षमता तथा पोषक गुणों में सुधार करना।

1.3 सब्जियाँ (विशेषकर शीतोष्ण)—किस्मों में सुधार तथा संकर बीजों का उत्पादन

1.4 फल (विशेषकर शीतोष्ण)—फलों के वृक्षों जैसे बादाम, अंगूर तथा नीबू वर्गीय फलों के श्रेष्ठ किस्म के जर्मप्लाज्मों तथा प्रकंदों को लगाना।

1.5 नारियल मुर्झान रोग पर नियंत्रण।

1.6 जैविक नाइट्रोजन का योगिकीकरण।

1.7 कबकमूल (माइकोराइजा) का कृषि संबंधी उपयोग।

1.8 पुन: संयोजित डी एन ए प्रौद्योगिकी।

1.9 अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में फोस के आई. आर. एच. यू, भारतीय नारियल विकास बोर्ड तथा केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग।

1.10 खजूर पाम, आयल पाम तथा अन्य बागवानी फसलों में टिशू कल्चर प्रौद्योगिकी।

1.11 औषधीय तथा ऐरोमेटिक पौधे।

1.12 गेहूं तथा जौ के विशेष संदर्भ में धान्य उत्पादन प्रौद्योगिकी।

2. **वानिकी**

2.1 अच्छी किस्म की पौद/रोपण सामग्री जिसमें टिशू कल्चर के जरिये बढ़ाई जाने वाली वनस्पति भी शामिल है, का बड़े पैमाने पर उत्पादन वृक्ष प्रजातियों का प्रजनन तथा आनुवंशिक सुधार; विदेशी वृक्ष प्रजातियों का लगाना, वृक्ष मूलक फसलों के अनुकूलतम उत्पादन के लिए सस्य सम्बन्धी तकनीकी का विकास।

2.2 तेजी से उगने वाली प्रजातियों तथा संकर प्रजातियों के जरिये बायोमास उत्पादन।

2.3 वन संसाधनों का प्रबन्ध तथा मृदा संसाधनों का संरक्षण।

3. जल प्रबंध

3.1 जल उपयोग के संबंध में कार्य पद्धति सम्बन्धी दृष्टिकोण।

3.2 जल संतुलन तथा भूमिगत जल के पुन: पूरण की तकनीकें।

3.3 लघु कृषि जल विभाजकों में जल संसाधन विकास।

3.4 उच्च निस्सरण, लो हेड पम्प।

3.5 न्यून दबाव छिड़काव पद्धति तथा टपकन सिंचाई पद्धति।

3.6 छोटे फर्मों में सिंचाई तथा जल निकासी के लिए भूमि विकास हेतु उपकरण।

4. फार्म मशीनरी

4.1 छोटे फार्मों के लिए फार्म उपस्कर तथा कृषि मशीनरी के आदि प्ररूप तथा फार्म मशीनरी विनिर्माण विस्तार सेवा का विकास।

4.2 फार्म उपकरण के परीक्षण तथा गुण नियंत्रण के लिए औजार तथा तकनीक।

4.3 छाया में की जाने वाली खेती के लिए ढांचे।

4.4 तेल की खली के निराविषीकरण के विशेष संदर्भ में कटाई के बाद की प्रोद्योगिकी।

4.5 उत्पादक (प्रोडयूसर) गैस पर चलाये जाने वाले फार्म ट्रैक्टरों के आदि प्ररूपों का विकास।

4.6 सब्जियां तथा फूलों को उगाने के लिये ग्लास हाउस/प्लास्टिक ग्रीन हाउस प्रोद्योगिकी।

4.7 मूंगफली, तोरिया सरसों, सोयाबीन खली तथा तेलों में एल्फाटोक्सिन।

5. पशुधन विज्ञान

5.1 भ्रूण प्रतिरोपण प्रौद्योगी, जिसमें सेक्सिंग क्लोनिंग तथा भ्रूण को लम्बे समय तक सुरक्षित रखना शामिल है।

5.2 मेढ़े के वीर्य का कराइये परीक्षण।

5.3 पशुओं के हार्मोनों के इमन्यून ऐसेज की नई पद्धतियां।

5.4 मनोक्लोनल एन्टो-बाड़िज एवं हाइब्रिड-एमा के विकास के लिए विषाणुओं की आनुवंशिक इंजीनियरिंग।

5.5 पशु-चिकित्सा जैविक उत्पादों का गुण नियंत्रण।

5.6 क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना।

5.7 फर पशु प्रजनन और प्रबन्ध।

5.8 अन्तर्देशीय मात्स्यिकी।

5.9 माँस उत्पादन के लिये खरगोश।

5.10 खरगोश, दूध तथा न्यूट्रिया जैसे फर पशुओं का जर्मप्लाजम तेल प्रजनन प्रौद्योगिकी।

6. कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण

6.1 उच्चतर कृषि शिक्षा तथा अनुसंघान की फ्रेंच संस्थाओं, उच्चकटि-बंधीय तथा अर्द्ध-उच्चकटि-बंधीय कृषि से सम्बन्धित राष्ट्रीय उच्च विद्यालयों, विशेष संस्थानों तथा अनुसंधान विभागों एवं वाई एन आर ए के केन्द्रों में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों तथा अध्यापकों को कार्य अनुभव प्रशिक्षण।

6.2 भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों में फ्रेंच विद्यार्थियों तथा वैज्ञानिकों को कार्य अनुभव प्रशिक्षण।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या नयाचार में शामिल किए गए मदों के बारे में, नयाचार पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई विशिष्ट करार किया गया है या इस प्रकार का कोई करार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सभी मद उसमें दिए हुए हैं तथा वे सभापटल पर रख दिए गए हैं। नयाचार की एक प्रति आपको दे दी गई है। लेकिन, दोनों देशों के विशेषज्ञ दलों के एक दूसरे देशों के जाने के बाद फ्रांसीसी दल, जो निकट भविष्य में भारत आएगा, तथा भारतीय दल, जो फ्रांस जाएगा आगे कदम उठाए जाएंगे। हमने सुझाव दिया है कि ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनमें फ्रांसीसी कृषि अनुसंधान संगठन तथा हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच विभिन्न करारों पर हस्ताक्षर हो सकें, सितम्बर या अक्टूबर में या तो भारतीय विशेषज्ञ फ्रांस जाएं या फ्रांसीसी दल भारत आए।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण विकास के बारे में हमारी सरकार फ्रांसीसी सरकार से सीखने जा रही है या फ्रांसीसी सरकार हमारी सरकार से सीखेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : दोनों एक दूसरे से सीख सकती हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ये समाचार सही हैं कि परस्पर जानकार विनिमय का एक क्षेत्र अंगूरों की खेती तथा उनका किण्वन होगा और क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र शराब का उत्पादन करना शुरू करे।

राव बीरेन्द्र सिंह : अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा सकता है, लेकिन नयाचार के अन्तर्गत शराब का संयुक्त उद्योग स्थापित करना या सरकारी क्षेत्र में शराब का उत्पादन करना एक अलग बात है, जिसके बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता। यह राज्यों से या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से या राज्यों के कृषि-उद्योग निगमों से या निजी उद्योगों द्वारा की जाने वाली पहल पर निर्भर करता है।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, बिना शराब के ही सरकार नशे में रहती है, जब शराब बनने लगेगी, तब क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : ऋण × ऋण = जमा।

एक माननीय सदस्य : वे सत्ता के नशे में हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, क्या में माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उत्तरी अफ्रीका या अन्य अफ्रीकी देशों जैसे तीसरे देशों में कृषि उत्पाद के क्षेत्र में फ्रांस तथा भारत के बीच सहयोग के प्रश्न पर उनके तथा उनके फ्रांसीसी सहयोग के बीच बातचीत हुई है, और, दूसरे, हमारे दो दशों के बीच आर्थिक सहयोग को, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में जिससे कि आप सम्बन्धित हैं, फ्रांस में अगले वर्ष होने वाले 'भारत के उत्सव' में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा ? तृतीय विश्व देशों में गतिविधियों के लिये भारत--फ्रांस सहयोग की संभावनाओं का पता इस नयाचार के अन्तर्गत भी लगाया जा सकता है। मेले के बारे में, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि किस स्तर तक हम लोग उसमें भाग ले रहे होंगे और उसका क्या परिणाम निकलेगा।

वर्ष 1983 में बाढ़ के लिए आन्ध्र प्रदेश को दी गई सहायता

* 105. **श्री ओ. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में बाढ़ के लिए आंध्र प्रदेश को कुल कितनी सहायता दी गई और उसमें से कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या व्यय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी;

(ग) पिछली बाढ़ में कुल कितनी भूमि में रेत भर गयी थी और बह गई थी;

(घ) किसानों को विशेषकर छोटे किसानों को ऐसी भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने के लिए सहायता देने के लिए क्या कुछ राशि अलग से रखी गयी थी और यदि हाँ, तो कितनी; और

(ङ) कितने हैक्टार भूमि के लिए सहायता दी गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1983 के दौरान बाढ़

तथा समुद्री तूफान से राहत के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल 96.70 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 1983-83 के दौरान 80.16 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

(ख) भारत सरकार ने इन दोनों प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय करने के लिए 31-3-84 तक समय की सीमा निर्धारित की थी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 37,526 हैक्टार भूमि में रेत भर गई थी।

(घ) रेत से भरी भूमि साफ करने के लिये केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के रूप में 155 लाख रुपए मंजूर किए गये थे। राज्य सरकार के अनुसार रेत भरी भूमि को साफ करने हेतु सम्पूर्ण सहायता छोटे तथा सीमान्त किसानों की भूमि पर खर्च की गई है।

(ङ) क्षेत्रीय दौरों तथा केन्द्रीय दलों द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अधार पर और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर रेत से भरी 30,000 हैक्टार भूमि को साफ करने के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : अपने प्रथम अनुपूरक प्रश्न में मैं उतने ही उत्तर से संतुष्ट हूँ जो प्रश्न के भाग (क) और (ख) में दिया गया है। आम तौर से, जब कभी सूखा पड़ता है अथवा बाढ़ आती है, तब केन्द्रीय दल उस स्थान पर जाता है और निरीक्षण करता है तथा इस बात का निर्धारण करता है कि कितनी क्षति हुई है और राज्य सरकार को राशि आवंटित करता है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में हुई क्षति को तय करती है और जिलों को निधि आवंटित करती है। इस निधि को जिलाधिकारी के अधिकार में रखा जाता है, जो इन निधियों का उपयोग करता है क्योंकि स्थल पर वही इस बात का निर्णय लेने का अधिकारी है कि किन-किन क्षेत्रों में क्षति हुई है और उससे कौन–कौन से व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी ओर मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान मामले में, केन्द्रीय दल के आंध्र प्रदेश के दो बार के दौरे के बाद, उसे कुछ राशि आवंटित की गई है, जो राज्य सरकार के पास है। इसके बाद राज्य की राजधानी में आंध्र प्रदेश सरकार की बैठक हुई और राशियाँ जिलों में विभिन्न विभागों में बांटी गई और इन विभागों ने उन राशियों का सामान्य योजना स्कीमों के अनुसार उपयोग किया। जिला अधिकारी के अधिकार में एक भी पैसा नहीं रखा गया, जो कि गत 35 वर्षों तक एक सामान्य प्रक्रिया रही है। क्या सरकार को यह पता है कि राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों को निधियाँ आवंटित किए जाने की इस प्रक्रिया के परिणाम-स्वरुप बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को उनको दिया हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये विभाग उन निधियों का उपयोग सामान्य योजना कार्य-कलापों में कर रहे हैं? यदि सरकार को इस बात की जानकारी है तो इसे ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) ; अब तक सामान्य रूप से यह प्रक्रिया रही है कि

निधियों को राज्य सरकारों को दिया जाता है। यह राज्य सरकारों का काम है कि निधियों को, उन विभिन्न विभागों को आवंटित करे जो मरम्मत और पुनर्वास सम्बन्धी कार्य करते हैं, और जिलाधिकारियों को अन्य राहत कार्यों के लिये......

प्रो. एन. जी. रंगा : किसी विशेष राहत के लिये नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ... शेष सभी राहत कार्यों के लिए, जिन्हें मुझे यहां इस समय बताने की आवश्यकता नहीं है, जो किसी विशेष विभाग के अधीन नहीं आते हैं। गत कुछ समय से, हम लोग यह अनुरोध करते रहे हैं कि राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में हुई क्षति का सही-सही प्राक्कलन प्रस्तुत करें। हम केन्द्रीय दल से इन आंकड़ों की जांच करने के लिए भी कहते हैं जिससे कि हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि राज्य-सरकारों ने आवंटित की गई सभी राशियों का न्यायोचित ढंग से प्राकृतिक विपत्तियों के किए उपयोग किया है। जिलों को आवंटित करना एक प्रकार से उचित भी है। जहां ऐसा करना सम्भव होता है, वहां कुछ मामलों में हम भी वित्त मंत्रालय को यह कहते हैं कि विभिन्न जिलों को आवंटित करने के लिये धन-राशि विशेष आदेशों से प्रदान की जाये। ऐसा भी किया जा रहा है। किन्तु ऐसा हमेशा सम्भव नहीं होता कि राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विशिष्ट मदों पर ही, निधियां वितरित करने के लिये कहा जाये। इसके अलावा व्यय पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व मेरे मंत्रालय पर नहीं है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग द्वारा किया जाता है। किन्तु जहां तक सम्भव होता है, बाद में किसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में केन्द्रीय दल द्वारा कोई संस्तुति किये जाने से पूर्व, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले गत वर्ष में किये गये व्यय की जांच अवश्य कर ली जाये जिससे कि हमें इस बात का पता चल जाये कि इस मामले में राज्य सरकार का क्या कार्य निष्पादन रहा है।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रश्न के भाग (ग), (घ) और (ङ) में दिए गए उत्तर की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह बताया गया है कि कथित कुल 37,526 हेक्टेयर रेत भरी भूमि के मुकाबले में 30,000 हेक्टेयर भूमि साफ करने के लिए 155 लाख रुपये मंजूर किये गये थे। केन्द्रीय दल द्वारा 37,526 हेक्टेयर भूमि के लिए कहा गया था जबकि मंत्रालय ने 30,000 हेक्टेयर भूमि के लिए मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस आवंटित राशि के अन्तर्गत 81 प्रतिशत क्षति ग्रस्त भूमि आ जाती है। इसलिए अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहूंगा कि आदिलाबाद जिला, जो अधिकतम गोदावरी नदी की रेत से प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। केन्द्रीय दल ने इस जिले का दौरा दो बार किया है वहां मधोल नारा की एक तहसील है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिले में कुल 6,000 हेक्टेयर रेत से भरी भूमि में से केवल वहां के छोटे और सीमांत किसानों की ही लगभग 52,000 हेक्टेयर भूमि पूर्णतः रेत से भरी हुई थी। इसलिये यहां पर 81,000 रुपये की राशि आवंटित की जानी चाहिये थी।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जिन्होंने अभी-अभी यह कहा है कि जब किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए राशि आवटित की जाती है तब हम इस बात की निगरानी करते हैं कि क्या उस राशि का उपयोग किया गया है अथवा नही ? आदिलाबाद जिले में जहां यह बताया गया है कि वहां लगभग 6 हजार हेक्टेयर भूमि रेत से भरी थी, जिसमें से केवल मधोल तालुका में 5200 हेक्टेयर भूमि रेत से भरी हुई थी किन्तु छोटे और सीमांत किसानों को केवल 40,000 हेक्टेयर रेत भरी भूमि के मामले में ही सुविधा पहूंचाई गई । इसका अर्थ है केवल 0.8 प्रतिशत ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी मंत्री को इतने सारे आंकड़े कैसे पता हो सकते हैं ? यह राज्य का विषय है ।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : महोदय, मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि मधोल तालुका के छोटे और सीमांत किसानों के साथ कितना अन्याय किया गया है कि उन्हें 80 प्रतिशत सहातया मिलने की आशा थी किन्तु उन्हें केवल 8 प्रतिशत सहायता प्राप्त हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को अपने मंत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिये जो इन सबके लिए उत्तरदायी हैं । उनसे यह सब जानने की आशा कैसे की जा सकती है ?

श्री नरसिम्हा रेड्डी : महोदय वह इसकी जांच कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं कर सकते ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : महोदय मुझे आधे मिनट में अपना प्रश्न पूरा कर लेने दीजिये ।

महोदय मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी किए गये अन्याय के बारे में जांच करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि छोटे तथा सीमान्त किसानों, जो कि इससे प्रभावित हुए हैं तथा जिन्हें अपना देय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, के साथ न्याय किया जायेगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी पर ध्यान दिया है ।

वास्तव में राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन में पहले दी गई जानकारी के अनुसार 3,980 हैक्टेयर भूमि में रेत भर गई थी । इसके बाद यह संशोधित करके 14,130 हेक्टेयर की गई । रेत से भरी भूमि साफ करने के लिए 155 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की गई थी । अदिलाबाद भी एक जिला था जोकि रेत से भर गया था । किन्तु जैसा मैंने पहले कहा है उस भूमि से रेत साफ करने की आवश्यक व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । जिला वार आवंटन करना भी राज्य सरकार का ही दायित्व है किन्तु अगर कुछ अनियमित बात हुई है अथवा माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि उनके जिले अथवा निर्वाचन क्षेत्र के साथ धन

राशि आवंटन के सम्बन्ध में कोई अन्याय किया गया है, तो मैं अवश्य ही राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा और फिर माननीय सदस्य को लिखूंगा।

प्रो० एन.जी. रंगा : अध्यक्ष महोदय, इससे इसके अंतर्गत सिद्धांत तथा नीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। मंत्री महोदय ने बड़ी सावधानी पूर्वक राज्य सरकारों की संभावनाओं आदि के संबंध में आरम्भ में ही और उत्तर दिया था उसे देखते हुए क्या मुझे आश्वासन देंगे कि क्या विकार यह देखने की कोशिश करेंगी कि जब उनकी विशेषज्ञ समिति ऐसे क्षेत्र का दौरा करती है, जो किसी विशेष प्रकार की क्षति से ग्रस्त होता है और वह समिति सिफारिश करती है कि उस विशेष क्षेत्र को तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि के रूप में इतना रुपया दिया जाना चाहिए। कम से कम वह भविष्य में तो इसे देखें कि उस आवंटन तथा उपयोग के बारे में धनराशि के उन सिफारिशों का राज्य सरकार द्वारा पालन किया गया था वे क्रियान्वित की गई ये जो विशिष्ट सहायता के लिए मंजूर किया जाता है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने बताया है कि हम राशि का सदुपयोग और देख-रेख करने की पूरी कोशिश करते हैं परन्तु विशेष रूप में यह मेरे मंत्रालय का कार्य नहीं है। हम सिर्फ क्षति का अनुमान लगाते हैं और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश करते हैं और फिर इसके पश्चात धनराशि देने का और राज्य सरकारों से धन राशि के उपयोग के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने का अंतिम दायित्व वित्त मंत्रालय का है। और फिर रिपोर्ट के आधार पर अगर वह संतुष्ट हैं तो वह और धन राशि देता है। किन्तु मैंने कहा कि मैं राज्य सरकारों को जिला राहत समितियां बनाने पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें मेरे सुझावों से सहमत हैं परन्तु कुछ राज्य सरकारें उन पर विचार नहीं करती। किन्तु मैं नहीं जानता इस बारे में क्या किया जाए।

श्री जेवियर अराकल : सदन अच्छी तरह जानता है कि दो ही प्राकृतिक आपदयें आती हैं—एक तो सूखा एवं दूसरा बाढ़ जिससे हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है और सही भी है कि जो कुछ भी मुमकिन हो सके, वह करना राज्य सरकारों का मामला है। परन्तु मेरा प्रश्न इसमें अंताग्रंस्त मूलभूत सिद्धांत से सम्बन्धित है। एक तो यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए बीमा योजना की बात आवश्यक है और अविलम्बनीय विषय का मामला है। परन्तु मूल मसला है कि केन्द्रीय दल दौरा करता है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन तथा दल के दौरे के बीच समायान्तर बहुत अधिक है और राज्य सरकार द्वारा उल्लेख की गयी राशि तथा दल द्वारा स्वीकृत राशि में कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए स्वयं मेरे राज्य ने हाल ही में आई बाढ़ से 159 करोड़ रुपये के नुकसान की जानकारी दी, और केरल के तटवर्तीय क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रूपये की मामूली राशि दे दी जायेगी। 84 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और नुकसान बहुत अधिक है और इससे बढ़कर···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानकारी दे रहे हैं अथवा जानकारी मांग रहे हैं ?

श्री जेवियर अराकल : नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार को कुछ सिद्धांत अपनाने होंगे यह नहीं कह सकते कि यह राज्य का विषय है और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। यह नहीं कह सकते कि यह कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है जो कि देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः राज्य सरकारें खर्चा पूरा नहीं कर सकतीं। केन्द्र सरकार को आगे आना होगा तथा सहायता देने के लिए एक बहुत अच्छा सिद्धांत अपनाना होगा। उदाहरण के लिए 159 करोड़ रुपये का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस आधार पर आपने सिर्फ 5 करोड़ रूपये ही स्वीकृत किए, जब कि नुकसान 159 करोड़ रूपये का हुआ है ? राज्य सरकार इसे कहां से पूरा कर सकती है ? अतः केन्द्र सरकार को कोई सिद्धांत बनाना चाहिए जिससे कम से कम नुक्सान का 50 प्रतिशत तो केन्द्र सरकार पूरा कर सके। कृषि क्षेत्र के लिये अच्छी बीमा योजना भी बननी चाहिए। मुझे आशंका है कि जब तक ये उपाय नहीं किये जाते तब तक कोई भी योजना प्रभावी नहीं हो सकती। क्या मैं माननीय मंत्री जी से सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों के बारे में जान सकता हूँ ?

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने सदन में कई बार कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता प्रदान करने के मामले में सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। और अब भविष्य में अनुसरण करने के लिए आंठवें वित्त आयोग ने भी कुछ सिफारिशें दी हैं। सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर रही है। किन्तु सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य के लिए क्या निश्चत किया जाना है।

सहायता राशि की मात्रा के सम्बन्ध में तथा कितने प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार को देनी है और कितने प्रतिशत राज्य सरकार का हम सभी बातों पर मैं एक माननीय सदस्य अथवा अन्य माननीय सदस्य के सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकता। यह इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले अंतिम निर्णय पर ही निर्भर होगा। सहायता राशि के लिये केरल सरकार का ज्ञापन अभी हाल ही में आया है। यहां तक मुझे याद है यह पिछले हफ्ते ही आया है। तुरन्त ही एक दल भेज दिया गया था। मेरे विचार से दल आज केरल पहुंच गया है अथवा यह कल पहुंच जायेगा। या 1 अगस्त 1984 को पहुंच जायेगा। यह दल की सिफारिश पर ही निर्भर करेगा कि मंजूर की जानेवाली राहत राशि की अधिकतम सीमा कितनी हो। 5 करोड़ समय की राशि संगत नहीं है। केरल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिये अर्थोपाय अग्रिम के रूप में कुछ धन के लिए हमसे अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को 5 करोड़ रुपये दिए हैं।

हम यह नहीं कह सके कि हमें दल की रिपोर्ट का इन्तजार करना चाहिए हो सकता है कि यह भी नहीं दिया जाता माननीय सदस्य की शिकायत अनुचित है। अगर उन्हें केरल के लोगों से सहानुभूति है तो उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करनी चाहिए।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। जब मैं कहता हूं नहीं तो इसका अर्थ है नहीं।

श्री एम.राम गोपाल रेड्डी : आज आप मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, यह तो अपने-अपने विचारों की बात है।

समाज विरोधी व्यवसायी तत्वों को अनुशासित करने हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा पारित किया गया संकल्प

*106. **श्री स्वामी इन्द्रवेश**† :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल संघ के गत अधिवेशन में उन्होंने व्यापारी समुदाय को कहा था कि वह जमाखोरी करने वालों, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की बनावटी कमी पैदा होती है तथा आवश्यक वस्तुओं में मिलावट करने वालों, तस्करी करने वालों और कम तोलने वालों आदि समाज विरोधी और गैर-जिम्मेदार तत्वों को अनुशासित करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संघ की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों को अनुशासित करने हेतु संघ द्वारा कोई संकल्प पास किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) जी हां। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) को हाल में हुई उनकी वार्षिक बैठक में सलाह दी गई थी कि वे जमाखोरी, चोरबाजारी, तस्करी मिलावट आदि जैसे कदाचारों में लिप्त समाज-विरोधी तत्वों को, जो सख्त सजा पाने के पात्र हैं, पकड़वाकर सरकार को उसके राष्ट्र निर्माण के विशाल कार्य में सहयोग दें। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने सहयोगी सदस्यों से उपभोक्ता की शिकायतों, जिनमें मिलावट करना तथा कम तोलना व कम नापना शामिल है, पर कार्यवाही करने के लिए उपभोक्ता शिकायत कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया है।

स्वामी इन्द्रवेश : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में तस्करी और खाद्य चीजों में मिलावट की समस्या एक बड़ी जटिल समस्या है। पिछले साल जब डाल्डा में गाय की चर्बी मिलने का कांड सामने आया, तो सारा देश महसूस करने लगा कि हम गाय की चर्बी खा रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कलकत्ता में अपने व्याख्यान में कहा है कि हम आवश्यक वस्तु कानून का कड़ाई से पालन करेंगे। और बड़ी मछलियों को जो जाल से निकलने की कोशिश करती रहती हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ ऐसे बड़े उद्योगपति, जिन्होंने खाद्य की चीजों में मिलावट की है, उन पर कोई कार्यवाही की है ? पिछले एक साल में जो इतना बड़ा कांड था गौ-चर्बी का, 23 तारीख को फिर अखबार में था कि गाय की चर्बी फिर मिलाई जा

रहीं है और उस तरह से बाहर से आ रही है। तो इस बारे में स्पष्ट बताएंगे कि आपने इस घोटाले के बारे में कोई कार्यवाही की ? यदि की तो अब वह किस स्थिति में है ?

श्री भागवत झा आजाद : पिछली बार जो यह प्रश्न उठाया गया था इस का जवाब इस सदन में स्पष्ट दिया गया था कि हिन्दुस्तान में जितनी डालडा या वनस्पति की फैक्टरियां हैं उन तमाम पर समय-समय पर रेड किए गए और जांच की गई। यह साबित नहीं हो पाया और यह बात सही नहीं थी कि वनस्पति में चर्बी मिलाई गई। इस बार किस अखबार में उन्होंने पढ़ा किस अखबार ने यह निकाला यह मालूम नहीं। लेकिन न यह मिलाया जा रहा है न आ रहा है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। यह बैन कर दिया गया है। न यह मिलाया जाता है और न कभी मिलाया गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए इस बारे में यह बात कहना गलत है।

दूसरी बात जो ऐक्शन के बारे में कही, तो मैंने बताया कि यह बात सही है कि कुछ ऐन्टी सोशल एलीमेंटस कभी-कभी ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट है और प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग ऐन्ड मेंटिनेंस आफ एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट है जिसके अन्तर्गत 78677 केसेज बुक किए गए जिस में 76 हजार एन्फोर्समेंट ऐक्ट के अन्तर्गत 2 हजार 625 एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत ये आफेसेज बुक किए गए हैं। जनवरी और मई 1984 में 20 हजार लोगों को इस केस के अन्दर बुक किया गया है। इसलिए इन कानूनों के अन्तर्गत जहां हम पाते हैं। वहां उन पर ऐक्शन लेते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया है। अब इन में कितने बड़े और कितने छोटे हैं, यह मैं नहीं कह सकता।

स्वामी इन्द्रवेश : जैसे माननीय मन्त्री जी ने अपने व्याख्यान में कहा था और बड़ी मछलियों की चर्चा की थी, उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि किसी बड़े घराने को इस मसले पर उन्होंने पकड़ा या नहीं। आजके अखबार में है कि "भारतीय मसाले संसार में पिछड़े" और उसका कारण बताया है कि हमारे मसाले पिछले साल 77 करोड़ रुपये के बाहर गये थे लेकिन अब उनमें फफूंद लगता है, इसलिए वह रिजेक्ट होते जा रहे हैं। यही बात दवाइयों के बारे में और खाने की दूसरी चीजों के बारे में रोज आ रही है। माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है कि गाय की चर्बी में एक भी नमूना नहीं मिला और कोई भी प्रमाणित नही हो सका तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा एक वावेला मचा और मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रधान मन्त्री जी ने उस समय अजमेर गई थीं, वहां उन्होंने कहा था कि कुछ मामले जरूर निकले हैं जिनमें मिलावट पाई गई। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि एक भी नहीं निकला। भटिंडा कभीर एकाध और कांड जैसे था वह भी हुआ था लेकिन वह उत्तर दे रहे हैं कि एक भी नमूना नहीं निकला जिसमें मिलावट सिद्ध हो। तो मैं समझता हूँ कि या तो हमारी सरकारी मशीनरी इतनी भ्रष्ट हो गई है कि किसी भी नमूने को सिद्ध नहीं कर पाई या पैसा लेकर छोड़ दिया, यह क्या मामला है ? कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : इस सदन में मैंने जवाब दिया था भटिंडा के दो केसेज थे और

अमृतसर का भी था जब मैंने यह कहा तो माननीय सदस्य ने प्रश्न यह किया था कि बड़े जोर से और उनके कहने का और देश को उकसाने का अर्थ यह था, यहां पर पिछले वर्ष बड़े जोर शोर से यह बात कही गई थी तो मैंने कहा कि नहीं, 92 फैक्ट्रीज पर रेड किया, ये जो भटिंडा का केस था वह फैक्ट्री लाइसेंस्ड नहीं थी, यह बार-बार इस सदन में कहा जा चुका है और अमृतसर के केसे के बारे में भी स्पष्ट किया गया था, न तब कहीं कुछ था और न अब है । यह जो मैंने जवाब दिया है इस में कोई कांट्रडिक्शन नहीं है । बावेला जिन्होंने उठाया वह समझे कि कितना गलत बावेला उठाया और इस से देश के उपभोक्ताओं को कितना गुमराह किया ? इसमें कोई बात नहीं थी।

श्री भगवत झा आजाद : अध्यक्ष जी जहां तक मसाले के एक्सपोर्ट की बात है, यह मैं नहीं बतला सकता हूं । जहाँ तक दवाई की बात है, ये सब मेरे ही मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं हैं । इसलिये आप उनसे प्रश्न कीजिये, कितना आ गया कितना फफून्द था और कितना क्या हुआ ? यह मेरे पास नहीं है । यह अन्य मंत्रालय के पास है ।

श्री माधव राव सिंधिया : थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक स्पष्ट अन्तर है । इससे पता चलता है कि व्यापारी लोग जन-विरोधी समाज-विरोधी गतिविधियों में लगे हुये हैं । मेरे विचार में इसकी मंत्रालय में ही आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है । यह संभव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी सफलतापूर्वक चल रहे कार्य और गति-विधियां उनके मंत्रालय या विभाग के अधिकारियों की बिना किसी मिलीभगत के चल रहे हों । मैं यह समझता हूं कि यही समय है जब कि उनका मंत्रालय एक ओर अधिकारियों और दूसरी ओर व्यापारियों के बीच होने वाले ऐसे सम्बन्ध को रोकने के लिये अधिक नियंत्रण एवं सतर्कता से काम ले । अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभाग के नागरिक पूर्ति निरीक्षकों और इस तरह के अन्य अधिकारियों पर और अधिक नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये हैं, कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं और कौन-कौन से किये जायेंगे ।

उनकी सूचनार्थ, मैं उनको और सदन को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ओर तो उपभोक्ताओं के संरक्षणार्थ और दूसरी ओर असामाजिक व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु, विधान सभा में, मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पहले ही पुरःस्थापित कर दिया है । इसके साथ ही साथ उसने एक अध्यादेश भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी को, जो भ्रष्ट कार्य में लिप्त पाया जायेगा, सात वर्ष तक का कारावास दिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की उपभोक्ता संरक्षण विधेयक और छोटे-मोटे सभी अधिकारियों के विरुद्ध ऐसा ही कानून बनाने पर विचार कर रही है जो इस प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त हैं और जो देश में असामाजिक तत्वों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : अधिकारियों और व्यापारियों के बीच किसी प्रकार का संबंध निन्दनीय और भर्त्सना योग्य है । जब कभी हमारे सामने ऐसा अवसर या ऐसा कोई मामला आता है तो, हम कार्यवाही अवश्य करते हैं । ऐसे अधिकारियों या व्यापारियों अथवा किसी

तीसरी पार्टी के लिये. जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया है। इसमें अभी हाल ही में संशोधन करके संक्षिप्त विचारण और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। हमने सजा बढ़ा दी है। पहले यह उदार थी और अब हमने इसे कठोर बना दिया है। हमने 1981 में 1955 के अधिनियम को संशोधित किया था।

इसी प्रकार, कालाबाजारी अधिनियम और आवश्यक आपूर्ति (बनाए रखना) अधिनियम हैं। इन अधिनियमों के अधीन भी हमने कार्यवाही की है। मैंने कुछ आंकड़े दिये हैं।

मैं एक और बात पर बल देना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने नागरिक पूर्ति निरीक्षकों के बारे में कहा है। उदाहरणस्वरूप मुझे माननीय सदस्यों से जब कभी भी इस प्रकार की सूचना मिलती है, मैं संयुक्त सचिव को, जहां कहीं भी सम्भव हो, भेजने का प्रयास करता हूं। प्रशासन माध्यम से कानून को लागू करने के लिए, नागरिक पूर्ति निरीक्षकों को भेजा जाता है। परन्तु इस प्रकार की बात का उत्तर है कि देश में एक सशक्त, शक्तिशाली उपभोक्ता आन्दोलन चलना चाहिए, जो कि उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षा प्रदान कर सके। कोई भी सरकार, चाहे यह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार अथवा प्रशासन हो, नागरिक पूर्ति निरीक्षकों, उप-नागरिक पूर्ति निरीक्षण के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकती है। जब तक देश में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में, कोई शक्तिशाली उपभोक्ता आन्दोलन नहीं चलाता है, तब तक सरकार को केवल प्रशासन के माध्यम से ऐसी स्थिति को रोकना बड़ा कठिन होगा। इसीलिए हम उपभोक्ता आन्दोलन की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने उस विधेयक को देखा है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने विधान सभा में पुर:स्थापित किया है। मैंने उसकी प्रशंसा की है। मैंने उसकी इस सभा में और बाहर भी सराहना की है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरे कुछ मित्र मुझे सलाह दे रहे थे कि हमें इस पर ध्यान देकर ऐसा ही विधेयक संसद में लाने का प्रयास करना चाहिये और उन्हें तब इसको कार्यान्वित करने की अनुमति देनी चाहिये। मैंने कहा, नहीं। मैं ऐसी किसी भी राज्य सरकार की सराहना करता हूँ जो ऐसा विधेयक लाती है। उन्हें इस पर आगे कार्यवाही करने दो। हम परीक्षण करके और गलती से सीखेंगे और यह देखेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। हम वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी हमें ऐसी सूचना स्वयं ही या किसी माननीय सदस्य से अथवा जनता से मिलती है तो, मैं वैसा प्रयास करता हूं। एक मात्र मुकद्दमा यही है। जब कभी भी मुझे सूचना मिलती है तो मैं इसे उच्चतम स्तर तक भेजता हूं। परन्तु कठिनाई यह है कि जनता समेत मुझे इस आधार पर किसी से भी सहयोग नहीं मिलता है कि उनकी कोई शिकायतें ही नहीं हैं। अत: ऐसी शिकायतों की जांच करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इसका एकमात्र उत्तर है देश में शक्तिशाली उपभोक्ता आन्दोलन।

श्री माधव राव सिंधिया : भ्रष्टाचार को मिटाने के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूं।

चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता देना

*107. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री बी. वी. देसाई : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात पर और अधिक बल दिया है कि चल रही सिंचाई परियोजनाओं को छठी योजना में पूरा किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उन बड़ी चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त तक पूरा किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सभी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देने हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी है।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना (1984-85) पर किए गए विचार-विमर्श के समय राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 51. निर्माणाधीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो छठी योजना में लाई गई थी, 1984-85 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं के नाम तथा मार्च, 1934 तक उनकी प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अब तक पूरी की गई/1984-85 तक पूरी की जाने वाली निर्माणाधीन बृहद परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	3/84 तक व्यय (प्रत्याशित) (करोड़ रुपये)	मूलभूत क्षमता (हजार हैक्टेयर)	6/84 तक सृजित क्षमता (प्रत्याशित) (हजार हैक्टेयर)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
1.	निजाम सागर चरण-एक का सुधार	15.98	14.72	—	—	स्थिरीकरण स्कीम

1	2	3	4	5	6	7
2.	समालकोट ग्रीष्म मंडारण जलाशय बिहार	1.36	1.37	—	—	
3	राजपूत नहर	53·88	25.87	125.0	125.0	
गुजरात						
4.	ककरपार	23.44	22.94	227.4	227.4	
5.	माही चरण-एक	43.60	43.10	261.4	261.4	
6.	साबरमती	75.55	71.52	56.7	56.7	
7.	उकई	136.43	134.93	153.90	153.00	
8.	कडाना	98.46	97.64	13.40	13.40	
हरियाणा						
9.	डब्ल्यू जे. सी. का पुर्ननिर्माण	12.49	10.71	248.0	248.0	
	ब्यास यूनिट-एक और उसका विस्तार	9.22	0.03	*	**	
	ब्यास यूनिट दो और उसका विस्तार	41.38	39.05			
10.	लोहारू लिफ्ट सिंचाई	34.62	29.43	66.0	61.0	
11.	सवानी लिफ्ट सिंचाई	27.52	23.84	46.0	43.0	
12.	नहर परियोजना का विस्तार करना	14.00	15.01	54.0	54.7	
कर्नाटक						
13.	तुंगभद्र बांया तट, नहर व दाया तट नहर	68.99	69,20	281.9	279.7	
14.	काबीनी (गैर योजनागत)	85.00	85.00	42.0	42.0	
केरल						
15,	पेरियार घाटी	48.71	38,93	85.6	73.7	
16.	कुट्टीयाडी	47.50	45.62	37,2	33.6	

1	2	3	4	5	6
17.	पाम्बा	54.00	43.16	48.4	43.1
18,	पभ्रासी	55.00	43.86	32.4	14.7
	मध्य प्रदेश				
19.	भंडेर नहर	2.23	2.28	44.5	44.5
20.	हसदेव दांया तट नहर	14.33	14.33	42.0	42.0
21.	हलाली	12.66	12.06	37.2	27.2
22.	चम्बल	86.64	85.61	273.2	273.2
23.	बर्ना	16.30	16.20	60.5	60.5
24.	तवा	104.15	101.07	290.0	290 1
25.	सुक्ता	13.25	12.33	18.6	18.6
26.	रंगवान एच. एल. सी.	6.30	5.35	17.1	17.1
	महाराष्ट्र				
27.	बाघ	—	—	33.7	33.7
28.	इतियादोह	—	—	40.1	40.1
29.	कल	8.61	8.61	14.3	14.3
30.	तुलशी	7.06	7.02	5.7	5.7
31.	मंजरा	31.60	31.13	23.7	23.7
32.	मुला	31.30	30.49	85.7	85.7
	उड़ीसा				
33.	सालांदी	16.38	16.38	60.1	60.1
34.	महानदी डेल्टा	70.52	70.52	562.5	549.5
	पंजाब				
35.	यू. बी. डी. सी. ट्रैकों के क्षेत्रों में गैर बारहमासी सिंचाई का विस्तार	6.20	6.17	235.0	226.0

1	2	3	4	5	6	7
36.	ब्यास यूनिट-एक और उसका विस्तार	13.82	13.58	*	**	
37.	ब्यास यूनिट-दो और उसका विस्तार	62.08	58.50			
38.	शाहन हार केनाल का व्यपवर्तन वीपर	34.45	33.38	कोई सीधा लाभ नहीं		
39.	रावी ब्यास के अति-रिक्त जल का उपयोग	11.53	9.23	252.0	248.0	
	राजस्थान					
	ब्यास यूनिट-एक और उसका विस्तार	4.06	4.01	*	**	
	ब्यास-यूनिट-दो और उसका विस्तार	145 84 136	5.1			
40.	राजस्थान नहर चरण-एक	237.43	215.29	588.0	577.0	
	तमिलनाडु					
41.	चितर पतनकल	7.67	7.70	14.9	14.9	
42.	वैगई चैनलों का आधुनिकीकरण	8.23	8.81	4.1	4.1	
	उत्तर प्रदेश					
43.	रामगंगा	98.93	135.94	591.1	591.1	
	मंडक	103.45	97.45	308.4	308.4	
44.	कोसी	16.67	17.56	48.8	48.8	
45.	आदवा	8 10	8.10	17.0	17.0	
46.	दोहरीघाट	11.00	11.11	45.8	45.8	
47.	पूर्वी बेगुल	7.67	7.01	15.8	15.4	
48.	समानान्तरण लोअर गंगा नहर	49.43	48.84	.90.0	90.0	

1	2	3	4	5	6	7
49.	सुहेली	6.65	6.18	17.5	17.5	
50.	मावो टांडा	2.20	2.20	17.6	17.6	
	पश्चिम बंगाल					
51.	मयूराक्षी	20.46	18.93	250.9	250.0	

*वर्तमान गंगा; भाखड़ा और राजस्थान प्रणाली में लगभग 2.0 मि० हैक्टेयर की मूलभूत क्षमता।

**कुल सृजित क्षमता 1.400 मि० हैक्टेयर।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यह डर है कि यद्यपि राज्य में जलाशयों से सम्बद्ध कुछेक सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, परन्तु अवरुद्ध जल को वितरण प्रणाली के अभाव में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है और लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में कई वर्ष का समय लगेगा।

मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है :

"केन्द्रीय सरकार ने सभी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देने हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी है।"

परन्तु मेरा यह कहना है कि राज्य सरकारें धन की कमी इसका कारण बताती हैं। उड़ीसा की रांगली सिंचाई परियोजना और ऊपर कोला व सिंचाई परियोजना धन की कमी के उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय हानि के निवारणार्थ और निवेश तथा उत्पन्न क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस बात पर बल देता हूं कि त्वरित कार्यक्रम के अधीन राज्यों को को विशेष सहायता दी जानी चाहिए, जो कि राज्यों के लिये जल वितरण प्रणाली को पूर्ण करने के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करेगा। इससे परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब नहीं होगा। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या मन्त्री महोदय राज्यों को इस प्रकार की विशेष सहायता देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने सृजित क्षमता के उपयोग के बारे में प्रश्न किया है। हमारी सदैव यह नीति रही है कि सृजित क्षमता का यथाशीघ्र उपयोग किया जाए क्योंकि इन परियोजनाओं में बहुत ही मूल्यवान राष्ट्रीय निवेश किये गये हैं। इसी प्रयोजन से कुछ वर्ष पूर्व कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और हम सातवीं योजना के दौरान और भी अधिक व्यापक ढंग से इस कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा रांगली सिंचाई परियोजना और निस्सन्देह ऊपर कोला सिंचाई परियोजना से सम्बद्ध विशेष समस्याओं को उठाने का सम्बन्ध है, उस बारे में मुझे यह कहना है कि ये पूरी हो गई हैं और अब उनका उपयोग पन-बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है, परन्तु वह सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही है, जिसके लिये एक अलग योजना तैयार करनी होगी और जल का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों की किसी भी अन्य योजना की तरह उसका मूल्यांकन करना होगा और कार्य पद्धति के अनुसार जो भी केन्द्रीय सहायता उचित होगी, वह इन परियोजनाओं के लिए निश्चय ही उपलब्ध कराई जायेगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : बिहार, उड़ीसा और पश्चिम-बंगाल की सुबर्ण रेखा अन्तर्राज्यीय मुख्य सिंचाई परियोजना को आरंभ कर दिया गया है। यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त है और इससे इन राज्यों के एक विशाल आदिवासी भू-भाग पर सिंचाई होगी। परन्तु राज्य सरकारों ने, आदिवासी बहुत क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य योजना से अलग विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिखाना चाहती हूं कि यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये आन्दोलन चल रहा है। सातवीं योजना के नीति पत्र में यह कहा गया है कि सूखा सुवर्ण और पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। तदनुसार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने भी सिफारिश की है। मैं मन्त्री महोदय से पूछती हूँ कि क्या ऐसी सहायता विशेष रूप दी जायेगी, अन्यथा परियोजना को पूरा होने में एक दशक से भी अधिक समय लग सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अवसर चूक गये हैं। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की जांच करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

*101. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि लोक लेखा समिति ने अपने अट्ठारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्वतन्त्र, उनके मंत्रालय वित्त विभाग और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय निकाय का गठन किया गया है;

(ख) इस निकाय का गठन करने के क्या उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को याप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस निकाय ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात लोक लेखा समिति को सूचित किया गया था कि उनके प्रतिवेदन की अधिकांश मदें बवेजा समिति तथा गोपालास्वामी समिति द्वारा की गई जांच में पहले ही शामिल थी और शेष मदों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए दूसरी समिति का गठन करना आवश्यक नहीं था। लोक लेखा समिति इस पर सहमत हो गई और उसने मामले पर आगे कार्रवाई न करने का फैसला किया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग को सहायता

102. **दौलत सिंह जी** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड कम्पनियों को फायदा पहुंचाने हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले तीन वर्षों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अनेक बड़े एककों ने मछली पकड़ने का कार्य बन्द कर दिया है; और

(ग) घाटे पर चल रहे मछली पकड़ने वाले एककों के पुनरुद्धार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग तो वित्तीय तथा अन्य तरीकों से सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

पिछले 12 महीनों के दौरान कार्य प्रचालन के लिए स्वीकृत भाड़े के जलयानों की संख्या 83 से घटकर 58 रह गई है, लेकिन इसी अवधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के निजी जलयानों की संख्या 68 से बढ़कर 73 हो गई है।

(ख) व (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जुलाई, 1981 में केवल एक बड़े व्यापारिक घराने ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अपने दो जलयानों को एक अन्य कम्पनी को हस्तान्तरित किया था।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग अपेक्षाकृत नया तथा अधिक पूंजी लगाने वाला है और अधिक जोखिम भरा है। गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग का संवर्धन करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) भाड़े, संयुक्त उद्यम, आयात और देशी निर्माण के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन बेड़े में वृद्धि करना;

(2) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयान खरीदने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था करना तथा भारतीय शिपयार्ड को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के निर्माण के लिए 33 प्रतिशत की राजसहायता मंजूर करना।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों की अधिप्राप्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और छोटे भारतीय उद्यमियों को उदार शर्तों पर ऋण दिया जाता है। बड़े व्यावसायिक घराने जो एम. टी. पी. अधिनियम और एफ. ई. आर. ए. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, उदार शर्तों पर ऋण लेने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, ऐसे जलयानों के विनिर्माण के लिए बड़े व्यावसायिक घरानों से आर्डर प्राप्त होने पर भारतीय शिपयार्डों को 33 प्रतिशत की राज-सहायता स्वीकार्य है।

(3) त्वरित संसाधन सर्वेक्षण;

(4) प्रचालन कर्मचारियों अर्थात् कप्तानों, मुख्य अभियन्ताओं, रेडियो आपरेटरों, बांसुनों, नाविकों को प्रशिक्षण देना।

(5) उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ बड़े और लघु मत्स्यन पत्तनों का निर्माण करना।

(6) भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम 1981 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन करना ताकि अनाधिकृत जलयानों द्वारा हमारे समुद्री क्षेत्र में चोरी छिपे मछली की समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

एशियाई खेलों में दर्शकों के लिये कुल स्थान और छापे गये टिकट

*108 **श्री ई. बालानन्दन** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों में, नौकायन के अलावा सभी खेलों और सभी दिनों के लिये दर्शकों के लिये कुल कितने स्थान थे;

(ख) कुछ प्रतिशत स्थान आमंत्रित व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के बाद कुल स्थानों में से कितने प्रतिशत स्थानों के लिये टिकटें छपवाने की आवश्यकता थी;

(ग) विशेष आयोजन समिति द्वारा वास्तव में कितने टिकट छपवाए गए थे; और

(घ) एशियाई खेलों के कुल कितने ठिकट बिके थे;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौका विहार को छोड़कर सभी प्रतियोगिताओं में सभी दिन बैठने की कुल क्षमता 28.83 लाख थी।

(ख) और (ग) विशेष आयोजन समिति ने 24.37 लाख की उपलब्ध बैठने की क्षमता के स्थान पर 35.67 लाख टिकटों की छपाई की व्यवस्था की थी, क्योंकि टिकटों की अधिक छपाई का कार्यात्मक आवश्यकता समझी गई थी।

(घ) विशेष आयोजन समिति ने 19.73 लाख देशीय टिकटों की बिक्री से 1.77 करोड़ रुपये का नेट राजस्व प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, विदेशों में 66.340 यू. एस. डालर के 19,362 टिकट बेचे गये थे।

नई वन नीति

109. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1952 की वन नीति के स्थान पर नई वन नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या 1952 की वन नीति में "आदिवासी जनसंख्या" के विषय में उल्लेख नहीं है जबकि "स्थानीय जनसंख्या" शब्द उसमें है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न समितियां और आयोगों द्वारा बनों में और उनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों के बारे में समय-समय पर सुझाई गई नीतियों और और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में क्या बाधाएं थीं; और

(ङ) गृह मंत्रालय तथा अन्य ऐजेन्सियों के वन विकास और वनों में आदिवासी हितों की रक्षा के बारे में प्रस्ताव क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) । (क) तथा (ख) मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित की गई थी। तब से सारे देश में वन जालवन की लकड़ी तथा चारे की निरन्तर बढ़ती हुई भारी मांग तथा साथ सुरक्षात्मक उपायों के कम होने, गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि को उत्सर्जित करने तथा वनों को राजस्व अर्जन का स्रोत माने जाने की प्रवृत्ति के कारण गम्भीर रूप से खाली होते रहे हैं। इन सबको देखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति की संवीक्षा की जा रही है।

(ग) तथा (घ) यद्यपि 1952 की नीति में "आदिवासी जनसमुदाय" के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसमें स्थानीय लोगों तथा वनों के नजदीक

रहने वाले ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को तथा साथ ही साथ उनके समर्थन और सहयोग को भी स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। अतः वन क्षेत्रों में तथा उसके नजदीक रह रहे आदिवासियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में 1952 की नीति रुकावट नहीं रही है और ऐसे कार्यक्रम राज्यों द्वारा चलाए गए हैं।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(1) वानिकी सम्बन्धी सभी कार्यों से ठेकेदार एजेंसियों को हटाना।

(2) वन श्रमिक सहकारी समितियों की एजेंसी के जरिए वन उत्पाद एकत्र करना तथा निष्कासन करना।

(3) आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए लघु वन के उत्पाद के उत्पादन और इसके वैज्ञानिक प्रबन्ध में वृद्धि करना।

(4) लाभोन्मुखी वन विकास योजनाओं के जरिये आदिवासियों को लाभप्रद रोजगार मुहैय्या करना।

(5) आदिवासियों के आर्थिक सुधार के लिए वन पर आधारित कुटीर उद्योग का संवर्धन करना।

(6) आदिवासियों को उनकी "भूम खेती" की मौजूदा घातक पद्धति से छुड़ाकर उनका पुनर्वास करना।

(7) वन्य ग्रामों में आदिवासी भू-स्वामियों को पैतृक किन्तु अहस्तांतरणीय अधिकार देना तथा उसी प्रकार के विकास सम्बन्धी लाभ प्रदान करना जैसे कि अन्य ग्रामों में किए जा रहे हैं।

(8) आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के विचार से उनके वन-भूखण्ड की जोतों का वैज्ञानिक प्रबन्ध।

(9) आदिवासियों के स्थाई रोजगार के सृजन के विचार से वानिकी सम्बन्धी सभी कार्यों का आयोजन करना।

(10) केन्द्र तथा राज्यों में आदिवासी विकास संगठनों को सुदृढ़ करना।

1984 में तिलहनों कि आयात

*110. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान तिलहनों के आयात का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके आयात की क्या आवश्यकता है;

(ग) कितने मूल्य और मात्रा में ऐसे तिलहनों का आयात किया जाएगा; और

(घ) आयात की जाने वाली विभिन्न तिलहनों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवास योजना निर्माण संगठन बनाना

*111. **श्री भीम सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को केवल आवास-योजना निर्माण संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुझाव देने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा अपने सुझाव के समर्थन में उन्होंने तर्क पेश किए हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

दालों का उत्पादन और मांग

112. **श्री दौलत राम सारण**

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में निर्धारित लक्ष्य और मांग की तुलना में दालों का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में (मूल्य सहित) दालों का आयात किया गया; और,

(ग) देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वर्ष 2001 तक दालों की अनुमानित मांग क्या होगी और सरकार ने दालों की मांग को अधिक से अधिक पूरी करने और आयात को कम करने के लिए देश में इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्री श्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1982-83 और 1983-84 अनन्तिम के दौरान दलहनों का अखिल भारतीय अनुमानित उत्पादन क्रमश: 115.7 लाख मीटरी टन और 126.8 लाख मीटरी टन आंका गया है। दलहनों के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 1982-83 के लिए 130 से 135 लाख मीटरी टन और वर्ष 1983-84 के लिए 130 लाख मीर टन निर्धारित किया

गया था। राष्ट्रीय लक्ष्यों का निर्धारण विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिनमें उत्पादन क्षमता और कुल खपत की आवश्कता भी शामिल है।

(ख) 1982-83 (अप्रैल से सितम्बर, 1982) के दौरान 28.5 हजार मीटरी टन दलहनों का आयात किया गया था, जिसका मूल्य 884.7 लाख रुपए था सितम्बर, 1982 के बाद के दलहनों से आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं।

(ग) सन् 2C01 ई० में दलहनों की मांग 170 से 180 लाख मीटरी टन के बीच होने का अंदाजा है। दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम निम्न प्रकार हैं:—

(1) (क) रबी के मौसम में अवशिष्ट नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों की बुवाई करके और

(ख) गरमी के मौसम में तिलहनों, गन्ना, आलू और गेहूँ के बाद सिंचाई करके अतिरिक्त क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाना;

(2) सिंचित काश्त प्रणाली में दलहन फसलों की शुरूआत करना;

(3) सिंचित एवं असिंचित दोनों तरह की परिस्थितियों में सोयाबीन बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली में अरहर की अन्तर्वर्ती खेती करना;

(4) दलहनों के उन्नत किस्म के बीजों में बढ़ोत्तरी तथा इनका प्रयोग करना;

(5) पौध संरक्षण उपायों को अपनाना;

(6) फास्फेट युक्त उर्वरकों व राइजोबियम कल्चर का प्रयोग;

(7) फसल काटने के बाद उन्नत टैक्नालोजी का प्रयोग करना;

(8) सार्वजनिक नीतियां अपनाना जिनमें दलहनों की कीमत तय करना तथा विपणन भी शामिल है।

राजधानी में सब्जियों और फलों के मूल्यों में वृद्धि

113. **श्री एन.ई. होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किन्हीं अज्ञात कारणों से इस वर्ष राजधानी में सब्जियों के मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं और राजधानी के कुछ भागों में तो कोई भी मौसमी सब्जी 6.00 रुपए किलो से कम उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या फलों की दरों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) इस वर्ष राजधानी में मौसमी सब्जियों

तथा फलों के मूल्यों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। राजधानी में सब्जियां आमतौर पर 6 रुपए प्रति किलो से काफी कम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांधों से पानी छोड़कर दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना

* 114 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को दामोदर घाटी निगम द्वारा भारी वर्षा और बाढ़ के समय अपने बांधों से पानी छोड़कर पश्चिम बंगाल में हाल ही में तबाही की स्थिति उत्पन्न करने की जैसा कि यह पहले भी कई बार कर चुका है, जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्थायी उपचारात्मक उपाय के रूप में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वर्षा होने के परिणामस्वरूप दामोदर घाटी में भारी बाढ़ें आई। बाढ़ों के दौरान, दामोदर घाटी जलाशयों ने बांधों के पीछे जल रोक कर बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में मदद की है।

घाटी में बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए भारत सरकार ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से संसद के एक अधिनियम द्वारा 1984 में दामोदर घाटी निगम का गठन किया था। प्राधिकरण के तत्वावधान में, घाटी में मैथोन, पांचेत, तिल्लैया तथा कोनार नामक चार बहु-प्रयोजनी जल-भण्डारण जलाशयों का निर्माण किया गया हैं। इन बांधों ने पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा प्रदान की है। पश्चिम बंगाल सरकार 1972 से निम्न दामोदर क्षेत्रों में जल विकास सुधार की एक स्कीम पर भी विचार कर रही है। स्कीम का प्रथम चरण लगभग पूरा हो गया है तथा स्कीम के चरण दो तथा चरण-तीन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

छोटी सिंचाई के लिए उड़ीसा को धनराशि के आबंटन में वृद्धि

*115 **श्री रास बिहारी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा में आरम्भ किये जाने हेतु बहुत सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं सरकार उड़ीसा को छोटी सिंचाई के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई

एक राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी समग्र विकास योजनाओं में से किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह सहायता किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी हुई नहीं होती। संसाधनों की उपलब्धता और क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देखते हुए लघु सिंचाई के लिए और अधिक आबंटन उपलब्ध कराना उड़ीसा सरकार का काम है।

तमिलनाडु में धान 'ट्रींग्रो' वाइरल बीमारी

116. **श्री एन. डेनिस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1984 के 'हिन्दु' में छपी उस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि कई हैक्टार फसल में 'ट्रींग्रो' नामक धान की खतरनाक वाइरल बीमारी देखी गई है और तमिलनाडु के चिंगलपुत और उत्तरी आरकाट जिलों में उस क्षेत्र में उगायी गयी धान की प्राय: सभी किस्मों में यह बीमारी फैल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार ने यदि कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि मदुराइ, उत्तरी आरकाट, दक्षिणी आरकट और चिंगलपुत के लगभग 5,000 हैक्टार क्षेत्र में आई. आर. 50 को छोड़कर धान की सभी किस्में 'ट्रींग्रो' नामक बीमारी से प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि यह बीमारी अब नियन्त्रण में है।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ को रोकने के लिए बृहत योजना

*117. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के कारण हर साल मानसून के महीने में जनजीवन और सम्पति का भारी नुकसान होता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बाढ़ चक्र में कोई नियमितता नहीं रही है और पिछले दो दशकों में बाढ़ का प्रकोप अधिक बढ़ा है जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक भूमि में कटाव हुआ है, फसलों को भारी नुकसान पहुचा है, पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हुआ है और काफी बड़ा क्षेत्र पानी में डूबा है तथा कई अन्य समस्याएं भी पैदा हुइ हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नदी पर बांध बनाकर पानी का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, 1953 से 1983 की अवधि के दौरान बड़क बेसिन

सहित असम में वार्षिक बाढ़ क्षति लगभग 12.70 करोड़ रुपये है। इसी अवधि के दौरान मारे गए व्यक्तियों की औसत संख्या 27 है। असम में अथवा प्रदेश में बाढ़ आना एक वार्षिक घटना है और प्रकृति तथा आकाश में अत्यन्त परिवर्तनशील होती हैं। पिछले दो दशाब्दियों के दौरान गंभीर बाढ़ों की प्रकृति में कोई बढ़ोत्तरी नहीं पाई है।

(ग) और (घ) ब्रह्मपुत्र बेसिन-मेंटाबाढ़ तथा तट कटाव नियंत्रण और जल-निकास में सुधार तथा अन्य लाभदायक प्रयोजनाओं के लिए बेसिन के जल संसाधनों के विकास के वास्ते मास्टर योजना तैयार करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसरण में भारत सरकार ने दिसम्बर, 1981 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन कर दिया था।

किंग्सवे कैम्प दिल्ली में भूमि के वितरण के लिए अपनाए गए मानदण्ड

*118. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग्सवे कैम्प दिल्ली के उन निवासियों को, जिनके मकान हाल ही में गिरा दिए गए हैं, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत भूमि वितरित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त निर्धारित मानदण्डों का सख्ती से पालन किया है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं :—

आउटरम लाइन्स/हडसन लाइन्स के क्वार्टरों के मालिकों को डा० मुखर्जी नगर तथा किंगसवे कैम्प पुनर्विकास योजना में 160 वर्ग गज के प्लाट आबंटित किए गए हैं/आबंटित किए जा रहे हैं।

निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पात्र पाए गए बैरकों के निवासियों को 80 वर्ग गज के प्लाट आबंटित किए जा रहे हैं।

पात्र किराएदारों/अनधिवासियों को 25 वर्ग गज के प्लाट आबंटित किए जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त मापदण्ड के अनुसार आबंटन किया जा रहा है।

किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई

*119 **श्री आर. एन. : राकेश** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश भर में किसानों को सिंचाई के पानी की सप्लाई अनियमित रहती है; और

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर जानकारी-एकत्र की है तथा गरीब किसानों की इस समस्या का हल करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अनियमित मानसून के फलस्वरूप नहर प्रणाली के लिए अपर्याप्त एवं अनियमित जल सप्लाई, नहरों में जल के कार्यकुशल एवं न्यायसंगत वितरण हेतु प्रभावी प्रबंधों का न होना और लिफ्ट सिंचाई स्कीमों आदि के मामले में कभी-कभी अनियमित विद्युत सप्लाई जैसे कई कारणों से कृषकों को सिंचाई जल का अनियमित सप्लाई का सामना करना पड़ता है इस स्थिति से निपटने के लिए हाल के वर्षों में वैज्ञानिक सिंचित कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं क्रमावर्तन से जल आपूर्ति अथवा वाराबन्दी प्रणाली के अन्तर्गत सिंचाई जल की सप्लाई सहित स्थान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन जैसे उपाय शुरू किए गए हैं। राज्यों को लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए पर्याप्त विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु भी सलाह दी गई है। नलकूपों के एक समूह के लिए विद्युत सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, जहां पर सम्भव हो, पर्याप्त विद्युत लाइनों की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण व्यवस्था की पुनरीक्षा करने हेतु समिति का गठन

*120. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण व्यवस्था की पुनरीक्षा करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति कब गठित की गयी थी;

(ग) क्या समिति ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व्यवस्था की खामियों का उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों को क्या-क्या सुविधाएं मिली हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (**हरिनाथ मिश्र**): (क) जी हाँ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता संबंधी एक उच्च-स्तरीय समिति, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण जुटाने के कार्य की समीक्षा करने तथा इससें निहित समस्याओं की जांच करने के लिए गठित की गई है।

(ख) 12 अगस्त, 1981,

(ग) इस समिति ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सरलता से ऋण जुटाने में

बाधा डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक मुद्दों को बतलाया है तथा समन्वित ग्रामीण विकास विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता से सम्बन्धित नीति विषयक मामलों की समीक्षा करती रही है।

(घ) व (ङ) 1980-81 में 289.04 करोड़ रुपये से 1983-84 में 773.51 करोड़ रुपये तक के ऋण जुटाने में ठोस प्रगति हुई है। आशा है, छठी योजना का 3000 करोड़ रुपये का लक्ष्य संभवत: प्राप्त कर लिया जायेगा।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों की राशि बढ़ाने के लिए तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों को अधिकाधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ भोगियों को ऋण की पास-बुकें दी जा रही हैं ताकि उनके द्वारा लिए गये ऋणों के ब्यौरों का उन्हें पता रहे, जैसे ऋण-राशि समायोजित की गई आर्थिक सहायता की राशि, ब्याज-दर, अदायगी का अवधिक्रम आदि।

2. शाखा प्रबन्धकों को हिदायतें जारी की गई हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास के लाभ-भोगियों से, 5000/रू० तक के ऋण के लिए, उस ऋण से सृजित परिसम्पत्ति को बंधक रखने के अलावा, किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति की न तो जमानत मांगी जाये और न ली जाये।

3. बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि सृजित आय में होने वाली बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की अदायगी की उचित अवधियां निर्धारित की जानी चाहिए और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की अदायगी अवधि किसी भी हालत में 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

4. यह निर्णय ले लिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जिला ऋण योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं के साथ उचित तालमेल रखा जायेगा।

5. इसमें भाग लेने वाले बैंकों को स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं कि सभी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्कीमों के लिए वार्षिक ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

एशियाई खेलों के लिए टिकटों की छपाई

1026. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री अजय विश्वास : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने एशियाड के लिए 24 लाख से

कुछ अधिक टिकटों की जरूरत पड़ने पर आकलन किया था लेकिन वास्तव में 35 लाख टिकट छपाये गये थे;

(ख) इस अतिरिक्त छपाई पर लगभग 6.4 लाख रुपये खर्च किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) उन टिकटों का क्या हुआ और उनका रुपयों में मूल्य क्या था ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विशेष आयोजन समिति ने 24.37 लाख की टिकट क्षमता के स्थान पर 35.67 लाख टिकटें छपवाई थी, क्योंकि टिकटों की अधिक छपाई की (1) विभिन्न स्थलों में निर्माण/नवीकरण हो रहा था और बैठने की क्षमता में और वृद्धि होने की सम्भावना को टाला नहीं जा सकता था, (2) क्योंकि टिकटें सारे भारत में बेचने के लिए थी इसलिए टिकटों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए टिकटों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुत: स्थानांतरित करना व्यवहार्य नहीं हुआ होता (3) टिकटों की द्वार पर कार्मिक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए नमूने के तौर पर आवश्यकता थी, और (4) खराब छपाई, क्षतिग्रस्त टिकटों, रास्ते में टिकटों के नुकसान आदि के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों को पूरा करने आदि के कारण कार्यात्मक आवश्यकता समझी गई थी।

(ग) बिना बिके टिकटों को (1) विशेष आयोजन समिति के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत टिकट लेखों के मिलान करने जिसमें यह दिखाया गया था कि कुल टिकट क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत बेचा गया था, तथा (2) महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की बिना बिकी हुई टिकटों की शत प्रतिशत जांच और अन्य प्रतियोगिताओं की बिना बिकी हुई टिकटों की टैस्ट जांच, जिसमें कोई भी असंगति नहीं पाई गई थी, के बाद नष्ट कर दिया गया था। बिना बिकी देशीय टिकटें 1.65 करोड़ रुपये की थी और विदेशों में बेची जाने वाली बिना बिकी टिकटें 1.34 लाख यू०एस० डालर की थी।

सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता समाप्त करने का कार्यक्रम आरम्भ करना

1027. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता समाप्त करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किन-किन नगरों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम को देश भर में आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) मल ढोने वालों को छुटकारा देने के लिए संलग्न विवरण के अनुसार 15 राज्यों के 50 कस्बों/नगरपालिकाओं को केन्द्रीय सहायता दे दी गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीयपेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम के सम्बन्ध में यू.एन.डी.पी. के सहयोग से 7 राज्यों में 110 कस्बों के लिए यू.एन.डी.पी. व्यापक परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कम लागत स्वच्छता व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिये गये हैं। इसी प्रकार यू.एन.डी. पी. ने द्वितीय चरण के दौरान 11 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 101 कस्बों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिए हैं। गुजरात, तमिलनाडु के क्रमश: 15 तथा 13 कस्बों की व्यवहार्यता रिपोर्टों के प्रथम चरण को कार्यान्वियन के लिए आई. डी. ए. से सहायता प्राप्त सम्बन्धित जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं में शामिल कर लिया गया है। केरल के 10 कस्बों की व्यवहार्यता रिपार्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

हुडको ने दो राज्यों में 11 कस्बों के लिए शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए 11 योजनायें पहले ही स्वीकृत कर दी हैं। कम लागत स्वच्छता परियोजनाओं के लिये छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ऋण सहायता भी दी जाती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	चुने गये कस्बों/नगरपालिकाओं के नाम
1	2	3
1.	बिहार	1. बिहार शरीफ
		2. पूर्णिया
		3. मधुबनी
		4. डाल्टनगंज
		5. वाई पासा
		6. भागलपुर
		7. गयन
		8. छपरा

1	2	3
		9. मुज्जफरपुर
		10. हजारी बाग
2.	त्रिपुरा	11. अगरतला
3.	राजस्थान	12. भीलवाड़ा
		13. मकराना
		14. भरतपुर
4.	उत्तर प्रदेश	15. बाराबंकी
		16. बदायूं
5.	आन्ध्र प्रदेश	17. वारंगल
		18. एलुरू
6.	महाराष्ट्र	19. खंम गांव
		20. उदगिर
		21. मलकापुर
		22. कम्पटी
7.	मध्य प्रदेश	23. रायपुर
		24. साजापुर
		25. बिलासपुर
		26. दुर्ग
		27. सतना
		28. जबलपुर
8.	उड़ीसा	29. भुवनेश्वर
		30. कटक
9.	केरल	31. कालीकट
		32. कोचीन
		33. पालघाट

1	2	3
10.	असम	34. कलवाड़ी
		35. मंगलदोई
		36. करीमगंज
		37. हेलाकण्डी
11.	तमिलनाडू	38. उदमलपेट
12.	हरियाणा	39. होडल
		40. घरौंदा
13.	पश्चिमी बंगाल	41. सोनामुखी
		42. मुर्शीदाबाद
		43. शांतिपुर
		44. घटल
		45. बोलपुर
14.	हिमाचल प्रदेश	46. शिमला
15.	कर्नाटक	47. वासवाकल्याण
		48. नानजनगुट
		49. कुशाल नगर
		50. तिपतुर

नई दिल्ली में नगर पालिका में पानी के कनेक्शन मीटर के लिए प्रतिभूति जमा

1028. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा विभिन्न प्रकार के पानी के कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं से प्रतिभूति प्रभार के रूप में कितनी वसूली की जाती है;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका के पास पानी के कनेक्शनों/मीटर प्रतिभूति जमा के रूप में कितना धन इकट्ठा हो गया है और इस धन का क्या उपयोग किया जा रहा है;

(ग) जमा राशि पर किसी व्यक्ति की देय ब्याज की बाजार दर क्या है और जब तक उपभोक्ताओं को उनके द्वारा प्रतिभूति जमा पर ब्याज किस प्रकार से दिया गया है/उसके खाते में जमा किया गया है, समायोचित किया गया हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं से इस प्रकार की प्रतिभूति राशि वसूल करके तथा इस प्रकार वसूल की गई राशि पर ब्याज की अदायगी न किये जाने से संबंधित सांविधिक नियम, विनियम, उप-नियम अथवा आदेश क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने बतलाया है कि उनके क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा अनुमोदित धरोहर राशि निम्नलिखित है :

1.	1/2 इंच कनेक्शन	125/- रुपये
2.	3/4 से 1 इंच कनेक्शन	300/- रुपये
3.	1,1/4 इंच तथा 1,1/2 इंच	600/- रुपये
4-	2 इंच कनेक्शन	825/- रुपये
5.	3 इंच कनेक्शन	1000/- रुपये
6.	4 इंच कनेक्शन	1350/- रुपये
7.	5 इंच तथा 6 इंच कनेक्शन	2200/- रुपये
8.	8 इंच कनेक्शन	3800/- रुपये
9.	अस्थाई कनेक्शन (1/2 इंच से 1 इंच)	800/- रुपये

(प्रदर्शनी, मेला या सरकस के लिए)

(ख) पानी/विद्युत कनेक्शनों के लिए धरोहर की राशि नई दिल्ली नगर पालिका की निधि होती है और इसके लिये उनके द्वारा अलग लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) विद्युत/पानी के कनेक्शनों की धरोहर राशि के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है।

(घ) जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है पानी के कनेक्शनों के लिये धरोहर राशि की मांग नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई, की व्यवस्था करने के उप नियमों के खण्ड 2 (घ) के अनुसार की जाती है। वे उप नियम पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम 1911 की धारा 188 के खन्ड (1) तथा (v) और धारा 199 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अन्तर्गत चलाये गये हैं ।

पानी के कनेक्शनों के लिए ब्याज देने का, नई दिल्ली नगर पालिका के उपनियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

चीनी और मीठा करने वाले पदार्थों के उत्पादन में गिरावट

1029. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान लक्ष्य की तुलना में चीनी का कम उत्पादन हुआ था;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान मीठा करने वाले अन्य उत्पादों के उत्पादन में भी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में चीनी और मीठा करने वाले अन्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : चीनी के उत्पादन के लिये कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । 1983-84 मौसम में लगभग 59 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है । जबकि 1982-83 मौसम में 82.32 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था ।

कई एक कारणों से, जिनमें मौसमी स्थितियां, वर्षा आदि शामिल हैं, प्रत्येक वर्ष गन्ने के उत्पादन में व्यापक भिन्नता होती हैं जिसके फलस्वरूप मौसम में चीनी के उत्पादन में घट-बढ़ होती है । अतः प्रत्येक वर्ष के आधार पर चीनी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है हालांकि छठी पंच वर्षीय योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार 1983-84 मौसम के लिए चीनी की आवश्यकता का लक्ष्य 73 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था ।

(ख) अन्य स्वीटनिंग तत्वों अर्थात् गुड़ और खण्डसारी का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में किया जाता है और गुड़ तथा खण्डसारी के उत्पादन के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चीनी और अन्य स्वीटनिंग तत्वों अर्थात गुड़ और खण्डसारी का उत्पादन गन्ने की पैदावार पर निर्भर करता है । गुड़ और खंडसारी असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और जहां तक चीनी फैक्ट्रियों का संबंध है, फैक्ट्रियों को पर्याप्त ऋण सुविधायें सुलभ करने के अलावा ताकि वे गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कर सकें, गन्ने के उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जा रहा है । इन उपायों के करने से गन्ने की पैदावार में वृद्धि होने की आशा है जिसके फलस्वरूप स्वीटनिंग तत्वों अर्थात चीनी, गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भी वृद्धि होगी ।

उड़ीसा में विवर्ती खेती से प्रभावित आदिवासियों की भूमि का आकलन

1030. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ियों की तलहटी के साथ-साथ विवर्ती खेती द्वारा प्रभावित कुल हैक्टेयर भूमि का आकलन किया है;

(ख) छठी योजना में विवर्ती खेती की रोकथाम के लिए क्या व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने हैं; और

(ग) छठी योजना में उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा उड़ीसा को कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने 13 जिलों में से 10 जिलों में "झूम खेती" से प्रभावित आदिवासी समुदाय वाले 1,84,018 हैक्टार क्षेत्र का निर्धारण किया है।

(ख) और (ग) "झूम खेती" के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की मार्गदर्शी परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई तथा यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों में 1978-79 के अन्त तक जारी रही। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में इस परियोजना को 1-4-1979 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया था। तदनुसार, सम्बन्धित राज्यों, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, को छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई। उड़ीसा सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना को समाप्त कर दिया है।

सहकारिता ऋण स्थिरीकरण प्रबन्ध योजना में संशोधन

1031. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों को प्राकृतिक विपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के संदर्भ में, वर्तमान सहकारिता ऋण-स्थिरीकरण, प्रबंध योजना में संशोधन करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्तमान ऋण स्थिरीकरण प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा भू-राजस्व के "अन्नेवारी" और स्थगन की घोषणा से जुड़ा हुआ है। चूंकि इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और कठिन है, अतः इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व की "अन्नेवारी" और

स्थगन घोषणा से ऋण स्थिरीकरण प्रबन्ध को अलग करने तथा इसकी बजाय लघु स्थानीय समिति, जिसमें जिला स्तर पर ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है, को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा चलाई थी। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए ऋण संस्थाओं के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

कम्पनियों द्वारा किराए पर नौकाएं लेकर मछली पकड़ने की शर्तों का उल्लंघन

1032. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कम्पनियों ने मछली पकड़ने की भारतीय नौकाएं न लेकर किराये पर नौकाएं लेकर मछली पकड़ने की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहकर संरक्षण मांगा है कि भारतीय यार्ड इस प्रकार की नौकाएं सप्लाई नहीं कर सकते;

(ग) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने चार्टर की शर्तों का उल्लंघन किया है और इस प्रकार के कारणों के अन्तर्गत संरक्षण मांगा है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1.7.1984 को जलयान चार्टर करने वाली 5 भारतीय कम्पनियों को जलयान चार्टर करने की अनुमति के प्रावधानों के अनुसार जलयान अधिग्रहण कर लेने चाहिये थे अथवा जलयान अधिग्रहण करने के लिये अपरिवर्तनीय प्रबन्ध कर लेने चाहिये थे। इन कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्ज मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी।
2. मैसर्ज बाटल ग्लास (प्राइवेट) लिमिटेड।
3. मैसर्ज ट्रापिकल शिपिंग कम्पनी।
4. मैसर्ज वरुण मेरिन प्राडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड।
5. मैसर्ज गोल्डन फिशरीज (प्राइवेट) लिमिटेड।

इन कम्पनियों को 8 जलयानों के आयात के लिये आशय-पत्र जारी किए गये हैं। इसके अलावा, भारतीय शिपयार्डों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 8 जलयानों के अधिग्रहण के लिये पांच में से चार कम्पनियों को ऋण देने के लिये सरकार ने नौवहन विकास निधि समिति से सिफारिश की है। सरकार ने उन भारतीय यार्डों को जिन्हें इन कम्पनियों ने जलयानों के निर्माण का आदेश दिया है, 33 प्रतिशत राजसहायता दिये जाने की भी सिफारिश की है। अभी तक किसी भी जलयान का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

उपरोक्त क्रम संख्या (1) पर दी गई कम्पनी ने एक बार यह संकेत दिया था कि स्वामित्व के आधार पर देशी जलयान का अधिग्रहण किया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। अन्य कम्पनियों ने समरूप स्थिति बनाने के लिये जलयानों का आयात किये जाने तथा देश में निर्माण किये जाने के लिये सरकार को प्रस्ताव किया है।

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के अधिग्रहण के लिये अपरिवर्तनीय प्रबन्ध करने अथवा जलयानों के आयात के लिये आशयपत्र को आयात प्राधिकार में परिवर्तित न करा सकने में हुई देरी के प्रत्येक मामले की जांच गुण–दोष के आधार पर की जाती है तथा आवश्यक कार्यवाही, जैसे चार्टर अनुज्ञा पत्रों का स्थगन/निलम्बन तथा बैंक गारंटी उठा लेना, की जाती है। जलयान चार्टर-कर्ताओं द्वारा स्वामित्व के आधार पर जलयानों का अधिग्रहण न किए जाने के कारण नौ-जलयानों के अनुज्ञा-पत्र स्थगित/निलम्बित किए गए थे। इनमें 12 लाख रुपये की बैंक गारंटी शामिल थी, जिसमें छः लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

केरल को आंध्र प्रदेश से चावल खरीदने की अनुमति

1033. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री पी० जे० कुरियन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को केरल में वितरण के लिये मध्य प्रदेश प्रदेश से 40,000 टन लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति दी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के लोग आंध्र प्रदेश का सेला चावल पसन्द करते हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने उपयुक्त पसन्द की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(घ) क्या सरकार केरल को मध्य प्रदेश के बजाय आंध्र प्रदेश से चावल खरीदने की अनुमति देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हाँ।

(ख) केरल के उपभोक्ता सेला चावल को तरजीह देते हैं।

(ग) केरल सरकार ने सूचित किया था कि उपभोक्ता की तरजीह और कम परिवहन लागत के कारण वे आंध्र प्रदेश से सेला चावल खरीदना चाहते हैं।

(घ) अधिशेष राज्यों में आपूर्ति और मांग की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही विशेष मामले के रूप में चावल की अन्तर्राज्यीय खरीदारी करने की अनुमति दी जाती है।

क्योंकि आंध्र प्रदेश से केरल और अन्य राज्यों को सामान्य व्यापार माध्यमों से पर्याप्त मात्रा में चावल भेजा गया है, इसलिये केरल सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से भारी मात्रा में चावल खरीदने की अनुमति देना वांछनीय नहीं समझा गया था ।

उड़ीसा तथा अन्य पूर्वी राज्यों में "इफ्मको" द्वारा विपणन कार्य का विस्तार

1034. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव (इफ्मको) ने पूर्वी क्षेत्र में अपने कार्य में मजबूती लाने और उसका विस्तार करने के लिये अब तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार "इफ्मको" को पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अपनी बिक्री बढ़ाने और अपनी सेवाओं का बिस्तार करने के निर्देश देगी; और

(ग) कृषि उपादानों के लिये अतिरिक्त धन और राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर अधिक उत्पादन हेतु उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये उड़ीसा के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में "इफ्मको" द्वारा कितनी सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से शुरू किये गये अपने 5-वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "इफको" पूर्वी क्षेत्र में अपना कार्य बढ़ाने के लिये प्रभावी कदम उठा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सहकारी कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये एन. सी. डी. सी. "इफको" द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 1983-84 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि में उड़ीसा राज्य में 100 सहकारी समितियों को सहायता दी जानी है । इस लक्ष्य की तुलना में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 16 समितियां चुनी गई हैं और उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

छोटे किसानों को बैंक ऋणों का लाभ

1035. **श्री के मालन्ना :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि यद्यपि बैंक आजकल छोटे किसानों को डेरी खोलने, कुक्कुट पालन और कुएं खोदने आदि के लिये ऋण दे रही है परन्तु इनमें से अधिकांश किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि दुधारु पशु पालने अथवा कुक्कुट पालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारे में लोगों को मार्ग निर्देश देने और उनके हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कुएं खोदने, डेरी, कुक्कुट पालन और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिपे ऋण देने हेतु बैंक संस्थाओं द्वारा अपनाई गई परियोजना पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी रूप से सक्षम योजनायें तैयार की जाती हैं ताकि कर्जदारों को निवेश पर समुचित लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम की सफलता कर्जदार के रुझान और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विस्तार, निरीक्षण और उपलब्धि पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सरकारों, बैंक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि कर्जदार मुख्य रूप से कुए खोदने, कुक्कुट पाचन, डेरी आदि कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं।

कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा पौधे उगाने के लिये विकसित टिशु कल्चर तकनीक

1036. **श्री चिंतामणि जेना**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कोलोराडो स्टेट युनिवर्सिटी (सी. एस. यू.) के वैज्ञानिकों ने धान के पौधे उगाने के लिये 'टिशु कल्चर' नामक एक नई तकनीकी विकसित की है;

(ख) क्या भारत में इसका कोई परीक्षण किया गया है, यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ग) यदि इसमें सफलता मिली है, तो देश में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) भारत के कई स्थानों में टिशु कल्चर पर अनुसंधान चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल के टिशु कल्चर पर केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा बोस संस्थान, कलकत्ता में अनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित किये थे। देश में अभी तक किये गये कार्य के चलते टिशु कल्चर तकनीक का मानकीकरण सम्भव हो सका।

इस तकनीक को पूर्ण बनाने तथा इसको पौध सुधार कार्यक्रमों में लागू करने के लिये आगे अनुसंधान कार्यक्रम प्रगति पर है। यदि परिणाम आशाजनक पाये गये तो व्यावहारिक चावल सुधार कार्यक्रमों में समाकलित टिशु कल्चर के लिये कदमें उठाये जायेंगे।

परामर्शदात्री समिति की बैठक

1037. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 के गत छः महीनों में विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की कितनी बैठकें हुई; और

(ख) प्रत्येक बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों की 1.1.1984 से 30.6.1984 तक की अवधि के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या 60 है।

(ख) परामर्शदात्री समितियों के नाम, 1.1.1984 से 30.6.1984 तक की अवधि के दौरान हुई बैठकों की तारीख, और इन प्रत्येक बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

परामर्शदात्री समितियों के नाम, 1.1.1984 से 30.6.1984 तक की अवधि के दौरान हुई बैठकों की तारीख और इन प्रत्येक बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

क्रम. सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम	बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	कृषि	13-2-1984	16
2.	तदैव	23-4-1984	8
3.	परमाणु ऊर्जा और अन्य वैज्ञानिक विभाग	23-4-1984	9
4.	नागर विमानन	27-1-1984	30
5.	तदैव	5-5-1984	13
6.	रसायन और उर्वरक	13-2-1984	8
7.	तदैव	3-5-1984	4

1	2	3	4
8.	वाणिज्य और पूर्ति	27-1-1984	26
9.	तदैव	2-5-1984	16
10.	संचार	17-2-1984	6
11.	तदैव	9-5-1984	3
12.	रक्षा	27-1-1984	25
13.	तदैव	7-4-1984	13
14.	शिक्षा और संस्कृति	18-2-1984 और 19-2-1984	19 और 12
15.	तदैव	24-4-1984	4
16.	ऊर्जा	18-2-1984	19
17.	तदैव	3-5-1984	10
18.	विदेश	20-1-1984	22
19.	तदैव	24-4-1984	16
20.	तदैव	27-6-1984	26
21.	खाद्य और नागरिक पूर्ति	6-2-1984	5
22.	तदैव	8-5-1984	3
23.	वित्त	25-1-1984	13
24.	तदैव	9-5-1984	3
25.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	22-2-1984	6
26.	तदैव	25-4-1984	3
27.	तदैव	20-6-1984	8
28.	गृह	10-2-1984	21
29.	तदैव	27-4-1984	11
30.	उद्योग	9-2-1984	23
31.	तदैव	7-5-1984	13

1	2	3	4
32.	सिंचाई	24-1-1984	10
33.	तदैव	26-4-1984	7
34.	तदैव	30-6-1984	11
35.	सूचना और प्रसारण	9-2-1984	14
36.	तदैव	26-4-1984	18
37.	तदैव	28-6-1984	21
38.	श्रम और पुनर्वास	6-2-1984	10
39.	तदैव	30-4-1984	3
40.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य	31-1-1984	10
41.	तदैव	25-4-1984	8
42.	तदैव	13-6-1984	10
43.	योजना	6.2-1984	8
44.	तदैव	27-4-1984	6
45.	रेल	8-2-1984	34
46.	तदैव	20-6-1984	33
47.	ग्रामीण विकास	8-2-1984	10
48.	तदैव	4-5-1984	2
49.	तदैव	30-6-1984	12
50.	नौवहन और परिवहन	6-2-1984	16
51.	तदैव	7-5-1984	10
52.	इस्पात और खान	8-2-1984	15
53.	तदैव	7-5-1984	12
54.	तदैव	29-6-1984	15
55.	खेल	7-2-1984	8
56.	तदैव	24-4-1984	4

1	2	3	4
57.	पर्यटन	28-1-1984	14
58.	तदैव	28-4-1984	4
59.	निर्माण और आवास	9-2-1984	12
60.	तदैव	26-4-1984	4

भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर किराए की बकाया धनराशि

1038 **श्री सूरज भान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर बकाया धनराशि के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मन्त्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर, मन्त्री/संसद सदस्य न रहने पर भी दिल्ली में सरकारी आवास कब्जे में रखने के लिए 30 जून, 1984 को किराये और पानी, बिजली शुल्क आदि के रूप में देय कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) अब भी सरकारी आवास पर कब्जा रखने वाले भूतपूर्व मन्त्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों का विवरण क्या है और उनमें से प्रत्येक के कब्जे में आवास (किराया, पता आदि) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली के ऐसे बंगलों का ब्यौरा क्या है, जो राज्य सरकारों, जिनमें उनके कार्यालय आवास हैं, अथवा किसी केन्द्रीय सरकारी उपक्रम द्वारा लिए गए हैं और प्रत्येक बंगले आदि के लिए इन राज्य सरकारों अथवा सरकारी उपक्रमों से कितना किराया लिया जाता है और उनके पट्टे की अवधि और अन्य शर्तें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 15,44,076.41 रुपये।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भूतपूर्व मन्त्रियों तथा भूतपूर्व सांसदों के दखल में किसी भी बंगले का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है। तथापि, श्री ए. पी. शर्मा, भूतपूर्व सांसद, अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को, एफ. आर.-45-ए के अन्तर्गत मानक किराये के भुगतान पर बंगला रखने की अनुमति दे दी गई है। श्री बी. एन. सिंह भूतपूर्व, सांसद अब असम तथा मेघालय के राज्यपाल ने बंगले को रखने का अनुरोध किया है जिस पर सरकार विचार कर रही है। श्री एस. एस. सिसोदिया, भूतपूर्व सांसद, अब भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को 2.6.84 तक मार्कीट दर पर

बंगले को रखने की अनुमति दी गई थी। खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब एक और वर्ष के लिए भी बंगले को रखने का अनुरोध किया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

क्रम सं०	भूतपूर्व मन्त्रियों/सदस्यों के नाम	दखल में सामान्य पुल वास का विवरण	वसूल किया जाने वाला किराया
	सर्वश्री		
1.	द्रिनेश सिंह	1, त्याग राज मार्ग	सामान्य दर का दुग
2.	ओम मेहता	30, पृथ्वी राज रोड	सामान्य दर
3.	ए. पी. शर्मा	17, अकबर रोड	एफ.आर.-45 ए के अन्तर्गत मानक किराया
4.	एस. एस. सिसोदिया	11 तालकटोरा रोड	बाजार दर
5.	डी. पी. चट्टोपाध्याय	एबी-14, मथुरा रोड	—वही—
6.	वीरभद्र सिंह	ए. बी. 20 मथुरा रोड	—वही—
7.	फतेह सिंह राव गायकवाड़	7, डुप्ले रोड	—वही—
8.	डी. के. बरुआ	23, तुगलक रोड	सामान्य दर
9.	स्व०श्री सी. एम. स्टीफन	9, कृष्ण मेनन मार्ग	बाजार दर
10.	चरणजीत चानना	7—बी टेलीग्राफ लेन	बाजार दर
11.	भीष्म नारायण सिंह	1, तीनमूर्ति मार्ग	बाजार दर
12.	आर. असर. मोरारका	7,डुप्ले रोड	बाजार दर
13.	दयानन्द सहाय	3, कुशकरोड	बाजार दर
14.	जे. के. पी. एन. सिंह	5, सफदरजंग लेन	बाजार दर
15.	एन. पी. सी. नायडू	1, तीनमूर्ति लेन	बाजार दर
16.	डा० स्वरूप सिंह	21, विलिंगडनक्रिसेंट	बाजार दर
17.	ईरासेभियान	29, महादेव रोड	बाजार दर
18.	डा० एच. के. मल्लिक	25, अशोक रोड	बाजार दर
19.	बी. पी. मौर्य	5, डुप्ले रोड	बाजार दर

संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन करने की योजना

1039. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को दिल्ली में फ्लैटों का आबंटन करने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आवेदन दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें 15 जुलाई, 1984 तक फ्लैट आबंटित किये गये हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि संसद सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन करने के लिए कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) दो सूचियां विवरण 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की सामान्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत 81 संसद सदस्यों और स्व-वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत उन 29 संसद सदस्यों का विवरण दिया गया है जिन्हें फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

विवरण-1

उन संसद सदस्यों की सूची जिन्हें सामान्य असवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
1	2	3	4
1.	श्रीमती सुभद्रा जोशी	7.	श्री ई. के. नाथ विट्ठल राव विखे
2.	श्री (डा.) के. एल. राव	8.	श्री राम सिंह भाई
3.	श्री महाराज सिंह	9.	श्री हुकम चन्द कचवाई
4.	श्री नाथूराम	10.	श्री वीरेन्द्र कुमार केसरी मल सकलेचा
5.	श्री एम. रंगास्वामी कृष्ण	11.	श्री आर. के. सिन्हा
6.	श्री वदीवल मायावन	12.	श्री शिव नाथ सिंह

13. श्री (प्रो०) राजा राम शास्त्री
14. श्री चन्द्रिक प्रसाद
15. श्री शमीम अहमद शामिन
16. श्री सोलंकी पी. नटवर सिंह
17. डा० कैलाश एन. एन.
18. श्री लालजीत भाई
19. श्री अमृत नाहटा
20. श्री फूलचन्द वर्मा
21. श्री एस. एम. चौधरी
22. श्री बनामती पटनाईक
23. श्री ओ. वी. अलावासान
24. श्री सी. डी. नाटा राजन
25. श्री ज्वाला प्रसाद दुबे
26. श्री मो. बवाहामाथुल्ला
27. श्री प्रभु दास पटेल
28. श्री प्रणव मुखर्जी
29. श्री मनी लाल
30. श्री आर के. शर्मा
31. श्री सरत कुमार कार
32. श्री फकीर अली अंसारी
33. श्री एम. सी. शेखर
34. श्रीमती आर. बारकाटकी
35. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
36. श्री जी. भीवाराहन
37. श्री इक्बाल सिंह ढिलन
38. श्री एम. रामगोपाल रेड्डी
39. श्री सूरजभान
40. श्रीमती हीराल पटवारी
41. श्री हतइंजा प्रसाद
42. श्री के. राममूर्ति
43. श्री चन्द्र शेखर सिंह
44. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा
45. श्री चमन नरजारी
46. श्री अब्दुल रहमान शेख
47. डा. बापू कालडेट
48. श्री रामजी लाल यादव
49. श्री राघवजी
50. श्री एस करनसँदा
51. श्री बी राज गोपाल राव
52. श्री बायबी सिंह
53. श्री आरिफ बेग
54. श्री स्वामी सिंह सिसोदिया
55. श्री मनी राम बागड़ी
56. श्री बापू चन्द्र सेन
57. श्री गुलाब मो. खान
58. श्री अनन्त डी. दबे
59. श्री वृज भूषण तिवारी
60. श्री एम. एस. संजीवी राव
61. श्री गंगा सिंह
62. श्री पी. पार्थसारथी
63. श्री एल. एल. कपूर
64. श्री एम. ए. हलन अलहज
65. श्री निरंजन प्रसाद
66. श्री श्याम सुन्दर लाल
67. श्रीमती ऊणामा बशीर बिधवा श्री बशीर अहमद

68. श्री लाखन सिंह
69. श्री वीरेन्द्र प्रसाद
70. श्री सईद मुर्तजा
71. श्री पीयूष टिर्की
72. श्री मो. शमशम हुसन खान
73. श्री गार्गीशंकर मिश्र
74. श्री सुखदेव प्रसाद
75. श्री रामकिंकर
76. श्री मुल्तान सिंह
77. श्री विजय कुमार एन. पाटिल
78. श्रीमती अजीज अमार
79. श्री कमलापति त्रिपाठी
80. श्री आनन्द राम जायसवाल
81. श्री श्याम सुन्दर लाल सुमानी

विवरण-2

स्व-वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत संसद सदस्यों को किये गये नियतन का विवरण।

श्रेणी-II

1.	श्री जगजीत सिंह आनन्द	मुनीरका
2.	श्री मोह. युनिस सलीम	मुनीरका
3.	श्री सतीश अग्रवाल	ईस्ट आफ कैलाश
4.	श्री के. पी. मल्लिकार्जुन	बसन्त विहार
5.	कु. असरारुलहक	सुखदेव बिहार

श्रेणी-III

6.	श्री हरीश कुमार गंगवार	बसन्त कुंज
7.	श्री धर्म चन्द जैन	ईस्ट आफ कैलास
8.	श्रीमती कनकमा	शालीमार बाग
9.	श्री रतन लाल किशोरी लाल	बसन्त विहार
10.	श्री कृष्ण चन्द पाण्डे	सरिता विहार
11.	श्री आर. एल. पी. वर्मा	मोतियाखान
12.	श्री सैयद सहाबुद्दीन	सरिता विहार
13.	श्री एम. एस. रामाचन्द्रन	बसन्त कुंज
14.	श्री चिगवाज कन्यार	बसन्त कुंज

15.	श्री के. वी. आर. एस. बालाखुबाराव	बसन्त कुंज
16.	श्री बारी राम चन्द्र राव	सरिता विहार
17.	श्री अरुण कुमार नेहरू	बसन्त कुंज
18.	श्रीमती मार्ग्रेट अलवा	मोतियाखान
19.	श्री हरी सिंह नलवा	बसन्त कुंज
20.	श्री प्रताप भानु शर्मा	बसन्त कुंज
21.	श्री चन्द्र शेखर सिंह	—वही—
22.	दयाराम शाक्य	—वही—
23.	श्रीमती मनोरंजन कौर	—वही—
24.	श्री राजेन्द्र प्रसाद राघव	—वही—
25.	श्री जे. के. जैन	—वही—
26.	श्री दीनबन्धु वर्मा	—वही—
27.	श्री मनोरंजन भक्त	—वही—
28.	श्री तययाब हुसैन	—वही—
29.	श्री जी. सी. भट्टाचार्य	—वही—

रोहिणी आवासीय योजना में प्लाटों का पंजीकरण रद्द किये जाने पर धरोहर राशि की वापसी

1040. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी आवासीय योजना में प्लाटों के लिए आवेदनों का पंजीकरण रद्द किये जाने पर सम्बन्धित लोगों को धरोहर राशि की वापसी के अप्रैल, 1984 में तैयार किये गये चैक मई, 1984 के अन्त में भेजे गये जिसके परिणामस्वरूप लोगों को एक महीने से अधिक के ब्याज की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान ये चैक कहां पड़े रहे और क्या इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अब दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रभावित लोगों को, जिन्हें उनके बिना किसी कसूर के आर्थिक हानि हुई है, चैक जारी करने की तरीख से एक माह से अधिक का ब्याज देने की वांछनीयता पर विचार करेगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रोहिणी परियोजना में प्लाटों के कब्जे के कई सौ पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के लिए अंकन मशीन को केन्द्रीय कार्यालय से रोहिणी परियोजना स्थल पर ले जाने के कारण मुख्य तौर पर कुछ चैकों को भेजने में विलम्ब हुआ था। इस लिए किसी व्यक्तिगत भूल-चूक के लिये उत्तरदाइत्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, क्योंकि यह विलम्ब आमतौर पर एक माह से कम का था।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धान के बीजों हेतु अनुरोध

1041. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फिर से बुआई के लिए धान के बीजों हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फिर से बुआई के लिए धान का बीज कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया गया और इस सम्बन्ध में अन्य क्या सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड द्वारा भारत के दौरे की सहमति

1042. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इस वर्ष सितम्बर में भारत के दौरे पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने सरकार से ऐसी यात्रा के लिए कोई मंजूरी नहीं ली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय जल सप्लाई योजनाओं के लिए राज्यों को धन का आबंटन

1043. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को पेय जल सप्लाई योजनाओं के निष्पादन के लिए चालू वित्त वर्ष में कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने प्रत्येक गांव को 31 दिसम्बर, 1985 तक कम से कम एक जल स्रोत उपलब्ध करने के अपने वायदे को ध्यान में रखते हुये विशेष आबंटन किये जाने की कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की वास्तविक मांग कितनी है और उन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नियतन तथा पहली किस्म के रूप में जारी किये गये अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये वर्ष 1984-85 के त्वरति ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के नियतन के बारे में राज्य द्वारा शामिल किये जाने वाले सम्भावित समस्या ग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत उपलब्ध संसाधनों एवं केन्द्रीय क्षेत्र के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिये उपलब्ध समूची धनराशि को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम नियतन— 1984-85 आंकड़े लाखों में

क्रम सं०	राज्य	नियतन	जारी की गई राशि पहली किश्त
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	743.23	370.00
2.	असम	981.03	490.00
3.	बिहार	1046.10	520.00
4.	गुजरात	500.74	250.00

1	2	3	4
5.	हरियाणा	364.70	180.00
6.	हिमाचल प्रदेश	378.90	188.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1801.56	900.00
8.	कर्नाटक	950.19	475.00
9.	केरल	1121.30	560.00
10.	मध्य प्रदेश	1669.56	834.10
11.	महाराष्ट्र	975.40	475.00
12.	मणिपुर	158.36	75.00
13.	मेघालय	602.11	300.00
14.	नागालैण्ड	307.18	153.00
15.	उड़ीसा	1062.38	530.00
16.	पंजाब	276.00	135.00
17.	राजस्थान	3363.83	1680.00
18.	सिक्किम	272.39	135.00
19.	तमिलनाडु	943.53	470.00
20.	त्रिपुरा	149.75	74.00
21.	उत्तर प्रदेश	4091.16	2045.00
22.	पश्चिम बंगाल	1931.93	965.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	56.56	28.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	157.77	—
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	—	—
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—
28.	गोआ दमण तथा द्वीप	51.07	25.00

1	2	3	4
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	17.67	8.00
31.	पाण्डिचेरी	25.60	12.00
	योग	240,00.00	118,77.00

ग्रामीण विकास हेतु राज्यों को धन राशि का आवंटन

1044. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण विकास हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गयी है और 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान और उसके बाद 30 जून, 1984 तक उन्होंने उसमें से कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ख) उन्होंने ग्रामीण विकास के क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं और उनकी क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 8492/84]

आदिवासी युवकों को खेलों के लिए प्रोत्साहन

1045. **श्री भीखा भाई** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी युवकों को खेलों के लिए प्रोत्साहन देने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में हमारे युवकों के एक बड़े भाग को खेल-कार्यकलापों में सम्मिलित करना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा ब्लाक, जिले तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताए आयोजित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताए आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों को समान दर पर, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार, खेलों के विकास के लिए, राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना/रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों युवाओं सहित ऐसे छात्रों को छत्रवृत्तियां दी जाती हैं, जो खेलों में प्रतिभाशाली है।

कपास उत्पादकों के लिए बिनौलों की अनुपलब्धता

1046. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास के उत्पादक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध बिनौले प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ख) क्या शुद्ध बिनौलों की कमी के परिणामस्वरूप भारत में प्रति हेक्टेयर कपास का का उत्पादन, विश्व के प्रति हैक्टेयर 466 कि. ग्रा. के औसत की तुलना में 170 किलोग्राम होता है; और

(ग) यदि हां, तो कपास उत्पादकों को शुद्ध बिनौले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की राज्य सरकारों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास के बीजों की कोई कमी नहीं थी। हरियाणा में खरीफ, 83 की फसल में डोड़ा कीड़ा लग जाने के कारण कुछ कमी महसूस की गई थी।

(ख) भारत में कपास की अपेक्षाकृत कम उत्पादकता का कारण कपास के अन्तर्गत आने वाला प्रचुर क्षेत्र वर्षा-सिंचित है जो 71 प्रतिशत तक बैठता है जिसकी वजह से बुआई के समय की अनिश्चितता, कीट और रोगों के भारी मात्रा में फैलने की आशंका बनी रहती है और किसानों की कमजोर आर्थिक-स्थिति के कारण अपेक्षाकृत निम्नस्तर के आदानों आदि का इस्तेमाल होता है।

(ग) भारत सरकार बढ़ती हुई मात्रा में कपास के प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण करने के लिए प्रयत्नशील है जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित सघन कपास बिकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर बीजों का उत्पादन भी शामिल है। इसके अलावा, गैर सरकारी एजेंसियां भी कपास के संकर के बीजों का उत्पादन कर रही हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित मास्टर प्लान का अपनाया जाना

1047. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिये संशोधित मास्टर प्लान अपना लिया है;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उपर्युक्त प्लान को मंजूरी दे दी है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) आवास, सामुदायिक सुविधाओं, परिवहन कार्य तथा मनोरंजनात्मक क्षेत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में दिल्ली की भावी विकास योजना सन् 2001 में लगभग 128 लाख (112 लाख शहरी तथा 6 लाख ग्रामीण) अनुमानित जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

(ग) सरकार को यह योजना प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति

1048. **श्री ए. के. राय** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है, उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई, रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गए और कितनी स्थायी आस्तियां बनाई गईं तथा वर्ष-वार आंकड़ों सहित तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इसमें हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र द्वारा कोई तंत्र बनाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि, किये गए व्यय, सृजित रोजगार और निर्मित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम के क्रियान्वित की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए कार्यों के आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार भी राष्ट्रीय/राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त संगठनों/संस्थाओं के जरिये मूल्यांकन अध्ययन करवाती है। इस समय, बिहार सहित 11 राज्यों में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि, किये गए व्यय, सृजित रोजगार और निर्मित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	आवंटित धनराशि केन्द्र और राज्य का अंश (रु० लाख में)	हुआ व्यय (रु० लाख में)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
1981-82	4840.00	2579.42	318.70
1982-83	5000.00	5137.65	450.64
1983-84	5744.00	4737.71	354.16

निर्मित परिसम्पत्तियां

क्र. सं.	परिसम्पत्तियों का स्वरूप	यूनिट	1981-82	1982-83	1983-84
1.	सरकारी भूमि पर वन-रोपण और सामाजिक वानिकी कार्यों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया क्षेत्र	हैक्टेयर	364	6208	15984
2.	लगाए गए क्षेत्र	(संख्या लाखों में)	—	—	290.68
3.	पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई के लिए बनाये गए कुएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सामूहिक आवास और भूमि विकास	(संख्या)	191	5276	7536
4.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण	(संख्या)	5071	8077	3144
5.	लघु सिंचाई कार्यों के जरिये लाभ प्राप्त क्षेत्र जिसमें बाढ़ सुरक्षा, नालियां और जल-लग्नता निवारक कार्य,	(हैक्टेयर)	21167	91520	1,92,499

माध्यमिक और मुख्य नालियों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में खेत की नालियां बनाने और भूमि समतल करने का कार्य				
6. पेयजल के कुएं, तालाब आदि	(संख्या)	—	—	581
7. भूमि और जल संरक्षण तथा भूमि सुधार के जरिये लाभ-प्राप्त क्षेत्र	(हैक्टेयर)	30	40	10
8. बेनाई गई/सुधारी गई ग्रामीण सड़कें	(कि.मी.)	1501	4296	2312
9. स्कूल और बालवाड़ी भवन, पंचायतघर, सामुदायिक केन्द्र जंगली जानवरों के लिए पेयजल के स्रोत, जानवरों के लिए तालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं, सामुदायिक मुर्गी-पालन तथा सूअर-पालन गृह, नहाने और कपड़े धोने के स्थान आदि	(संख्या)	287	1051	1948
10. अन्य कार्य	(संख्या)	69	1347	2234

पश्चिम बंगाल में झींगा मछली के अंडों को कृत्रिम ढंग से प्रजनित कराने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए एक संस्थान की स्थापना

1049. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछली के अण्डों को कृत्रिम ढंग से प्रजनन कराने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई संस्थान या संगठन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जैसा कि कोचीन स्थित सी.एम.एफ.आर.आई. में किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल में कृत्रिम ढंग से अण्डे प्रजनित कराने सम्बन्धी जानकारी और तकनीकी ज्ञान का उपयोग किस प्रकार आरम्भ किया जायेगा;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में झींगा मछली के उत्पादन की क्षमता के बारे में कोई प्रावकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में झींगा मछली की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर को अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से झींगा मछली के अण्डों के उत्प्रेरित प्रजनन की जानकारी व तकनीक का इस समय प्रसार किया जा रहा है।

(ग) खारे पानी के भौतिक संसाधनों पर सूक्ष्म स्तर के सर्वेक्षण के आधार पर देश में कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं। तथापि उपलब्ध आंकलनों के अनुसार पश्चिम बंगाल में करीब 4 लाख हैक्टर के आंकड़े दिए गए हैं।

(घ) भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा 50 : 50 भागीदारी के आधार पर 996 लाख रु. की पूंजी की लागत से सितम्बर, 1982 में कृषि मंत्रालय द्वारा क्षेत्र विकास विचार से खारे पानी में मछली पालन हेतु एक योजना स्वीकृत की गई थी। पश्चिम बंगाल, 3 अन्तः राज्य तथा 4 केन्द्र शासित क्षेत्रों सहित आठ तटवर्ती राज्यों में करीब 1000 मछली पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1500 हैक्टर खारे पानी के क्षेत्र का विकास करने का प्रायोजन है। खारे पानी के मछली फार्मों के विकास हेतु झींगा पालन के लिए करीब 1 से $1\frac{1}{2}$ हैक्टर का प्रति मछली पालक परिवार को पट्टा देने का प्रस्ताव है। इनमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समाज के कमजोर वर्ग के हैं और जिनकी आय का स्तर बहुमत कम है तथा वे किसी तरह अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। खारे पानी में मछली फार्म से संबंधित प्रायोजना तैयार करने में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए हाल ही में एक जल कृषि सलाहकार दल नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में नई चीनी मिलें खोलने का प्रस्ताव

1050. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में नई चीनी मिलें खोलने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रगति की है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की महाराज गंज तहसील में नई चीनी मिल के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय और राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा.एम. एस. संजीवी राव) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए अब तक उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 15 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9 मामलों में आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान किये गए हैं, 4 मामलों में आवेदन-पत्र रद्द कर दिये गए हैं जबकि एक आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है। एक आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को इस सलाह के साथ वापस भेज दिया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अन्तिम रूप देने और उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित करने के बाद यदि वे आवश्यक समझते हैं यो उसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार छठी योजनावधि के प्रथय तीन वर्षों के दौरान पहले जारी किये गए लाइसेंसों/आशय-पत्रों के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा कर रही है। बिहार से दो आयेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एक विबरण संलग्न है जिसमें इन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) इस मंत्रालय में अभी तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की महाराज गंज तहसील में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा

क. सं.	चीनी फैक्ट्री का प्रस्तावित स्थान तथा जिला	औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख	कैफियत
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	सियारगंज, जिला नैनीताल	30-10-80	16-1-1981 को आशय-पत्र दिया गया।
2.	हंसा (सेमीखेड़ा) जिला बरेली	30-6-80	28-3-1981 को आशय-पत्र दिया गया।
3.	अकबरपुर, जिला फैजाबाद	31-10-80	अस्वीकृत कर दिया गया।

1 2	3	4
4. घोसी, जिला आजमगढ़	14-10-80	31-12-1980 को लाइसेंस दिया गया।
5. जनसठ, जिला मुजफ्फर नगर	30-10-80	31-12-1980 को आशय-पत्र दिया गया।
6. पूरनपुर, जिला पीलीभीत	30-10-80	9-3-1982 को आशय-पत्र दिया गया।
7. बेहजोई-भरतपुर, जिला मुरादाबाद	4-11-80	अस्वीकृत कर दिया गया।
8. मठ, जिला मथुरा	3-11-80	अस्वीकृत कर दिया गया।
9. परतापपुर-सैदरपुर, जिला बुलन्दशहर	3-11-80	अस्वीकृत कर दिया गया।
10. नानपाड़ा, जिला बहराइच	1-12-80	23-3-1981 को आशय-पत्र दिया गया।
11. पोवायन, जिला शाहजहांपुर	17-12-80	जांच की जा रही है।
12. तहसील घाटमपुर जिला कानपुर	29-1-82	10-6-1983 को आशय-पत्र दिया गया।
13. सम्पूर्ण नगर, तहसील निघासन, जिला खेरी	15-2-77	9-3-1982 को आशय-पत्र दिया गया।
14. गदरपुर, (बाजपुर यूनिट), जिला नैनीताल	9-7.82	10-6-1983 को आशय-पत्र दिया गया।
15. फजलपुर (नजीमाबाद), जिला बिजनौर	16-8-83	राज्य सरकार को वापस कर दिया गया।
बिहार		
1. तहसील तमखुई टांड (धान्हा), जिला पश्चिमी चम्पारन	28-10-83	जांच की जा रही है।
2. तहसील सुपाउल, जिला सहरसा	28-11-83	जांच की जा रही है।

नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लेटों के बाहर बाड़ लगाना

1051. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में (विशेष रूप से साउथ और नार्थ एवेन्यू में) संसद सदस्यों के सरकारी फ्लैटों में बाड़ नहीं लगाई गई है और इस सम्बन्ध में बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद न तो इस फ्लैटों में कोई सुरक्षा व्यवस्था सुलभ की गई है और न ही उनका ठीक से रख-रखाव किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जाएगी।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मौहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के फ्लैटों के चारों ओर सुरक्षा के लिए कोई बाड़ नहीं लगाई गई है। तथापि फ्लैटों की खिड़कियों में सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाई गई है।

संसाधनों की उपलब्धता के भीतर फ्लैटों का अनुरक्षण सन्तोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों को अनुदान अथवा राज सहायता दिया जाना

1052. **श्री डी. एस ए. शिव प्रकाशन :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान अथवा राज्य सहायता दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उचित सावधानियां बरती हैं कि राज्य सरकारें इस अनुदान का दुरुपयोग न करने पाएं; और

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु में इस धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : (क) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय

केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा इन कार्यक्रमों के लिए बराबर की धनराशि राज्य सरकारें भी देती हैं।

(ख) जी हाँ। निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों और विवरणियों के जरिये निरन्तर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, इस मन्त्रालय के अधिकारी कार्य-क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का दौरा करते हैं: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में, निधियां, लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर बंठित की जाती है।

(ग) तमिलनाडु से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमे के अन्तर्गत एक शिकायक प्राप्त हुई थी जो कुछ धनराशि के अनुचित उपयोग के बारे में थी और इस मामले को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया था।

भिवंडी के समीप बूचड़खाना

1053. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या कृषि मंत्री भिवंडी के समीप बूचड़खानों के बारे में 12 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां। आवश्यक जानकारी 24-7-1984 को लोक सभा के पटल पर रखी जा चुकी हूं।

एमेच्योर्स एथेलेटिक फेडरेशन आफ इण्डिया की चयन समिति से त्याग-पत्र

1054. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री ए. के. राजन : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिल्खासिंह ने लास एंजल्स ओलम्पिक के लिए एथेलेटिक्स की चयन समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा त्यागपत्र देने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय दल के लिए प्रबन्धकों के चयन पर कुछ मतभेद थे; और

(घ) ओलम्पिक के लिए दल के साथ जाने वाले प्रशिक्षकों और प्रबन्धकों के नामों सहित चुने गये एथेलेटिक्स के नाम क्या हैं ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ग) भारतीय अमैच्योर एथेलेटिक संघ जो इस मामले से सम्बन्धित है, द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, श्री मिल्खा सिंह ने उनकी चयन समिति से त्याग पत्र दे दिया है। वह समिति द्वारा अन्तिम रूप से चुनी हुई एथेलेटिक टीम के लिए प्रबन्धक और प्रशिक्षक के चयन के विरुद्ध था।

(घ) भारतीय दल के एक अंग के रूप में लास एंजिलिस को निम्नलिखित खिलाड़ी तथा खेल अधिकारी गये हैं :—

खिलाड़ी

पुरुष

1. चांदराम
2. चार्ल्स बोरोम्स
3. गुरतेज सिंह

महिलाएं

4. पीं. टी. उषा
5. शिनी अब्राहम
6. ऐम. डी. वालसम्मा
7. वंधन राव
8. गीता जुत्शी

अधिकारी

1. श्री वी. के. वर्मा —प्रबन्धक
2. श्री जे. एस. सैनी —प्रबन्धक (कोच)
3. श्री ओ. पी. नाम्बियार —प्रशिक्षक (कोच)
4. श्री ऐ. के. कुट्टी —प्रशिक्षक (कोच)

एशियाई खेलों के अनबिके टिकटों को नष्ट करना

1055. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री त्रिलोक चन्द :

श्री मनोहर लाल सैनी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि उन एजेंसियों द्वारा, जिन्हें एशियायी खेलों के टिकट बेचने का काम सौंपा गया था कोई विधिवत् लेखा जोखा नहीं रखा गया था और औपचारिक लेखा परीक्षा कराये बिना तथाकथित अनबिके टिकटों का स्टाक नष्ट कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नष्ट किये गये तथाकथित अनबिके टिकटों की संख्या और मूल्य कितना था और लेखा परीक्षा की औपचारिकताएं पूरी किये बिना टिकटों को नष्ट किये जाने के क्या कारण थे और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो गई है ?

खेल विभाग में उपमन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) उन ऐजेन्सियों ने जिन्हें नवें एशियायी खेलों के टिकटों की बिक्री का काम सौंपा गया था, विधिवत लेखा जोखा रखा था। सरकार ने यह नोट किया है कि विशेष आयोजन समिति ने भारतीय स्टेट बैंक से यह निवेदन प्राप्त होने पर कि वो अनबिके टिकटों को अब और अधिक समय तक अपने स्ट्रोंग रूप से रखने की स्थिति में नहीं थे, और (I) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत टिकट लेखों का मिलान किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि उपलब्ध टिकट क्षमता का लगभग 80% बेचा गया था और (II) इस प्रयोजनार्थ स्थापित समिति द्वारा महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की बिना बिकी हुई टिकटों की 100 प्रतिशत वास्तविक जाँच तथा अन्य प्रतियोगिताओं की टैस्ट जांच, जिसमें कोई भी असंगति नहीं पाई गई थी, के बाद 1.65 करोड़ रुपये की बिना बिकी हुई 15.22 लाख देशीय टिकटें तथा 1.34 लाख यू. ऐस. डालर की विदेशों में बिक्री के लिये बिना बिकी हुई 0.53 लाख टिकटों के निपटान के लिये निर्देश जारी किये थे। विशेष आयोजन समिति द्वारा स्थापित टीम ने बिना बिकी हुई टिकटों को नष्ट करने का पर्यवेक्षण किया था। सोसायटी द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्टों द्वारा लेखा परीक्षा साथ-साथ हो रही थी और उन्होंने टिकटों की बिक्री और निपटान के बारे में अपने अन्तिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई भी आक्षेप/टिप्पणियां नहीं दी है।

आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण

1056. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने और दिल्ली में नये कार्यालय और उद्यम स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। शहर से नये कार्यालयों तथा उद्यमों सहित आर्थिक गतिविधियों के चुनीदा विकेन्द्रीकरण पद विचार किया गया है केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत-

शासी निकायों के लिये कार्यालयों को दिल्ली में सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली वृहत योजना की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत दिल्ली में बड़े तथा मध्यम उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाती है।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि का अनुत्पादक होना

1057. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वनस्पति निर्माता संघ के प्रवक्ता के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि वनस्पति के मूल्यों में हाल में मंजूर की गयी वृद्धि अनुत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (घ) उक्त वक्तव्य 22 जून, 1984 के "इकांमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है। अखबार में इस वक्तव्य को देखने के तत्काल बाद वनस्पति विनिर्माता एसोसियेशन ने अखबार में इस खबर को देने वाली एजेन्सी, अर्थात "यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया" को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उनके किसी भी प्रवक्ता द्वारा ऐसा वक्तव्य जारी किया गया है। वनस्पति विनिर्माता एसोसियेशन ने उक्त न्यूज एजेन्सी से इस बात पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है कि उन जैसी जिम्मेदार एसोसियेशन को ऐसा वक्तव्य देने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जो उन्होंने वास्तव में नहीं दिया है।

गुजरात में कपास उत्पादन में धीमी प्रगति

1058. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाले संकर बीजों का प्रयोग आरम्भ करने के बावजूद तीन योजना अवधियों के दौरान गुजरात में कपास के उत्पादन की प्रगति धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गत तीन योजना अवधियों के दौरान गुजरात में कपास का औसत क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता नीचे दी गई है :—

योजना अवधि	क्षेत्र (लाख हैक्टार)	उत्पादन (लाख गांठें प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की)	उपज (कि०ग्रा० प्रति हैक्टार
चतुर्थ योजना			
(1969-70 से 1973-74)	17.46	17.79	173
पांचवीं योजना			
(974-75 से 1978-79)	17.37	17.61	172
छठी योजना			
('980-81 से 1983-84) (अनंतिम)	15.00	17.00	193

गुजरात में पिछली दो योजना अवधियों की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कपास की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी डिवीजन में मालियों की पदोन्नति

1059. **श्री हरिश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी डिवीजन के मालियों की पदोन्नति के लिए इन्टरव्यू लिए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए चुने गये मालियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि परिणाम घोषित नहीं किया गया है, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक होने के फलस्वरूप उनके चुनाव को अन्तिम रूप देने में समय लगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा दुग्ध प्रोसेसिंग में क्रांति लाना

1060. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने दुग्ध का पाश्चुरीकरण करने की आवश्यकता को समाप्त करके दुग्ध प्रोसेसिंह में क्रांति पैदा की है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया को आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत पूरे देश में शुरू किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को आनन्द से दिल्ली लाए जा रहे दुग्ध के लिए भी अपनाने का है जिसको 3-4 बार पाश्चुरीकृत करना पड़ता है; और

(घ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित तीन प्रक्रियाओं को अमूल कोआपरेटिव द्वारा अपनाया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने व्यावहारिक अनुसंधान स्कूल सांगली (महाराष्ट्र) और गृह अर्थ संस्थान (दिल्ली विश्वविद्यालय) के सहयोग से प्रेशर कुकर की सहायता से दुग्ध परिरक्षण तकनीक का विकास किया है। इस प्रकार दूध का बोतलों में निर्जीवीकरण करने से संगठित डेरी क्षेत्र की बड़े पैमाने की परिसंस्करण सम्बन्धी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। अत: इस स्थिति में सारे देश में व्यापक पैमाने पर इसे लागू करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

देश में चीनी की कमी

1061. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष चीनी के कुल उत्पादन तथा पिछले भंडार और चीनी के आयात को मिलाकर कुल कितनी चीनी उपलब्ध है;

(ख) क्या चीनी की कुल मांग की तुलना में इसकी कुल उपलब्धता कम है; और

(ग) सरकार निजी व्यापारियों द्वारा जानबूझकर बाजार से चीनी की सप्लाई को रोकने की गतिविधियों पर, जिससे कि चीनी की कृत्रिम कमी पैदा हो गई है और बिना बात मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है, किस प्रकार काबू पायेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) और (ख) चालू मौसम 1983-84 में 59 लाख मीटर टन के आस-

पास चीनी का उत्पादन होने की आशा है और मौसम के प्रारम्भ में अर्थात 1.10.1983 को फैक्ट्रियों के पास बिना निर्मुक्त हुए पिछले बचे हुए लगभग 39.25 लाख मीटरीटन के निवल स्टाक को ध्यान में रखते हुए 19:3-84 मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता लगभग 98.25 लाख मीटरीटन बैठेगी।

अब तक 3.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए किए गए ठेके में से, 30 सितम्बर, 1984 को समाप्त चालू चीनी वर्ष में लगभग 1.25 लाख मीटरी टन चीनी की आमद होने की आशा है।

यद्यपि चालू मौसम 1983-84 के दौरान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में देशी चीनी उपलब्ध है, लेकिन आगामी चीनी मौसम 1984-85 की प्रारम्भिक अवधि के दौरान, जबकि कई एक प्रमुख त्यौहार भी पड़ते हैं, आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात किया गया है।

(ग) व्यापारियों द्वारा सट्टे के लिए चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने अधिकृत व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को कम कर दिया है और उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि स्टाक प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर वे अपना स्टाक बेच देंगे। राज्य सरकारों को भी जमाशुदा माल निकलवाने के लिए अभियान शुरू करने को सलाह दी गई है। बाजार में उपयुक्त मूल्यों पर मुक्त रूप से चीनी उपलब्ध है।

चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिया जेनेवा में यू.एन. शुगर कांफ्रेंस की असफलता

1062. **श्री पी.के. कोडियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा में यू.एन. शूगर कांफ्रेंस चीनी का कोटा निर्धारित करने के बारे में नया समझौता करने पर असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) कुछेक प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा कठोर रवैया अपनाने के कारण बातचीत विफल हो गई थी।

(ग) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977, 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद विश्व में चीनी का निर्यात मुक्त व्यापार प्रक्रिया के सिद्धान्तों द्वारा

नियंत्रित होगा। अत: भारत अपनी आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर निर्भर करते हुए दिसम्बर, 1984 के बाद किसी भी मात्रा में चीनी का निर्यात अथवा आयात कर पाएगा।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के श्रमिकों को मजूरी के भुगतान में अनियमितताएं

1063. **श्री हरिहर सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में नलको समैल्टर डिवीजन और टाउनशिप अनुगुल में कार्यरत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के श्रमिकों को मजूरी भुगतान में गम्भीर अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन श्रमिकों को नियमित भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भुगतान को शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि उड़ीसा के अनुगुत में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

एशियाई खेलों के टिकटों का नष्ट किया जाना

1064. **श्री अजित कुमार साहा** :

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों के विभिन्न मूल्य के कितने अनबिके टिकट नष्ट किये गए थे;

(ख) इन्हें नष्ट करने के आदेश किसने दिये थे; और

(ग) ये टिकट किसकी देखरेख में नष्ट किये गये ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) विशेष आयोजन समिति ने (I) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत टिकट लेखों का मिलान किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि उपलब्ध टिकट क्षमता का लगभग 80% बेचा गया था और (II) इस प्रयोजनार्थ स्थापित समिति द्वारा महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की बिना बिकी हुई टिकटों की 100% वास्तविक जांच तथा अन्य प्रतियोगिताओं की टेस्ट जांच, जिसमें कोई भी असंगति नहीं पायी गई थी, के बाद 1.65 करोड़ रुपये की बिना बिकी हुई 15.22 लाख देशीय टिकटें तथा 1.34 लाख यू.एस. डालर की विदेशों में बिक्री के लिए बिना बिकी हुई 0.53 लाख टिकटों

के निपटान के लिए निर्देश जारी किये थे। विशेष आयोजन समिति द्वारा स्थापित टीम ने बिना बिकी हुई टिकटों को नष्ट करने का पर्यवेक्षण किया था।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय

1065. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के अनुसंधान केन्द्रों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय दालों की खपत कितनी है;

(ग) क्या देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दलहनों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धि 30.9 से 45.5 ग्राम के बीच है। जैसा कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आंका गया है, राष्ट्रीय स्तर पर दलहनों की सामान्य आवश्यकता प्रति प्रति व्यक्ति प्रति दिन 47 ग्राम बैठती है।

(घ) दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सिंचित क्षेत्रों में दलहनों का विस्तार;

(2) रबी मौसम में अवशिष्ट नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में दलहनों की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना;

(3) तिलहनों, गन्ना, आलू, गेहूं के बाद गर्मी में सिंचाई करके मूंग की अल्पावधि किस्मों की अंतर्वर्ती फसल के रूप में खेती करना;

(4) सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली में अरहर की अन्तः फसल उगाना; और

(5) उन्नत दलहन के बीजों का गुणन तथा प्रयोग, फास्फेट युक्त उर्वरकों तथा रिजोबियम कल्चर का उपयोग, वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना, मूल्य समर्थन तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार करना। केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रयोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। दलहनों के विकास

सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत् प्रमाणी कृत/ठीक तरह से लेबिल लगाये गये बीज, रिजोबियम कल्चर, वनस्पति रक्षण रसायनों, उपकरणों और संचालनात्मक व्ययों, प्रदर्शन करने, प्रजनक/आधारी बीजों के उत्पादन, सिंचाई व्ययों, तथा ग्रीष्मकालीन दलहनों के उत्पादन के प्रचार पर राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत एक मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसके तहत् उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने तथा इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए किसानों को दलहनों के बीच के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। 1983-84 से छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता सम्बन्धी एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें दलहनों और उर्वरकों के मिनीकिट सप्लाई किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में गन्दी बस्ती सुधार परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1066. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा गन्दी बस्ती सुधार परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को ऋण दिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गन्दी बस्ती सुधार परियोजना का ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बम्बई में शहरी विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता के लिए विचार विमर्श प्रगति पर है जिसमें स्थल तथा सेवायें मलिनबस्ती उन्नयन पालिका मूलभूत सेवाओं का सुधार इत्यादि जैसे घटकों को शामिल किये जाने की सम्भावना है। घटकों के ब्यौरे तथा ऋण की राशि को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुए

1067. **श्री के० लकप्पा** :

श्री धर्मदास शस्त्री : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब अनेक उपभोक्ता वस्तुओं को भी भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणीकृत कराना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कौन-कौन सी वस्तुओं के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणीकृत होना अनिवार्य है;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि कई फर्में अपने उन उत्पादों को जिन पर भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणीकृत अनिवार्य है, बिना इस प्रकार के प्रमाणीकरण के ही बेच रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम. एस. संजीवी राव) (क) जी हां।

(ख) इस समय जिन वस्तुओं के लिए भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण अनिवार्य है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आई. एस. आई. प्रमाणन चिन्ह की सांविधिक मान्यता

वे वस्तुएं जिन के लिए देश में आई. एस. आई. चिन्ह अनिवार्य है।

उत्पाद तथा वे उपबन्ध जिनके तहत चिन्हनांकन करना अनिवार्य किया गया है।

एल. पी. जी. सिलिन्डर्स

इण्डियन गैर सिलन्डर निगम, 1940

खानों में प्रयोग के बारे सेफ्टी हेलमेट

माइन्स एक्ट 1952, महानिदेशक, माइन्स सेफ्टी का प्रशासनिक आदेश परिपत्र तारीख 1973 का 35 तारीख 20 अगस्त, 1973

माइनर्स कैप लैम्प बेट्रीज

माइन्स एक्ट 1952, महानिदेशक, माइन्स सेफ्टी का प्रशासनिक आदेश : परिपत्र संख्या 19 दिसम्बर, 1968

माइनर्स सेफ्टी लेदर बूटस एण्ड शूज

माइन्स एक्ट 1952, महानिदेशक, माइन्स सेफ्टी का प्रशासनिक आदेश, परिपत्र संख्या 1972 का 9 तारीख 29 अप्रैल, 1972

फलेमप्रूफ इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट

माइन्स एक्ट 1952, महानिदेशक, माइन्स सेफ्टी का प्रशासनिक आदेश,
परिपत्र संख्या 1003-22/ई.एच.क्यू तारीख 22 अगस्त, 1973

खानों में प्रयुक्त तार की रस्सियां

माइन्स एक्ट 1952, महानिदेशक, माइन्स सेफ्टी का प्रशासनिक आदेश : परिपत्र संख्या 1966 का 22 तारीख 23 अप्रैल, 1966

फूड कलर्स एण्ड फूड कलर प्रिपेरेशन्स

खाद्य उपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1974

सफेद मुद्रण का कागज

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, पेपर (कंट्रोल एण्ड प्रोडक्शन)
आर्डर, 1974

स्टील एण्ड स्टील प्रोडक्टस (एपेन्डिक्स)

(क) इस्पात तथा भारी इंजीनियरी-मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या (एस. सी.) (1) (2) 44/63-II तारीख 4 जनवरी, 1965

(ख) इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी-मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या एस.सी. (1) (2) 44/63-IV तारीख 26 मार्च, 1971

माइल्ड स्टील टयूब्स

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत माइल्ड स्टील टयूब्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर जुलाई, 1978

टाइटेनियम डायोक्साइड, फूड ग्रेड

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (प्रथम संशोधन 1979) के तहत अधिसूचना संख्या 33 तारीख 31 जनवरी, 1979

सीमेन्ट

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचना संख्या तारीख 3 जून, 1983

इस्पात सम्बन्धी भारतीय मानक जिनके लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणन चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

1. आई.एस : 226-1975	स्ट्रक्चरल स्टील (स्टेन्डर्ड क्वालिटी)
2. आई.एस : 277-1977	गैलवेनाइज्ड स्टील शीटस(प्लेन एण्ड कोरूगेटेड)
3. आई.एस : 279-1972	तार तथा टेलीफोन के प्रयोजन से गेलवेनाइज्ड आयरन एण्ड स्टील वायर
4. आई.एस. : 280-1978	सामान्य इजीनियरी प्रयोजन के लिए माइल्ड स्टील बायर
5. आई.एस. : 432 (भाग 1 व 2) —1966	एम.एस. एण्ड मीडियम टेन्सिल स्टील वार्स एण्ड हाई ड्रान स्टील वायर फार कन्क्रीट रेनफोर्समैंट
6. आई.एस. : 513-1975	कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स
7. आई.एस. : 961-1975	स्ट्रक्चरल स्टील (हाई टेन्सिल)
8. आई.एस. : 1029-1970	हाट रोल्ड स्टील स्ट्रीप्स
9. आई.एस. : 1079-1973	हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स एन्ड स्ट्रीप्स
10. आई.एस. : 1139-1966	हाट रोल्ड माइल्ड स्टील एण्ड मीडियम टेन्सिल स्टील डेफार्मड वार्स फार कन्क्रीट रेन्फोर्समेन्ट
11. आई.एस. : 1148-1973	रिवेट वास फारस्ट्रक्चरल परपजेस
12. आई.एस. : 1149-1973	हाई टेन्सिल रिवेट वार्स फार स्ट्रक्चरल परपजेस
13. आई.एस. : 1786-1966	कोल्डट्वीस्टेड डेफार्मड स्टील वार्र्ज फार कन्क्रीट रेइन्फोर्समेन्ट
14. आई.एस. : 1875-1978	कार्बन स्टील बिलेटस ब्लेम्स, स्लेब्स एण्ड वार्स फार फोजिंगस
15. आई.एस. : 1977-1975	स्ट्रक्चरल स्टील (आर्डिनेरी क्वालिटी)
16. आई.एस. : 1990-1973	स्टील रिवेट एण्ड स्टे वार्स फार वालयर्स
17. आई.एस. : 2002-1965	स्ट्रील प्लेटस फार वालयर्स
18. आई.एस. : 2062-1969	स्ट्रक्चरल स्टील (फूयूशन बेल्डिंग क्वालिटी)
19. आई.एस. : 2073-1970	मशीनड पार्टस के उत्पादन के लिए कार्बन स्टील वार्स

20. आई.एस. : 2830-1975	कार्बन स्टील बिलेटस फार रि-रोलिंग इनटू स्ट्रक्चरल स्टील (एटेन्डर्ड क्वालिटी)
21. आई.एस. : 2831-1975	कार्बन स्टील बिलेट्स फार रि-रोलिंग इन टू स्ट्रक्चरल स्टील (आर्डिनेरी क्वालिटी)
22. आई.एस. : 2879-1975	माइल्ड स्टील फार मेटल आर्टर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोर वायर
23. आई.एस. : 3502-1966	स्टील चेकर्ड प्लेटस
24. आई.एस. : 3748-1978	टूल एण्ड डाई स्टील्स कोल्ड वर्क
25. आई.एस. : 3749-1978	टूल एण्ड डाई स्टील्स फार कोल्ड वर्क
26. आई.एस. : 3930-1979	फलेम एण्ड इन्डक्शन हार्डनिंग स्टील
27. आई.एस. : 4368-1967	ऐलाय स्टील विलेटस, ब्लूम्स एण्ड स्लेब्स फार फोजिंग्स फार जनरल इन्जीनियरिंग परपजेस
28. आई.एस. : 4397-1972	कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील स्ट्रीप्स फार वाल एण्ड फन्ड रोलर वियरिंग केजेस
29. आई.एस. : 4398-1972	कार्बन क्रोमियन स्टील फार दि मेनुफेक्चर आफ वाल्स, रोलर्स एण्ड वियरिंग रेलिस
30. आई.एस. : 4430-1979	मोल्ड स्टील
31. आई.ऐस. : 4431-1978	कार्वन ऐण्ड कार्बन मेगनीज ट्री कटिंग स्टील
32. आई.ऐस. : 4432–1967	केस हार्डनिंग स्टील
33. आई.ऐस. : 4882-1968	लो कार्बन स्टील वायर फार रिवेटस फार यूज इन वियरिंग इन्डस्ट्री
34. आई.ऐस. : 4589-1975	कारबूयराइजिंग स्टील्स फार यूज इन विरिंग इन्डस्ट्री
35. आई.ऐस. : 5517-1978	स्टील्स फार हार्डनिंग एण्ड टेम्परिंग
36. आई.ऐस. : 5518-1979	स्टील फार डाई ब्लाक्स फार ट्राप फोजिंग्स
37. आई.ऐस. : 5522-1978	स्टेनलेस स्टील शीट्स, काईल्स ऐण्ड सर्कल्स फार यूटेन्सिलस ऐण्ड हास्पिटलवेयर

संदेश पम्पिंग योजना को मंजूरी

1068. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भोजपुर जिले की "संदेश पम्पिंग योजना" काफी समय से केन्द्रीय जल आयोग के पास मंजूरी के लिये पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत और अन्य ब्यौरा क्या है और इसे कब मंजूरी मिलने की संभावना है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) बिहार सरकार ने भोजपुर जिले में सोन नदी से सन्देश पम्पिग स्कीम पर एक आशोधित परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय जल आयोग ने आशोधित परियोजना रिपोर्ट पर राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण जनवरी, 1984 में मांगे थे जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना में भोजपुर जिले में सोन नदी के जल को पम्प करके प्रति वर्ष करीब 6000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है तथा इसकी अनुमानित लागत 124 लाख रूपये है। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने पर इस परियोजना को मंजूरी दी जायेगी।

निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता का शोषण

1069. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा तोल और माप में, मिलावट द्वारा तथा अन्य रूप से उपभोक्ताओं का शोषण किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उपभोक्ताओं को व्यापार की ऐसे गलत प्रक्रियाओं से बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम. एस. संजीवी राव) (क) जी हां।

(ख) सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्ष के लिये पहले ही कई प्रवर्तन कानून लागू कर दिये हैं। इसके अलावा, सरकार संसद के चालू सत्र के दौरान वाट तथा माप मानक प्रवर्तन विधेयक प्रस्तुत करेगी।

पशुधन और मुर्गीपालन के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र

1070. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान शताब्दी के आठवें और नवें दशक में गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, घोड़ों, सूअरों, ऊंटों, खरगोशों मुर्गियों और अन्य पालतू पशुओं की जातिवार संख्या कितनी थीं और उनके अनुसंधान केन्द्रों/संस्थानों की जातिवार संख्या कितनी है, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सहायता देती है अथवा खोलने का विचार रखती हैं; और

(ख) वर्तमान शताब्दी के आठवें और नवें दशक में इन केन्द्रों की गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और छठी योजना में निर्धारित परिव्यय की तुलना में उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और क्या उसके परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) तथा (ख) भारत में बारहवीं पशु गणना 1977 के अनुसार सातवें दशक में अलग-अलग पशु प्रजातिवार संख्या नीचे दी गई है :—

प्रजातियां	संख्या मिलियन में
गोपशु	180.00
भैंस	61.96
भेड़	40.87
बकरियां	75.36
घोड़े	0.88
गधे	1.00
सूअर	7.67
ऊंट	1.07
मुर्गियां	159.22
यॉक	0.03
अन्य पशु (मिथुन)	0.09

आठवें दशक के लिये इस गणना को अभी पूरा किया जाना है। तथापि देश में खरगोशों की संख्या को पता लगाने के लिये कोई गणना नहीं हुई।

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, ब्यूरो आदि सहित 10 पशुविज्ञान अनुसंधान संस्थान हैं। यह भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इन संस्थानों के कार्य पशु विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी व व्यावहारिक अनुसंधान करना है। तथा शिक्षा व प्रशिक्षण देना और इस क्षेत्र में विस्तार गतिविधियों का संचालन करना है। इन संस्थाओं के प्रयासों से पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने

और बढ़िया किस्म के जर्मप्लाज्म की उत्पत्ति के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में ऐक दुग्ध काल के दौरान 3200 लीटर और 3500 लीटर दूध देने वाली करन स्विस और करन फ्राइस गोपशुओं की दो बढ़िया डेरी नस्लों को तैयार किया गया है। केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में दो 2 किलोग्राम बढ़िया कालीन की ऊन तथा 2.5 कि०ग्राम वस्त्रों वाली ऊन देने वाली भेड़ की दो अच्छी नस्लों अर्थात अविकालिन तथा अविवस्त्र को तैयार किया गया है। व्यावसायिक उपयोग के लिये दड़बे में 200 से भी अधिक वार्षिक अंडे देने वाली मुर्गी की ऐक आई. ऐल. आई-80 नस्ल को भी रिलीज किया गया है। दो ब्रायलर नस्लें अर्थात् आई. वी. ऐल.-80 और आई. वी.वी. 83 को भी व्यावसायिक उपयोग के लिये रिलीज किया गया है जो 2.4 की आहार क्षमता से 8 सप्ताह के दौरान 1500 ग्राम जीवित भार प्राप्त करने में समर्थ होती है। इसी तरह गैरपरम्परागत आहार संसाधनों के उपयोग, पुनरोत्पादन क्षमता से सम्बन्धित कम खर्चीले आहार में सुधार, रोगों पर नियंत्रण और उनकी समूल नष्ट करने की प्रौद्योगिकियां विकसित की गयी हैं और ये हमारे पशु विकास कार्यक्रम के आधार हैं।

छठी पचवर्षीय योजना के दौरान कुछ संस्थानों/ब्यूरो/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है जबकि कुछ अन्यों की (संस्थानों आदि) की स्थापना पहले की योजना अवधि के दौरान की गयी है।

छठी पंचवर्षीय योजना का खर्च और संस्थानवार उपयोग में लाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	सस्थान/ब्यूरो/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का नाम	छठी योजना का खर्च (रू० लाख में)	उपयोग में लाई गई राशि (रू० लाख में)
1	3	3	4
1.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उ.प्र.)	850.00	383.16
2.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	700.00	515.25
3.	केन्द्रीय भेड तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (राजस्थान)	210.00	165.49
4.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम (उ.प्र.)	150·00	130.30
5.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान, इज्जतनगर (उ.प्र.)	152.00	130.76

1	2	3	4
6.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान,* हिसार (हरियाणा)	150,00	शून्य
7.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन* ब्यूरो तथा पशु अनुवंशिक संस्थान बंगलौर (कर्नाटक)	87,00	शून्य
8.	राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र, * बीकानेर (राजस्थान)	50,00	शून्य
9.	राष्ट्रीय मिथुन तथा यांक* अनुसंधान केन्द्र, अरूणाचल प्रदेश तथा नागालैंड	20,00	शून्य
10.	राष्ट्रीय आश्व अनुसंधान केन्द्र* हिसार (हरियाणा)	42,00	शून्य

*इनकी स्थापना चालू वर्ष के दौरान की जानी है ।

सूदखोरी के विरुद्ध विधान

1071. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1975 में सूदखोरी के विरुद्ध उपयुक्त अधिनियम बनाने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को मार्गनिदेश जारी किये थे, यदि हां, तो तत्संबंधी विशिष्ट ब्यौरा क्या है और राज्यों में इस संबंध में क्या अधिनियम बनाये हैं;

(ख) क्या पटना उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों ने महाजनों द्वारा गरीबी देनदारों का उनके द्वारा गिरबी रखे गये आभूषणों और वर्तनों आदि के लौटाये जाने के पक्ष में निर्णय दिया था, यदि हां, तो उसे निर्णय लागू करने के लिये क्या कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाये गये; और

(ग) क्या कोई नवीनतम तथा अधिक प्रभावी मार्ग निर्देश जारी करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यद्यपि, ऋण-राहत राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार ने राज्य का सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी-सिद्धांत जारी किए थे, जिनमें उनसे कहा गया था कि वे भूमिहीन श्रमिकों (ग्रामीण शिल्पियों तथा सीमान्त किसानों) जिनके कुटुम्ब की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2400 रु. से अधिक नहीं है के गैर-संस्थागत ऋणों को समाप्त करके और छोटे किसानों के गैर-संस्थागत ऋणों को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को राहत देने के लिए उपयुक्त कानून बनाए ।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाये गए कानूनों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-8493/84]

(ख) जी हाँ, पटना उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों ने निर्णय किया है कि ऋण की परिभाषा में आभूषण और बर्तन भी शामिल हैं और ऋण राहत अधिनियम के प्रावधान उन पर भी लागू होते हैं। इस निर्णय को लागू करने संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

(ग) इस समय नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से हाल में अनुरोध किया गया है कि वे वर्तमान ऋण राहत संबंधी उपायों की समीक्षा करें और संस्थागत एजेंसियों को सक्रिय बनाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके।

दामोदर घाटी निगम के जलाशयों में गाद जमा हो जाना

1072. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दोमादर घाटी निगम के जलाशयों में भारी गाद जमा हो गई जिसके परिणामस्वरूप इनकी क्षमता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन उपायों का और उनका क्रियान्वयन कब किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से पानी के निकासी के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ों को देखते हुए अविलम्ब इसके लिए उपचारात्मक उपाय करेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दामोदर घाटी निगम के मैथोन तथा पांचेत हिल जलाशयों के लिए 1971 में किए गए अवसादी सर्वेक्षणों से पता चला है कि मैथोन जलासय में सक्रिय भण्डारण की औसत वार्षिक हानि 0.6% तथा पांचेत जलासय में यह हानि लगभग 1% थीं। मैथोन जलासय में बाढ़ के पानी के संचयन में औसत वार्षिक हानि नगण्य थी जबकि पांचेत हिल जलाशय में क्षमता में हानि 0.09% थी।

(ख) से (घ) नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में निर्धारित किए गए प्राथमिकता वाले व्यवहार्य क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा जलग्रहण उपचारी उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अपक्षीणन तथा स्थिति और खराब हो जाने के फलस्वरूप जल-ग्रहण क्षेत्रों में बढ़ते हुए कटाव को रोकने में इन उपायों से सहायता मिलेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीजों की पता लगाई गई किस्में

1073. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बीजों का पता लगाई गई किस्मों की उत्पादकता वर्तमान शताब्दी के सातवें और आठवें दशक में उपयोग की जाने वाली आम किस्मों की श्रेष्ठता के बराबर नहीं है;

(ख) कल्याण, पुणे और अन्य किस्मों के आने से पूर्व छठे दशक में उपयोग में की जाने वाली आम अच्छी किस्मों की प्रति हेक्टर उपज कितनी थी और 1970, 1975, 1976 और 1980 के दौरान की गई किस्मों की अलग-अलग तुलनात्मक उपज कितनी है और प्रत्येक किस्म कितने-कितने क्षेत्रफल में बोई जाती है;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्तमान शताब्दी के छठे, सातवें और आठवें दशक में बेहतर किस्मों के लिये कौन सी कृषि परिक्रियाओं की सिफारिश की गई थी और उन्हें किस सीमा तक लागू किया जा सका; और

(घ) गेहूं की उत्पादकता में चौथी योजना से योजना बार किन-किन मुख्य बातों पर बल दिए जाने का प्रस्ताव था और इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही और योजना में आबंटित कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

कठोर चट्टानी क्षेत्रों में भू-जल का पता लगाया जाना

1074. **श्री शांतुभाई पटेल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कठोर चट्टानी क्षेत्रों में भू-जल की क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत का विमोचन किया जा रहा है;

(ख) क्या सातवीं योजना में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में भू-जल के विदोहन पर अधिक जोर दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना में इसके संभावित कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तामिलनाडु राज्यों के अधिकांश भाग के नीचे कठोर चट्टानी क्षेत्र हैं। इन राज्यों में भूमिगत जल से अनुमानित 11.7 मिलियम हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता के मुकाबले मार्च, 1984 तक 5.7 मिलियम हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी थी जो क्षमता का करीब 50 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के कार्यक्रम को तेज करने तथा इसके विकास हेतु क्षेत्रों को तैयार करने के वास्ते केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड चालू वर्ष के दौरान 13 डाउन दि होल हैमर रिगज प्राप्त कर रहा है जो कि ऐसे क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने के लिये उपयुक्त हैं। सातवीं योजना के दौरान इस प्रकार की और रिग प्राप्त करने के प्रस्ताव हैं। इस विषय पर योजना आयोग द्वारा गठित लघु सिंचाई से सम्बद्ध कार्यकारी दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए टीमों का चयन

1075. **श्री कमल नाथ** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले दलों का चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा कौन से खेलों में भाग लिया जायेगा ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) भारत निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा है :—

(i) ऐथलेटिक्स

(ii) शूटिंग

(iii) भारोत्तोलन

(iv) मुक्केबाजी

(v) हाकी

(vi) कुश्ती

(vii) नौका बिहार

(viii) टैनिस (प्रदर्शनीय खेल)

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड की मुद्रण मशीनों का बेकार पड़ा रहना

1076. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड की करोड़ों रुपये की मुद्रण मशीनों में से 50 प्रतिशत मशीनें काफी समय से बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में लगाई गई मुद्रण और मोनो कास्टिंग मशीन भी बिलकुल बेकार पड़ी है;

(ग) क्या मुद्रण निदेशालय द्वारा अधिकतर कार्य निजी मुद्रकों को आबंटित किया जा रहा है और सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों को बिना काम बिठाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे सरकार को भारी हानि हो रही है; और

(ङ) इस लापरवाही के लिये कौन उत्तरदायी है और ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

'आनंद" की तरह के सहकारिता आन्दोलन की लोकप्रियता

1077. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के किसानों में "आनन्द" की तरह का सहकारिता आन्दोलन लोकप्रिय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में "आनन्द" की तरह की पद्धति पर परीक्षण किए जा रहे हैं;

(ग) इस तरह के सहकारिता आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां आपरेशन फ्लड के तहत आनन्द पद्धति पर डेरी सहकारी समितियां गठित की जा रही हैं, नीचे दिये गये हैं;

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अन्डमान और निकोबार, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, पांडिचेरी।

(ग) तथा (घ)

सरकार की नीति तथा सम्भव सहकारिता के आधार पर देश में डेरी उद्योग का विकास करना है। आपरेशन फ्लड परियोजना आनन्द पद्धति पर डेरी सहकारी समितियों का गठन करने के लिये शुरू की गई है।

नेशनल स्टेडियम में बास्केट बाल कोर्ट को समाप्त कर देना

1078. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल स्टेडियम में 1 लाख रुपये की लागत से बनाये गए बॉस्केट बॉल समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या उन बोर्डों को भी गिरा दिया गया है जिनके ऊपर लगभग 2000/- रुपये लागत आई थी;

(ग) क्या उक्त कोर्ट का उपयोग, क्रिकेट खेलने वालों द्वारा अभ्यास क्षेत्र के रूप में किया जाता है; और

(घ) क्या नेशनल स्टेडियम के प्रबन्धकों ने उक्त कोर्ट के समाप्त किये जाने पर आपत्ति की थी ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रबन्ध के परामर्श से, वहां के बास्केट बाल कोट को, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर के अन्दर के एक स्थल में पुनःस्थापित कर दिया गया है। ऐसा बास्केट बाल के प्रशिक्षण में अच्छी सुविधायें प्रदान करने और प्रशिक्षणार्थियों को घायल होने से बचाने के लिये किया गया है। पुराना बास्केट बाल कोर्ट लगभग 35,000/- रुपये की लागत पर बनाया गया था जिसमें से पुराने बास्केट बाल कोर्ट के बोर्डों को नए बास्केट बाल कोर्ट में प्रयोग किया जायेगा। क्रिकेट प्रशिक्षणार्थियों को भी बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिये पुराने बास्केट बाल के स्थान को क्रिकेट अभ्यास मैदान के साथ मिला दिया गया है।

उत्तरी क्षेत्र के आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूँ खरीदने की अनुमति

1079. **श्री बापूसाहिब पारूलेकर** :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र के आटा मिलों के संघ (फ्लोर मिल्स चैम्बर) ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जाय;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके गेहूं की आवश्यकता और सरकार द्वारा उन्हें सप्लाई की जा रही गेहूं की मात्रा के बीच कितना अन्तर है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी हां। खुले बाजार से गेहूं की खरीद करने के लिए उन्होंने जो मुख्य कारण बताया है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अच्छी किस्म के उत्पादों का उत्पादन करना है।

(ग) इस समय उत्तरी क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली आते हैं, की रोलर फ्लोर मिलों को 1,11,970 मीटरी टन प्रति माह की मात्रा आबंटित की जा रही है। इसके प्रति पहले 6 महीनों के दौरान उत्तरी क्षेत्र की रोलर फ्लोर मिलों ने औसतन केवल लगभग 34000 मीटरी टन प्रति माह के हिसाब से गेहूं उठाया था। इस प्रकार, रोलर फ्लोर मिलों की गेहूँ की आवश्यकता और सरकार द्वारा उन्हें की गई गेहूं की आपूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है।

भाखड़ा नहर में दरार और परिणामस्वरूप इसके पेयजल का संकट

1080. **श्री रामलाल राही :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नहर में 1600 फुट की दरार पड़ जाने के कारण चार हजार गांवों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) भाखड़ा नहर में दरार पड़ने के क्या कारण थे और क्या इसमें निर्माण सम्बन्धी कोई दोष थे; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भाखड़ा मुख्य नहर में 6 जून, 1984 को एक दरार आ गई थी जिसे 10 जुलाई, 1984 तक बन्द कर दिया गया था। 21 जुलाई, 1984 को पुन: दूसरी दरार पड़ गई। पंजाब सरकार ने इस दरार को बन्द करने का कार्य हाथ में ले लिया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दरारों के पड़ने के कारणों का जांच-कार्य चल रहा है।

हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ गांवों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। राज्य सरकारों ने प्रभावित गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये समुचित सम्भव व्यवस्था की है।

आधार बीजों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

1081. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को विभिन्न फसलों के लिए बीजों की पूर्ति हेतु बीजों के बहुगुणन के लिए आधार बीजों के उत्पादन में वृद्धि के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मूल (आधारी) बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में आधारी बीजों का अनुमानित उत्पादन लगभग 4.5 लाख क्विटल तक हो जाने की सम्भावना है जबकि 1979-80 में 0.92 लाख क्विटल का उत्पादन हुआ था।

(ख) भारत सरकार मूल (आधारी) बीजों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बीज परियोजना, जो विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना है, के अन्तर्गत 12 कृषि विद्यालयों को परिसंस्करण संयंत्र, फार्मों का विकास आदि जैसे पर्याप्त अवस्थापनात्मक संरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इस परियोजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय इस कार्य के लिए भारत सरकार से पूंजी निवेश का 25% अनुदान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत सरकार आधारी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए फार्मों का विकास करने के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम से कहा गया है कि वह अपने फार्मों में अधिक से अधिक मात्रा में आधारी बीजों का उत्पादन करे।

पंजाब में गेहूं की खरीद कार्यक्रम पर आन्दोलन का प्रभाव

1082. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पंजाब में कितने गेहूं की खरीद की गई और खरीद कार्यक्रम किस तारीख को शुरू तथा पूरा किया गया;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की खरीद इस वर्ष अधिक या कम हुई है; और

(ग) क्या पंजाब से अन्य राज्यों को गेहूं ले जाने को रोकने के पंजाब में चल रहे आन्दोलन का गेहूं की खरीद पर किसी प्रकार प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा: एम. एस. संजीवी राव) : (क) पंजाब में चालू विपणन मौसम के दौरान 24-7-1984 तक 49.57 लाख मीटरी टन गेहूँ वसूल किया गया बताया जाता है। वसूली अभियान 14 अप्रैल, 1984 को शुरू किया गया था और वह अभी भी चल रहा है। गेहूं की वसूली करने के लिए विपणन मौसम मार्च, 1985 के अन्त तक जारी रहेगा।

(ख) इस मौसम में अब तक पिछले मौसम की उसी अवधि की तुलना में कम वसूली हुई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। यह सूचित किया गया है कि वसूली में यह कमी अंशतः कुछेक जिलों में कम उत्पादन होने और अंशतः गेहूं की कुछ मात्रा को सीमावर्ती जिलों से पड़ोसी राज्य की मंडियों को ले जाने के कारण हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा

1083. **श्री सज्जन कुमार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद वर्षों तक उनको मुआवजा अदा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने किसानों को उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजा अदा किया और कितने किसानों को अभी भी मुआवजा अदा किया जाना है तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित भूमि के भूतपूर्व मालिकों को मुआवजे के भुगतान से दिल्ली विकास प्राधिकरण सीधे ही संबंधित नहीं है। मुआवजे का भुगतान, दिल्ली प्रशासन के उपायुक्त के कार्यालय में भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा किया जाता है।

(ख) तथा (ग) निम्नलिखित मामलों में मुआवजा बिना भुगतान के पड़ा हुआ है :—

(i) जहां संबंधित व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने के लिए नहीं आये।

(ii) जहां मुआवजे के भुगतान के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए हैं।

(iii) जहां मुआवजा विवादग्रस्त है; या

(iv) जहां अधिगृहीत भूमि सौंपी नहीं गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा 5296 किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान 3305 मामलों/मदों के बारे में निर्धारित मुआवजा अवितरित पड़ा हुआ है।

कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बांध

1084. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बराह क्षेत्र में कोसी नदी पर शशिपानी में कमला पर और नूनथेर में बागमती पर बहुउद्देश्यीय बांध बनाने और उनके साथ भारत की अधवाड़ा और बागमती परियोजनाओं को समन्वित के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कारणों सहित सरकार की क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने नूनथेर में बहुउद्देश्यीय बांध बनाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिये सोवियत संघ की सरकार को पेशकश की थी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दोनों देशों के बीच सचिव स्तर पर हुई नवीनतम बैठक में बहुउद्देशीय बांधों के निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाए गये ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क), (ख) और (ङ) बराह क्षेत्र में कोसी, शशिपानी में कमला तथा नुन्थेर बागमती नदी पर बहुप्रयोजनी बांधों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री भोगेन्द्र झा, संसद सदस्य, सिंचाई मन्त्रालय पर जोर देते रहे हैं। चूंकि परियोजना स्थल नेपाल में है, अतः परियोजनाओं की जांच शुरू करने के लिये भी नेपाल की सहमति आवश्यक है। अब तक ऐसा कोई करार नहीं हुआ है। इसलिये, इन परियोजनाओं के निर्माण की दशा में कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता। वह सिंचाई मंत्रालय से यह भी कहते रहे हैं कि भारत में बागमती पर परियोजनाओं का अधवारा ग्रुप नदी पर परियोजना के साथ सामजस्य होना चाहिये। सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की आयोजना तथा क्रियान्वयन राज्य द्वारा की जाती है। बिहार सरकार का विचार है कि बागमती में तथा अधवारा ग्रुप नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्य एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

(ग) और (घ) नेपाल की महामहिम सरकार ने सिंचाई मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया है।

धान की वसूली का मूल्य

1085. **श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की तुलना में गेहूं के वसूली मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत हमेशा ही अधिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसान धान की खेती करने को निरुत्साहित नहीं होंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार धान के वसूली मूल्यों में गेहूँ के अनुरूप वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) खरीद मूल्य का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण विचारणीय घटक सम्बन्धित जिंस की उत्पादन की लागत है। चूंकि प्रत्येक जिंस के मामले में कई कारणों

से उत्पादन की लागत में वृद्धि भिन्न-2 होती है, अतः प्रत्येक जिन्स के खरीद मूल्य में हर साल उसी अनुपात में वृद्धि करना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय है।

उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ से प्रस्ताव

1086. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ ने उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में सरकार की सहायता करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या मिलावट और माल के कम तौल से उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए सरकार और व्यापारी समुदाय का कोई संयुक्त निकाय बनाया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एस. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) उपभोक्ता संरक्षण परिषद में जपने नामांकन का सुझाव दिया है।

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ को एक उचित आचार संहिता तैयार करने का सुझाव दिया है, जिससे कि व्यापार तथा उद्योग में स्वानुशासन की भावना जगाई जा सके।

सातवीं योजना में खेलों के लिए नियतन

1087. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में खेलों के लिये कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है और क्या सातवीं योजना के प्रारूप मे ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोगों द्वारा खेलों में भाग लेने की ओर ध्यान दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) (क) और (ख) : खेल, शारीरिक शिक्षा और युवा नेवाओं पर सातवें योजना कार्यकारी दल ने सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-1990) के दौरान खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 541 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है। तथापि, योजना आयोग के परामर्श से सातवीं योजना के लिए वास्तविक आवंटन को, यथा समय, अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सातवीं योजना प्रस्तावों में प्रमुख प्रारम्भिक स्तर से ही खेलों तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार पर बल दिया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। कुछ योजनार्थ जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं वे ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, तालुका स्तर से ऊपर खेलों के लिए भौतिक सुविधाओं का विकास, ग्रामीण खेल केन्द्र हैं।

किसानों को उपकरण तथा कृषि आदान खरीदने के लिए सहायता

1088. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में किसानों को उपकरण तथा अन्य कृषि आदान खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी वर्ष के दौरान कृषि आदानों के लिए दिए जाने वाले ऋण की स्वरूप और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 में उपकरणों और अन्य कृषि आदानों को खरीदने के लिए कृषिकों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी 8494/84]

(ख) किसानों द्वारा कृषि आदानों की खरीद के लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। सहकारी वर्ष 1984-85 में सहकारी समितियों का 2500 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण और 240 करोड़ रुपये मध्यमकालीन ऋण का लक्ष्य है जिसका उपकरणों और मशीनरी जैसे आदान खरीदने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा खरीफ और रबी मौसमों के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण हेतु राज्यों को अलग से अल्पकालीन ऋण आवंटित किए जाते हैं। वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से खरीफ 1984-85 के दौरान अल्पकालीन के रूप में 125.90 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री का लेखा-जोखा दिया जाना

1089. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :

प्रो० रूप चन्द्र पाल क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड टिकटों की बिक्री के लिए उत्तरदायी भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकारियों ने टिकटों के पूरा कम्प्यूटरीकृत लेखा विशेष आयोजन समिति को दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विशेष आयोजन समिति ने अब तक उप लेखे की लेखा परीक्षा कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि अब तक कोई लेखा परीक्षा नहीं कराई गई है, तो लेखा परीक्षा कब तक कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

खेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष आयोजन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बिनाबिकी हुई टिकटों के ब्यौरों सहित एशियाड टिकटों की बिक्री आय के पूर्ण लेखे प्रस्तुत किये थे। बैंक के पास पड़ी हुई बिना बिकी हुई टिकटों की इस प्रयोजन हेतु गठित एक दल द्वारा वास्तविक जांच की गई थी और दल ने महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की बिना बिकी हुई टिकटों की शत प्रतिशत वास्तविक जांच तथा अन्य प्रति-योगिताओं की जांच पड़ताल की थी। इस समिति द्वारा बिना बिकी हुई टिकटों की वास्तविक जांच के परिणामस्वरूप कोई भी विसंगति सामने नहीं आई थी।

अकाल संहिता का संशोधन

1090. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ब्रिटिश शासन के पुराने "अकाल संहिता" में जो प्राकृतिक विपदाओं के मौके पर कृषक-विरोधी सिद्ध हो रहा है, अपयुक्त संशोधन करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने इसका अनुकूल उत्तर दिया है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार नें राज्य सरकारों के विचारार्थ कोई आदर्श "राष्ट्रीय अकाल संहिता" तैयार की है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार संविधान में "संवर्ती सूची" का संशोधन करने का है ताकि एक समान "राष्ट्रीय अकाल संहिता" हो; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1980 के दौरान राज्य सरकारों को अपनी राहत नियम-पुस्तिका अद्यतन करने या जहां ऐसी नियम-पुस्तिका नहीं हैं वहां नई राहत नियम-पुस्तिका तैयार करने के लिए लिखा था।

(ख) तथा (ग) बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे अपनी वर्तमान नियम-पुस्तिकाओं को अद्यतन कर रहे हैं। अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नई राहत नियम पुस्तिका तैयार करने तथावर्तमान राहत नियम/पुस्तिका की संवीक्षा करने/अद्यतन करने के लिए केवल

मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं इन्हें राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था जैसाकि प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित है।

(ङ) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है, क्योंकि एक समान राहत संहिता विभिन्न राज्यों की विभिन्न किस्म की प्राकृतिक आपदाओं की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती।

आश्वस्त सिंचाई सुविधा वाली कृषि भूमि

1091. **श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि भूमि का राज्यवार कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1984 तक छः पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत कृषि भूमि में आश्वस्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त किये गए; और

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के लिए अद्यतन वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निबल बुवाई क्षेत्र, निबल सिंचित क्षेत्र तथा निबल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निबल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के अनंतिम राज्यवार आंकड़ों सम्बन्धी विवरण संलग्न है। जबकि प्रथम योजना के आरम्भ में निबल सिंचाई क्षेत्र, उस समय के 118.75 मिलियन हैक्टेयर के निबल बुवाई क्षेत्र का 17.5 प्रतिशत आंका गया था, 1980-81 तक यह बढ़कर 140.27 मिलियन हैक्टेयर के निबल बुवाई क्षेत्र का 27.7 प्रतिशत हो गया।

(ग) और (घ) मुख्यः निम्न कारणों से लक्ष्यों की तुलना में निष्पत्ति पिछड़ गई :-

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं का अधिक मात्रा में होना जिससे उन्हें वित्तीय, प्रबन्धकीय, सामग्री तथा तकनीकी संसाधन आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जा सके; (2) मजदूरी, सामग्री उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जों, भूमि इत्यादि की कीमत में वृद्धि के कारण परियोजनाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि होना; (3) कुछेक परियोजनाओं का हाथ में लेने से पूर्व उनके लिए अपर्याप्त जांच करना, जिसके कारण लागत तथा मात्रा का कम अनुमान लगाया जाना; (4) भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां तथा (5) सीमेंट, इस्पात, विस्फोटकों, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि सामग्री की अनुपलब्धता।

उपर्युक्त को देखते हुए, किसी एक कारण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार. निबल सिंचत, निबल बुवाई क्षेत्र-1980-81

(अनंतिम)

राज्य	निबल बुवाई क्षेत्र क्षेत्र	निबल सिंचित क्षेत्र	निबल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निबल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10738	3462	32.2
असम*	2655	572	21.5
बिहार	8315	2953	35.5
गुजरात	9576	2003	20.9
हरियाणा	3602	2134	59.2
हिमाचल प्रदेश	572	92	16.1
जम्मू व कश्मीर	715	304	42.5
कर्नाटक	9899	1361	13.8
केरल	2180	238	10.9
मध्य प्रदेश	18702	2332	12.5
महाराष्ट्र*	18299	1927	10.5
मणिपुर*	140	65	46.4
मेघालय*	193	48	24.9
नागालैंड	148	59	39.9
उड़ीसा	6130	1215	19.8
पंजाब	4191	3382	80.7
राजस्थान	15268	2983	19.5
सिक्किम	86	10	11.6

1	2	3	4
तमिलनाडु	5360	2570	48.0
त्रिपुरा*	246	29	11.8
उत्तर प्रदेश	17221	9453	54.9
पश्चिम बंगाल*	5565	1489	26.8
अखिल भारत	140270	38805	27.7

* वर्ष 1980-81 के लिए आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, अद्यतन उपलब्ध सूचना का उपयोग किया गया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1092. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विकास खंडों में प्रधान मन्त्री द्वारा 15 अगस्त, 1983 को घोषित "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" को लागू किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक देश में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा उन्हें कुल कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना ऋण वितरण किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम देश भर में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक निर्धारित फार्मूलों के आधार पर राज्य-वार आबंटन किए जाते हैं, न कि जिला अथवा खंड-वार। परियोजनाएं तैयार करते समय राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन क्षेत्रों को शामिल करें; जहां भूमिहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मजदूरों की संख्या अधिक है, तथा जहां बंधुआ मजदूर तथा कम मजदूरी दिये जाने की शिकायतें हैं।

(ख) इस समय, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित हुए श्रमदिनों की संख्या का ब्यौरा रखा जाता है, न कि उन व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार, 1983-84 तथा 1984-85 की प्रथम तिमाही के दौरान क्रमशः लगभग 52.64 तथा 102.68 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण वितरण किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

खाने के तेलों का उत्पादन बढ़ाना

1093. **श्री रशीद मसूद :**

प्रो. अजित कुमार मेहता

श्री बी. डी. सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से अब तक खानें के तेलों की मांग में, इनके घरेलू उत्पादन की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए, उक्त अवधि के दौरान वर्ष वार कितनी मात्रा में और कितने रुपये मूल्य के खाने के तेलों का आयात किया गया;

(ख) अगले 3/4 वर्षों के दौरान खाने के तेलों की मांग में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है तथा इसकी तुलना में इनके घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इसका अनुमानत: कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत में विश्व में सबसे अधिक भूमि पर तिलहनों की खेती की जाती है तथापि चीन, अमरीका तथा अन्य देशों के मुकाबले यहां तिलहनों की पैदावार कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और खाने के तेलों का आयात न्यूनतम करने तथा देश के भीतर से ही अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के ही द्वारा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय, अगले 3/4 वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की संभावित मांग तथा उनका संभावित उत्पादन सही-सही बता सकना संभव नहीं है। सरकार द्वारा आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय, देश में खाद्य तेलों के उत्पादन, खाद्य तेलों की मांग, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मूल्यों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है। इस प्रकार अगले 3/4 वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय इन बातों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) भारत में तिलहन की अधिकांश फसलें छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा जिनके पास थोड़े साधन होते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हुए उगाई जाती है, अत: तिलहनों की उपज कम होती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :-

(1) तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषिकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) गैर पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

विवरण

1977-78 से खाद्य तेलों की मांग, खाद्य तेलों का उत्पादन, खाद्य तेलों की आयात की गयी मात्रा और आयातित खाद्य तेलों का मूल्य का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)	खाद्य तेलों की मांग	खाद्य तेलों का उत्पादन	आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा	आयातित खाद्य तेलों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
		(लाख मी. टन में)		
1977-78	33.42	26.16	*	*
1978-79	35.91	27.57	8.21	479.83
1979-80	36.45	24.08	11.49	617.18
1980-81	38.05	25.50	10.74	516.00
1981-82	39.71	32.20	9.98	449.69
1982-83	41.43	28.50	11.50	504.46
1983-84	45.00	33.00 (लक्ष्य)	9.81 (जून, 84 तक)	764.76

*दिसम्बर, 1978 से खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है।

बांधों से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण दामोदर घाटी में बाढ़

1094. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंचेट और मैथन बांधों से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पिछले दो मास के दौरान दामोदर घाटी के निचले क्षेत्र में आयी विनाशकारी बाढ़ की जानकारी है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि हुगली, हावड़ा, बर्दवान, नाडिया और मिदनापुर जिलों में विभिन्न फसलों को 70 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है तथा लाखों लोग बेघर हो गए हैं; और

(ग) क्या दामोदर घाटी परियोजना का बाढ़ नियन्त्रण पहलु बिल्कुल असफल रहा है और दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिरोध की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वर्षा होने के परिणामस्वरुप दामोदर घाटी में भारी बाढ़े आई तथा इस अवधि के दौरान दामोदर घाटी निगम जलाशयों ने बांधों के पीछे जल रोककर बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की मदद की है।

(ग) दामोदर घाटी निगम के चार जल-भण्डारण जलाशय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए यथासंभव पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम के जलाशयों द्वारा बाढ़ों के नियन्त्रण, बाढ़ों से हुए नुकसान को कम करने के लिए निम्न दामोदर बेसिन में बाढ़ के मैदानों में अनधिकृत कब्जे पर प्रतिबन्धों तथा गंभीर जल-जमाव की समस्या को हल करने पर भी पश्चिम-बंगाल सरकार द्वारा विचार करना अपेक्षित है।

अनाज उत्पादन के लिए सुविधाएं

1095. **श्री जी. भूपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज सहायता, सिंचाई सुविधाओं और वैज्ञानिक आधार पर खेती के रूप में कोई सुविधा/सुविधाएं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) देश में धान्यों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को अनेक सुविधायें प्रदान कर रही हैं।

(1) किसानों को चावल, गेहूँ और मोटे धान्यों के अनेक मिनिकिट नि:शुल्क वितरित किये जाते हैं।

(2) ऐसे किसानों के लिए, जिनके पास अपने सिचाई साधन नहीं हैं, चावल सामुदायिक पौधशालाओं को तैयार करने तथा पौदो को कृषको द्वारा आपस में शेयर करने के लिए प्रति हैक्टार 1500 रुपये के हिसाब से राजसहायता दी जाती है।

(3) जनजातीय क्षेत्रों में मक्का की खेती की उन्नत पद्धति को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से मक्का प्रदर्शन शुरू करने के लिए किसानों को प्रति हैक्टार 815 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

(4) विभिन्न राज्यों से अनेकों विस्तार अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष धान्यों की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण दिया जाता है जो बाद में स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित करते हैं।

(5) कीट-कृमि रोगों और खरपतवार को रोकने के लिए कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग को शुरू करने के लिए किसानों को कीट नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत राजसहायता प्रदान की जाती है।

(6) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत आई.आर.डी.पी. प्रतिमान के अनुसार लघु सिंचाई योजना के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है। लघु सिंचाई निर्माण कार्यों पर 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है।

छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने तथा उठाऊ तरीकों के माध्यम से गैर-परम्परागत ऊर्जा, स्त्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए 20 से 75 प्रतिशत के बीच राजसहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करना

1096. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में जमीन की पट्टा प्रणाली को समाप्त करने और संघ क्षेत्र दिल्ली में सारी जमीन को पट्टा प्रणाली से मुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो कब तक कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों से संबंधित पट्टाधारिता पद्धति के उन्मूलन या संशोधन के प्रश्न की विभिन्न पहलुओं और भू—धृति पद्धति पर सम्भावित प्रतिक्रियाओं तथा समाजिक और वित्तीय फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं कि कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

साउथ एवेन्यू में सर्वेंटक्वार्टरों की दयनीय दशा

1097. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों से सम्बद्ध सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली की इतनी खराब फिटिंग की गई है कि उसमें बार-बार खराबियां उत्पन्न होती रहती हैं और अनेक बार शिकायतें करने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया जाता है तथा वहां शौचालय, स्नानगृह और छतें भी साफ नहीं की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वे गन्दे रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार ने कोई जांच नहीं की है। साउथ एवेन्यू के सर्वेंट क्वार्टरों में 1979-80 में पुनः वायरिंग की गई थी। वायरिंग तथा फिटिंग दोषपूर्ण नहीं है। इन क्वार्टरों का निर्माण 4 या 5 व्यक्तियों वाले परिवार के रहने लायक किया गया है। इन क्वार्टरों में रह रहे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या काफी अधिक है। क्वार्टरों में रहने वाले वायरिंग के साथ छेड़ छाड़ करते हैं और विद्युत स्टोवों, विद्युत हीटरों आदि जैसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जिनके लिए वायरिंग नहीं की गई है। इससे बिजली गुल होने तथा खराबियों की शिकायतों में वृद्धि होती है। सामान्यतः इन शिकायतों को शीघ्र दूर किया जाता है।

सामूहिक शौचालयों, स्नानागृहों तथा छतों की नियमित रूप से सफाई की जाती है तथा उनका उचित रूप से अनुरक्षण किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे पोली-पैकों में वनस्पति घी का उत्पादन

1098. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों के पुनरीक्षण के बावजूद उपभोक्ताओं को छोटे पैकों (टिन) में रथ वनस्पति घी खरीदने पर विवश किया जा रहा है; जिनका मूल्य पोली-पैकों, जिनका उत्पादन निर्माता द्वारा व्यापारिक कारणों से काफी कम कर दिया गया है, से लगभग 3 रुपये प्रति किलो अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निर्माताओं को टिन पैकों की बजाय छोटे पोली-पैक अधिक तैयार करने के निर्देश देने का विचार है; और

(ग) क्या 1 जून, 1984 से आज तक तैयार किये गये 2 और 5 किलो के टिन और पोली पैकों को संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं। तथापि, 5 किलो ग्राम के टीन और पोली-पैकों के मूल्यों में 3 रुपये का अन्तर है।

(ख) इस सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"प्रोड्यूसर्स वार्न्ड आफ वनस्पति शार्टेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1099 **डा. ए.यू. आजमी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में, विभिन्न कारणों से वनस्पति निर्माता कारखानों के बन्द होने के कारण "प्रोड्यूसर्स वार्न्ड आफ वनस्पति शार्टेज" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) स्थिति का सामना करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गये हैं :—

(1) अगस्त, 1984 से वाणिज्यिक दर पर आवंटन बढ़ाकर 20% तक करना।

(2) उप्रयुक्त क्षमता तथा कम उत्पादन वाले एककों को आयातित तेल का अधिक आबटन करना।

(3) प्रत्येक यूनिट की दो सप्ताहों तक की आवश्यकताओं के लिए रिजर्व स्टाक के रूप में आयातित तेल का आबंटन करना ताकि आयातित तेल की सप्लाई में अस्थायी व्यवधान आने पर उसका उपयोग किया जा सके।

(4) राज्य व्यापार निगम को सलाह दी गई है कि वे आयात तथा आयातित तेल के संचालन के लिए निरन्तर एक नियमित अन्तराल से योजना बनायें, ताकि देश भर में राज्य व्यापार निगम के डिपुओं में स्टाक की स्थिति आसान बनी रहे।

(5) वनस्पति एककों द्वारा आयातित तेल उठाने के कार्य को अप्रवाही बनाया गया है।

(6) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि वनस्पति उद्योग को बिजली की कटौती/लोड शेडिंग आदि से मुक्त रखा जाये।

(7) राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले कारखानों से वनस्पति की (उत्पादन के 30% तक) वसूली करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसके वितरण की व्यवस्था करें।

(8) वनस्पति के उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तरविभागीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठकें आयोजित करना।

उड़ीसा को अन्न भंडारों के लिए विश्व बैंक से सहायता

1100. **डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा के विभिन्न भागों में अन्न भंडारों का निर्माण करने के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों/अन्न भंडारों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कोई विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है; और

(ग) इस काम के किस तारीख तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम—1 परियोजना, जो 1979-80 से चल रही है के तहत उड़ीसा में 958 ग्रामीण (जिसमें 200 पुराने गोदामों की पुनर्स्थापना शामिल है) और 1.66 लाख मीटरी टन की कुल भण्डारण क्षमता से 227 विपणन गोदाम बनाए जा रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम—3 परियोजना जो 1.7.1984 से चल रही है के तहत उड़ीसा में 2.626 लाख मीटरी टन की कुल क्षमता से नया ग्रामीण तथा 484 विपणन गोदाम निर्माण करने का विचार है। यह कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेष प्रस्तावों पर आधारित है।

मोतियाखान में दुकानों का गिराया जाना

1101. **श्री अनवार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** मोतियाखान में दुकानें गिराए जाने के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या शेष दुकानदारों को दुकान/प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों का क्षतिग्रस्त होना

1102. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले स्थानों में रखे जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम के भारी मात्रा में खाद्यान्न प्रति वर्ष क्षतिग्रस्त हो जाते है; ।

(ख) इस वर्ष खाद्यान्नों की कितनी अनुमानित मात्रा खुले स्थानों में रखी गई है;

(ग) खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के मामलों में कोई उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) खुले भण्डारण में पड़े हुए खाद्यान्नों के स्टाक को कुछ क्षति पहुंचती है।

(ख) 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार 9.26 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों को खुले (कैप) में रखा गया है।

(ग) कैप भण्डारण के अधीन रखे गये स्टाक को क्षति से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(1) तल से क्षति को रोकने के लिए भूमि-स्तर से काफी ऊपर बनाई गई निभार सामग्री के ऊपर खाद्यान्नों के स्टाक रखे जाते हैं।

(2) गुम्बद के आकार के चट्टे लगाये जाते हैं ताकि शिखर पर पानी के जमाव अथवा साइडों से टपकन को रोका जा सके।

(3) स्टाक को पोलीथीन की चादरों से उचित ढंग से ढ़का जाता है ताकि स्टाक को वर्षा से बचाया जा सके; पोलीथीन की चादरों पर पोलीथीन के जाल अथवा कवर टाप्स बिछाये जाते हैं अथवा और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्हें ठीक ढंग से बांधा जाता है।

(4) धूपदार दिनों में स्टाक को उचित वातन दिया जाता है।

(5) योग्य तकनीकी स्टाफ द्वारा स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

(घ) खुले भण्डारण में हुई क्षति के प्रत्येक कारण की जांच की जाती है और जहाँ यह क्षति स्टाफ की चूक के कारण हुई पायी जाती है तो उस दशा में प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाती है।

तिलहनों की खेती का क्षेत्र

1103. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः कितने क्षेत्र में तिलहनों की खेती की जाती है और इसमें से सिंचित भूमि की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) तिलहनों के उत्पादन में सिंचाई की कमी कितनी बाधक है और सरकार ने अब तक इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में नौ तिलहनों के अन्तर्गत अनुमानतः लगभग 191 लाख हैक्टार क्षेत्र है। तिलहनों के अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का लगभग 14.3 प्रतिशत सिंचित्त क्षेत्र है।

(ख) सिंचाई सुविधाओं की कमी की वजह से तिलहन उत्पादन में रुकावट पैदा होती है। इस रुकावट पर काबू पाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। तिलहनों की खेती का नये सिंचित क्षेत्रों में विस्तार करना और मौजूदा सिंचित क्षेत्रों में अनुशंसित पैकेज पद्धतियां अपनाकर तिलहनों की, विशेषकर रबी/ग्रीष्मकालीन मूंगफली की उत्पादकता में वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनायी जाने वाली नीति के प्रमुख घटक हैं। गुजरात में मुंगफली की विशेष परियोजना के तहत, खरीफ और रबी/ग्रीष्मकालीन सिंचाई और छिड़काव सेटों के लिए राजसहायता दी जाती है। भारत सरकार अप्रैल, 1984 से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के तहत गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में खरीफ और रबी/ग्रीष्मकालीन मूंगफली की सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त राज्यों में इस परियोजना के अन्तर्गत छिड़काव सेटों के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

एथिलेन डीब्रोमाइड का आयात

1104. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री कृमिनाशक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के बारे में 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5874 और खाद्यान्नों की फ्यूमिगशन करने के लिए एथिलेन डीब्रोमाइड के प्रयोग के बारे में 7 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10113 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में आयायित खाद्यान्न के गोदाम में डी. सी. आई. एस. के रिकार्ड या अन्यथा रिकार्ड के अनुसार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के एथिलेन डीब्रोमाइड का धूनक के रूप में प्रयोग किया गया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के लिए आयात लाइसेंस जारी किए गए और लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक लाइसेंस किए प्रयोजन के लिए दिया गया; और

(ग) आयात नीति के वे संबंधित उपबन्ध क्या हैं, जिनके आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे आयात किए गए ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस संजीवी राव) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन सहित खाद्य विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने इस्तेमाल के लिए ई. डी. बी. की मात्रा आयात नहीं की है।

चीनी-उत्पादक राज्यों को खरीद कर में छूट

1105. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी उद्योग के लिए राज्यों को ऋण, अनुदान या राजसहायता के रूप में दी गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अतिरिक्त चीनी उद्योग को खरीद कर में भी छूट दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो देश के प्रत्येक चीनी उत्पादक राज्य में खरीदकर की दर क्या है और रियायत के रूप में प्रत्येक राज्य को कितनी छूट दी गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस संजीवी राव) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी उद्योग के लिए राज्य सरकारों को कोई आवधिक ऋण, अनुदान अथवा राजसहायता सुलभ नहीं की गई है। तथापि, 1982-83 मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य की अधिक

बकाया राशि होने होने के संदर्भ में "अर्थोपाय" अग्रिम राशि दी गई थी; जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

उत्तर प्रदेश	—	40 करोड़ रुपये
बिहार	—	5 करोड़ रुपये
आन्ध्र प्रदेश	—	15 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) गन्ने पर क्रय कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और करों में छूट देने का कार्य पूर्णतया उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। क्रय कर आदि की दरों के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा 1983-84 के लिए भेजी गई गन्ने, आदि पर क्रय कर की दरें

राज्य	क्रय कर	(रुपये/क्विंटल)
1	2	
1. पंजाब	6%	
2. हरियाणा	1·50	
3. राजस्थान	—	
4. उत्तर प्रदेश	1.25	
5. बिहार	1.00 **	
6. गुजरात	मूल्य पर 8.8%	
7. मध्य प्रदेश	मूल्य पर 3.5%	
8. महाराष्ट्र	1.66%	
9. कर्नाटक	1.76%	
10. आन्ध्र प्रदेश	1.60%	
11. तमिनाडु	मूल्य पर 12.7%	
12. पांडिचेरी	मूल्य पर 10%	
13. असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड	शून्य	

1	2
14. केरल	मूल्य पर 5.15%
15. गोवा	शून्य

टिप्पणियां : (1) ** बिहार में, समय-समय पर यथासंशोधन बिहार गन्ना (आपूर्ति और क्रय का विनियमन) अध्यादेश 1974 के अन्तर्गत गन्ने पर क्रय कर 1/-रुपया प्रति क्विंटल है । इसके अतिरिक्त, यदि गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के अलावा अन्य स्रोतों से गन्ना खरीदा जाता है और उस पर कोई बिक्री कर नहीं दिया गया है अथवा देय है और गन्ने का इस्तेमाल उत्पादन के लिए किया जाता है या किसी अन्य तरीके से उसका निपटान किया जाता है तो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 9 प्रतिशत की दर पर बिक्री कर देय है।

(2) उन राज्यों के मामले में जिन्होंने 1983-84 की सूचना नहीं भेजी है, 1983-84 से पहले की अद्यतन सूचना दी गई है।

(3) केन्द्रीद सरकार की जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 1983-84 के दौरान गन्ने पर बिक्री कर से छूट दी है। राज्य द्वारा फैक्ट्रियों को दी गई छूट की मात्रा ज्ञात नहीं है। क्रय कर से छूट देने के बारे में किसी अन्य राज्य ने केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया है।

वर्ष 1984–85 में सिंचाई परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को आबंटित धनराशि

1106 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उड़ीसा में उन बड़ी और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय सहायता मिल रही है; और

(ग) तत्संबंधी उक्त ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष (1984-85) में उड़ीसा का अनुमोदित परिव्यय 86.00 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) (केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को योजनागत कार्यकलापों के लिए

वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और विकास के किसी विशेष सेक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती। तथापि, पोत्तेरू सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसे पहले के पूर्वी बंगाल के विस्थापितों तथा जनजातियों के पुनर्वास के लिए, उड़ीसा सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए 550 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

चावल उत्पादन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

1107. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**

डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिए, अल्पावधि की केन्द्रीय ऋण सहायता मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए इस प्रकार की ऋण सहायता मंजूर की गई हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) उक्त विशेष चावल योजना के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्यों के नाम और उनमें से प्रत्येक राज्य को स्वीकृत ऋण की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) चावल उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत असम, बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों सहायक अनुदान के रूप में 5.06 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है ताकि वे 51 चुनीदां खण्डों में उन्नत बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण उपायों और कृषि मशीनरी जैसे भिन्न आदानों के उपयोग में वृद्धि कर सकें और अन्य कार्य जैसे भूमि विकास और बांध बनाना तथा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना और उत्पादन की उन्नत पद्धतियों में किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाओं को गैर-अतिदेय की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं ताकि वे 51 चुनीदां खण्डों में अपने ऋण का वितरण तेजी से कर सकें।

विवरण

राज्यों के नाम और 1984-85 के दौरान चावल उगाने वाले संबंधित राज्यों को स्वीकृत अल्पावधि ऋण की धनराशि

(रुपये करोड़ में)

राज्य का नाम	पहले स्वीकृत अल्पावधि ऋण	पता लगाये गये खण्डों के लिये स्वीकृत अतिरिक्त अल्पावधि ऋण	कुल स्वीकृति
असम	3.45	0.40	3.85
बिहार	8.05	1.00	9.05
मध्य प्रदेश	15.60	0.90	16.50
उड़ीसा	7.50	0.70	8.20
उत्तर प्रदेश	17.50	1.00	18.50
पश्चिम बंगाल	8.00	1.00	9.00
कुल :	60.10	5.00	65.10

उड़ीसा में रोलिंग फ्लोर मिलों को गेहूं के आबंटन में कमी करना

1108. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1980 से रोलिंग फ्लोर मिलों और चक्कियों को केन्द्रीय पूल से गेहूं के आबंटन को 26,130 मीटरी टन घटाकर 12,306 मीटरी टन कर दिया था;

(ख) क्या उसके बाद के वर्षों में केन्द्रीय आबंटन को आगे और कम कर दिया गया है।

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा को गेहूँ का कोटा कम कर देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को केन्द्रीय पुल से रोलिंग फ्लोर मिलों और चक्कियों के लिये गेहूँ के कोटे में कमी कर देने के कारण उड़ीसा सरकार को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में उक्त आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां। अगस्त, 1980 में उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के गेहूं के आबंटन को युक्तियुक्त कर दिया गया था।

(ख) उड़ीसा को रोलर फ्लोर मिलों के लिये गेहूं के आबंटन को अगस्त से दिसम्बर, 1980 के दौरान पुन: युक्तियुक्त कर दिया गया था और जनवरी, 1981 तथा उसके बाद से, 7,600 मीटरी टन का आबंटन अन्तिम रूप से नियत कर दिया गया था। तथापि, जनवरी, 1984 से आबंटन बढ़ाकर 9,100 मीटरी टन कर दिया गया है।

(ग) 1980 में आबंटनों को इसलिये युक्तियुक्त करना पड़ा था क्योंकि रोलर फ्लोर मिलों को किए गये आबंटन तथा उनके द्वारा इसके वास्तविक उपयोग में बहुत अन्तर था।

(घ) और (ङ) मई, 1983 में उड़ीसा सरकार ने रोलर फ्लोर मिलों के मासिक आबंटन को बढ़ाकर कम से कम 10,000 मीटरी टन कर देने के लिए अनुरोध किया था। जनवरी, 1984 से आबंटन को बढ़ाकर अब 9,100 मीटरी टन प्रति माह कर दिया गया है और बढ़े हुए स्तर को 1984-85 के दौरान भी बनाये रखा जा रहा है। तथापि, उठान की मात्रा आबंटन से कम है।

स्टेडियमों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

1109. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टेडियमों के निर्माण के लिये राज्य को धनराशि उपलब्ध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस कार्य के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी है;

(ग) केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा में कितने स्टेडियम बनाने का विचार है;

(घ) इनमें से प्रत्येक स्टेडियम के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) केन्द्र ने उड़ीसा में इन स्टेडियमों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री अशोक गहलोत : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेडियमों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को मुक्त किए गए अनुदानों की राशि नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि
1981-82	31,57,685/- रुपये
1982-83	27,72,500/- रुपये
1983-84	39,54,250/- रुपये

(ग) उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से सात स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

(घ) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में अप्रैल, 1981 से मार्च, 1984 के दौरान स्टेडियमों के निर्माण के लिये अनुदानों के ब्यौरे

क्रम सं.	निर्माणाधीन स्टेडियमों के ब्यौरे	अनुमानित लागत	(राशि रुपयों में) केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे	
			स्वीकार्य अनुदान	मुक्त अनुदान
1.	भद्रक में स्टेडियम	48,00.000	1,00,000	1,00,000
2.	कंताबन्जी में स्टेडियम	26,60,000	1,00,000	1,00,000
3.	भुवनेश्वर में खेल परिसर	6,63,00,000	5,00,000	2,50,000*
4.	धेंकानाल में उपयोगिता (यूटिलिटी) स्टेडियम	12,70,000	1,00,000	50,000** (द्वितीय और अन्तिम किश्त)
5.	छत्रपुर में स्टेडियम	13,96,925	1,00,000	50,000*
6.	अथगढ़ में ग्रामीण स्टेडियम	5,80,389	1,00,000	50,000*
7.	बेरहामपुर में स्टेडियम	60,00,000	1,00,000	50,000*

*उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर ही शेष राशि मुक्त की जानी है।

**क्योंकि पहले 50,000 रुपये मुक्त किए गए थे, इसलिए पूरी संस्वीकृत राशि मुक्त की गई है।

सामाजिक वानिकी पर "स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा) प्रोग्राम" से वन्य जीवन का अध्याय गायब होना

1110. **श्री के. प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलेपमेंट एजेंसी" (सीडा) द्वारा सहायता प्राप्त "सामाजिक वानिकी परियोजना" में से "वन्यजीवन" अध्याय गायब है;

(ख) क्या उड़ीसा में वन्यजीवन प्रेमियों में "स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी" (सीडा) की सहायता से परियोजना तैयार करते समय वन्य जीवन के हितों के प्रति दर्शाई गई उदासीनता के प्रति कटुता व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ईंधन की लकड़ी और छोटी लकड़ी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपर्युक्त परियोजना के क्षेत्र का अब पेड़ों की ऐसी प्रजाति का चयन करके जो मानव और पशुओं दोनों के लिए उपयोगी हो सकें, वन्यजीवन के हितों को शामिल करने के लिये विस्तार किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना का उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी और लघु वन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना है। "वन्यजीवन" पर कोई अलग अध्याय नहीं है।

(ख) भारत सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई है।

(ग) उपरोक्त (क) पर दी गई जरूरतों को मुहैया कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परियोजना के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों की प्रजातियों का चयन ग्रामीणों की तरजीह के अनुसार किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की उपलब्धियों का मूल्यांकन

1111. **श्री के. प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उपलब्धियों का अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा इन कार्यक्रमों से अनुसूचित जन-जातियों के परिवारों को प्रत्यक्ष रूप में क्या लाभ हुआ है; और

(ग) उड़ीसा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि

का वार्षिक आबंटन किया गया तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच इसके वितरण का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन इस समय उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के परिणामों के मिलने में कुछ समय लगेगा। जहाँ तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, अभी तक कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल कुछ समय पहले ही शुरू किया गया था।

(ग) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का 10 प्रतिशत उन कार्यों के लिये निर्धारित किया जाता है जिनसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, किन्तु राज्य सरकारें इन कार्यों पर और अधिक धन खर्च कर सकती हैं। 1980-81 से 1984-85 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य-के अन्तर्गत उड़ीसा को किया गया आबंटन इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन (रुपये लाख में)
1980-81	2117.25
1981-82	820.00
1982-83	865.00
1983-84	910.00
1984-85	1036.00

उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, 1982-83 और 1983-84 में राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का क्रमशः 62.56 प्रतिशत और 5[illegible] प्रतिशत अंश है।

दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1112. **श्री के प्रधानी :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई और उन निर्णयों से क्या मुख्य तथा संदर्भित मुद्दे निकले ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : अगस्त 1983 में नई

दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सहयोग के स्वीकृत क्षेत्रों में कार्रवाई सम्बन्धी समन्वित कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसमें ग्रामीण विकास भी शामिल था।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, ग्रामीण विकास की तकनीकी समिति की जनवरी, 1984 में बैठक हुई तथा मुख्य मुद्दों और संदर्भित मुद्दों का चयन किया गया। भारत के लिये, ग्रामीण विकास मंत्रालय का चयन मुख्य मुद्दे के रूप में किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद् का चयन संदर्भित मुद्दों के रूप में किया गया है।

तकनीकी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर भारत ने मार्च, 1984 में "पावर्टी फोकस्ड रूरल "डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी" पर एक कार्यशाला आयोजित की है। भारत ने जून, 1984 में बांगला देश में आयोजित "प्राब्लम एण्ड प्रोस्पेक्ट्स आफ लिंकेजिज आफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च" पर एस. ए. आर. सी. कार्यशाला में भी भाग लिया।

उड़ीसा को खाद्य तेलों और खाद्यान्नों का आवंटन

1113. **श्री के. प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को चालू वर्ष के दौरान सप्लाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों और खाद्यान्नों का कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) उक्त आवंटन राज्य की मांग से कितना कम है और वहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली बहुत बड़ी आबादी को देखते हुए इस अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) वर्ष 1984 (जनवरी, 84 से अगस्त, 84 तक) के दौरान उड़ीसा सरकार को विभिन्न प्रकार के आयातित खाद्य तेलों और तथा खाद्यान्नों की निम्नांकित मात्रा आवंटित की गई थी :—

तेल का नाम	(मात्रा मीटरी टन में) जनवरी, 84 से अगस्त, 1984 तक आवंटित आयतित खाद्य तेलों की मात्रा
रेपसीड तेल (परि०)	21,700 मी० टन
पामोलीन	2,900 मी० टन
सोयाबीन का तेल (परि०)	1,300 मी० टन
आर. बी. डी. ताड़ का तेल	600 मी० टन
योग	26,500 मी० टन

खाद्यान्नों का नाम	(मात्रा हजार मी. टन में) जनवरी, 84 से अगस्त, 84 तक आवंटित मात्रा
चावल	43.0
गेहूँ	144.0

(ख) केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को आयतित खाद्य तेलों और खाद्यान्नों का किया जाने वाला आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है। ये किसी राज्य विशेष की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिये नहीं होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिये राज्य सरकारों को खाद्यान्नों तथा आयातित खाद्य तेलों का किया जाने वाला आवंटन मासानुमास आधार पर किया जाता है तथा इसकी मात्रा का निश्चय राज्य द्वारा की जाने वाली माग के यथार्थपरक अनुमान राज्य की मंडियों में उनकी उपलभ्यता तथा केन्द्रीय पूल में भण्डारों की उपलभ्यता ध्यान में रखकर किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों तथा खाद्यान्नों के आवंटन का निर्णय करने में आबादी को मानदन्ड नहीं माना जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में भंडार के लिए अधिक स्थान प्रदान किया जाना

1114. **श्री ए. नीलोलोहित दसन नाडार :**

श्री पी.जे. कुरियन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में भंडारण के लिए अधिक स्थान प्रदान किये जाने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम. एम. संजीवी राव) : (क) और (ख) हाल ही में केरल सरकार ने अपने राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10.0 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने के लिए अनुरोध किया है। यह मामला निगम के विचाराधीन है।

खेलों से विदा लेने के बाद खिलाड़ियों को सहायता

1115. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक प्रसिद्ध खिलाड़ियों को खेल से विदा लेने के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी सहायता के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) कभी कभी कुछ परिस्थितियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा व्यक्त की गई वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने को ध्यान में रखकर सरकार ने खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की है :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल खिलाडियों को चोट की किस्म के आधार पर गुण दोषों के आधार पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

2. ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाया है, और जो कठोर प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से बाद में विकलांग हो गये हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा द्वारा सहायता अथवा मासिक पेंशन द्वारा या दोनों के द्वारा उपयुक्त सहायता देना;

3. सामान्यत: अभावग्रस्त परिस्थितियों में खिलाड़ियों और उन पर आश्रितों के कष्टों को दूर करने को ध्यान में रखकर खिलाड़ियों के अधिक कल्याण के लिए कल्याण कोष का प्रशासन और उसे लागू करना; और

4. ऐसे सारे अन्य कार्य करने जो उपर्युक्त लक्ष्यों से संबंधित प्रासंगिक हैं।

राज्य सरकारों द्वारा लघु सिंचाई के उपकरणों और एककों की लागत को अन्तिम रूप देना

1116. **श्री एन. ई. हीरो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि लघु सिंचाई के आधार भूत उपकरणों और एककों की लागत के खंडवार कार्यक्रम और तकनीकी विशिष्टियों को अन्तिम रूप राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की सलाह से दिया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मान्यता इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मान दंडों के अनुरूप हो; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता देने के व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के संबंध में

जून, 1983 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में "नाबार्ड" में अगस्त 1983 में सभी बड़े-बड़े राज्यों के राज्य कृषि उत्पादन आयुक्तों को यह अनुरोध किया था कि "नाबार्ड" के क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से कुए की परिधि तथा गहराई, पम्पसेटों के आकार और लागत-सहित सहायक साधनों के विवरण जैसे ब्यौरे देते हुए वे ब्लाक-वार आधार लघु सिंचाई स्कीमें तैयार करें। तकनीकी पैरा-मीटरों तथा सुनिश्चित यूनिट लागतों के अनुरूप बैंकों द्वारा की गई अदायगी नाबार्ड से पुर्न-वित्त सहायता का पाईप हैं। नाबार्ड के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साह वर्द्धक रही है तथा कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने चालू वर्ष के दौरान बैंकों से संस्थागत सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है।

नदियों के पानी का उपयोग

1117. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नदियों में प्रति वर्ष लगभग 1440 एम. ए. एफ. पानी बहकर जाता है;

(ख) इसमें से कितने पानी का उपयोग किया जाता है और कितना पानी बहकर समुद्र में जा मिलता है; और

(ग) नदियों के पानी का और अधिक उपयोग करने के लिये राज्य-वार कितनी जल संग्रह क्षमता बनाई गई है;

(घ) समुद्र में बह जाने वाले नदियों के इस पानी से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है और कितनी बिजली पैदा की जा सकती है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) नदी प्रवाहों और झीलों तथा तालाबों के जल संसाधनों सहित भूतल-जल संसाधन लगभग 178 मिलियन हैक्टेयर मीटर (1440 मिलियन एकड़ फुट) आंके गये हैं। तथापि, कई सीमाबद्धताओं के कारण केवल लगभग 67 मिलियन हैक्टेयर मीटर (540 मिलियन एकड़ फुट) ही उपयोज्य हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस समय लगभग 27.1 मिलियन हैक्टेयर मीटर (220 मिलियन एकड़ फुट) भूतल जल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

बृहत तथा मध्यम परियोजनाओं की यथा-उपलब्ध राज्यवार भण्डारण क्षमता विवरण-एक में दी गई है।

उपयोज्य जल के बकाया से किस सीमा तक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा, यह तकनीकी आर्थिक महत्व, वास्तविक विकास के समय प्रौद्योगिकी की स्थिति और बड़े पैमाने पर अन्तर-बेसिन स्थानांतरण के संभावनाओं जैसे कारणों पर निर्भर करेगा।

विवरण

भारत में राज्यवार जल भण्डारण

क्रम सं०	राज्य	सक्रिय जल भण्डारण मिलियन क्यूबिक मीटर
1.	आंध्र प्रदेश	21591.38
2.	बिहार	4956.99
3.	गुजरात	13084.14
4.	हिमाचल प्रदेश	14513.44
5.	जम्मू और कश्मीर	0.49
6	कर्नाटक	16271.55
7	केरल	4018.79
8.	मध्य प्रदेश	13219.15
9.	महाराष्ट्र	17750.79
10.	मेघालय	475.91
11.	उड़ीसा	9790.17
12.	पंजाब	19.74
13.	राजस्थान	3694.41
14.	तमिलनाडु	5985.71
15.	उत्तर प्रदेश	16315.17
16.	पश्चिम बंगाल	1027.49
	कुल	142715.32 (114 मिलियन एकड़ फुट)

डी.डी.ए. द्वारा पट्टे पर दिए गए फ्लैटों की मरम्मत का काम किया जाना

1118. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. डी. ए. एक ऐसी प्रणाली शुरू करने वाला है जिसके अंतर्गत सहयोग

न करने वाले आबंटी के फ्लैट की मरम्मत का काम डी.डी.ए. पहले करेगा और उसके बाद सम्बन्धित व्यक्ति से लागत वसूल की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकर्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इससे अपने आवंटित फ्लैटों की मरम्मत के लिये कोई पद्धति तैयार नहीं की है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में औस की फसल को धक्का

1119. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस वर्ष औस की फसल को भारी धक्का लगा है;

(ख) क्या इस वर्ष पहले आई बाढ़ों से मुख्य नगद-फसल पटसन गम्भीर रूप से प्रभावित हुई थी; क्योंकि वे सभी जिले, जहां यह फसल बोई गई थी, जलमगन हो गये थे;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1984-85 में पूरे वर्ष कच्चे पटसन की कमी बने रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिन स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को क्या सहायता दी गई है और दिये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार औस और पटसन की फसल के अंतर्गत आने वाला कुछ क्षेत्र राज्य में हाल की बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पटसन की फसल को होने वाली क्षति का अनुमान अभी संभव नहीं है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान कच्चे पटसन का उत्पादन पिछले वर्ष के फलस्वरूप होने की संभावना है।

(घ) अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकार के पास 13.60 करोड़ रुपये की सीमान्त राशि है। तथापि इस राज्य को यह सलाह दी गई है कि वह अपने सीमान्त धन की सहायता से फसल की पुनस्थापना हेतु उपाय करें।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य उद्योग का विकास

1120. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उत्पादन और इसकी बढ़ती मांग में हाल ही में कमी आई है;

(ख) क्या मछली जो कि बहुत अधिक रुचिकर और पौष्टिक भोजन माना जाता है,

खासतौर पर देश के तटवर्ती क्षेत्रों में भूखे और अल्प-पोषित व्यक्तियों का पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो खासतौर पर पश्चिम बंगाल में मत्स्य उद्योग का विकास करने और लोगों द्वारा वहन किए जा सकने वाले मूल्य पर मछली का उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गिरावट आने की बजाये वर्ष 1983 में मछली के उत्पादन में 1982 के मुकाबले वृद्धि हुई है। राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़े संगणित किये जाने के आधार पर मंत्रालय के पास उपलब्ध पिछले दो वर्षों में भारत में मछली का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	मछली उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)
1982-83	23.35
1983-84 (अनुमान)	26.04

जन संख्या और उसकी आय में वृद्धि होने से मछली की मांग में वृद्धि होती जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में, मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. ऋण/राजसहायता के माध्यम से मत्स्यन जलयानों का यंत्रीकरण।
2. मात्स्यकी सर्वेक्षण में तेजी लाना व बड़े और लघु बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के विनिर्माण के लिये सहायता देना और लघु मत्स्यन केन्द्रों पर जहाज खड़ा करने और गोदी की सुविधाएं प्रदान करना।
3. भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनिमय) अधिनियम, 1981 को कार्यान्वित करना।
4. पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से जलाशयों और तालाबों में मछली पालन की अंतर्देशीय मात्स्यकी परियोजना का प्रचालन करना।

5. पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में मत्स्य-पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करना।

6. पश्चिम बंगाल में डिम्पोना विकास निगम की स्थापना करना।

7. सुन्दरबन में क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाकर खारे पानी में मछली/झींगा मछली पालन की योजना।

8. कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष की सहायता से सुन्दरबन विकास परियोजना में मात्स्यकी घटक को शामिल करना।

9. मिश्रित मत्स्यपालन शुरू करके तालाबों और जलाशयों की उत्पादकता बढ़ाना :

इन उपायों से उत्पादन में वृद्धि होने और उचित दामों पर मछली उपलब्ध होने की आशा है।

पटसन का खरीद मूल्य

1121. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री छीतू भाई गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अगले मौसम (1984-85) के लिए कच्चे पटसन (डब्ल्यू-5 किस्म) के लिए 185 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा कच्चे पटसन के मूल्य के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय इस बीच लिया गया है क्योंकि नया मौसम आरम्भ हो रहा है; और

(ग) यदि हां तो क्या और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और 1984-8 के मौसम के लिए असम में कच्चा पटसन डब्ल्यू-5 श्रेणी का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 195 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कच्चे पटसन की अन्य किस्मों के मूल्य सम्बद्ध बाजार अन्तरों को ध्यान में रखते हुए पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

"ब्लक मल वड शाषक के समाचार

1122. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जौलाई, 1084 के "पेट्रियट" में "ब्लैक मेल बिड" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जो मछली पकड़ने के बारे में उनके मंत्रालय की वर्तमान नीतियों से संबंधित है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कि हमारे सामुद्रिक संचालनों के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों को बड़े व्यापारिक हितों द्वारा विफल न किया जा सके;

(ग) क्या विदेशी चार्टरिंग लाबी द्वारा नीति को अपने वक्ष में परिवर्तित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) इस नीति के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि विदेशी चार्टर नौकाओं द्वारा और आगे हानि पहुंचाये जाने को रोका जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकार को सरकार की इस अधिसूचना कि "चार्टरित मत्स्यन जलयान प्रादेशिक जलक्षेत्र से आगे के क्षेत्र में अथवा 40 फैदम की, गहराई से अधिक गहरे क्षेत्र में, जो भी अधिक दूर हो, मछली पकड़ सकते हैं, के विरुद्ध जलयान चार्टर करने वाली कुछ भारतीय कम्पनियों तथा भारतीय मत्स्यन उद्योग संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों पर मामले के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(घ) चार्टर अनुज्ञा पत्रों के उल्लंघन के खिलाफ कोई निष्क्रियता नहीं बरती गई है।

(ङ) समुद्री संसाधनों को पहुंचने वाली किसी भी क्षति से बचने के लिए पहले ही निम्न लिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन), अधिनियम 1981 के तहत चोरी छिपे मछली पकड़े जाने के खिलाफ प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

2. चार्टर किये गये जलयानों को झींगा मछली पकडने की अनुमति नहीं दी गई है।

3. चार्टरित जलयान केवल प्रादेशिक जल क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में तथा 40 फैदम से अधिक गहराई वाले क्षेत्र में ही, इनमें से जो भी दूर हो, मछली पकड़ सकते हैं।

4. जलयान चार्टर करने वालों से उपयुक्त आकार के मछली पकड़ने वाले जालों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

चार्टर के अनुज्ञा-पत्र में मत्स्यन गियरों तथा किस्मों का उल्लेख किया जाता है।

उर्वरकों की कमी

1123. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बोआई के मौसम में उर्वरकों की अत्यधिक कमी अनुभव की गई थी और बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया किया गया;

(ख) क्या उर्वरक की कमी के कारण कुछ राज्यों में इसमें बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है;

(ग) क्या पुणे से एक रिपोर्ट प्रारम्भ हुई है जिसमें कहा गया है कि वहां पर नकली उर्वरक मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों को उर्वरकों में मिलावट रोकने के लिए कहा गया है;

(ङ) कौन से राज्यों में उर्वरकों का अभाव है ;

(च) किसानों को समय पर उर्वरक देने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(छ) खेती करने वाले प्रत्येक राज्य को जून और जौलाई, 1984 के महीनों में कितना उर्वरक दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्यों की चालू खरीफ 1984 के मौसम की मांगों को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर उर्वरकों की उपलब्धता अब तक संतोषजनक रही है। इसे स्वदेशी साधनों से सप्लाई और अपेक्षित मात्रा में आयात करके सुनिश्चित किया गया है।

(ख) उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) पुणे से भी नकली उर्वरकों की मौजूदगी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है किन्तु किसानों को बढ़िया किस्म के उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर देती रही है कि ध्यान में आने पर वे उर्वरकों में मिलावट या बिक्री में किसी प्रकार की धोखा-धड़ी के विरुद्ध प्रभावी कदम उठायें।

(ङ) 1984 के चालू खरीफ मौसम के दौरान अभी तक कुल मिलाकर उर्वरकों की उपलब्धता लगभग संतोषजनक रही है। तथापि, कुछ राज्यों जैसे असम, आन्ध्र प्रदेश, हरि-

याणा, कर्नाटक और बिहार ने खरीफ 1984 की शेष अवधि की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शीघ्रता से उर्वरकों की सप्लाई करने का अनुरोध किया है। इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है।

(च) किसानों को समय पर उर्वरकों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और उर्वरक सप्लायरों, अर्थात् स्वदेशी विनिर्माताओं और आयातित उर्वरकों की सम्भाल करने वालों को हिदायतें दी गई हैं कि राजकीय सस्थागत एजेन्सियों और बिक्री केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भण्डार बनाये रखे। केन्द्रों और राज्य दोनों स्तरों पर उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति की नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है और जहां कहीं भी अतिरिक्त सप्लाई की मांग होती है, इसे तुरन्त स्वदेशी स्रोतों और/अथवा आयातित स्टाक से पूरा किया जाता है।

(छ) अब तक मिली जानकारी के आधार पर जून और जुलाई, 1984 के दौरान की गई सप्लायी को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न है।

विवरण-1

जून, 1984 के दौरान की गई सप्लाई
(अब तक प्राप्त हुई सूचना के आधार पर)

(हजार मीटरी टन)

राज्य का नाम	एन	पी	के
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	45.92	33.98	18.03
2. कर्नाटक	20.07	21.12	6.80
3. केरल	5.76	2.76	7.19
4. तमिलनाडु	21.36	10.91	11.85
5. गुजरात	20.02	14.76	2.93
6. मध्य प्रदेश	23.79	10.71	2.19
7. महाराष्ट्र	65.19	15.99	7.03
8. राजस्थान	8.05	4.61	0.44
9. हरियाणा	20.52	5.95	0.62
10. पंजाब	43.92	3.00	1.01

1	2	3	4
11. उत्तर प्रदेश	89.53	10.74	2.34
12. हिमाचल प्रदेश	1.22	—	0.21
13. जम्मू व कश्मीर	2.75	—	0.13
14 असम	0.05	0.12	3.30
15. बिहार	15.37	4.07	1.65
16. उड़ीसा	1.39	1.13	0.30
17. पश्चिम बंगाल	6.42	3.17	3.23
18. त्रिपुरा	—	—	0.06
19. मेघालय	—	—	0.09
20. मणिपुर	—	—	—
21. नागालैंड	—	—	—
22 सिक्किम	—	—	—
योग	392.12	143.01	69.45

विवरण-2

अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर जुलाई, 1984 के दौरान की गई उर्वरकों की सप्लाई

(हजार मीटरी टन)

राज्य का नाम	एन	पी	के
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	13.77	3.11	1.76
2. कर्नाटक	2.00	0.11	0.02
3. केरल	0.89	1.56	3.48
4. तमिलनाडु	6.89	1.10	8.80

1	2	3	4
5. गुजरात	4.91	0.57	0.63
6. मध्य प्रदेश	4.93	0.66	0.38
7. महाराष्ट्र	7.64	1.65	6.76
8. राजस्थान	6.18	1.65	0.30
9. हरियाणा	3.36	0.01	—
10. पंजाब	42.76	0.10	—
11. उत्तर प्रदेश	20.56	0.3	0.96
12. हिमाचल प्रदेश	2.54	—	—
13. जम्मू व कश्मीर	1.77	—	—
14. असम	0.01	—	3.90
15. बिहार	9.37	3.68	1.92
16. उड़ीसा	0.69	0.46	—
17. पश्चिम बंगाल	3.48	0.55	4.32
18. त्रिपुरा	0.65	0.20	0.20
19. मेघालय	—	—	—
20. मणिपुर	0.07	—	—
21. नागालैंड	—	—	—
22. सिक्किम	—	—	—
जोड़	132.47	15.73	38.46

दक्षिण भारत में वनस्पति उद्योग शुरू करने पर प्रतिबन्ध

1124. **श्री पी. गोपाल नायडू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में वनस्पति-उद्योग शुरू करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी नहीं । तथापि, ऐसा उद्योग स्थापित करने के लिए आई. डी. आर. अधिनियम, 195! के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक होगा ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

1982-83 और 1983-84 के दौरान विदेश भेजी गई टीमें

1125. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 और 1983-84 के दौरान विभिन्न खेल खेलने के लिए विदेश भेजी गई भारतीय टीमों का निम्नलिखित जानकारी सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है :

(i) खेल का नाम ;

(ii) किन देशों की यात्रा की;

(iii) कितने मैच खेले गए और उनके परिणाम क्या रहे ;

(iv) प्रत्येक खेल पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(v) उससे क्या लाभ हुआ ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एजेन्ट के रूप में कार्य किया जाना

1126. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य माध्यम के रूप में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों की राज्य-वार कितनी शाखाएं खोली गई हैं और वर्तमान उपभोक्ता सहकारी समितियों को किस तरीके से मजबूत बनाया गया था;

(ख) इसके ऊपर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई है,

(ग) आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी उपभोक्या सहकारी समितियां खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन समितियों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं और ये वस्तुएं कहां से खरीदी जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रहीहै और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय लघु वन विकास निगम गठित करने का प्रस्ताव

1127. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय लघु वन विकास निगम का गठन कब तक करने वाली है;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्यों में लघु वन विकास और विपणन के लिए ऐसे निगम हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इन निगमों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) वन विभाग ने इन निगमों की स्थापना के बाद से इनके लिए कुल कितनी वन भूमि राज्य-वार पट्टे पर ली है;

(ङ) क्या कुछ निगमों ने कुछ वन क्षेत्रों और लघु वन उत्पादों का वन विभाग को सौंप दिया है और इस गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दे दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय स्तर का निगम स्थापित करने के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने लघु वन उत्पादन की चुनीदा मदों का संचयन तथा विपणन करने के लिए निगम गठित किये हैं।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

(ङ) इस प्रकार का कोई दृष्टान्त केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	लघु वन उत्पाद सचयन करने वाली एजेंसियाँ	मदों के नाम	कार्य क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	गिरिजन सहकारी निगम तथा वन विकास सहकारी समितियां	गोंद, इमली का बीज, झाडू का घास, ग्रदा पर्क्षा, कुचला, महुआ बीज, माइराबोलांस, रीठों का पुनगम बीज, शहद, कुसुम बीज. सीकाई, केंदू के पत्ते।	सम्पूर्ण राज्य	—
2.	बिहार	बिहार राज्य वन विकास निगम, वन विभाग तथा आदिवासी विकास निगम	साल बीज, महवा बीज, कुसुम बीज, करंजा बीज, पलास बीज, माइरा-बोलांस, केंदू पत्ता, बारांबत्ती, टसर।	सम्पूर्ण राज्य	—
3.	गुजरात	गुजरात वन विकास निगम	तेन्दू के पत्ते, तिलहन, महुवा, फूल तथा बीज, गोंद और करीब 40 अन्य मदें।	सम्पूर्ण राज्य	—
4.	केरल	सहकारी समितियां तथा निजी आदिवासी	बांस को छोड़कर लघु वन उत्पादन की सभी मदें।	सम्पूर्ण राज्य	—

1	2	3	4	5	6
5.	मध्य प्रदेश	वन विभाग, वन निगम, मध्य प्रदेश वन उत्पाद संघ, आदिवासी निगम सहकारी एजेंसियां	तेन्दू के पत्ते, साल बीज, बांस, हरा कत्था।	सम्पूर्ण राज्य	—
6.	महाराष्ट्र	राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम तथा सहकारी संस्थान, वन विभाग	गोंद, महुवा, हरी चिरोंजी, केन्दू के पत्ते।	कुछ मदों के लिए आदिवासी क्षेत्र। केन्दू के पत्तों के के लिए सम्पूर्ण राज्य	—
7.	कर्नाटक	सहकारी संस्थान	शहद, अवारम की छाल, खजूर के पत्ते, कराई घास, माजूफल, इमली माइरोबोलांस, आट्रोला, रीठा, गूंजबेरी, चिल्लों दा बीज, होंगी के बीज, मोगलीबुरू, बोलारबुक।	आदिवासी क्षेत्र	आदिवासी सहकारी समितियों को तरजीह दी जाती है।
8.	राजस्थान	आदिवासी क्षेत्र सहकारी निगम	गोंद, घासें, फल, औषधिय, पौध।	आदिवासी क्षेत्र	
9.	तमिलनाडु	सहकारी समितियां	घासें, माजूफल, औषधीय वनस्पतियां	कलरायन की पहाड़ियां	—

1 2	3	4	5	6
10. उत्तर प्रदेश	आदिवासी विकास निगम वन विभाग	केन्दू के पत्ते, साल के बीज।	आदिवासी क्षेत्र	—
11. पश्चिमी बंगाल	आदिवासी विकास निगम	केन्दू के पत्ते, तिलहन, सबाई घास, माइरोबोलांस	आदिवासी क्षेत्र	—

इन संगठनों के लक्ष्य तथा उद्देश्य आम तौर पर बिचौलियों को समाप्त करना है और प्राथमिक संग्रहकर्त्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

नेरादी बांध की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में गांवों के जलमग्न होने का उल्लेख

1128. **श्री गिरिधर गामांगो**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंसधारा नदी पर नेरादी बांध की संशोधित परियोजना रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के वे क्षेत्र कौन से हैं जो जलप्लावन के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) 1061 से नेरादी बांध की वर्तमान रिपोर्ट तक आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजना रिपोर्टों में आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में कितनी कृषि योग्य भूमि डूबने का उल्लेख है;

(ग) क्या दोनों राज्यों ने पृथक् रूप से तथा संयुक्त रूप से क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जैसा कि पिछली बैठक में सहमति हुई थी;

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा बताया गया तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विपक्षीय वार्ता में विवादों पर चर्चा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बन्सधारा नदी पर नेरादी बराज की संशोधित परियोजना परिपोर्ट के अनुसार जो आंध्र प्रदेश सरकार से जुलाई, 1982 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी, उड़ीसी में 1266 एकड़ भूमि और आन्ध्र प्रदेश में 447 एकड़ भूमि के जलमग्न होने की संभावना है।

(ख) सम्बन्धि परियोजना रिपोटों में इन दोनों राज्यों में जलमग्न होने वाली कृषि-योग्य एवं गैर-कृषि योग्य जमीनों की अलग सूचना नहीं दी गई है। परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित दोनों राज्यों में जलमग्न होने वाली भूमि का कुल क्षेत्र निम्न प्रकार है:—

	उड़ीसा में	आन्ध्र प्रदेश में
1. 1978 की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार	550 एकड़	760 एकड़
2. जुलाई, 1982 की संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार	1266 एकड़	447 एकड़

1961 के अन्तर्राज्यीय करार में उड़ीसा में भूमि के 106 एकड़ क्षेत्र जलमग्न होने का उल्लेख है।

(ग) और (घ) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के तकनीकी अधिकारियों की 10 जनवरी,

1984 को केन्द्रीय जल आयोग में हुई पिछली बैठक के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा फरवरी, 1984 में स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा बैंच मार्कों की स्थापना करने के लिए आगे सर्वेक्षण कार्यों को पूरा कर दिया जा चुका है। यह सूचना मिली है कि दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा क्रास-सेक्शनों के सर्वेक्षणों को भी हाथ में लिया जा चुका है।

(ङ) और (च) तकनीकी अधिकारियों के स्तर पर विचार-विमर्श होता रहा है। फिलहाल, मन्त्रियों के स्तर पर बैठक का प्रस्ताव नहीं है।

फूस सराय में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के मकानों पर अवैध कब्जा

1129. **श्री दौलत राम शरण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित फूस सराय में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग द्वारा निर्मित बहुत सारे मकानों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार से अवैध रूप से कब्जा किए गए मकानों को खाली कराने और उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों को आबंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य में उप विभाग मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 28.5.84 तथा 29.5.84 को बौलवर्ड रोड, ट्रांजिट कैम्प के निवासियों ने सरायफूस के 31 नवनिर्मित मलिन वस्ती टैनामेंटों के ताले तोड़े और उन पर अनधिकृत रूप से तथा जबरदस्ती कब्जा कर लिया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार सभी अनधिकृत दखलकार को पुलिस की सहायता से 31.5.84 को बेदखल कर दिया गया था और इन क्वार्टरों का कब्जा फिर से मालन वस्ती विभाग ने ले लिया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन अधिकांश व्यक्तियों की पात्रता की जांच कर ली है जिन्हें इन क्वार्टरों का आबंटन किया जाना है।

बाढ़ के कारण फसलों को क्षति

1130. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण पिछले दो वर्षों में राज्य-वार कितनी क्षति हुई है और इसका रुपयों में मूल्य कितना है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बाढ़/चक्रवात आदि से प्रभावित सस्यगत क्षेत्र तथा क्षति का रुपयों में मूल्य दर्शाने वाला विवरण—1 संलग्न है।

(ख) बाढ़/चक्रवात के लिए स्वीकृत की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण—2 संलग्न है।

विवरण—1

वर्ष 1982 और 1983 के दौरान राज्यवार फसल को हुई क्षति।

क्रम सं०	राज्य का नाम	1982		1983	
		क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र लाख हैक्टार में	मूल्य लाख रुपये में ×	क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र लाख हैक्टार में	मूल्य लाख रुपये ×
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.43	228.00	27.28	31290.01
2.	असम	0.96	890.00	1.38	1474.34
3.	बिहार	3.23	9700.38	3.71	2343.36
4.	गुजरात	सूचित नहीं	10528.28	2.18	3751.58
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	2.32	3228-00
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	3.84	2730.71
7.	जम्मू और कश्मीर	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	22.90
8.	कर्नाटक	0.59	235.99	0.50	263.49
9.	केरल	0.008	59.98	0.002	70.70
10.	मध्य प्रदेश	4.30	2523.00	0.71	711.20
11.	महाराष्ट्र	0.03	189.60	9.05	5375.06
12.	मणिपुर	0.19	266.60	नगण्य	2.25
13.	मेघालय	सूचित नहीं	सूचित नहीं	2.01	48.00

1	2	3	4	5
14. नागालैण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.02	सूचित नहीं
15. उड़ीसा (बाढ़)	11.25	सूचित नहीं	0.88	326.00
(चक्रबात)	1.59	सूचित नहीं	—	—
16. पंजाब	नगण्य	0.29	सूचित नहीं	735.09
17. राजस्थान	0.52	439.50	0.17	272.14
18. सिक्किम	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.20	647.32
19. तमिलनाडु	0.002	2.85	6.22	10254.40
20. त्रिपुरा	0.42	321.58	0.45	1543.12
21. उत्तर प्रदेश	33.00	33087.00	24.99	61910.00
22. पश्चिम बंगाल	0.31	466.31	0.57	956.11

× फसल को हुई क्षति का मूल्य—स्त्रोत= केन्द्रीय जल आयोग

विवरण-3

1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों को बाढ़, बर्फानी तूफान, चक्रवात आदि के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीन सहायता की अधिकतम राशि

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	1982-83	1983-84
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	96.70
2.	असम	9.47	11.07
3.	बिहार	17.48	—
4.	गुजरात	41.94	39.22
5.	हरियाणा	1.75	17.07
6.	हिमाचल प्रदेश	4.03	8.29
7.	जम्मू और कश्मीर	—	1.00

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	4 42	3.29
9.	केरल	0.11	—
10.	मध्य प्रदेश	2.07	5.69
11.	महाराष्ट्र	—	24.68
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	0.33	1.90
14	नागालैण्ड	—	0.77
15.	उड़ीसा	170.52	—
16.	पंजाब	—	—
17.	राजस्थान	0.32	8.93
18.	सिक्किम	—	4.40
19.	तमिलनाडु	—	41.18
20.	त्रिपुरा	0.56	4.50
21.	उत्तर प्रदेश	67.23	65.79
22.	पश्चिम बंगाल	7.57	—

बाढ़ के कारण रेत भर जाने से कृषि योग्य भूमि की हानि

1131. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी बाढ़ के कारण रेत भर जाने से राज्य-वार कृषि योग्य भूमि की रुपयों में मूल्यों के अनुसार कितनी हानि हुई है;

(ख) राज्यों को राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) गरीब किसानों को बाढ़ से विनाश से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) विभिन्न राज्यों को वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान चक्रवात/बाढ़ के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) बाढ़ से हुए नुकसान की रोकथाम करने और प्रभावित किसानों की पुनर्स्थापना के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) छठी योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि की गई है।

(2) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बाढ़ प्रवण बेसिनों/क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाएं।

(3) भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए 1981 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड गठित किया है।

(4) भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान विभिन्न अन्तर्राज्जीय नदियों के सम्बन्ध में बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाले तंत्र का विस्तार करने और उसे आधुनिक बनाने का कार्य भी शुरू किया है।

(5) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया। विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय अभिकरणों को आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(6) कृषि आदानों के लिए राजसहायता।

(7) बाढ़ से प्रभावित फसल में जान डालने के लिए उर्वरकों की और अधिक मात्रा का उपयोग करने के लिए अपरिहार्य स्थितियों में सहायता दी जाती है।

(8) प्रभावित किसानों को रेत हटाने और गाद/क्षारीयता को समाप्त करने के लिए सहायता देना।

(9) अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए सहायता देना।

(10) वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए राज-सहायता देना।

(11) आयल इंजिनों, बिजली की मोटरों और कृषि कुओं की मरम्मत के लिए सहायता।

(12) गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध की एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सात राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की आय बाढ़ प्रवण नदियों अर्थात् ऊपरी यमुना (ताजेवाला से ऊपर), ऊपरी गंगा (ऋषिकेश से ऊपर), साहिबी, गोमती, सोन, पुनपुन, अजय और रूपनारायण, के स्रवण क्षेत्रों में शुरू की गई थी।

विवरण

बाढ़, चक्रवात आदि के लिए 1981-82 से 1983-84 के दौरान राज्यों को स्वीकृत सहायता की अधिकतम सीमा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.82	—	96.70
2.	असम	—	9.47	11,07
3.	बिहार	20.74	17.48	—
4.	गुजरात	—	41.94	39.22
5.	हरियाणा	—	1.75	17.07
6.	हिमाचल प्रदेश	2.41	4.03	8.29
7.	जम्मू और कश्मीर	0.40	—	1.00
8.	कर्नाटक	2.81	4.42	3.29
9.	केरल	8.43	0.11	—
10.	मध्य प्रदेश	—	2.07	5.69
11.	महाराष्ट्र	—	—	24.68
12.	मणिपुर	1.60	—	—
13.	मेघालय	—	0.33	1.90
14.	नागालैंड	—	—	0.77
15.	उड़ीसा	0.56	170.52	—
16.	राजस्थान	45.06	0.32	8.93
17.	सिक्किम	2.22	—	4.40
18.	तमिलनाडु	—	—	41.18

1	2	3	4	5
19.	त्रिपुरा	—	0.56	4.50
20.	उत्तर प्रदेश	45.46	67.23	65.79
21.	पश्चिम बंगाल	18.18	7.57	—

सरकारी क्वार्टरों का समयबद्ध निर्माण और उनका आबंटन

1132. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय पूल के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में कुछ सरकारी क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और श्रेणीवार कितने क्वार्टर बनाए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों का निर्माण कहां पर और कब तक पूरा हो जाएगा तथा यह क्वार्टर लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों को आबंटित किए जाने के लिए कब तक तैयार हो जाएंगे; और

(ग) यदि इन क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो क्या सरकार का इन क्वार्टरों के निर्माण/पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय पूल के लिए निर्माणाधीन क्वार्टरों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :-

स्थान	टाईप	क्वार्टरों की संख्या	पूर्ण होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
डी.आई.जेड क्षेत्र	III	60	निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पानी की कमी के कारण,

1	2	3	4
			क्वार्टर सौंपे नहीं जा सके । इस मामले को नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम के साथ उठाया गया है ।
बसन्त बिहार	I	45	31.10.1984
	II	75	31.3.1985
	III	775	31.3.1985

क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उन्हें शीघ्र आबंटन के लिए सौंप दिए जाएंगे बशर्ते कि पानी और बिजली उपलब्ध हो।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उद्देश्य और उपलब्धियां

1133. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित करने के मूल उद्देश्य क्या हैं;

(ख) बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की गतिविधियों और उपलब्धियों के सम्बन्ध में यदि कोई मूल्यांकन किया गया है तो वह क्या है; और

(घ) बोर्ड के कृत्यों और शक्तियों को सुव्यवस्थित करने सम्बन्धी राज्य का क्या प्रस्ताव है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ब्रह्मपुत्र नदी के जल संसाधनों का सिंचाई, जल-विद्युत तथा नौवहन इत्यादि अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने को मुद्देनजर रखते हुए ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़, तट कटाव को नियन्त्रित करने तथा जल निकास में सुधार करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने होते हैं। यह बोर्ड विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तथा बाँध और जलाशयों के अनुमान तैयार करता है और केन्द्र सरकार की अनुमति से इनका क्रियान्वयन करता है ।

(ख) केन्द्र सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को उसके कार्य-कलापों के लिए सहायता-अनुदान देती है । मार्च, 1984 तक 12.30 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान दिया जा चुका है ।

(ग) इस साविधिक बोर्ड के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त पुनरीक्षा बोर्ड गठित किया है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री हैं तथा

राज्यों के मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों/संगठनों के मन्त्री एवं अधिकारी इसके सदस्य हैं।

(घ) बोर्ड पहले से ही कार्यरत है तथा इसे ब्रह्मपुत्र अधिनियम 1980 और ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 में लक्षित शक्तियां प्राप्त हैं।

किंग्सवे कैंम्प दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

1134. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सवेकैम्प, दिल्ली के निवासियों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी संख्या में मकान गिराए गए हैं;

(ख) क्या इस अभियान के अन्तर्गत डा. मुखर्जी नगर में एक अनधिकृत ओपन एयर रेस्तरां और कई अनधिकृत दुकानों को नहीं गिराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उन्हें कब तक गिराने का विचार है;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने डा. मुखर्जी नगर में मकान गिराने का अभियान आरम्भ नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किंग्सवे कैंम्प पुर्नवास योजना के अन्तर्गत डा. मुखर्जी नगर में मकान गिराने का अभियान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्रों का पता लगाना और उनका विकास

1134. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण और सरकार की है कि वे "मास्टर प्लान" के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों का पता लगाए और उनका विकास करने तथा उसके बाद इन उद्योगों को नए विकसित क्षेत्र को अन्तरित कर दें।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 से अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पता लगाया गया है और उनका विकास किया गया है तथा वहां कितने उद्योग अन्तरिकत किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1970 से अब तक वर्षवार कितने गैर-लाइसेंसशुदा उद्योग स्थापित हुए हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है तथा इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सातवें दशक में आरम्भ किया गया जो आठवें दशक में भी जारी रहा। प्लाटों की संख्या क्षेत्र इत्यादि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं। 95 प्रतिशत से अधिक प्लाटों को अननुरूप उद्योगों में आबंटन द्वारा या नए उद्योगों के लिए नीलामी द्वारा बेच दिया गया है।

(घ) दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्रम.सं.	योजना का नाम	योजना का कुल क्षेत्र (एकड़ में)	प्लाटों की कुल संख्या
1.	ओखला चरण -I	368.00	1097
2.	ओखला चरण -II	336.00	884
3.	रिवाड़ी लाइन चरण -I	147.65	376
4	रिवाड़ी लाइन चरण -II	166.41	1337
5.	नारायण चरण -I	114.56	452
6.	नारायण चरण -II	24.88	151
7.	नारायण वेयर हाऊसिंग	35.00	802
8.	कीर्ति नगर वेयर हाऊसिंग	194.19	844
9.	लारेंस रोड	196.20	312
10.	वजीरपुर	210.00	784
11.	जी. टी. करनाल रोड	142.44	429
13.	झिलमिल ताहीरपुर	108.95	238
	योग :	2054.28	7706

राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन

1136. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए. एफ. पी. आर. ओ. की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति का उल्लंघन किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं/करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार वन नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने के लिए स्वयं सेवी एजेन्सियों और उत्साही व्यक्तियों को मिलाकर एक कृतिक बल गठित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेजी से समाप्त हो रहे वनों, जिसके कारण अनेक सम्बन्धित सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उठ रही हैं, को बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को ए.एफ.पी.आर. ओ. द्वारा प्रकाशित कोई भी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) केन्द्रीय वानिकी बोर्ड नामक एक उच्च स्तरीय संस्था पहले से ही विद्यमान है जिसमें गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी है। उसके अतिरिक्त, संसद और विधान मंडल सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की जांच करते है। इसके अलावा, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे विभिन्न स्तरों पर परामर्शदात्री निकाय स्थापित करें। अतः इस प्रयोजन के लिए एक प्रथक कृतक दल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार देश के वनों की सुरक्षा, पुनरोत्पादन और विकास के लिए जागरुक है और परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले ही भरसक प्रयास कर रही है।

कीटों को नियंत्रित करने और कीट प्रतिरोधक किस्मों के विकास में असफलता

1137. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर में आयोजित कार्यशाला से प्राप्त इस आशय की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है कि कीटों पर नियंत्रण रखने अथवा उपयुक्त कीट प्रतिरोधक किस्मों के विकास में असफलता के कारण प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है (पेट्रियट दिनांक 18 जून, 1984);

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पहले किये जा चुके 'सफलता' दावों के बावजूद दालों का उत्पादन कम हुआ है;

(ग) क्या सरकार बैज्ञानिकों को समय पूर्व ऐसे दावे करने से रोकेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार दालों की अब तक पता लगाई गई और जारी की गई सभी किस्मों की सूची तथा जितनी पैदावार का दावा किया गया था और क्षेत्र में जितनी पैदावार प्राप्त हुई सबका विवरण दर्शाने वाला एक प्रकाशन प्रकाशित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान् । सरकार का ध्यान कथित रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कभी भी दाल उत्पादन में सफलता का दावा नहीं किया है । तथापि, सुधरी हुई किस्में जिनमें बेहतर फसल देने की क्षमता है, विकसित की गई हैं ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नोटिस में समय पूर्व दावों का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । किसानों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दाल की किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी बुलेटिन तैयार किये जाते हैं । दालों सहित फसल की किस्मों पर जोकि देश में 1983 तक रिलीज तथा अधिसूचित की गई हैं, स्टेट फार्मस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित निकाले जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नियमित रूप से बिभिन्न जिन्सों पर बुलेटिन प्रकाशन करती है जिसमें उनकी किस्मों तथा उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर सूचना दी जाती है ।

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा धान के बीजों की सप्लाई

1138. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बिहार राज्य बीज निगम आवश्यक मात्रा में धान के बीज की सप्लाई करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा न करने से उत्पाद में कमी आएगी तथा सरकार को सम्भवतः चावल का आयात करना पड़ेगा;

(ग) क्या यह केन्द्र द्वारा दो वर्ष पहले भूमी में चावल (राइस इन हस्क) के रूप में धान के बीजों का निर्यात करने के कारण ही ऐसा हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम देश में सभी फसलों (अन्न/सब्जियों/अन्य वस्तुएं) के लिए बीजों की कुल मांग का मुश्किल से केवल एक प्रतिशत ही पूरा करने की स्थिति में है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्यों के अन्तर्गत सभी बीज निगमों को व्यावसायिक विशेषज्ञों के नियंत्रणाधीन करने का है ताकि भविष्य में अनाज आदि का आयात न करना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार को धान के बीजों की लक्षित मात्रा से कम सप्लाई की गई थी।

(ख) बिहार राज्य बीज निगम द्वारा की गई धान के बीजों की सप्लाई, राष्ट्रीय बीज निगम और उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम आदि के माध्यम से पूरी की गई थी, जो राज्य की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी, अतः उत्पादन में गिरावट आने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये बिहार राज्य बीज निगम द्वारा धान के बीजों की कम मात्रा में सप्लाई किये जाने के कारण सरकार द्वारा चावल का आयात किये जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में धान के प्रमाणित/क्वालिटी बीजों का कोई निर्यात नहीं किया गया था।

(घ) जी, नहीं। आलू के बीजों को छोड़कर, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की गई बीजों की सप्लाई देश में कुल वितरित की गई बीजों की मात्रा का लगभग 10-11 प्रतिशत बैठता है। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों द्वारा की गई सप्लाई की मात्रा देश में वितरित किये गये कुल बीजों की मात्रा का लगभग 51 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) राज्य बीज निगमों का प्रबन्ध राज्य सरकारों और राष्ट्रीय बीज निगम का प्रबन्ध केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन सभी निगमों में, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन आदि से सम्बन्धित प्रमुख पदों पर तकनीकी/व्यावसायिक अधिकारी/विशेषज्ञ होते हैं। मुख्य प्रशासक अधिकारियों के पदों पर उपयुक्त अधिकारियों का चयन करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है और वास्तव में, कुछ बीज निगमों में तो मुख्य प्रशासनिक पदों पर तकनीकी अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बारानी खेती की उपलब्धियां

1139. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री चिंतामणि जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी खेती योजना जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सूत्र है, सफल रही है और वर्ष 1983-84 में उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984-85 में इसी योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना के लिये क्या उपलब्ध किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हाँ। बारानी क्षेत्रों में उत्पादन में सुधार करने तथा उसमें स्थिरीकरण लाने के लिए समेकित जलधारा प्रबन्ध के प्रभावी कार्यक्रम शुरू किए गए है। चूंकि यह संसाधन जुटाने तथा उत्पादकता में सुधार करने वाला कार्यक्रम है, अतः उपलब्धियों लाभ यथा समय प्राप्त होंगे।

(ग) सामान्य विकासात्मक कार्यक्रम के अलावा, माडल पनधाराओं का विकास किया जा रहा है, क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा अनुसन्धान करने वाले वैज्ञानिक इसमें सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए प्रावधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बम्बई में वेस्ट आइलैंड फ्री वे प्रोजेक्ट का निर्माण

1140. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में पश्चिम द्वीप मुक्त मार्ग परियोजना (वेस्ट आइलैंड फ्री वे प्रोजेक्ट) के निर्माण के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) बम्बई में पश्चिम द्वीप स्वतंत्र मार्ग परियोजना (वेस्ट आइलैंड फ्री वे प्रोजेक्ट) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

भाग	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रु० में)
मरीमन प्लाइंट से चौपाटी तक	3.60	30.68
मालाबार हिल टनल	0.66	10.46
मालाबार हिल टनल से हाजी अली तक	3.25	26.61
हाजी अली से वर्लि ड्रेनेज चैनल तक	4.00	25.01
वर्लि ड्रेनेज चैनल से बांदा तक	5.35	36.00
योग :	16.86	128.76

खाद्यान्नों का उत्पादन, आबंटन और मांग

1141. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री एन.के. शेजवलकर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81; 1981-82, 1982-83, 1983-84 में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ तथा 1984-85 में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया;

(ग) खाद्यान्न की वर्ष वार मांग कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य से वास्तव में कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों की खाद्यान्न की मांग पूरी न होने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम.एस. सजीवी राव) : (क) भारत में 1980-81 से 1983-84 (अनन्तिम) वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के हुए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	(लाख मीटरी टन में)
1980-81	1296
1981-82	1333
1982-83	1284
1983-84 (अनन्तिम)	1506

1984-85 वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के अखिल भारत उत्पादन के लिए 1536 लाख मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय वास्तविक उत्पादन की सम्भावित मात्रा का अनुमान बताना बहुत जल्दबाजी होगी।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (जून, 1984 तक) के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.— 8495/84]**

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं बाजार-उपलब्धता और

अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डार से आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

राज्यों को खाद्य तेलों की सप्लाई

1142. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1980 से 1893 तक खाद्य तेलों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1984-85 में खाद्य तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की जाएगी;

(ग) प्रत्येक राज्य की वर्ष 1980 से 1985 तक की खाद्य तेलों की मांग कितनी थी; और

(घ) प्रत्येक राज्य को खाद्य तेलों की कम सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव (क) से (ग) तेल वर्ष 1980-81 के दौरान राज्यों द्वारा की गई मांग तथा प्रत्येक राज्य को सप्लाई की गयी खाद्य तेल की मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(घ) आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुरूप स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य देशी खाद्य तेलों का उपलभ्यता और उनकी मांग के बीच के अन्तर को यथासंभव सीमा तक पूरा करना होता है। किसी भी सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि आयातित खाद्य तेल सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

विवरण

तेल वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राज्यों द्वारा की गई मांग और प्रत्येक राज्य की सप्लाई किए गए खाद्य तेलों की मात्रा

राज्य का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई मांग				राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सप्लाई की गई मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1900-01	1981-82	1902-03	1903-0 (15-7-84 तक)
1. आंध्र प्रदेश	156000	264000	150000	162000	60339	47587	61663	32595
2. असम	18000	6750	36000	30800	5237	4131	6600	2331
3. बिहार	36000	12000	9300	60000	2944	3829	4775	5120
4. गुजरात	78000	106000	117000	104000	54930	43565	56809	20666
5. हरियाणा	6000	6000	5377	30000	2434	2261	3116	5745
6. हिमाचल प्रदेश	16950	16500	21000	24000	4466	7060	7990	3637
7. जम्मू व कश्मीर	2400	4800	4800	28800	681	1075	1635	1940
8. कर्नाटक	95000	95000	95000	95000	16790	15329	23903	14216
9. केरल	153600	105600	[illegible]5000	47000	27592	24067	30835	21640
10. मध्य प्रदेश	86000	60000	62000	60000	20039	9297	13309	8538

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. महाराष्ट्र	99000	156000	75000	140000	65818	60159	75675	64725
12. मणिपुर	36000	7200	4200	4200	3935	2396	3046	3293
13. मेघालय	41400	9000	9000	9000	2255	2885	3417	3186
14. नागालैंड	12000	3000	2400	12000	1549	440	612	1239
15. उड़ीसा	25000	96000	48500	96000	5738	9653	3635	10932
16. पंजाब	6000	36000	45300	48000	4552	10873	13227	7695
17. राजस्थान	5000	25000	30000	30000	2446	2660	3157	3939
18. सिक्किम	3600	3600	4800	4800	796	1456	1250	641
19. तमिलनाडु	60000	240000	150000	150000	43387	42515	55525	22777
20. त्रिपुरा	5000	420	शून्य	1200	शून्य	शून्य	शून्य	327
21. उत्तर प्रदेश	20740	42000	42000	105600	19644	21916	29191	21885
22. पश्चिम बंगाल	125500	125500	126000	126000	72122	67589	75883	50359
23. अरुणाचल प्रदेश	21600	1800	4800	360	443	27	38	58
24. चंडीगढ़	900	220	650	420	60	149	160	120
25. दादरा व नगर हवेली	शून्य	192	240	240	शून्य	41	124	146
26. दिल्ली	19200	25200	30000	70800	13861	16190	17906	11390

1	2		3		4			5	6
27.	गोश्रा दमन व दीव	4000	5100	4800	4900	2599	3973	3690	2539
28.	लक्ष द्वीप	99	216	100	126	63	45	99	64
29.	मिजोरम	2450	3000	2400	2400	558	475	712	607
30.	पांडिचेरी	650	3175	3000	3600	1398	1599	1617	1165

चालू तेल वर्ष 1983-84 के शेष भाग श्रौर 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य को श्रायातित खाद्य तेलों की कितनी मात्रा श्राबंटित की जाएगी इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रायातित खाद्य तेलों के श्राबंटन का निर्णय राज द्वारा की गई मांग के यथार्थपरक श्रनुमान, खपत के स्वरूप, राज्य/क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक की उपलब्धता श्रौर पहले श्राबंटित किए गए खाद्य तेलों को उठाने की गति जैसी विभिन्न बातों तथा श्रन्य संगत पहलुश्रों को ध्यान में रखते हुए माह दर माह श्राधार पर किया जाता है ।

बंजर भूमि का सर्वेक्षण

1143. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंजर भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में बंजर भूमि का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) देश के भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े एक 9 मदों वाले वर्गीकरण में एकत्र किये जाते हैं तथा इनकी रिपोर्ट दी जाती है। इनमें ऊसर तथा अकृष्य भूमि भी शामिल है। वर्ष 1980-81 के भूमि उपयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ऊसर तथा अकृष्य भूमि का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है। ऊसर तथा अकृष्य भूमि को लाभकारी ढंग से खेती के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता। अतः ऊसर भूमि योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1980-81 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऊसर तथा अकृष्य भूमि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षेत्र हजार हैक्टार में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2340
2.	असम	1542
3.	बिहार	1011
4.	गुजरात	2503
5.	हरियाणा	65
6.	हिमचल प्रदेश	141
7.	जम्मू और कश्मीर	231
8.	कर्नाटक	844
9.	केरल	86
10.	मध्य प्रदेश	2322
11.	महाराष्ट्र	1733
12.	मणिपुर	1419
13.	मेघालय	231
14.	नागैण्ड	—

1	2	3
15.	उड़ीसा	265
16.	पंजाब	98
17.	राजस्थान	2917
18.	सिक्किम	205
19.	तमिलनाडु	577
20.	त्रिपुरा	120
21.	उत्तर प्रदेश	1141
22.	पश्चिम बंगाल	121
23.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	19
25.	दादरा और नगर हवेली	—
26.	चण्डीगढ़	उपलब्ध नहीं
27.	दिल्ली	18
28.	गोवा, दमन और द्वीप	16
29.	लक्ष्य द्वीप	—
30.	मिजोरम	201
31.	पांडिचेरी	(क)
32.	अखिल भारत	20167

(क) 500 हैक्टेयर से कम

कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्यों में प्रयोग

1144. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विभिन्न राज्यों में कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्यों में प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और इस प्रकार भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंधमें आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं कि औद्योगिक और आर्थिक विकास की योजना बनाते समय हरित पट्टी, बनों और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बार-बार यह ज़ोर दिया है कि अच्छी कृषि भूमि का अन्य कामों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर जब कम उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो। जनसंख्या में वृद्धि और विद्यमान विकास कार्यों के कारण खाद्यानों की बढ़ती हुई माँग से यह बहुत जरूरी हो गया है कि कृषि उत्पादन के लिए अधिक से अधिक भूमि सुरक्षित रखी जाए और जब तक अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों में में उपयोग के लिए परावर्तन आवश्यक न हो तब तक गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहां पर भी परावर्तन कम से कम सीमित रखा जाना चाहिए। इस मामले पर विचार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य भूमि उपयोग बोर्ड बनाएं। राष्ट्रीय भूमि बोर्ड जिसमें राज्यों और संग राज्य क्षेत्रों के एक एक मन्त्री प्रतिनिधित्व करते हैं, ने दिनांक 7 मार्च 1984 को हुई अपनी पहली बैठक में सिफारिश की है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हर सम्भव तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि योग्य अच्छी भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयोग न किया जाए। अधिकांश राज्यों के काश्तकारी कानून में कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्य के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथापि, कुछ राज्यों के कानून में, विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ऐसा परावर्तन करने का प्रावधान है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी आरक्षित वन भूमि को अनारक्षित करने अथवा किसी वन भूमि को गैर वानिकी कार्य में प्रयोग के लिए बदलने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति लेनी होगी। वनों में वृक्षों की कटाई के बारे में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वनों में वृक्षों की की कटाई के बारे में जारी की गई महत्वपूर्ण हिदायतों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) जहां तक सम्भव हो, प्राकृतिक वनों की स्पष्ट-कटाई नहीं की जानी चाहिए।

(2) राज्य सरकारों को 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वृक्षों की हर तरह की कटाई पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए।

(3) पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे :—

(क) नदी घाटी के स्रवण क्षेत्रों

(ख) भू-स्खलन और कटाव प्रवण क्षेत्रों

(ग) अस्थिर भू-वैज्ञानिक संरचना वाले क्षेत्रों, और

(घ) सड़कों, नालों आदि के आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षों को कटाई न की जाए।

गुजरात में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य

1145. **श्री शांतुभाई पटेल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान गुजरात में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वित्तीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से (योजनावार) क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज तक की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं और इसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात के लिये छठी योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय 18.8 करोड़ रुपये था। खेत-नालियों के निर्माण के लिये 0.16 मिलियन हेक्टेयर तथा भूमि समतलन के लिये 0.054 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था तथा बाराबंदी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। लक्ष्य राज्यवार निर्धारित किए गए हैं, परियोजनावार नहीं।

(ख) 1980-81 से 1982-83 तक राज्य योजना व्यय 4.757 करोड़ रुपये था और 1983-84 के दौरान प्रत्याशित राज्य योजना व्यय 4.7 करोड़ था। इस राशि के अतिरिक्त, 1980-81 से 1983-84 तक भारत सरकार ने 10.29 करोड़ रुपये की सदृश सहायता रिलीज की थी।

1983-84 तक खेत-नालियों के निर्माण में 0.088 मिलियन हेक्टेयर के तथा भूमि समतलन के अन्तर्गत 0.023 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य प्राप्त किए गए। 1983-84 तक बाराबंदी के अन्तर्गत 0.098 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य प्राप्त किए गए।

(ग) जहां तक खेत-नालियों के निर्माण का सम्बन्ध है, छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्रगति धीमी रही। तथापि, 1983-84 में, खेत-नालियों के लिये प्रोत्साहन स्कीम के कारण, जिसमें राज्य के वार्षिक लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत सरकार द्वारा लागत की 100% प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। लक्ष्य-प्राप्ति वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से लगभग दुगुनी हो गई है। 1984-85 में राज्य द्वारा अच्छी प्रगति किए जाने की संभावना है तथा छठी योजना के 80 से 90% लक्ष्यों की प्रगति की आशा है।

भूतम समतलन के अन्तर्गत प्रगति धीमी रही है जिसका कारण है निर्माण-कार्यों की ऊंची लागत तथा इसके फलस्वरूप किसानों द्वारा इस कार्य को हाथ में लेने के प्रति अरूचि दिखाना और बकाया राशियों की वसूली में देरी होना। आवश्यक तकनीकी सहायता की कमी, पात्र तथा अपात्र किसानों का पता लगाने में देरी आदि अन्य समस्याएं राज्य सरकार द्वारा काफी हद तक सुलझा ली गई हैं। राज्य सरकार भूमि को समतल करने तथा खेत-नालियों के निर्माण के विकल्प के रूप में कुछ क्षेत्रों में छिड़काव यंत्र प्रणाली (स्प्रिंकलर सिस्टम) की कार्य-क्षमता को देखने के लिए उपयोजक परीक्षण भी कर रही है।

नारियल को तिलहनों में शामिल किया जाना

1146. **श्री ए. नीललोहितदसन नाडार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल को तिलहनों में शामिल किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तिलहन फसलों के लिए उदारतापूर्वक राज-सहायता उपलब्ध कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा व्यापक नारियल विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी प्रायोजित योजना मंजूर न किए जाने के कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, नारियल को बागवानी के अन्तर्गत बागानी फसल के रूप में शामिल किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) वृहत नारियल विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु केरल सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में निम्न कारणों की वजह से विचार नहीं किया जा सका :—(1) कार्यक्रम का पर्याप्त औचित्य न होना (2) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरू किये जा रहे आर्थिक उपाय और (3) केरल में नारियल विकास बोर्ड और अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

केरल में "पामोलीन" की आवश्यकता

1147. **श्री ए. नीललोहितदसन नाडार :**

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रति परिवार एक किलो प्रतिमाह की दर से "पामोलीन" की मासिक कितनी आवश्यकता है;

(ख) इस समय किस स्तर तक आवंटन किया जाता है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आवंटन में वृद्धि किए जाने का संघ सरकार से आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. संजीवी राव) : (क) केरल सरकार ने तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर, 1983 से अक्तूबर, 1984

तक) के लिए आयातित खाद्य तेलों की अपनी मांग 47000 मी. टन सूचित की है। इसका मासिक औसत 3,917 मी. टन बनता है।

(ख) केरल को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन 5000 मी. टन प्रतिमास के पर्याप्त उच्च स्तर पर बनाये रखा गया है, जो उनकी मांग से अधिक है।

(ग) जी हां।

(घ) नवम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 तक केरल को 5000 मी. टन प्रतिमास की दर से आयातित खाद्य तेल आवंटित किया गया और मार्च, 1984 में इसे बढ़ाकर 5500 मी. टन प्रतिमास कर दिया गया। जुलाई, 1984 से इसमें जून, 1984 के 5500 मी. टन की तुलना में और वृद्धि करके इसे 6000 मी. टन कर दिया गया है। पामोलीन, उपलभ्यता के अनुसार आवंटित किया गया है।

बाणसागर परियोजना को मन्जूरी

1148. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बाणसागर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना का लाभ पहुंचने की संभावना है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के बीच हुए समझौते का बिहार द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा बाणसागर परियोजना (यूनिट-एक) बांध और आनुषंगिक निर्माण-कार्यों को 91.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1978 में अनुमोदित किया गया था।

इस परियोजना में मध्य प्रदेश के देवलौण्ड गांव में सोन नदी के ऊपर 63 मीटर ऊंचे चिनाई-सह-राक फिल बांध का निर्माण करना परिकल्पित है और 4.00 मिलियन एकड़ फुट उपयोज्य जल-संचयन होगा। इसकी लागत और उपयोज्य जल-संचयन को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागीदार राज्यों द्वारा 2 : 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(घ) से (च) बिहार सरकार से केन्द्र को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पंजाब में गेहूं के उत्पादन में गिरावट

1149. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आन्दोलन के कारण गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां गेहूं के भंडार और बफर भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, नहीं। पंजाब में गेहूं का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है, जो नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है :—

पंजाब में गेहूं का उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
76.8	85.5	91.8	94.0

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास गेहूं का कुल स्टाक 169.6 लाख मीटरी टन (1-7-1984 को) होने का अनुमान है, जबकि यह स्टाक एक वर्ष पूर्व 130.1 लाख मीटरी टन था। इसमें 50 लाख मीटरी टन बफर स्टाक भी शामिल है।

देश में आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता

1150. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** .

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश को 1990 तक 90 लाख आवासीय एककों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां; तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) इस प्रकार के मामलों में, राष्ट्रीय भवन (निर्माण)

संगठन द्वारा तैयार किए गए अनुमानों से सरकार को मार्गनिर्देशन दिया जाता है। संगठन ने आवास की वर्तमान कमी को इस प्रकार आंका है :—

शहरी	57 लाख
ग्रामी	181 लाख
योग	238 लाख

(ग) आवास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) आवास के लिए पूंजी निवेश का स्तर पांचवी योजना में 600.92 करोड़ रुपये से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना में 1490.87 करोड़ रुपये तक बढ़ाना।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के आवास प्रयासों में समाज के निर्धन वर्गों को और आश्रय-विहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देना।

(iii) चालू योजना अवधि के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) का पूंजी निवेश स्तर 600 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दर पर ऋणों का प्रावधान करना।

(iv) आवास के लिए 1982 में उपलब्ध बैंक ऋण 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1983 में 150 करोड़ रुपये करना।

(v) आवास में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(vi) बड़े-बड़े शहरों में सहकारी सामूहिक आवास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में अपार्टमैंट आनर्शिप एक्ट लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश गेहूं की खरीद और उत्पादन

1151. **श्री रामलाल राही :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से 1981-82 के दौरान, कितने हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई और इसी अवधि में वहां गेहूँ का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या 1982-83 में गेहूं की खरीद और उत्पादन, 1981-82 में गेहूं की खरीद और उत्पादन की तुलना में कम रहा;

(ग) यदि हां, तो कम उत्पादन होने के क्या कारण थे; और

(घ) यदि उत्पादन कम नहीं था तो फिर उसकी खरीद कम होने के क्या कारण थे और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष 1981-82 में 127.5 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन हुआ था जिसमें से सरकारी एजेन्सियों द्वारा 13.8 लाख मीटरी टन की मात्रा वसूल की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में मई जून, 1984 के दौरान पानी की अत्यधिक कमी

1152. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई गंगा लिंक नहर के माध्यम से गंगा नदी से दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाये जाने के बावजूद इस वर्ष गर्मियों में राजधानी में पानी की अत्यधिक कमी रही;

(ख) यदि हां, तो मई-जून, 1984 के महीनों में दिल्ली, विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली में पानी की सप्लाई और आवश्यकता की वास्तविक स्थिति क्या थी; और

(ग) दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1984 की गर्मियों के दौरान कुल मिलाकर दिल्ली में जल सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक थी सिवाई मई के अन्तिम भाग तथा जून, 1984 के आरम्भ में कुछ अवसरों के जब शोधन संयंत्रों तथा बूस्टिंग पंपिंग स्टेशनों पर कम वोल्टेज तथा बिजली में गड़बड़ी थी।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान मार्च, 1984 से 332 एम. जी. डी. जल दे रहा है। दक्षिणी दिल्ली को 54 एम. जी. डी. जल दिया जा रहा है। मई-जून, 1984 के महीनों के लिए आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1985 में दिल्ली में जल की आंकी गई आवश्यकता लगभग 472 एम. जी. डी. होगी तथा दक्षिणी दिल्ली आवश्यकता 84 एम.जी.डी. होगी।

(ग) शाहदरा में 100 एम.जी.डी शोधन संयंत्र के प्रथम चरण को मार्च, 1984 के दौरान चालू कर दिया गया है। द्वितीय चरण के कार्य प्रगति पर हैं जिसके 1985 के दौरान चालू होने की आशा है। दो रैनी कुएं निर्माणाधीन हैं जिनके 1984 के अन्त तक उत्तरोत्तर

आरम्भ होने की आशा है। इन उपर्युक्त दो सवर्धन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से दिल्ली में जल का उत्पादन 412 एम. जी. डी. जाएगा।

जल पूर्ति को 20 एम. डी. अधिक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रैनी कुओं को अवस्थित करने के लिए भी जांच प्रगति पर है।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

1153. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस वर्ष जून में केन्द्रीय सरकार से वनस्पति निर्माताओं को अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग सार्वजनिक वितरण के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को बेचना अनिवार्य करने के सांविधिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या वनस्पति के मूल्य में हाल की वृद्धि के बावजूद भी यह उपलब्ध नहीं है और बनावटी कमी के फलस्वरूप इसका खुदरा मूल्य अपेक्षाकृत काफी बढ़ गया है और यदि हां, तो दिल्ली तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में इसकी वास्तविक सप्लाई और मूल्यों की स्थिति क्या थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वनस्पति आसानी से उपलब्ध हो, भारत सरकार ने मार्च, 1984 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी थी कि वे अपने-अपने इलाके में उत्पादित वनस्पति की 30% तक मात्रा की वसूली राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए करें।

(ग) अप्रैल से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान, जिसमें हाल ही में वनस्पति के मूल्यों में हुई वृद्धि के बाद की अवधि भी शामिल है, वनस्पति के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की स्थिति आमतौर पर सन्तोषजनक होने की सूचना मिली है। जब कभी, कमियों के बारे में छुट-पुट रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो उन पर वनस्पति उद्योग को शीघ्र सप्लायी करने के निर्देश देते हुए अथवा अन्य उपचारात्मक उपाय करके तत्काल कार्यवाई की गयी।

उर्वरकों की ऊंचे मूल्यों पर बिक्री

1154. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 में उर्वरकों के मूल्य में कमी की थी;

(ख) यदि हां, तो घोषणा के अनुसार वितरण एजेन्सियों के नामों सहित वितरण के लिए विभिन्न एजेन्सियों को उर्वरकों की राज्य-वार कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरकों का वितरण करने वाली ऐजेन्सियों ने सरकार द्वारा सारे देश में निर्धारित दरों का पालन नहीं किया और उर्वरकों की बिक्री पुराने मूल्यों पर ही की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग ने 29.6.1983 से उर्वरकों की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में 7½ प्रतिशत की आम कटौती की घोषणा की है। भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्षों से अधिक समय से पड़े यूरिया तथा डी.ए.पी. के भण्डार की सूचि लागत को कम करने के विचार से सरकार ने विशेष छूट की एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत इन भण्डारों की खरीद पर उपभोक्ताओं के लिए 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध थी। यह छूट उर्वरकों की सभी किस्कों पर दी गई 7-1/2 प्रतिशत की आम छूट के अलावा थी।

(ख) 1.7.1983 से 18.6.1984 तक की अवधि के दौरान विशेष छूट की योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों के जरिए वितरित किए गए उर्वरकों की राज्यवार-मात्रा को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध—क में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 8496/84]

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1155. **श्री सज्जन कुमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद कितनी कालोनियों को नियमित किया गया है; और

(ख) सुदर्शन पार्क कालोनी की ब्लाक--वार स्थिति क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तकनीकी समिति की रिपोर्ट सरकार के पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम दोनों इस विषय

पर सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य कर रहे हैं;

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शुरू में सुदर्शन पार्क कालोनी को दिनांक 4.8.61 के संकल्प संख्या 580 के अन्तर्गत नियमित किया गया था। सुदर्शन पार्क और सुदर्शन पार्क विस्तार के पुनरीक्षित नियमितीकरण नक्शों का अनुमोदन दिल्ली नगर निगम द्वारा संकल्प सं० 196 के अन्तर्गत दिनांक 16.8.79 को किया गया था। सुदर्शन पार्क और विस्तार कालोनियों के ब्लाकवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार पैदा करने के लक्ष्य

1156. **श्री चित्त बसु** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 513 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च पर 32.15 करोड़ जनदिवसों के लिए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो उक्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) वर्ष 1983-84 के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य राज्य अंश सहित 400 करोड़ रुपये के आबंटन के आधार पर 32.22 करोड़ श्रमदिवस निर्धारित किया गया था। यह आबंटन बाद में घटाकर 380 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 30.20 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है। कुछ राज्यों से पूरी सूचना अभी आनी रहती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन में कमी के साथ-साथ वर्ष के दौरान रोजगार सृजन में मार्जिनल कमी के मुख्य कारण ये हैं :—1983-84 के मध्य मजदूरी सामग्री के अनुपात को 60:40 से संशोधित करके 50:50 करना; कुछेक राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी में वृद्धि होना तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के निष्पादन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की कीमत में वृद्धि होना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना

1157. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रथम बृहत योजना (1962-81) की अवधि के दौरान मुश्किल से दिल्ली की 25 प्रतिशत आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवास के आबंटन के लिए प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों की आवास आवश्यकता को पूर्ण करना उक्त प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। कुल 3,00,996 पंजीकृत व्यक्तियों की तुलना में अब तक 1,3,980 व्यक्तियों को आबंटन/नियतन किया जा चुका है। इस प्रकार हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत मांग की 38 प्रतिशत की पूर्ति की जा चुकी है।

(ग) निर्माण की गति में वृद्धि करने तथा पंजीकृत मांग व पूर्ति में अन्तर कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भवनों की ऊंचाई पर पाबन्दी

1158. **श्री बृज मोहन महन्तो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भवनों की ऊंचाई 80 फुट तक सीमित रखने की कोई पाबन्दी लगी हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऊंचाई के संबंध में कोई रियायत की गई है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रियायत देने के मामलों में दिल्ली नगर कला आयोग से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित मामलों में 80 फुट ऊंचाई प्रतिबन्ध लागू है :—

(1) "सांस्थानिक उपयोग" के भवनों के मामले में 24.4 मीटर (80 फुट) की अधिकतम ऊंचाई अनुमेय है बशर्ते कि लिफटें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं मुहैया कराई गई हों।

(2) सामूहिक आवास के आधार पर रिहायशी विकास के लिए 24.4 मीटर (80 फुट) की अधिकतम ऊंचाई वहां अनुमेय है जहां लिफटें तथा आवश्यक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। गवर्नमेंट प्वाइन्ट ब्लाक भवनों के मामलों में जहां पानी

के ऊपरि टैंक, लिफ्टें तथा अन्य सेवाएं मुहैया की जाती हैं; रिहायशी सामूहिक आवास ब्लाकों के लिए 36.58 मीटर (120 फुट) की अधिकतम ऊंचाई अनुमेय है।

(ख) और (ग) इन वर्षों में दिल्ली नगर निगम द्वारा केवल एक अपवाद बताया गया है जिन्होंने कि दिल्ली नगर कला आयोग के परामर्श से 110 बिस्तर वाले गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल ब्लाक, नई दिल्ली के लिए 103 फुट ऊंचाई के भवन नक्शे को मंजूर किया है।

भाखड़ा नहर में दरार पड़ने के कारण दण्ड

1159. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उग्रवादियों द्वारा जून, 1984 के आरम्भ में भाखड़ा नहर को कितनी दूरी तक तोड़ दिया था;

(ख) क्या इस नहर के इस तरह काटे गए हिस्से के आस-पास रहने वाले लोगों पर दंड/जुर्माना किया गया है या करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भाखड़ा मुख्य नहर में 6 जून, 1984 को जो दरार पड़ गई थी उससे करीब 600 फुट के टुकड़े तक नहर के किनारे तथा लाईनिंग को क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि दरार के कारणों की अभी छानबीन की जा रही है ?

बकरी अनुसंधान संस्थान का व्यय

1160. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरी अनुसंधान संस्थान का योजना और गैर-योजना, दोनों प्रकार का व्यय, 1983-84 में किये गये अपने बजट प्रावधानों को दिसम्बर, 1983 में ही पार कर गया था, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था और इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय वित्त और सम्बद्ध वित्त, द्वारा क्या अवरोधात्मक कार्यवाई की गई है;

(ख) क्या बकरी अनुसंधान संस्थान में 1979-80 से ऐसा ही होता आ रहा हैं, और यदि हां, तो 1979-80 से 1983-84 तक संस्थापना, निर्माण कार्य उपकरण तथा अन्य खर्चों के लिए वर्ष-वार और मद-वार कितनी योजना और गैर-योजना धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई और जहां अधिक धनराशि खर्च की गई तो उसका क्या औचित्य है;

(ग) 1 अप्रैल, 1984 और 1 जुलाई, 1984 को, तत्संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में श्रेणी वार कर्मचारियों की तथा आयुवार, लिंग वार और अनुवांशिक ग्रुप-वार पशुओं की संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या सरकार इस संस्थान के कार्य निष्पादन से संतुष्ट हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय बीज निगम की खरीफ फसल के लिए संकर बीजों के वितरण की योजना

1161. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने खरीफ फसल के लिये चावल तथा अन्य अनाजों के संकर बीजों के वितरण की योजना बनाई है;

(ख) क्या बीजों की अन्तर्राज्यीय बिक्री और वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और पंत नगर बीज संस्थान ही दो मुख्य एजेंसियां हैं;

(ग) क्या राज्यों की आवश्यकताएं अपने बीज निगमों द्वारा पूरी किये जाने की आशा की जाती है;

(घ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने मई और जून, 1984 के दौरान राज्यों को चावल और अन्य अनाजों के लिये संकर बीज वितरण किए हैं; और

(ड) यदि, हाँ, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सप्लाई की गई और इससे इस वर्ष खरीफ फसल के दौरान बेहतर उत्पादन में किस सीमा तक मदद मिली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम धान के संकर बीजों का वितरण करने के लिये कोई योजना नहीं है। तथापि, उन्होंने खरीफ 1984 के दौरान मक्का, ज्वार और बाजरा के संकर और मिश्रित बीज वितरित किए हैं।

(ख) बीजों के अन्तर्राज्यीय बिक्री और वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और उत्तर प्रदेश बीज व तराई विकास निगम 2 प्रमुख अभिकरण हैं।

(ग) राज्य बीज से निगम/संबंधित राज्यों की बीज की आवश्यकताओं की अधिकतम प्रतिशतता को पूरा करने की आशा की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम ने मई और जून, 1984 के दौरान धान के किसी संकर बीज का वितरण नहीं किया। तथापि, इसी अवधि के दौरान, निगम ने मक्का, ज्वार और बाजरा के संकर और मिश्रित बीजों की निम्नलिखित मात्रा का वितरण किया :—

(आंकड़े—क्विंटल में)

मोटे अनाज का नाम	वितरित की गई मात्रा
मक्का	22006
ज्वार	23744
बाजरा	12094

(ड.) खरीफ, 84 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्यवार अनुमानित बीजों की आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है। इन प्रमाणिकृत बीजों के उपयोग से निश्चित रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तथापि इस वृद्धि की मात्रा न केवल बीजों पर ही निर्भर करेगी, बल्कि मौसमी परिस्थितियों, उवर्रकों, सिंचाई, कीटनाशि दवाओं, ऋणों आदि जैसे अन्य आदानों पर भी निर्भर करेगी।

विवरण

खरीफ, 1984 के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न संकर किस्में, मोटा अनाज और धान के प्रमाणिकृत बीजों की मात्रा जिसे सप्लाई करने की योजना बनाई गई,

(मात्रा क्विंटल में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	संकर मक्का	संकर ज्वार	संकर बाजरा	संकट धान
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	425	—	1821	500
2.	हरियाणा	—	—	2998	—
3.	पंजाब	30	—	—	—
4.	दिल्ली	250	1	1000	150
5.	हिमाचल प्रदेश	72	—	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	1580	—	200	—
7.	मध्य प्रदेश	2689	1666	388	251
8.	गुजरात	695	213	165	417

1	2	3	4	5	6
9.	राजस्थान	600	1460	3482	—
10.	महाराष्ट्र	1000	16670	500	500
11.	बिहार	10000	—	—	8000
12.	उड़ीसा	420	—	—	410
13.	पश्चिम बंगाल	340	—	—	10000
14.	सिक्किम	200	—	—	—
15.	मेघालय	225	—	—	—
16.	असम	1300	—	—	18000
17.	मणिपुर	200	—	—	—
18.	त्रिपुरा	210	—	—	—
19.	नागालैंड	250	—	—	—
20.	अरूणाचल प्रदेश	200	—	—	200
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	600
22.	तमिलनाडु	365	1500	1000	2000
23.	आंध्र प्रदेश	500	—	100	—
24.	कर्नाटक	455	2234	440	—
25.	केरल	—	—	—	1700
26.	पांडचेरी	—	—	—	121
	कुल	22006	23744	12094	42849

कमान क्षेत्र विकास परियोजना का पुनर्निरूपण

1162. **श्री बी.बी. देसाई :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कमान क्षेत्र विकास परियोजना को पुनर्निरूपण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन योजनाओं पर अधिक बल दिए जाने की योजना बनाई जा रही है जिसमें, पहले ही भारी निवेश करके ये पैदा की गई सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग कर लेना सुनिश्चित किया जा सकेगा;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए बनाए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनमें से एक प्रस्ताव "फील्ड चेनल कांसट्रक्शन प्रोग्राम,' पर प्राथमिकता के आधार पर विशेष बल के बारे में है;

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था जोकि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की सम्पूर्ण स्थिति पर पहले ही विस्तृत रूप में विचार कर चुका है; और

(च) वर्ष 1984-85 के दौरान और अधिक सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना के लिये गठित कमान क्षेत्र विकास के लिये कार्यकारी दल छठी योजना में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति तथा सातवीं योजना में अपनाई जाने वाली नीति की संवीक्षा करता रहा है। राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किए गये हैं। कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा।

जहां तक फील्ड चेनल निर्माण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, 1983-84 में एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई थी जिसके अनुसार अपनी वार्षिक लक्ष्य से अधिक काम करने वाली राज्य सरकारों को लक्ष्य से अधिक काम पर लागत की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी। फील्ड चेनलों के लिये प्रोत्साहन योजना 1984-85 में भी चालू रखी जा रही है।

(च) राज्यों से कहा गया है कि 1984-85 के दौरान बेहतर सिंचाई क्षमता के सृजन के लिये उपलब्ध संसाधनों के भीतर निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दें।

राज्य सरकारों द्वारा एन. सी. सी. एफ.
की बकाया धनराशि का भुगतान

1163. **श्री बी.वी. देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि वह राज्य सरकारों को नियंत्रित कपड़े की सप्लाई तब तक बन्द कर देगा जब तक कि इसके वितरण में लगी

हुई उनकी एजेंसियां इस वर्ष 30 जून तक की उनकी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं कर देती ;

(ख) यदि हां, तो सात राज्य एजेंसियों ने नियमित कपड़े की सप्लाई के लिये भुगतान के रूप में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को 12 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देनी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने पहले ही राज्य सरकारों को अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है और उन्हें भी इस बारे में सूचित किया है;

(ङ.) यदि हां, तो क्या संघ ने धनराशि का भुगतान रूक जाने के कारण उत्पन्न संकट पर काबू पाने के लिये केन्द्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये का ऋण देने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा.एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा चालित अभिकरणों को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० द्वारा सप्लाई किए गये कंट्रोल के कपड़े के प्रति देय राशि का अभी भुगतान करना रहता है।

(ग) देय राशि तथा कितने समय से यह बकाया पड़ी है उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ.) व (च) राज्य सरकारों के पास रूकी इस राशि के कारण पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऋण मंजर करने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1 महीने तक	1-3 महीने तक	3-6 महीने तक	6 महीनों से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.55	39.51	46.22	4.42	....	72·70
2.	असम		4.38				4.38

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार		80.41	18.87	13.79	1.05	114.12
4.	गुजरात	54.50		23.65			78.15
5.	हरियाणा		5.52	4.58	0.42		10.52
6.	कर्नाटक	0.21	2.42	5.90	7.87		16.40
7.	केरल		42.17	8.89	0.60		51.66
8.	मध्य प्रदेश	2.98	4.70		3.79		11.47
9.	महाराष्ट्र				0.12		0.12
10.	नागालैण्ड		11.00				11.00
11.	उड़ीसा		73.29	6.19	17.09	0.58	97.15
12.	पंजाब	6.69					6.69
13.	राजस्थान		7.17	1.31			8.48
14.	तमिलनाडू		5.80	230.12	0.66		236.58
15.	उत्तर प्रदेश		68.88		9.31		78.19
16.	पश्चिम बंगाल	4.93	17.83				22.76
17.	दिल्ली	4.56	21.30		15.37		41.45
18.	गोवा, दमन व दीव		0.55	0.47	0.43		14,5
19.	मिजोरम		4.29				4.29
	योग :	76.42	389.22	346.20	73.87	1.63	887.34

गेहूँ, चावल और खाद्य तेल का वार्षिक कोटा बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध

1164. **श्री दलीपसिंह भूरिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये गेहूँ, चावल और खाद्य तेलों के वार्षिक कोटे को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार को जुलाई, 1984 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 18,000 मीटरी टन चावल और 25,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया है जबकि उन्होंने 30,000 मीटरी टन चावल और 15,000 मीटरी टन गेहूं की मांग की थी।

जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, राज्य सरकारने आवंटन को बढ़ाकर 5000 मीटरी टन प्रति. माह करने का अनुरोध किया था। आवंटन को जून, 1984 के 3000 मीटरी टन से बढ़ाकर जुलाई, 1984 में 4000 मीटरी टन कर दिया गया है।

ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1165. **श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में कितने जिलों का चयन किया गया है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम सितम्बर 1982 से चुने गये सभी जिलों में आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है तथा वहां पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक महिला परियोजना अधिकारी और ब्लाक स्तर पर एक ग्राम सेविका की नियुक्ति की गई है;

(च) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(छ) क्या यह सहायता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत व्यय के आधार पर दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 51 जिलों का चयन किया गया है।

(ख) यद्यपि कार्यक्रम सितम्बर, 1982 में आरम्भ किया गया था परन्तु वास्तविक कार्यान्वयन कई जिलों में तत्काल आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा औपचारिक कार्रवाइयां पूरी नहीं हो पाई थीं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राह्य आय सृजन की सभी योजनाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी चलाई जा रही हैं।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के चार जिलों का चयन किया गया है। आय सृजन की सभी योजनाएं जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है, शिशु परिचर्या सुविधाओं के अतिरिक्त चलाई जा रही है।

(ङ.) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक महिला परियोजना अधिकारी के पद की मंजूरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम वाले प्रत्येक खण्ड में एक अतिरिक्त ग्राम्य सेविका का पद स्वीकृत किया गया है तथा राज्य सरकारों द्वारा उनकी नियुक्ति की जा रही है।

(च) वर्ष 1982-83 के लिए भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की जा सकी क्योंकि कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के अन्त में मन्जूर किया गया था। वर्ष 1983-84 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 24.99 लाख रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गयी थी।

(छ) यह सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किए जाने के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है।

स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राईसेम) कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों को प्रशिक्षण

1166. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) उनमें से आदिवासी तथा अनुसूचित जातियों के युवक कितने हैं;

(घ) क्या ये सभी युवक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपनी आजीविका कमा रहे हैं;

(ङ.) इस प्रकार प्रशिक्षित युवकों में से कितने युवकों ने बैंकों से वित्तीय सहायता ली है और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, और

(च) क्या सभी राज्यों ने इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये व्यवस्था की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रतिखंड कम से कम 40 युवकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तदनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 10 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसकी शुरूआत से लेकर 1983-84 तक प्रशिक्षित किये गये युवकों की संख्या 8.03 लाख है।

(ग) 1982-83 और 1983-84 में "ट्राइसेम" के अन्तर्गत शामिल किए गये आदिवासी और अनुसूचित जाति के युवकों की संख्या क्रमश: 25762 और 80969 है।

(घ) "ट्राइसेम" के अन्तर्गत 1983-84 तक प्रशिक्षित 8.03 लाख युवकों में से 4.38 लाख युवक अपना धन्धा/नौकरी करने लगे हैं।

(ङ.) अपना धन्धा करने वाले युवकों की संख्या 3.90 लाख है।

(च) जी हां।

ट्रैक्टरों की बिक्री में धांधली

1167. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को ट्रैक्टर बेचने में धांधली की शिकायत संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह बात मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है कि 1971 के अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये अनुदेशों का खुला उल्लंघन करके किसानों से ट्रैक्टर का पूरा मूल्य अग्रिम जमा करवा लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले को सम्बन्धित विनिर्माताओं और उद्योग मंत्रालय, जो ट्रक्टरों के विनिर्माण और वितरण के लिये उत्तरदायी है, के साथ उठाया गया है।

(ग) और (घ) यह जानकारी दी गयी है कि एच.एम.टी. 5911 माडल की लागत की सम्पूर्ण धन राशि किसानों से अग्रिम तौर पर जमा करायी जा रही है। तथापि, ट्रैक्टर का यह माडल भारी उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रवृत्त ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 के तहत नहीं आता है अत: उक्त आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धन का आबंटन

1168. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के लिये किये गये आबंटन की तुलना में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. -8497/84]

स्वायतसाशी यूनिटों के रूप में नेहरू युवक केन्द्र

1169. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नेहरू युवक केन्द्रों को स्वायत्तशासी यूनिट बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इस योजना का ब्योरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। तथापि, सभी नेहरू युवक केन्द्रों के लिए स्वायत्त संगठन की स्थापना के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई परियोजना की स्थापना के कारण कृषि भूमि से वंचित किए गए व्यक्तियों को पुनर्वास

1170. **श्री जी. भूपपति :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने, सिंचाई परियोजनओं की स्थापना के परिणामत: खेती की जमीन से वंचित किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास करने, परियोजन के कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत उनको मुआवजा के रूप में अपरिहार्य तौर पर खेती योग्य भूमि आबंटित करने, उसी परियोजना के आयकट के अन्तर्गत उनका पुनर्वास करने, इस संदर्भ में विस्थापित किए गए भूमिहीन श्रमिकों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान करने के लिए हाल ही में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन पहलुओं से सम्बद्ध विस्तृत ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य-विषय है और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रम सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा उनके लिए धन राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती हैं। इस समस्या पर विचार करने और पुनर्वास उपायों पर एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई है। जब तक इस समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं होतीं तब तक परियोजना के लाभ में विस्थापित व्यक्तियों को भागीदार बनाने के विचार से सिंचाई मंत्रालय ने मई, 1980 में राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि कमानगत क्षेत्र में बेकार पड़ी जमीने विस्थापित व्यक्तियों को दी जाएं और जहां पर ऐसी जमीनें उपलब्ध नहीं है, कमानगत क्षेत्र में बड़े-बड़े भूस्वामियों को विस्थापितों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अपनी जमीन के एक भाग को देने के वास्ते विवश किया जाए। इसके अतिरिक्त गृह मन्त्रालय ने सिंचाई, औद्योगिक और खनन परियोजनाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के कारण विस्थापित हुए जनजातीय लोगों के पुनर्वास के बारे में फरवरी, 1984 में राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए मार्ग निर्देशों का प्रारूप भेजा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए गए भवनों के पुनर्निर्माण संबंधी कानून

1171. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों के मकानों को खतरनाक घोषित कर दिए जाने के बाद नगरीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिया जाता है उन्हें वे ठीक प्रकार से पुन: बनवा सकते हैं;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्र में जहां कोई भी मकान नगरीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं बनाया गया है वहां पहले स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या आदेश है और क्या उन आदेशों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जाएंगी;

खेल विभाग में निर्माण आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री

मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी से यथोचित स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 अन्तर्गत "विकास" जिनमें भवनों/संरचनाओं का निर्माण शामिल है, को स्वीकृति दाता प्राधिकारी से यथोचित स्वीकृति लेने के बाद आरम्भ किया जा सकता है। यदि क्षेत्र को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है तो यह अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण से या अन्यथा सम्बन्धित स्थानीय विकास से प्राप्त करनी होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 2 (घ) तथा धारा 12 की एक एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.** 8498/84]

उड़ीसा में फसल क्रम के विविधिकरण के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने हेतु नीति

1172. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फसलों के क्रम के विविधिकरण के द्वार उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को किन नीतियों की सिफारिश की गई है;

(ख) छठी योजना में उड़ीसा में उन नीतियों के क्रियान्वयन की सिफारिश के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में अधिक उत्पादन प्राप्त करने और फसल पद्धति की विविधता के लिये किसानों को जिन नीतियों की सिफारिश की गई है, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं :—

1. भूमि की विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत उपयुक्त फसल पद्धति को अपनाना, जैसे,

(1) चावल की फसल के लिये अनुपयुक्त वर्षा सिंचित उच्च भूमि में कदन्न और दलहन उगाना

(2) चावल की परती भूमि में और तिलहनों, आलू, गेहूं आदि के पश्चात् सिंचाई से ग्रीष्म मौसम में उड़द, मूंग आदि अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना।

(3) सिंचित और गैर-सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत मूंगफली में अरहर की अन्त: फसल।

(4) जुलाई-अगस्त की बाढ़ प्रवण स्थितियों में धान के पश्चात् पटसन की अगेती बुवाई अक्तूबर से दिसम्बर और उसके पश्चात् दलहनों अथवा दलहनों की अल्पावधि रबी फसल।

2. प्रमाणीकृत/बढ़िया किस्म के बीजों का उपयोग और अधिक उपज देने वाली स्थानिक विशिष्ट किस्मों का चयन।

3. फसल उत्पादन के लिये सिफारिश की गई पैकेज पद्धतियों को अपनाना

4. फसल बढ़वार की विकट स्थिति में सिंचाई।

5. समय पर और आवश्यकता पर खरपतवार सहित पौध सरक्षण उपाय।

6. मृदा और जल संरक्षण पद्धतियों आदि को अपनाना।

(ख) और (ग) उपरोक्त नीतियों को अपनाने और समय पर बीज, उर्वरक, ऋण, नहरी जल, बिजली, डीजल आदि जैसे आदानों की सप्लाई से राज्य में खाद्यानों का उत्पादन 1979-80 के 38.72 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 1983-84 में 67.37 लाख मीटरी टन हो गया है। फसल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:...

(लाख मीटरी टन में)

फसल	1979-80	1983-84 (अस्थायी अनुमान)
चावल	29.18	50.63
गेहूं	0.82	1.50
मोटे अनाज	3.05	5.78
दलहन	5.67	9.46
कुल खाद्यान्न	38.72	67.37

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विकलागों स्टाकिस्टों को रियायतें

1173. **श्री निहाल सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मदर डेरी तथा माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इन्डिया) लिमिटेड ने विकलागों और असैनिकों को मिल्क बूथ आवंटित किए हैं और उन्हें माडर्न फूड स्टाकिस्ट नियुक्त किया है; और

(ख) क्या अन्य व्यक्तियों की तुलना में उपरोक्त व्यक्तियों को कोई विशेष छूट भी दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) और (ख) दिल्ली की मदर डेरी के बल्क वेंडिंग बूथों का प्रबन्ध केवल शारीरिक दृष्टि से योग्य भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ही किया जाता है। माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इन्डिया) लिमिटेड ने दिल्ली में अपने थोक विक्रेताओं/वितरकों के रूप में 13 भूतपूर्व सैनिकों और 3 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। कम्पनी उन्हें किसी प्रकार की विशेष रियायत नहीं देती है।

जल निकासी और मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों को नियमित करना

1174. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल निकासी और मल व्ययन संस्थान में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले किस तारीख तक के दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित किया गया है और ऐसे कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है; और

(ख) क्या गत अन्य वर्षों से लिपिक और सहायक मीटर रीडर के पदों पर कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं; और

(ग) जिन दिहाड़ी मजदूरों ने लगातार दो वर्षों में 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य में विभाग उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.12.78 तक दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों को नियमित कर दिया गया है। उनकी संख्या 2687 है।

(ख) जी, नहीं। सहायक मीटर रीडर/चपरासी और अवर श्रेणी लिपिकों के पद अधिसूचित भर्ती विनियमनों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। उन दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों के बारे में जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं, रोजगार कार्यालय और अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभिकरणों द्वारा प्रवर्तित नामों के साथ-साथ इन पदों पर नियुक्त करने के लिए भी विचार किया जाता है।

(ग) दिल्ली जल पूर्ति संस्थान मास्टर रोल/दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों को चरणबद्ध तरीके से नियमित कर रहा है।

चीनी के आयात और निर्यात से प्रतिबन्ध हटाना

1175. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1985 से चीनी के आयात और निर्यात से सभी प्रतिबन्ध हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका आधार औचित्य क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) सरकार का 1985 से चीनी के आयात और निर्यात पर लगे हुए वर्तमान प्रतिबंधों को हटाने का कोई विचार नहीं है। तथापि, नये अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार करने विषयक समझौता वार्ता विफल हो गई है और इसलिए वर्तमान करार जो कि 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हो जाएगा, के अधीन चीनी का निर्यात करने के कोटे और चीनी आयात विरोधी विनियमों के उपयुक्त तारीख के बाद लागू रहने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता।

आर. के. पुरम में गहरे नाले का विकास और पहुंच मार्ग मुहैया कराया जाना

1176. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आर. के. पुरम के सेक्टर एक में गहरे और चौड़े नाले का विकास करने तथा दोनों तरफ पहुंच मार्ग बनाने ताकि स्कूल जाने वाले बच्चे बारिश के मौसम में, जो अब शुरू हो चुका है, कीचड़ से गन्दे हुए बिना स्कूल पहुंच सकें, का बार-बार अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य को शुरू न करने के क्या कारण हैं जिसके क्रियान्वयन से अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के हजारों परिवारों को लाभ पहुंचेगा;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

1177. **श्री भोला भाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का मांग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों और इसके प्रबन्धकों के बीच समझौता वार्ता चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम में कई कर्मचारी संघ हैं और वे समय-समय पर विभिन्न स्वरूप की मांगे रखते रहते हैं। उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिये विभिन्न संघों के साथ बैठकें की जाती हैं और यथा-सम्भव स्वीकार्य हल ढूंढ लिए गए हैं।

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट

1178. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्र तथा राज्यों ने कृषि मूल्य आयोग की प्रथम रिपोर्ट से लेकर अब तक कितनी बार इसकी सिफारिश को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1982-83 के मौसम में बोई गई विभिन्न फसलों की मूल्य नीति सम्बन्धी रिपोर्टों से आरम्भ करके जनता को समेकित रिपोर्टें सुलभ कराने का निर्णय लिया गया है।

(ग) 1965 में कृषि मूल्य आयोग के गठन से 1983-84 तक उसने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों के बारे में 296 सिफारिशें की हैं। भारत सरकार ने इनमें से 271 सिफारिशों पर समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य घोषित किये जिसमें 160 सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। भारत सरकार समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा करने से पहले राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करती है।

नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की बैठक

1179. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून को नई दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की कोई बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन लोगों ने भाग लिया;

(ग) उक्त बैठक में क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) नेशनल कैपिटल रीजन आथारिटी की स्थापना करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां। पुनर्जीवित बोर्ड की प्रथम बैठक में केन्द्रीय मंत्रियों निर्माण और आवास (अध्यक्ष), योजना केन्द्रीय राज्य मंत्रियों, जहाज रानी तथा परिवहन, गृह, सिंचाई, संचार, केन्द्रीय निर्माण और आवास उप मंत्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के प्रतिनिधियों, दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा दिल्ली के महापौर और निर्माण और आवास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता तथा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास की प्रगति को विनियमित करने की सहमति थी ताकि भार तथा आर्थिक विकास की समृद्धि में हिस्सा बटाया जा सके। यह निर्णय लिया गया था कि 1973 में अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को संशोधित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये और विभिन्न सेवाओं की धारण क्षमता के अनुसार दिल्ली की इष्टतम जनसंख्या का निर्णय लिया जाना चाहिये और तब जनसंख्या के छिलसाव को प्राप्त करने के लिये नीतियों में परिवर्तन सम्बन्धी अनुवर्ती निर्णय लिया जाना चाहिये।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सांविधिक प्राधिकरण के गठन के लिये संसद में एक विधान प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के लिये कार्यवाही आरंभ है।

(ङ) बैठक के विचार-विमर्श बहुत महत्वपूर्ण थे और इनसे पूर्ण क्षेत्र में गंभीर समस्याओं का अवलोकन करने का अवसर मिला। इससे सम्बन्धित प्राधिकरणों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का मौका मिलेगा।

राष्ट्रीय बीज निगम का वार्षिक बजट

1180. **श्री भोला भाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम का वार्षिक बजट कितना है; और

(ख) इस निगम में काम करने वाले अधिकारियों/और कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम का वित्तीय वर्ष जून से मई तक चलता है। निगम के वर्ष 1983-84 के बजट प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :

			(लाख रुपये)
प्रचालन व्यय, जिसमें खरीद तथा प्रशासनिक खर्चे भी शामिल हैं	3549.44	बिक्री तथा सेवाएं	2780.14
		अन्य आय	234.00
लाभ	49.22		
		भण्डार में वृद्धि	584.52
कुल	3598.66		3598.66

1984-85 का बजट अब निगम के निदेशक मण्डल के पास मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) 1-1-.984 को निगम में कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या (इसके अध्यक्ष को छोड़कर) तथा उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :

श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी (समूह के तथा ख)	519	35	4
कर्मचारी (समूह ग तथा घ)	831	136	6
कुल	1350	171	10

गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र की तुलना में गन्ने की बकाया राशि

1181. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी की मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के भुगतान के रूप में कितनी बकाया राशि देय है;

(ख) इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) क्या उक्त भुगतान न किये जाने के कारण कम क्षेत्र पर गन्ने की खेती की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार इस संबंध में क्या स्थायी प्रक्रिया बनाने का है कि पिछली बकाया राशि के भुगतान में कुछ महीने से अधिक का विलम्ब न हो, जिससे कि किसान अनुत्साहित हो कर गन्ने की खेती कहीं बन्द ही न कर दे और कोई दूसरी खेती करने लगे जिसके परिणामस्वरूप चीनी उत्पादन कम हो जाये और उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाये और चीनी उत्पादक राज्यों में श्रमिक समस्या भी पैदा हो जाये ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) चीनी मिलों के प्रति 15-6-1984 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का विवरण नीचे दिया जाता है :-

(आंकड़े रुपये/लाख में)

(1)	1983-84 मौसम के लिए देय गन्ने का कुल मूल्य	109083.66
(2)	1983-84 के लिए बकाया राशि	11087.31
(3)	1982-83 के लिए बकाया राशि	1314.57
(4)	1981-82 और पिछले मौसम के लिए बकाया राशि	648.21
	कुल बकाया राशि:	13050.09

(ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से ऐसे पग उठाए हैं जिनका उद्देश्य उद्योग की तुलना में सुधार करना है ताकि उद्योग गन्ने का मूल्य अदा करने में सक्षम हो सके इन उपायों में बैंक ऋण सुविधाएं उदार करना, बफर स्टाक बनाए रखना जिसके प्रति 100 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध है और खेती के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त बिक्री की चीनी की मासिक नियुक्तियां सूझ-बूझ के साथ करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि गन्ने के मूल्य के बकायों के होने के कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है।

पिछले पांच वर्षों में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र का विवरण नीचे दिया जाता है :-

(क्षेत्र हजार हैक्टर में)

1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
2610	2667	3193	3365	3171 (दूसरा अनुमान)

(1982-83 के लिए दूसरा अनुमान 3202.4 था)

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में यह व्यवस्था की गई है कि गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में 14 दिन से अधिक विलम्ब करने की दशा में उस मूल्य पर 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करना होगा। उद्योग की सक्षमता और तरलता में सुधार करने के प्रयत्न कर और राज्य सरकारों के माध्यम से बकायों का भुगतान करवाने के लिए निरन्तर दबाव डाल कर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को कम करने की दिशा में कार्यवाई की जाती है।

चीनी और गन्ने की उत्पादन लागत की तुलना में
गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य

1182. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक गन्ना उत्पादक राज्य में चीनी और गन्ने की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) क्या गन्ने का समर्थन मूल्य कम होने के कारण किसान पर्याप्त क्षेत्र में गन्ने की खेती करने के प्रति निरुत्साहित हुये हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम. एस. संजीवी राव) : (क) गन्ने की उत्पादन लागत के अद्यतन उपलब्ध अनुमान नीचे दिये जाते हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	उत्पादन लागत
आंध्र प्रदेश	14.41
बिहार	12.49
हरियाणा	12.68
कर्नाटक	13.57
महाराष्ट्र	15.31
उत्तर प्रदेश	11.63

गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य पर आधारित चीनी की उत्पादक लागत, विशेषज्ञ निकाय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रूपान्तरण लागत और लाभ के आधार पर निकाली जाती है और उसे लेवी मूल्यों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। 1983-84 के लिए 11 जनवरी, 1984 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खण्ड 3, उप-खन्ड (।) में प्रकाशित आदेश सं सा. का. नि. 28 (ई)/अ. ब./चीनी द्वारा मूल्य अधिसूचित किये गये थे। यह अधिसूचना 27-2-1984 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य नियत करती है। लेवी चीनी के मूल्य नियत करते समय और अत्यधिक फसल वाले वर्ष में किसानों को शोषण से बचाने के लिए इन मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य 1982-83 में 8.5% की रिकवरी पर 13.00 रुपये से बढ़ाकर 1983-84 में 13.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए गए थे। तथापि, किसानों को प्राप्त हुए वास्तविक मूल्य या तो राज्य सरकार की सलाह के अन्तर्गत अथवा गन्ना (नियंत्रण) आदेश में अन्तर्ग्रस्त भार्गव शेयरिंग फार्मूला को लागू करने के परिणामस्वरूप काफी अधिक थे।

आरक्षित श्रेणियों से संबंधित संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

1183. **श्री भीखाभाई** :क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित संसद सदस्यों को उनके पंजीकरण के विरूद्ध फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या अपने नाम पंजीकृत नहीं कराने वाले को फ्लैट आबंटन किए गए हैं; और

(ग) क्या बाद में पंजीकरण करने वालों को फ्लैट दे दिए गए हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन सभी संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन किया गया है जिन्होंने अनुसूचित/जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में फ्लैटों के नियतन के लिए अपने-अपने आवेदन-पत्र भेजे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत, विभिन्न इलाकों में बनाए जाने वाले प्रस्तावित फ्लैटों को प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है और विभिन्न स्व-वित्त पोषित योजनाओं के पंजीकृतों को इलाके के बारे में वरीयता बताते हुए आवेदन पत्र भेजने के लिये कहा जाता है। अनुवर्ती योजनाओं में पंजीकृत व्यक्तियों की सामूहिक रूप से वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये आवंटन किये जाते हैं। तथापि, किसी एक खास योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को जहां तक उनकी वरिष्ठता का सम्बन्ध है, बराबर समझा जाता है,। पहले की योजना में पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है, वे हैं जिन्होंने या तो नियतन के लिये आवेदन नहीं किया है या इलाके के लिए बहुत ही सीमित पसन्द व्यक्त की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों की अधिकता

1184. **श्री भीखाभाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारी तैनात करने के सामान्य ढांचे की तुलना में कहीं अधिक कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यभार का आकलन किया है;

(ग) यह दिल्ली के अन्य संस्थानों की तुलना में कितना है; और

(घ) क्या कार्यभार की जांच के लिए वित्त सचिव अथवा वित्त विभाग के किसी विशेषज्ञ को तैनात किया गया है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि संगठन की नियमित स्थापना में पद कार्यभार तथा कर्मचारी मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। तथापि, उनके इंजीनियरी प्रभाग/उद्यान प्रभाग में दैनिक मजदूरी/कार्यप्रभारित आधार पर नियुक्ति की जाती है जो कि आवश्यकताओं की प्रकृति पर निर्भर करती है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के ढ़ाचे का एक अध्ययन वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक को सौंपा गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राथमिक आंकड़े इस एकक को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

बिहार में उठाऊ सिंचाई और लघु सिंचाई की प्रगति

1185. **श्री ए. के. राय :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, उठाऊ, सिंचाई और लघु सिंचाई में कितनी प्रगति हुई है और इस में कितनी धनराशि खर्च की गई है एवं इससे कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होगी और क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने हेतु राज्य को कोई सहायता दी है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम में भू-जल भण्डारण, व्यपवर्तन तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीमें तथा समस्त भूमिगत जल स्कीमें, जिनमें खुदाई कुआं, निजी उथले नलकूपों तथा सार्वजनिक गहरे नलकूपों का निर्माण शामिल है, दोनों प्रकार की स्कीमें सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण योजना सेक्टर परिव्ययों तथा संस्थागत निवेश जुटाने के माध्यम से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात

1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों की प्रगति इस प्रकार है :-

वित्तीय करोड़ रुपए में

	1981-82		1982-83		1983-84	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित वास्तविक परिव्यय
योजना सेक्टर परिव्यय	28.0	34.95	34.05	45.55	44.0	44.0
संस्थागत	37.0	32.44	24.0	20.55	38.78	38.78

भौतिक हजार हैक्टेयर यूनिट

	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध
भूजल	15.0	34.0	26.0	31.0	30.0	35.64
भूमिगत जल	165.0	115.0	135.0	165.0	220.0	196.00
योग	180.0	149.0	161.0	196.0	250.0	231.64

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है तथा यह सहायता किसी विशिष्ट कार्यक्रम से सम्बन्ध नहीं होती है।

कृषि उत्पादनों का उत्पादन और निर्यात

1186. श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्य वार और मद-वार अलग-अलग) कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का कहां से कहां तक निर्यात किया गया;

(ग) आगामी पांच वर्षों में कृषि उत्पादों के उत्पादन में कितनी वृद्धि की जा सकती है और उपरोक्त अवधि में कितने मूल्य का निर्यात हो सकता है; और

(घ) क्या देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए देश में कृषि उत्पाद का मदवार मूल्य अनुबंध-1 में दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी 8499/84**] पृथक-पृथक राज्यों के लिए ऐसे ब्यौरे केन्द्र द्वारा संकलित और प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

(ख) 1982-83 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के लिए मदों के समूह के अनुसार भारत से कृषि और उससे सम्बन्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य अनुबंध-2 में दिया गया है। वर्ष 1983-84 के लिए समान जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। स्रोत वार तथा गंतव्य स्थान वार आंकड़े पृथक से संकलित और प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्ताव के अनुसार, जो हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया, अगले पांच वर्षों (1985-86 से 1989-90) के दौरान कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की बात कही गई है। इसी अवधि के लिए निर्यात में होने वाली वृद्धि के लिए अभी लक्ष्य तैयार नहीं किये गये हैं।

(घ) कृषि उत्पादन में वृद्धि की क्षमता प्रौद्योगिकी के स्तरों तथा आदानों और संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार संसाधन, स्थायी निधि, प्रौद्योगिकी में प्रत्याशित विकास, संगठनात्मक क्षमता और संस्थागत और अवसंरचनात्मक समर्थन को ध्यान में रखते हुये 2000 ए. डी. तक देश में खाद्यान्नों का 2300 लाख मीटरी टन का उत्पादन हो सकेगा तथा नगदी फसलों में तदनरूपी वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलों में गन्ने की पिराई न होना

1187. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, ऐसी कितनी और कौन-कौन सी चीनी-मिलें हैं, जो वर्ष 1983-84 के पिराई मौसम के दौरान पिराई शुरू नहीं कर सकीं;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान उनके द्वारा पिराई शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि और/अथवा राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के ऋण और कालातीत देय राशि, तथा उनके अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का बकाया राशि का मिलवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मिलों के मालिक कौन हैं; और

(ङ.) क्या सरकार आगामी पिराई मौसम के लिए गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि, कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को तथा उनके ठीक-ठाक काम करने को सुनिश्चित करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम. एस. सजीवी राव) : (क) उत्तर प्रदेश में एक चीनी फैक्ट्री अर्थात महावीर शुगर मिल्स, लि०, सिसवा बाजार ने 1983-84 मौसम में काम नहीं किया था ।

(ख) मिल द्वारा 1983-84 के दौरान पिराई कार्य शुरू न करने के कारणों के बारे में न तो राज्य सरकार से अथवा न ही चीनी फैक्ट्री से कोई सूचना प्राप्त हुई है । तथापि, मिल के क्षेत्र का गन्ना पड़ोसी फैक्ट्रियों को भेज दिया गया था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास केवल गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में ही सूचना उपलब्ध है । मिल को 30-6-1984 तक 1982-83 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ना उत्पादकों को 19·40 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना था । मिल के अन्य वित्तीय दायित्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) सिसवाबाजार फैक्ट्री के मालिक महावीर शुगर मिल्स लिमिटेड हैं ।

(ङ) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि आदि का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन और अपेक्षित शक्तियां होती हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने की आवश्यकता के बारे में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर जोर दे रही ।

केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, न्यायालय के आदेशों आधार पर नवम्बर, 1983 में कलक्टर, गोरखपुर को मिल का रिसीवर नियुक्त किया गया था । राज्य सरकार ने इस मिल के लिए नवम्बर, 1983 में 185 लाख रुपयें का ऋण मंजूर किया था ताकि यह गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान कर सके । इसकें अलावा, राज्य सरकार ने श्रमिकों के बकायों का भुगतान करने के लिए 32·65 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण भी मंजूर किया था।

यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है कि चीनी मिल कार्य करती है। यदि कोई मिल पिराई कार्य करने में असमर्थ होती है तो इस दशा में बंधक गन्ना अन्य मिलों को भेज दिया जाता है ।

नेपाल सरकार के साथ बात-चीत में प्रगति

1188. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार के साथ विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हुई बातचीत में प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या सरकार को इस वर्ष के दौरान किसी परियोजना पर अन्तिम समझौता होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का नाम क्या है और इसकी प्रस्तावित तारीख या महीना क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बृहत् भण्डारण परियोजनाएं, जिनसे भारत तथा नेपाल को सिंचाई, जल विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ प्राप्त होंगे, निम्नलिखित हैं :—

(1) करनाली पर करनाली परियोजना।

(2) महाकाली पर पचेश्वर

(3) पश्चिम राप्ती पर राप्ती (भालुभंग)

(4) कोसी पर कोसी उच्च बांध

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बहुप्रयोजनी लाभ के लिए निम्नलिखित भण्डारण स्कीमें भी अभिज्ञात की गई है :—

(1) सीसापानी में कमला पर पर;

(2) नूनथेर में बागमती पर;

बबई पर

(4) गंडक नदी पर कुछ भण्डारयों की भी संभावना हो सकती है।

करनाली पर गठित समिति ने परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शताताओं के लिए विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दे दिया है और परामर्शदाताओं की सूची की जांच करके उसे अपेक्षित संख्या तक कम कर दिया गया है।

अन्य परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है और यह बता पाना संभव नहीं होगा कि उनके संबध में समझौते को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा या नहीं और यदि संभव हुआ तो कब तक।

मिडिल अन्डमान्स में बिल्ली ग्राउन्ड में कुक्कुट-फार्म

1189. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मिडिल-अन्डमान्स के बिल्लीग्राउन्ड में कुक्कुट फार्म खोलने के लिए सरकार ने लगभग 8 लाख रुपये की धनराशि खर्च की है; और

(ख) यदि हां, तो कितने पक्षी खरीदे गए फार्म पर रखे गए, कितने अन्डों का उत्पादन हुआ और अन्डों/पक्षियों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के अनुसार मिडिल अन्दमान के बिल्लीग्राउन्ड में कोई कुक्कुट फार्म स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम में मुकदमें के मामलों में वृद्धि

1190. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के कार्मिक मामलों संबंधी मुकदमों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक वर्ष-वार विभिन्न विधि न्यायालयों में दाखिल किये ऐसे मुकदमों की संख्या क्या है और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलों से संबंधित मुकदमों की संख्या क्या है;

(ग) विभिन्न न्यायालयों द्वारा कितने मामलों में निर्णय दिया गया है और कितने मामलों में निर्णय भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में तथा कितने मामलों में विपक्ष में;

(घ) न्यायालय में मुकदमों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस० संजीवी राव) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

झंडेवालान, दिल्ली में शैक्षणिक संस्थाओं में नागरिक सुविधाएं प्रदान किया जाना

1191. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री झंडेवालान, दिल्ली स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में नागरिक सुविधा देने के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जानकारी के एकत्र होने और इसके तैयार होने में कितना समय लगेगा;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपेक्षित सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है तथा इसे लोक सभा पटल पर रखा जा रहा है।

बड़े शहरों के निकट सब्जियों की काश्त

1192. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री बड़े शहरों के निकट सब्जियों की काश्त के बारे में 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए सब्जियों की सघन खेती" योजना के सम्बन्ध में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : "आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए सब्जियों की सघन खेती" विषयक योजना व्यय वित्त समिति के पास उनकी स्वीकृति के लिए पड़ी है।

महाराष्ट्र में परभानी में हुआ अखिल भारतीय किसान सम्मेलन

1193. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री महाराष्ट्र में परभाणी में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के बारे में 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5921 में दिए गए आश्वासन से सम्बन्धित कार्यान्वयन रिपोर्ट सैट संख्या 3 की मद संख्या 17 के जरिए 24-7-1984 को लोकसभा के पटल पर रख दी गई थी।

नेरादी बराज परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट के सम्बन्ध में विवाद

1194. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश सरकार से नेरादी बराज की संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या उक्त राज्य की संशोधित रिपोर्ट के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को बता दिया गया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कार्यान्वियन हेतु परियोजना की स्वीकृति देने से पहले नेरादी बराज के कमान क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु उनके मन्त्रालय को प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा विवाद को हल करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने नेराडी बराज की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को तथा उड़ीसा सरकार को जुलाई, 1982 में प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने नेराडी बराज के कमान क्षेत्र विकास के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के वास्ते कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए उस पर केन्द्र द्वारा किसी निर्णय करने का प्रश्न नहीं है।

नेराडी बराज पर तथा नेराडी बराज के अभिकल्प के लिए अपनाए जाने वाले बाढ़ पैरामीटरों पर आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों के बीच उड़ीसा में जलमग्न होने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में मतभेद हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने दोनों राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों की 10-1-1984 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें नेराडी बराज के लिए अपनाए जाने वाले अभिकल्प बाढ़ का निर्धारण करने के वास्ते प्रक्रिया पर सहमति हुई थी। इस बैठक में लिये गए निर्णय पर अनुगामी कार्रवाई के रूप में 10-11 जनवरी, 1984 को दोनों राज्य सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा स्थल का एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात केन्द्रीय जल आयोग ने बैंच मार्च सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है। यह भी सूचना मिली है कि दोनों राज्यों द्वारा नदी क्रास-सेक्शनों का संयुक्त सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। केन्द्र दोनों राज्यों पर जोर देता आ रहा है कि इस मामले को जल्दी निपटा दिया जाए।

खाद्य में जीव-विष का पता लगाने के तरीके

1195. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान ने खाद्य में जीव-विष का पता लगाने के लिए कई तरीके खोजे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी वस्तुओं के उचित भंडारन और रख-रखाव के लिए

मार्ग निर्देश निर्धारित करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें जीव-विष पैदा हो जाने की संभावना होती है और जिससे वह मानव के उपभोग के लिए अनुपयोगी बन जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों को प्रचार माध्यमों के जरिये इन जीव-विषों के खतरे के बारे में शिक्षित करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां :

(ख) भारतीय मानक संस्था ने इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। सरकारी विश्लेषकों से यह अपेक्षित है कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1968 की धारा 13 के तहत जीव-विष (टौक्सिने) का परीक्षण/आकलन करें।

(ग) ऐसे उपायों का उपयुक्त प्रचार किया जाता है।

वनस्पति घी की कमी

1196. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर दिल्ली में वनस्पति घी की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं विशेषरूप से जब सरकार ने वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी है;

(ग) आम आदमी को वनस्पति घी की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं को वनस्पति घी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के प्रबंध करने का विचार है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) वनस्पति की उपलब्धता, कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। तथापि, जब कभी कमी की छुट-पुट रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है और उद्योग को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से इसकी सप्लाई करने का निदेश दिया जाता है। वनस्पति के मूल्यों में 24-[illegible]-1984 से संशोधन किया गया है।

(ग) आम आदमी को वनस्पति घी आसानी से उपलब्ध हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) उद्योग को वाणिज्यिक दर पर आयातित तेल का आबंटन बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ii) अप्रयुक्त क्षमता तथा कम उत्पादन करने वाले एककों को आयातित तेलों का आबंटन बढ़ाया जा रहा है।

(iii) प्रत्येक वनस्पति एकक को सुरक्षित स्टाक के रूप में दो सप्ताहों की मांग के बराबर आबंटन किया गया है, ताकि वे आयातित तेल की सप्लाई में अस्थायी तौर पर बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में उसका उपयोग कर सकें।

(iv) एककों द्वारा आयातित तेल की मात्रा उठाने की प्रक्रिया को सप्रवाही बनाया गया है।

(v) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे बिजली की कटौती से वनस्पति उद्योग को मुक्त रखें।

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक विकास प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए अपने-अपने इलाके में वनस्पति उत्पादन का 30% तक भाग वसूल करें।

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं को लाना

1197. **श्री माधव राय सिंधिया :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ समय से और अधिक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उनके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए पहले ही सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, साफ्ट कोंक, मिट्टी का तेल तथा कंट्रोल का कपड़ा सप्लाई कर रही है। यद्यपि इसमें कोई अन्य वस्तु शामिल करने का निर्णय नहीं किया है, तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी जाती रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए आम खपत की ऐसी और वस्तुओं को शामिल करें जिनके लिए वे स्वयं व्यवस्था कर सकें। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने नहाने के

साबुन, रेजर ब्लेडों, टार्च के सेलों, दियासलाइयों तथा साइकिल टायरों व ट्यूबों के विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया था और वे विनिर्माता राज्यों अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नामित की गई एजेन्सियों को, उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए, ये वस्तुएं उन दरों पर सप्लाई करने को सहमत हो गए है, जिन पर वे अपने थोक विक्रेताओं को सप्लाई करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि वे इस व्यवस्था का लाभ उठावें।

कृषि पर श्वेत पत्र

1198. **श्री राम लाल राही : कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने कृषि उत्पादन और अनुसंधान, पशु प्रजनन और बाढ़ नियन्त्रण के बारे में किए गए प्रयासों की असफलता पर श्वेत पत्र निकालने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में श्वेत पत्र कब निकालेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में ऐसी मांग छपी है। भारतीय कृषि द्वारा प्रदर्शित समुत्थान शक्ति, क्षमता तथा प्रगति को देखते हुए, जिसका कि भारत तथा विदेशों में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है, इस संबंध में श्वेत-पत्र जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का आयात

1199. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री जे. एस. राजन :

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 के दौरान आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इसी भांति वर्ष 1984 के दौरान चीनी के निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत का विचार किन-किन देशों से चीनी का आयात करने का है, और चीनी की प्रति टन लागत क्या होगी तथा निर्यात के लिए प्रति टन लागत कितनी निर्धारित की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा. एम.

एस. संजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अक्तूबर, 1984 तक जहाज द्वारा लदान करने के आधार पर लगभग 1.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दिया है। चीनी के आयात की मात्रा के बारे में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मात्रा के बारे में स्थिति पर निर्भर करते हुए समय-समय पर निर्णय किया जाता है। जहां तक चीनी का निर्यात करने का सम्बन्ध है, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अधीन 1984 के दौरान निर्यात के लिए 6.5 लाख मीटरी टन कोटा आवंटित किया गया है। इसके प्रति 24-7-1984 तक 2.51 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्यात की गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों से खरीददारियां की गई हैं। अत: देशवार विवरणों के बारे में जानकारी नहीं है। प्रति मीटरी टन लागत सुपुर्दगी के महीनों पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। तथापि औसत मूल्य लगभग 190 प्रति मीटरी टन सी. एण्ड एफ. एफ. ओ. अमरीकी डालर बैठती है।

निर्यात के लिए लेवी चीनी अधिसूचित निकासी मूल्यों पर वसूल की गई है।

कीटनाशकों के नाशक प्रभाव के बारे में ओटावा स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट

1200. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओटावा स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान विकास केन्द्र (आई.डी.आर.सी.) की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में महामारियों की अपेक्षा कीटनाशक दवायें अधिक घातक सिद्ध हो रही हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि हां, तो विकासशील देशों में कीटनाशक जहर के व्यापक व्यावसायिक बाधक बनने के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार गम्भीर किस्म के कीटनाशक जहर के आयात, और जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले उन रसायनों के प्रयोग पर जो कीटों के साथ-साथ मानव-जीवन को भी मिटा देते हैं, पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट के खण्ड 12 संख्या 3-अक्तूबर, 1983 में उल्लेख है कि सिंगापुर विश्वविद्यालय के डाक्टर वाई-आन-फून के अनुसार कुछ देशों में कीटनाशी दवाओं में मौत के कारक के रूप में स्थानीय रोगों को भी पीछे छोड़ दिया है।

(ख) संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्टों का अध्ययन किया है और उनका मत है कि यदि ऐसी कीटनाशी दवाओं का, जिन्हें किसी देश में उनकी जैव कुशलता और नशीलेपन की उपयुक्त जांच करने के बाद उपयोग में लाए जाने की अनुमति दी जाती है, विनिमाण, परिवहन

और उपयोग के दौरान उपयुक्त और निर्धारित ढंग से रख-रखाव किया जाए तो उनसे व्यावसायिक जोखिम पैदा होने की सम्भावना नहीं होती है।

(ग) भारत में, केवल उन्हीं कीटनाशी दवाओं के आयात/विनिर्माण और उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति द्वारा पंजीकृत की जाती है। यह समिति ऐसा पंजीकरण तब तक नहीं करती जब तक वह स्वयं को कीटनाशी दवा की कार्यकुशलता और मानवजाति और पशुओं की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाती। कीटनाशी नियम, 1971 में कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित ढंग से रख-रखाव और उपयोग करने के लिए लेबलों और पर्चों पर हिदायतें छापने का प्रावधान भी है। प्रत्येक कीटनाशी दवा की पैकिंग में एक पर्चा भी होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानव जाति, पशुओं और वन्य जीव के लिए हानिकारक रसायनों, चेतावनी और सावधान करने वाले विवरण जिसमें जहरीलेपन के लक्षण भी शामिल हैं, उपयुक्त और पर्याप्त सुरक्षा के उपाय और आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन प्रथम-उपचार संबंधी ब्यौरों का विवरण होगा। इन पर्चों में कीटनाशी दवाओं के भण्डारण और उपयोग करने के संबंध में चेतावनी देनी होती है तथा प्रज्ज्वलनशील विस्फोटक अथवा चमड़ी के लिए हानिकारक अन्य पदार्थों के बारे में भी उपयुक्त चेतावनी का उल्लेख करना होता है और जहर दूर करने का विवरण भी देना होता है। यदि कीटनाशी दवा चमड़ी, नाक, गले अथवा आंखों पर असर डालने वाली हो तो इस बारे में एक विवरण भी इस पर्चे में शामिल करना आवश्यक है। लेबल में, अन्य बातों के साथ-साथ, जहर दूर करने का विवरण तथा उपयुक्त प्रतीक और चेतावनी देने वाले विवरणों का उल्लेख करना होता है। पंजीयक समिति अपने अधिकारियों को कीटनाशी दवाओं की सुरक्षित संभाल और इन्हें सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने तथा कीटनाशी दवाओं को सही ढंग से इस्तेमाल न करने के कारण पैदा होने वाली बाधाओं के संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजती है, जो आगे किसानों को इन मामलों में प्रशिक्षण देते हैं।

इसके अलावा, यदि किसी कीटनाशी दवा के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, जो भारत में आयात/विनिर्माण के लिए पहले से पंजीकृत हो, तो उसके ब्यौरे प्राप्त किए जाते हैं और इस देश की कृषि-जलवायु स्थितियों के अन्तर्गत भारत में इसके उपयोग के प्रभावों के संदर्भ में उनके अध्ययन किए जाते हैं। इस प्रकार की समीक्षा करने के उपरान्त, इस देश में इसका उपयोग जारी रखा जाए या नहीं, इस बारे में उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। सरकार को निर्धारित पद्धति का अनुसरण करने के पश्चात सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके कीटनाशियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्राप्त है।

विदेशों से चीनी की खरीद के सरकार के निर्णय की आलोचना

1201. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस वर्ष 6.5 लाख टन के निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी की खरीद करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस निर्णय की विभिन्न एजेंसियों द्वारा आलोचना की गई है क्योंकि भारत में मिलों के पास पर्याप्त भन्डार होने पर खुले बाजार से चीनी की खरीद के कोई कारण नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो विदेशों से चीनी की खरीद के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने मिलों के पास उपलब्ध पर्याप्त भन्डार की खरीद अब तक नहीं की है; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदम किस सीमा तक सहायक थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस संजीवी राव) : (क) से (ग) सरकार ने अक्तूबर, 1984 तक विक्रेताओं द्वारा जहाज द्वारा लदान करने के आधार पर लगभग 3.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया है। यद्यपि चालू मौसम 1983-84 के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक था, तथापि, चीनी का आयात अगले चीनी मौसम 1984-85 की प्रारम्भिक अवधि के दौरान, जिसमें कई महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ते हैं, आपूर्ति में वृद्धि करने तथा चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के लिए किया गया है। अत: कतिपय क्षेत्रों में की गई यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है कि सरकार निर्यात विषयक जिम्मेदारियों का निर्वाव करने के लिए इस वर्ष 6,5 लाख मीटरी टन चीनी का आयात कर रही है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटन करने के वास्ते फैक्ट्रियों से 3.13 लाख मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा निर्मुक्त किया जा रहा है। उपभोक्ताओं, किसानों तथा उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक खपत के लिए खुली बिक्री के मासिक कोटे की मात्रा का निश्चय विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। इस प्रकार चालू चीनी मौसम 1983-84 के पहले 10 महीनों, अर्थात अक्तूबर, 1983 से जुलाई, 1984 तक के लिए, खुले बाजार में बिक्री हेतु फैक्ट्रियों से कुल 32.90 लाख मीटरी टन खुली बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई थी।

इसके अतिरिक्त, व्यापारियों द्वारा चीनी की सट्टे के लिए जमाखोरी को रोकने के लिये सरकार ने मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा कम कर दी है और स्टाक प्राप्त हो जाने के 10 दिन के अन्दर उसका निपटान करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकारों को भी जमाशुदा माल निकलवाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी गई है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, बाजार में मुक्त रूप से उपयुक्त मूल्यों पर चीनी उपलब्ध है।

आन्तरिक व्यापार के लिए स्वस्थ व्यापार प्रक्रिया की आदर्श संहिता

1202. **श्री के. राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक व्यापार हेतु बताई गई स्वस्थ व्यापार प्रक्रिया की आठ-सूत्री आदर्श संहिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्वस्थ व्यापार प्रक्रिया हेतु इस संहिता को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी नहीं। सरकार द्वारा ऐसी कोई आदर्श संहिता तैयार नहीं की गई है।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रुई का आयात

1203. **श्री ए. नीलालोहित दासन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वानुमान के विपरीत रुई के उत्पादन में भारी कमी हुई है यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों में उत्पादकता में गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है; (दिनांक 15 जून, 1984 का "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस); और

(ख) क्या उत्पादन और उत्पादकता बनाए रखने में असफल रहने से उत्पन्न इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार रुई का आयात करने के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत पांच वर्षों (1978-79 से 1982-83 तक) के दौरान कपास के उत्पादन में तेजी से कमी नहीं आयी है, बल्कि 1980-81 को छोड़कर, जबकि क्षेत्र में कमी आने और फसल की प्रतिकूल स्थिति के कारण उत्पादन में कमी आयी थी, कपास का उत्पादन प्रति वर्ष 76.5 लाख से 79.6 लाख गांठों के बीच रहा।

(ख) इस समय कपास आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की बकाया धनराशियों को अदायगी

1204. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़े की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की देय राशियां राज्यों की ओर बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये राशियां कब से बकाया हैं;

(घ) क्या अदायगी न करने का कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा घटिया किस्म के कपड़े की आपूर्ति करना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम ("इकोनोमिक टाइम्स" दिनांक 13, जुलाई, 1984 का) उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम. एस. संजीवी राव) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा नामित अभिकरणों को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० द्वारा सप्लाई किये गये कंट्रोल के कपड़े के प्रति देय राशि का अभी भुगतान करना रहता है।

(ख) व (ग) देय राशि तथा कितने समय से यह बकाया पड़ी है, उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

30.6.1984 को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) द्वारा की गई नियंत्रित कपड़े की सप्लाई के बारे में राज्य अभिकरणों द्वारा देय बकाया राशि का राज्य-वार और अवधिवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एक माह तक	1—3 माह	3—6 माह	6 माह से ऊपर लेकिन एक वर्ष से कम	एक वर्ष से ऊपर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.55	39.51	46.22	4.42	—	92.70
2.	असम	—	4.38	—	—	—	4.38
3.	बिहार	—	80.41	18.87	13.79	1.05	114.12
4.	गुजरात	54.50	—	23.65	—	—	78.15
5.	हरियाणा	—	5.52	4.58	0.42	—	10.52
6.	कर्नाटक	0.21	2.42	5.90	7.87	—	16.40
7.	केरल	—	42.17	8.89	0.60	—	51.66
8.	मध्य प्रदेश	2.98	4.70	—	3.79	—	11.47
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	0.12	—	0.12
10.	नागालैण्ड	—	11.00	—	—	—	11.00
11	उड़ीसा	—	73.29	6.19	17.09	0.58	97.15
12.	पंजाब	6.69	—	—	—	—	6.69
13.	राजस्थान	—	7.17	1.31	—	—	8.48
14.	तमिलनाडु	—	5.80	230.12	0.66	—	236.58
15.	उत्तर प्रदेश	—	68.88	—	9.31	—	78.19

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पश्चिम बंगाल	4.93	17.83	—	—	—	22.76
17.	दिल्ली	4.56	21.30	—	15.37	—	41.23
18.	गोवा, दमण एंव द्वीव	—	0.55	0.47	0.43	—	1.45
19.	मिजोरम	—	4.29	—	—	—	4.29
	योग	76.42	389.[illegible]2	346.20	73.87	1.63	8[illegible]7.34

12.00

(व्यवधान)

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, गुरुवार और शुक्रवार को हमने कर्नाटक का मामला उठाया है। आज हैदराबाद में साम्प्रायिक दंगे हो रहे हैं। गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि वह इनके सम्बन्ध में क्या कर रहे है, विशेषरूप से कर्नाटक के सम्बन्ध में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव क्या करते हैं, इस सम्बन्ध में मुझे प्रस्ताव करना चाहिए।

श्री के. लकप्पा : महोदय, हम नियमों से पूर्णतया बन्धे हैं। राज्य में संवैधानिक संकट है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक प्राधिकारी वहां है। वे इसका ध्यान रखेंगे। राज्यपाल वहां हैं। केन्द्रीय प्राधिकारी वहां है, राज्य विधान मंडल वहां है, वहां हर कोई है। मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर हाजी मस्तान और करीम लाला को छोड़ दिया है।···**(व्यवधान)** इनको पालीटीकल प्रेशर में आकर छोड़ दिया है···**(व्यवधान)** हाजी मस्तान को अनाथोराइज्ड आर्म्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : यह भी राज्य का विषय है। यहां भी यही नियम लागू होता है। यह राज्य का विषय है। अनुमति नहीं दी जाती है **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.02 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खाद्य निगम अधिनियम, 1964, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 तथा चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (नवासीवां, संशोधन), विनियमः 1984, जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 30/एफ० नं० ई० पी० 17 (17)/82 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 8474/84]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) संशोधन नियम, 1984, जो 30 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 316 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) तीसरा संशोधन नियम, 1984, जो 23 मई, 1984 के भारत के राजपत्रमें अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 393, (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8475/84]

(3) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 175 (अ) से 182 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो पिछली देयताओं के भुगतान की अवधि को बढ़ाने के बारे में हैं तथा उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 15 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 381 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8476/84]

हरियाणा कृषि–उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रति वेदन, वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण तथा नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

 (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित चंडीगढ़, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

 (दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित, चंडीगढ़, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी.-8477/84]

3. (एक) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

 (दो) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 8478/84]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड (संशोधन) नियम, 1982

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 की धारा 30 के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो

25 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813 में प्रकाशित हुए थे।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[सभा-पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8479/84]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 8480/84]

पंजाब नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 1984

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : मैं पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पंजाब नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1984 राष्ट्रपति का 1984 का अधिनियम संख्या 2) जो 25 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 8481/74]

आयकर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 2315, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था "आर्य वैद्यशाला, कोट्टायकल, (केरल)" को छूट देने के बारे में है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये।

(दो) का० आ० 2316, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "एसोसिएशन फार हिन्दू धर्म (पंजीकृत), मद्रास" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 2317, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद बम्बई" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 2318, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "दि एनी बेंसेंट ट्रस्ट, मद्रास" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 2319, जो 21 जुलाई, 984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और 'आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूशर्स आफ इंडिया, बम्बई" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छः) का० आ० 2320, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और "श्री गदगे महाराज मिशन, बम्बई' को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(सात) का. आ. 2321, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता" को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्षों 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 2328, जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "आल इण्डिया मैंयुफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत, निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का. आ. 2329, जो 21 जुलाई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और "ईंस्टीट्यूट फार मोटीवेटिंग सेल्फ इंम्पलायमेंट, कलकत्ता" को आयकर अधिनिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत निर्धारण वर्षों 198[illegible]-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.-8482/84]

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 511 (अ), जो 13 जुलाई 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 21 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 276/67 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उक्त अधिसूचना में दी गई एक मद अर्थात्, "केमिकल फार्मुलेशंज" को वहां से हटाया जाए।

(दो) सा. का. नि. 512 (अ), जो 13 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 'कार्बन ब्लेक' के निर्माण में औद्योगिक सामग्री के रूप में उपयोग के लिए आशयित फर्फ्युरल एक्सट्रेक्ट' को उस पर उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 8483/84]

सातवी पंच वर्षीय योजना का नीति-पत्र

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं "सातवीं पंचवर्षीय योजना का नीति पत्र-1985-90" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 8484/84]

12.04 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 26 जुलाई 1984 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया।

"कि मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय राज्य सभा के 132 वें सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया जाये।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

राज्य सभा द्वारा यथापारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1984

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1984 सभा पटल पर रखता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सभा राज्य के आन्तरिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमारे पास संविधान है। **(व्यवधान)** अब आप बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने सब कुछ कह लिया। वहां सब कुछ है विधान के अनुसार हरेक मशीनरी है। अगर उसके मुताबिक काम नहीं होगा तो वहाँ गवर्नर भी है। अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सभा की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चलाने देंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी बात सुनिये···मैं संविधान का उल्लघन नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : न मैं आपकी बात मान सकता हूं और न उनकी बात मान सकता हूँ। ला एण्ड आर्डर प्राब्लम यहां का विषय नहीं है। अगर आप हाऊस को चलाने नहीं देना चाहते हैं तो मैं इसे एडजोर्न कर देता हूं। **(व्यवधान)** अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इस संबंध में आश्वस्त हूँ। नियन्त्रण करना राज्य सरकार का काम है। **(व्यवधान)** यदि आप चाहते हैं कि सभा स्थगित कर दूं तो मैं सभा स्थगित कर देता हूँ।

श्री लकप्पा जी मैं नियमों को नहीं बदल सकता। अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। उन्हें पढ़ने दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय यदि सभा में विपक्ष नहीं होगा तो सभा में निरसता छा जाएगी।

महोदय, मैं नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देता हूं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया। क्या मैं अब सभा स्थगित कर दूं?

12-10 म०प्र०

एक सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): 25 जुलाई 1984 को पंजाब के बारे में श्वेत पत्र संबंधी प्रस्ताव पर भाषण देते हुये संसद सदस्य श्री निहाल सिंह वाला द्वारा मेरे विरुद्ध दो आरोप लगाये गये हैं। पहला आरोप यह है कि जब मैं स्वर्ण मन्दिर में था तो मैंने संत भिंडरावाले से मिलने से पूर्व 6 बार अपनी तलाशी लेने दी। दूसरा आरोप यह है कि स्वर्ण मन्दिर से लौटने के बाद मैंने यह घोषणा की थी कि स्वर्ण मन्दिर में न तो किसी भी प्रकार के हथियार ही हैं और न ही वहां कोई अपराधी है।

पहला आरोप बिल्कुल गलत है। मैं स्वर्ण मन्दिर में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के अतिथि के रूप में तीन दिन अर्थात 24 से 26 अप्रैल तक रहा था। उस दौरान मैंने अकाल तख्त में संत भिंडरावाले के साथ दो बार देर तक बातचीत की। इस दौरान न तो मेरी तलाशी ली गई थी और न ही मैंने इसकी कोई इजाजत दी थी। श्री लोंगोवाल और श्री भिंडरावाले दोनों ने ही मेरा पूरा सम्मान किया था।

मेरे ऊपर लगाया गया यह आरोप भी गलत है कि मैंने कभी यह कहा था कि स्वर्ण-मन्दिर में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं है। जहां तक स्वर्ण मन्दिर में अपराधियों के मौजूद होने की बात है स्वर्ण मन्दिर में तीन दिन ठहरने के बावजूद मैं इस बात का पता नहीं लगा सका कि स्वर्ण मन्दिर परिसर में अपराधी छुपे हुये हैं। न ही मैंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है कि स्वर्ण परिसर में कोई अपराधी नहीं है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : महोदय, माननीय सदस्य के वक्तव्य में एक गलती ठीक की जानी है। उन्होंने अपने अन्तिम वाक्य में कहा है कि वह स्वर्ण मन्दिर के रेजीडेन्ट रहे। यह बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति स्वर्ण मन्दिर का रेजीडेन्ड नहीं हो सकती।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कहा है स्वर्ण मन्दिर परिसर।

प्रो के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं सभी का एक मिनट लेना चाहता हूं। महोदय, हैदराबाद में अल्पसंख्याकों को मारने की घटनाएं और हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं और 4 विधायक गिरफ्तार भी किए गए हैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : में यह सुन चुका हूँ। यह राज्य सरकार का विषय है। मेरी इस बारे में दो तरह की बातें नहीं कर सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपने देश के अन्य भागों के हरिजनों और अल्पसंख्यकों के मारे जाने के बारे में चर्चा करवायी है।

अध्यक्ष महोदय : हम वह करेंगे परन्तु इस राज्य के किसी विशेष विषय पर नहीं। हम इस पर करेंगे। आप आज कार्य मन्त्रणा समिति में आइये और देखिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगला विषय। नियम 37 के अधीन मामले। श्री तिवारी—अनुपस्थित। श्री यादव--वह भी नहीं हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के ताड़ीघाट स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व रेलवे का ताड़ीघाट स्टेशन, गाजीपुर, शहर से लगे गंगा के उस पार स्थिति है। गंगा पर सड़क/पुल बन जाने से इस स्टेशन का महत्व काफी बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग ताड़ी घाट से ब्रांच लाइन द्वारा दिलदार नगर जाकर रेलगाड़ियां पकड़ते हैं। ताड़ा घाट से बड़ी संख्या में जाने वाले पैसिंजरों की सुविधाओं के लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं—

1. ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन का फिर से पुनर्निर्माण कराया जाए, इसमें सभी प्रकार की यात्री सुविधाएं उपलब्ध हों।

2. स्टेशन को गंगा पुल के मार्ग से सीधे जोड़ दिया जाए।

3. ताड़ी घाट से दिलदार नगर तक दिन में तीन बार चलने वाली रेल सेवाओं को पांच बार कर दिया जाए।

4. ताड़ीघाट से लखनऊ के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए। यदि यह संभव न हो तो मुगलसराय लखनऊ पैसंजर को ताड़ीघाट से चलाया जाए।

5. गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया जिलों के बड़ी संख्या में पटना कलकत्ता, आसाम, दिल्ली और पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा के लिए दिलदार जंक्शन पर, आसाम मेल, तूफान मेल तथा मगध एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए।

मेरा रेलमंत्री से निवेदन है कि वह व्यापक जनहित की दृष्टि से इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) ग्वालियर में उच्चशक्ति का एक टी. वी. ट्रांसमीटर तथा शिवपुरी और गुना में कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : महोदय, ग्वालियर, जिसकी जन संख्या $5\frac{1}{2}$ लाख से अधिक है, तेजी से प्रगति कर रहा है। मिराज 2000 का अड्डा बन जाने तथा बन मोर और मालानौर के शीघ्रता से औद्योगिक नगर का रूप लेने के साथ-साथ वहां व्यापक प्रसारण वाला टी० वी० केन्द्र होना वांछनीय हो जाएगा।

इस समय ग्वालियर-चम्बल प्रभाग के अधिकांश भाग टेलीविजन सुविधाओं से वंचित हैं। भारत सरकार द्वारा शिवपुरी को, जहां नेशनल पार्क है और इसके आसपास का क्षेत्र सुन्दर है, देश में प्रथम पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है और इस परियोजना के 1985 के प्रथम छः महीनों में पूर्ण होने की आशा है। इसी प्रकार गुना में सार्वजनिक क्षेत्र में 650 करोड़ रुपये की लागत से लगाए जा रहे गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र के साथ-साथ इस क्षेत्र का बहुत तीव्रता से औद्योगिकीकरण हो रहा है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित की स्थापना करें :

(क) ग्वालियर में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर केन्द्र जिसके अन्तर्गत ग्वालियर-मुरैना और भिंड जिलों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी, और

(ख) शिवपुरी और गुना में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

यह इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

(तीन) उड़ीसा को नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई एल्यूमीना परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : भारत की सबसे बड़ी परियोजना का कार्य देश की सबसे बड़ी कम्पनी नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी द्वारा 1981 में आरम्भ किया गया था और इसे 1250 करोड़ रुपये की लागत से छठी योजना की अवधि में पूरा किया जाना था। लेकिन इस कार्य की प्रगति इतनी धीमी है कि शायद ही इसे 7वीं योजना के अन्त तक पूरा किया जा सके। मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार जब यह परियोजना पूरी होगी तब इसकी लागत दुगने से अधिक होगी। उड़ीसा राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि उपलब्ध करायी है, लेकिन उड़ीसा राज्य सरकार और 'नेल्को' के प्रबन्धकों के बीच स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने में मतभेद है। इसी प्रकार दमनजुदी में एल्युमीना शोधन कारखाने को स्थापित करने के लिए जिन 700 आदिम जाति परिवारों को विस्थापित किया गया था, उनको अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। इसके अलावा, पिछले एक वर्ष से वहां आन्दोलन हो रहे हैं और श्रमिक-अशान्ति चल रही है।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये शीघ्र उपाय करे, ताकि परियोजना शीघ्र पूरी की जा सके।

(चार) आग्नेय अस्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : आज देश में गम्भीर अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधों के बढ़ने के अनेक कारणों में से प्रमुख कारण है—आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस देने की वर्तमान पद्धति। देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाज विरोधी एवं अराजक तत्वों को लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। 1980 के बाद प्राय: सभी ऐसे तत्वों को आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस उपलब्ध हो गए हैं। सम्भ्रान्त नागरिकों को, जिन्हें अपने जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए वास्तव में लाइसेंस की आवश्यकता है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और अन्त में निराशा ही हाथ लगती है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर अधिकृत आग्नेय अस्त्रों की आड़ में अनधिकृत आग्नेय अस्त्र प्रयोग किए जा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में आज इस बात की नितान्त आवश्यकता हो गई है कि समस्त प्रदत्त लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए, अथवा उन सभी नागरिकों को लाइसेंस उपलब्ध कर दिए जाए, जो आग्नेय अस्त्र रखना चाहते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे तत्काल उपर्युक्त परिस्थितियों का आंकलन करके आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस दिए जाने की पद्धति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(पांच) बर्दमान आसनसोल सेक्शन को उपनगरीय रेल सेक्शन घोषित करने तथा उस उपनगरीय सेक्शन पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : स्वतंत्रता के बाद दुर्गापुर में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं और आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र में तथा इनके आसपास सौ से अधिक कोयले की खानें हैं. आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में है और चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना भी आसनसोल सब-डिवीजन में है। इसी कारण दुर्गापुर और आसनसोल औद्योगिक पट्टी को 'भारत की रीढ़' कहा जाता है। प्रतिदिन कलकत्ता और वर्दवान से हजारों लोग कारखानों और दफ्तरों में कार्य करने के लिए दुर्गापुर, रानीगंज और आसनसोल आते हैं, इसी प्रकार आसनसोल से कई हजार लोग दुर्गापुर आते हैं। पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों की कमी के कारण इन लोगों को सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि वर्दवान से आसनसोल और आसनसोल से वर्दवान तक रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और पूर्वी रेलवे के वर्दवान-आसनसोल सेक्शन को उपनगरीय सेक्शन घोषित किया जाये और अन्य उपनगरीय सेक्शनों में

उपलब्ध रेलवे सुविधाओं को यहां मुहैया करने की व्यवस्था की जाए, ताकि इस क्षेत्र की परिवहन समस्या को हल किया जा सके।

(छ) राजधानी में बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं में की जा रही मिलावट को रोकने हेतु सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : राजधानी में खाद्य वस्तुओं में मिलावट की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। कुछ समाचार-पत्रों प्रकाशित हाल में किये गये बाजार-सर्वेक्षण के अनुसार महानगर के कुछ बहिर्वर्ती क्षेत्रों में कुछ आवश्यक वस्तुओं में 70 प्रतिशत तक मिलावट पाई गई हैं। दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग (पी० एफ० ए०) ने भी इसकी पुष्टि की है। उन लोगों की यह आपराधिक लापरवाही है जो कि नगर के अधिकाधिक उपभोक्ताओं के अभिरक्षक माने जाते हैं। सरकार खाद्य मिलावट को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करे और दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें बड़ी-से-बड़ी सजा दे।

(सात) कर्नाटक के सभी सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने हेतु उदारतापूर्वक सहायता देने की तत्काल आवश्यकता

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में मानसून की अनिश्चितता रही है, जहां एक ओर देश के कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आई हुई है और तबाही हो रही है वहां कई क्षेत्रों में अभी तक वर्षा नहीं हुई है और कुछ भागों में अल्पमात्रा में वर्षा हुई है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक के 84 ताल्लुकों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है जिससे 1000 से भी अधिक ग्राम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

कुछ क्षेत्रों में तो वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई है और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा हुई है, लेकिन इससे बुआई का कार्य नहीं हो सकता न अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जमीन की जुताई भी नहीं हुई है, वर्षा देर से होने के कारण, ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में बुआई का कार्य नहीं हो सका है। अनेक लोगों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है और उन्हें कौड़ी के भाव बेचा जा रहा है। कई लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हैं। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि कई क्षेत्रों को अकाल का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अभ्यावेदन दिए हैं और केन्द्रीय सरकार से सहायता कार्यों के लिए धनराशि देने का अनुरोध किया है।

ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकार की 100 करोड़ रुपये की मांग की एवज में उसे केवल 19 करोड़ रुपये की ही केन्द्रीय सहायता दी गई है। इस राशि का उपयोग पहले ही सहायता कार्यों के लिए किया जा चुका है। सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहायता कार्य करने की आवश्यकता है।

ऐसा कहा गया है कि अभी तक अध्ययन दलों ने इन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। सहायता कार्य में देरी से और नुकसान होने की सम्भावना है।

मैं केन्द्रीय सरकार से जोरदार अनुरोध करता हूं कि मामले की सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच कराई जाए और कर्नाटक के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिए उदारता से सहायता दी जाए।

12.24 म.प.

जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम गृह मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा करेंगे। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 26-7-84 को सभा में जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रारम्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि······को बर्खास्त किया जाना ···

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आवंटित समय के भीतर ही अपना भाषण दें ताकि हम आज ही इस विषय पर चर्चा समाप्त कर सकें।

श्री चित्त बसु : लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे कुछ और समय दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, कुछ अतिरिक्त समय।

श्री चित्त बसु : इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू और काश्मीर में फारूक सरकार को बर्खास्त करना संसदीय लोकतन्त्र की सभी मानदंडों का उल्लंघन करना है।

12.25 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के आधार पर ही हम इस देश की एकता और अखण्डता को बनाये रख सकते हैं। इस बात पर भी गम्भीरता से ध्यान देना होगा कि संसदीय लोकतंत्र का निरसन या इस संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के समाप्त करने इस प्रणाली से दूर हटने, इसे भंग करने से, मुझे डर है कि देश की एकता संकट में पड़ जाएगी और राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था जिसे हमने आज तक बनाये रखा है और संसदीय लोकतन्त्र के ढांचे को, जिसे हमने देश में इतनी मेहनत से बनाया है, अपार क्षति होगी।

जहां तक जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के मापदण्डों का उल्लंघन करने की प्रश्न है, मैं इसके पक्ष में निम्न तथ्य देना चाहूंगा कि कैसे इन मापदन्डों का उल्लंघन किया गया।

प्रथम तो यह है कि राज्यपाल की डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करना, 1969 में अध्यक्षों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों व सिफारिशों के विरुद्ध है।

दूसरे, 1971 में राज्यपालों की समिति में की गयी सिफारिशों के भी विरुद्ध है। दोनों स्थानों पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मुख्य मंत्री को विधान सभा मे बहुमत प्राप्त है या नहीं इसका निर्णय केवल विधान सभा में होना चाहिए न कि कहीं अन्य स्थान पर यही नहीं उन्होंने न केवल फारूक को ही ऐसा मौका दिया, बल्कि डा. फारूक अब्दुला द्वारा दिये गये प्रस्तावों को भी नहीं माना। डा. अब्दुला का कहना यह था कि अध्यक्षों के सम्मेलन और राज्यपालों की समिति की सिफारिशों के अनुकूल बहुमत का निर्णय विधान सभा में किया जाना चाहिए। जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने इसका उल्लंघन किया।

तीसरे, ऐसा करके राज्यपाल ने विधानमंडल के सभी अधिकारों को छीन लिया है। राज्यपाल को विधानमंडल के अधिकारों को छीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। इन दो सिफारिशों को न मानकर, राज्यपाल ने जम्मू और काश्मीर की विधान सभा के अधिकारों को हड़प लिया है।

चौथे, राज्यपाल ने देश के कानूनों को बनाये रखने से मना किया है। उन्होंने इसकी शपथ भी ली है। उन्होंने जम्मू और काश्मीर के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1979 को भी मानने से मना कर दिया है। यह उनका कर्त्तव्य था कि वह देश का कानून का पालन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पद पर आसीन होने से पहले उन्होंने जो शपथ ली थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है।

पांचवें, डा. फारूक अब्दुला की विधान सभा को भंग करने की सिफारिश को न मानकर जम्मू और काश्मीर राज्य के संविधान का उल्लंघन किया है। जम्मू और कश्मीर के संविधान में यह विशेष रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह बाध्य है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान के इस विशेष प्रावधान का उल्लंघन किया है।

महोदय, मैं इस संबंध मैं एक पूर्व उदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। कि जब कांग्रेस (आई) ने शेख अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया तो उनकी सलाह पर श्री एल. के. झा ने विधान सभा को भंग कर दिया था। जहां तक मुझे मालूम है शेख साहिब की पार्टी का सभा में बहुमत नहीं रह गया था। परन्तु वह मुख्य मन्त्री थे और मुख्य मन्त्री के नाते उन्होंने सभा को भंग करने की सलाह दी, के तत्कालीन राज्य पाल श्री एल. के. झा नें अनुच्छेद 92 के विशेष उपलब्ध पर निर्भर करते हुए जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है, विधान सभा मंग कर दी। अब श्री जगमोहन ने उस धारा का अथवा जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के प्रावधान का उल्लंघन किया है।

अन्त में राज्यपाल के विरुद्ध मेरा यह छठा आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के प्राधिकर को हड़पा है। इस बात से उन्हें कोई सरोकार उनका कोई नहीं होना चाहिए कि खालिदा की नेशनल कानफ्रेंस, मूल नेशनल कानफ्रेंस पार्टी के विभाजन का परिणाम है क्योंकि विभाजन हुआ है अथवा नहीं, इस बारे में निर्णय लेना चुनाव आयोग का है। इस मामले पर कि विभाजन हुआ है अथवा विभाजन नहीं हुआ है, राज्य पाल को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उसे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : अतः राज्यपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त का आयु अधिकार छीन लिया है। और यदि मैं इन सब बातों का निचोड़ एक बात में कहूँ तो वह यह होगी कि राज्यपाल ने राज भवन में बहुमत का निर्णय देकर विधान सभा की सभी शक्तियों को हड़प लिया। राज्यपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सभी शक्तियों को भी हड़पा, राज्यपाल ने अध्यक्ष के अधिकार को भी हड़प लिया। पीठासीन पदाधिकारी का प्राधिकार भी, उसी व्यक्ति, श्री जगमोहन, द्वारा हड़प लिया गया। और यह दमनकारी रवैया है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : जब तक वह प्रधान मन्त्री के अधिकारों को नहीं हड़प लेते तब तक सब सही है।

श्री चित्त बसु : हां। यह अकल्पनीय है। यह निन्दनीय है और आपके इस प्रकार के रवैये से देश में संसदीय प्रजातंत्र के की नींव मजबूत नहीं होगी जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि केवल संसदीय प्रजातंत्र ही देश की एकता और अखंडता को बनाये रख सकता है। अन्यथा भारत जैसे देश में जहां कई भाषाएं हैं, कई धार्मिक आस्थाएं हैं और जो इतना विशाल है, अखंडता को बनाये रखना संभव नहीं होगा। अतः यह न केवल जम्मू और कश्मीर के लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर एक प्रहार है, अपितु, यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो, यह प्रजातंत्र की बुनियाद पर ही एक प्रहार है हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता के भविष्य पर प्रहार है। राज्यपाल ने कहा है कि अध्यक्षों के सम्मेलन तथा राज्यपालों की समिति की सिफारिशें को मानने के लिए वह बाध्य नहीं हैं। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल का यह रवैया उनके अक्खड़पन का एक प्रदर्शन है। एक ऐसा अक्खड़पन जो राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर देगा। और मैं उनसे अधिक आशा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के सत्तारूढ़ गुट की आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह उठता है कि श्री जी. एम. शाह के नेतृत्व में दल बदलुओं की संख्या वाले राज्य में राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करने अथवा राज्यपाल का शासन लागू करने के प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया। तथ्यों से संकेत मिलता है कि 21 जुलाई की सुबह को राज्यपाल ने मुख्य मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा। पश्चलेख में यह लिखा हुआ है :

"हमने इस बीच बैठक की हैं और मामले पर चर्चा की है आपने सलाह दी, कि मैं जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अधीन राज्यपाल का शासन लागू करूं और विधान

सभा को निलम्बित रखूं। इस संबंध में यदि आप अपनी पुष्टि लिखित रूप से भेज दें तो आपका आभार मानूंगा।"

तब डा. फारूक अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि राज्यपाल का शासन लागू किया जाए। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? और पश्चलेख में जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया है, उससे साफ पता चलता है कि वे भी राज्यपाल का शासन लागू करने के बारे में सोच रहे थे। वे केवल मुख्य मंत्री, डा. फारूक अब्दुल्ला की पुष्टि चाहते थे। परन्तु यह नहीं हुआ। इसके विपरीत उनके मंत्री मंडल को बर्खास्त कर दिया गया। यहां पर यह, प्रश्न उठता है कि यह क्यों नहीं किया गया। मेरा उत्तर है कि वह आपके आदेशों पर किया गया था। यहीं नई दिल्ली बीच में आ जाती है और आपको इस बात को स्पष्ट करना होगा।

गृह मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : पुष्टि कहां है ?

श्री चित्त बसु : उन्होंने लिखा था। यदि आप यह कहें कि क्या डा. फारूक अब्दुल्ला द्वारा पत्र लिखा गया था, तो उन्होंने ऐसा करने के लिए मान लिया था और बात केवल पत्र को भेजने की थी। इन सब बातों से यह प्रतीत होता है कि श्री जी. एम. शाह के दलबदलुओं की सरकार की नियुक्ति, जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक ताकतों के पुनः गठजोड़ का एकमात्र परिणाम अथवा अन्त नहीं था। परन्तु यह जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक ताकतों के सामान्य प्राकृतिक गठजोड़ का परिणाम नहीं था। यह क्या था ? वास्तव में यह सरकार द्वारा अस्थिरता की प्रक्रिया का अन्त था जिसे दिल्ली और श्रीनगर में उस दिन से आरम्भ कर दिया गया था जिस दिन पिछले विधान सभा के चुनावों में नेशनल कान्फेरेन्स की जीत घोषित की गई थी। फारूक सरकार की बर्खास्तगी और श्री जी. एम. शाह की नियुक्ति उसी प्रक्रिया का अन्त है। यह जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक ताकतों के गठजोड़ अथवा पुनः गठजोड़ का एक सामान्य परिणाम, एक आम परिणाम नहीं है। जम्मू और कश्मीर में हुए पिछले विधान सभा के चुनावों से लेकर अब तक की गतिविधियों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और मेरे विचार से सभा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ई) के पिछले आरम्भिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गई थी कि कश्मीर सरकार अथवा कश्मीर मंत्री मण्डल को बर्खास्त किया जाए। क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और निश्चय ही, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि फारूक सरकार की बर्खास्तगी के बारे में कांग्रेस (इ) के प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों पर टिप्पणी करते हुए "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने एक सम्पादकीय लेख छापा है। सम्पादकीय लेख का शीर्षक है "फूलिश डिमांड" (बेहूदी मांग) मैं उदाहरण देता हूं :

> "कांग्रेस (इ) डा. फारूक अब्दुल्ला को अच्छा नहीं समझती है। परन्तु इस कारण कुछ कांग्रेस जनों द्वारा इस सरकार की बर्खास्तगी तथा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना बिलकुल उचित नहीं है। जिन्होंने पूर्व सम्मेलन में मांग की उन्हें संभवतः संविधानिक औचित्य के मूलतत्वों का ज्ञान नहीं है।"

यह मैं नहीं कहता हूं, यह हिन्दुतान टाइम्स में छपा है, जिसके मालिक राज्य सभा के माननीय सदस्यों में से एक है, जिनको आपने चुना है, जिनको आपने समर्थन दिया है। इस सम्पादकीय लेख में यह और लिखा है :

> "मामले की मूल जड़ यह है कि कांग्रेस जन पिछले चुनावों में नेशनल कानफ्रेंस की जीत को अभी हजम नहीं कर पाए हैं।"

क्या और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ? क्या पृष्ठभूमि का स्पष्ट चित्रण करने के लिए और तथ्य देने होंगे ? मेरे विचार से और तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इ) के कलकत्ता अधिवेशन से संकेत मिलते ही कांग्रेस से व्यक्ति श्रीनगर में किस तरह से पेश आये। कांग्रेस (इ) के कार्य कर्त्ताओं जिन्हें मैं गुण्डे तो नहीं कहूंगा उनके झुण्डों ने हवाई-अड्डों पर धरना देना शुरू कर दिया, उन्होंने रास्ते रोकने शुरू कर दिये, परिवहन में बाधा डालनी शुरू कर दी और कुछ अन्य बातें भी की जिनका में उल्लेख नहीं करना चाहता क्यों कि ऐसी बातों का उल्लेख करना मुझे पसन्द नहीं है उन्होंने विशेष रूप से पुलिस को आग लगाने के लिये उकसाया जिसके कारण अक्टूबर 1983 से फरवरी 1984 तक एक दर्जन से भी अधिक व्यक्ति मारे गये। श्रीनगर में कानून और व्यवस्था की यह हालत पैदा करने के लिए कांग्रेस (इ) ने इस नीति को अपनाया था ताकि फारूक सरकार को परेशान किया जा सके। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्रीय मंत्री मैं, उनमें से किसी को भी यहां देख नहीं रहा हूं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता - कुछ केन्द्रीय मंत्री देश के राष्ट्रपति से मिले और फारूक अब्दुल्ला सरकार की बर्खास्तगी और राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया क्या आपको इस बारे में और जानकारी की आवश्यकता है ताकि आपको विश्वास हो सके कि एक प्रक्रिया आरम्भ की गई थी, फारूक सरकार का अस्थिर करने की एक प्रक्रिया। यह प्रक्रिया देश में सभी गैर कांग्रेस (इ) सरकारों को गिराने के लिए भारत सरकार की गहरी चाल के अनुरूप हैं ? इस बात को साबित करने के लिये मैंने दो या तीन उदाहरण दिये हैं : (व्यवधान)

हम यह भी जान लें कि इस चाल का अन्तिम चरण क्या था, इस प्रक्रिया का अन्तिम चरण क्या था जिसकी उन्होंने कल्पना की और योजना बनाई। मुझे बताया गया है कि इस प्रक्रिया के अन्तिम चरण के बारे में पूर्ण रूप से योजना तैयार की गई थी तथा जम्मू और कश्मीर की बर्खास्तगी की तारीख 24 जनवरी 1984 निश्चित की गई थी। परन्तु ऐसा हुआ नही बल्कि ऐसा हो नहीं सका (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 25 मिनट ले लिये हैं। आप 5 मिनट और ले सकते हैं और मध्याहन भोजन से पहले अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री चित्त बसु : महोदय, कई सदस्यों ने मुझे टोका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई नहीं टोक रहा है। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। आप 1 बजे तक इसे समाप्त कर दें।

श्री चित्त बसु : यह योजना सफल नहीं हुई क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया। भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा सरकार को इस प्रकार का तर्क दिये जाने का समाचार है और उसे मैं एक अत्यन्त जिम्मेदार समाचार पत्र से उद्दरित करता हूं :

> "मेरा राज्य बहुत ही शान्ति पूर्ण है और मुख्य मन्त्री ने राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध संख्त से सख्त कार्यवाही की है और कदम उठाए हैं... जहां तक कश्मीर मुक्ति मोर्चे का सम्बन्ध है, यह मेरे राज्य में विद्यमान नहीं है। यह लन्दन स्थित संगठन है... फारूक अब्दुल्ला को सभा के एक अच्छे बहुमत का समर्थन प्राप्त है।"

अतः आप भली प्रकार समझ सकते हैं कि श्री नेहरू को क्यों स्थानान्तरित किया गया और उनके स्थान पर श्री जग मोहन को क्यों नियुक्त किया गया। मैं समझता हूँ कि श्री जग मोहन ने अपना कार्यकर दिया है जैसा कि उन्हें कहा गया था। मुझे पता है कि उन्हें केवल इसी लिए वहां भेजा गया था ताकि नई दिल्ली के अनुसार काम कर दिखाएं और अन्त में उसका परिणाम यह हुआ कि फारूक मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया गया। किसी ने कहा था कि वह जल्लाद है। यदि वह व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने वाला जल्लाद नहीं भी है तो वह संसदीय लोकतंत्र के लिए जल्लाद तो है उन्होने संसदीय लोक तंत्र की हत्या की है। इसमें कोई शक नहीं।

महोदय, डा॰ फारूक के खिलाप आरोप लगाये गये हैं कि उनका कुछ पाकिस्तान समर्थक तत्वों के साथ गठजोड़ है। मुझे पता नहीं वे इन आरोपों को सिद्ध कर भी सकते हैं या नहीं। फारूक सरकार को जो 14 पत्र भेजने की बात कही गई है, उसमें भी इसका उल्लेख है। मेरी मांग है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार को भेजे गये उन पत्रों की प्रति मुझे दी जाये ताकि हमें पता चल सके कि वे जम्मू और काश्मीर सरकार से क्या करना चाहते थे और डा. फारूक से क्या करने के लिए कह रहे थे और उसने इसे कैसे किया या कैसे नहीं किया। महोदय, मेरी मांग है कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को लिखे गये उन 14 पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएं ताकि संसद को पता चल सके कि अनुदेश क्या थे, सरकार को क्या निदेश दिये गये थे और उन्हें कैसे कार्यान्वित नहीं किया गया। महोदय ऐसे आरोप लगाना उन्हें शोभा नहीं देता विशेष रूप से जब कि श्री जी. एम. शाह को उसके स्थान पर बिठाया गया है। क्या यह सच नहीं है कि श्री तारिक अब्दुल्ला जो उनके निकट सहयोगी हैं 1965 में भुट्टो शिष्ट मंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रचार करने गये थे। अतः जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, उनमें कोई सार नहीं है।

एक सदस्य जिन के पास बिलट्ज की कतरन थी, कह रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला के पंजाब के उग्रवादियों के साथ कुछ संबंध थे। महोदय, इस सभा में पंजाब पर श्वेत संबंधी चर्चा के दौरान ऐसा कहा गया तो श्वेत पत्र में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। यदि उन्हें इतना विश्वास था कि उनका पंजाब की उग्रवादी गतिविधियों में हाथ था तो पंजाब पर श्वेत पत्र में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई ?

महोदय, जम्मू और काश्मीर में सिख स्टूडेंटस फैडरेशन के प्रशिक्षण शिविरों का कुछ उल्लेख किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे ही और उनसे भी बड़े प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाये गये। क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऐसा किये जाने के लिये वहां के मुख्य मन्त्री श्रीपति मिश्र से कोई स्पष्टीकरण मांगा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या किया जहां पर कई शिविर लगाये गये थे। क्या आपने वहां के मुख्य मन्त्री से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ? नहीं। और राजस्थान में भी कुछ प्रशिक्षण शिविर लगाये जाने का समाचार था। यदि हम यह मान भी लें कि वहां ऐसे कुछ शिविर लगाये गये थे तो उसका यह अर्थ नहीं कि वहां की लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये।

काश्मीर सीमा के मार्ग से शस्त्रों की तस्करी को भी कुछ आरोप लगाये गये हैं और बाद में ये शस्त्र स्वर्ण मन्दिर में पहुच गये। राजस्थान के बारे में क्या किया ? मैंने सुना है कि वे अधिकांश शस्त्र राजस्थान की सीमा से लाकर स्वर्ण मन्दिर में पहुचाये गये।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : भूगोल को पुन: समायोजित किया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : फिर क्या आपने उनके विरुद्ध कार्यवाही की या उन्हें कोई पत्र लिखा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाया समप्त करें।

श्री चित्त बसु : महोदय, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है और क्योंकि सामान्यत: मैं पीठ की अवज्ञा नहीं करता, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और मेरे विसार से सभी इसे स्वीकार करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र के सभी सिद्धान्तों का पूर्ण उल्लंघन करके फारुक सरकार को बर्खात किया गया।

दूसरे, इस बर्खास्तगी से देश में गैर-कांग्रेस (ई) सरकारों को अस्थिर बनाने की केन्द्र की कार्यवाही चरम सीमा पर पहुंच गई। यह कह कर मैं मांग करता हूं कि श्रीनगर में जी. एम. शाह के नेतृत्व वाली दल-बदल सरकार को तुरन्त बर्खास्त किया जाये और विधान सभा भंग कर दी जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : प्रक्रिया की वर्तमान गति क्या है।

श्री चित्त बसु : आप सौदेबाजी कर सकते हैं।

चुनाव कराये जाने हैं और जो सरकार संसदीय लोजतंत्र पर इस प्रकार के निंदनीय आक्रमण तथा प्रहार के लिये जिम्मेदार है, उसे हटाया जासा चाहिये **(व्यवधान)**

मेरे विचार से डा. फारुक अब्दुल्ला ने एक पाप किया है और वह यह है कि देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष में भाग लिया है। उनका अपराध यही है कि उन्होंने देश में तानाशाही की प्रवृत्ति के विरुद्ध संदर्भ में वामपंथी तथा लोकतांत्रिक शक्तियों का साथ दिया है। वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारों पर नहीं नाचे। उनका अपराध यही है। लेकिन मैं जानता

हूं कि यह कोई अपराध नहीं है। देश के अन्य भागों में लोकतंत्र के लिए चल रहे आन्दोलन में उनके भाग लेने से भारतीय जनता और जम्मू और काश्मीर के लोगों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है और उसे अवश्य सुदृढ़ होना चाहिये। लेकिन आप ने अपनी कार्यवाही से, यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें, आपने उस एकीकरण की प्रक्रिया को भंग कर दिया है। यह एक खतरनाक बात है। अतः मेरा आप से केवल यही अनुरोध है कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के हित में, देश में लोकतंत्र को बानये रखने के लिए इस प्रकार के दोषपूर्ण कदम न उठाये जावें और मैंने कुछ मांग रखी है, जिन पर बिचार किया जाना चाहिये।

साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मांग रखी है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को जिसके द्वारा जम्मू और काश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, समाप्त किया जाये। मैं उस मांग से सहमत नहीं हूँ। वास्ताव में उसे बनाये रखा जाना चाहिये और उस से जम्मू और काश्मीर में लोकतांत्रिक तथा धर्म-निरपेक्ष शक्तियां दृढ़ होंगी और वह भारत के अभिन्न अंग इस राज्य और भारत की धर्म-निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच सेतु का काम करेगा। धन्यबाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.00 बजे म. प. समवेत होने के लिए स्थगित होती है। मध्यह्न भोजन अवकाश के बाद पहली वक्ता डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी होंगी।

12 59 म. प.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्लान भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2.08 म. प.

मध्याह्लान भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर आठ मिनट पर पुन: समवेत हुई :

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

डा. राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे से पहले माननीय सदस्य श्री चित्त बसु साहब कह रहे थे कि फारुक साहब की सरकार को जो बर्खास्त किया गया, वह संविधान के अनुसार नहीं है और गवर्नर साहब ने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया। मैं समझती हूं, हमारे प्रजातन्त्र में, हमारे देश में, ऐसी स्थिति एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार और अनेक राज्यों में आई है। रूलिंग पार्टी के अल्प मत में आ जाने से ही गवर्नमेंट बदली है। यह जरूरी नहीं है कि उसके बाद तुरन्त ही गवर्नर रूल लागू किया किया जाए। दोनों तरह की मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं। मैं, उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश की एक घटना आपके सामने रखना चाहती हूं। एक अप्रैल, 1967 की बात है। हम सब असेम्बली में बैठे हुए थे। माननीय चौधरी चरण सिंह, उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे। माननीय स्वर्गीय श्री चन्द्र भानु गुप्ता जी उस समय के हमारे मुख्य मन्त्री थे, वे वहां बैठे

हुए थे। चौधरी साहब सदन के अन्दर ही अपने 17 साथियों के साथ, इधर से उठकर दूसरी तरफ चले गये। गुप्ता जी ने एक मिनट नहीं लगाया, न इधर देखा, न उधर देखा और तुरन्त स्पीकर साहब के सामने खड़े होकर कहा कि अध्यक्ष जी, मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की प्रोसीडिंग्स बन्द कर दी जाए और मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं। उसके बाद वे सीधे उठ कर गवर्नर साहब के पास गए और उनको अपना स्तीफा पेश कर दिया। इसको इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं और यही आदर्श वे उपस्थित करना चाहते थे। जैसे ही उनकी पार्टी अल्पमत में आई, उन्होंने और कुर्सी पर बैठे रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कल को सदन की बैठक बुलाई जाये और उसमें शक्ति परीक्षण हो और वहाँ यह देखा जाए कि बहुमत किसके साथ है। यह आदर्श और रास्ता उस समय गुप्ता जी ने हमारे सामने रखा।

जब उस समय चौधरी चरण सिंह जी उधर चले गए तो प्रजातन्त्र की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारे विरोधी दल में बैठे हुए भाई कहते हैं कि यह प्रजातन्त्र के ऊपर बहुत बड़ा ब्लो है, और इस कार्यवाही से प्रजातन्त्र पर गहरा धक्का लगा है। आज वे जुलूस बना कर राष्ट्रपति के सामने जाते हैं।

अब मैं यहां आपको दूसरा उदाहरण देना चाहती हूँ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला): क्या इसका अर्थ है कि आप दल बदल का सम्मान करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम यहां है। मैं आपका नाम पुकारूंगा। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज: मैं समझना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप समझने में समय लेते हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी: मैं केवल यही बताना चाहती हूं, जैसा आपने कहा कि गवर्नर को चाहिए था कि वह इस बात का फैसला विधान सभा का सत्र बुला कर करते। हाउस के फ्लोर पर टैस्ट होना चाहिए था और उसके बाद ही गवर्नर साहब को डिसमिसल आर्डर करने थे।

दूसरा उदादरण मैं आपको और देना चाहती हूं। जब उत्तर प्रदेश में हम लोग चौ० चरण सिंह जी की कोलीशन मिनिस्ट्री में थे और हम मिनिस्टर्स की संख्या 28 हुआ करती थी। उस समय प्रीवि-पर्स के ईश्यू पर चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी के लोगों का साथ नहीं दिया, जिस कारण कांग्रेस सरकार को एक मत से हारना पड़ा। उसी समय हम मंत्री लोगों ने यह निर्णय कर लिया कि अब हम चौधरी चरण सिंह के साथ इस मामले पर नहीं रहें। जिन्होंने यह वायदा किया था कि वे दिल्ली में तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का साथ देंगे और लखनऊ में हम लोगों का साथ देंगे। लेकिन उन्होंने अपने इस वायदे का उल्लंघन किया। इसी कारण हम लोगों ने उसी दिन अपना इस्तीफा कांग्रेस के प्रेसीडेंट को भिजवा दिया और हम लोग एकत्रित

रूप से गवर्नर साहब के पास गए। उस समय चौधरी साहब ने कहा कि हम तो मंत्रियों का डिसमिसल करेंगे। परन्तु ऐसे कोई चीफ मिनिस्टिर को, जिसके साथ बहुमत नहीं रहता है, हम मंत्रियों को डिसमिल करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे हमें उस समय डिसमिस नहीं कर सकते थे। इसी कारण उनकी बात तक भी नहीं सुनी गई। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर अल्पमत में हो जाता है, संवैधानिक रूप से हाउस को डिस्सोलूशन करने का कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिये जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ वहां के गवर्नर ने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया। फारुख सरकार अल्पमत में आ गई थीं और इसी कारण उसको बर्खास्त किया गया

प्रो० फैजुद्दीन सोज : मेरी दरख्वास्त है कि आप पहले कांस्टीट्यूशन पढ़िये।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : आप पढ़ कर के बोलियेगा। जब कोई भी सरकार अल्पमत में हो जाती है तो हमेशा यही होता है कि दूसरे चुने हुए लोग आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसका चांस गवर्नर साहब देते हैं। इसीलिए ऐसा चांस जम्मू और कश्मीर में भी मिल सकता था, क्योंकि 12 वे लोग हो गए थे और कांग्रेस पार्टी के 26 मेम्बर्स तथा एक इन्डीपेन्डेन्ट मैम्बर को मिला कर वे सरकार बनाने में समर्थ हो गए थे, सक्षम हो गए थे, इसलिए उनको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया। यह कोई नई बात नहीं है। हम हम लोगों में से किसी ने वहां की नई मिनिस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया है, कांग्रेस का कोई भी मेम्बर वहां मिनिस्टर नहीं हैं। हमने पावर के लिए भी ऐसा नहीं किया। जो सही बात है उसको सुनना चाहिए, यह भी डेमोक्रेसी है। कश्मीर में यह कोई नई चीज नहीं है। जिस समय सैयद मीर कासिम मुख्य मंत्री थे···

प्रो. मधु दंडवते : माननीया वाजपेयी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके उत्तर प्रदेश का एक और उदाहरण देता हूँ। आचार्य नरेन्द्र देव और उनके साथी 1948 में जब कांग्रेस पार्टी से अलग हो गये तो सारे लोगों ने असेम्बली पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़े। सारे के सारे असफल रहे, लेकिन वह इस सिद्धान्त के लिए लड़ते रहे।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : माननीय दंडवते जी, आप माननीय जार्ज फर्नान्डीज से पूछें कि एक दिन पहले तक तो मोरार जी भाई को सपोर्ट करते रहें और दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह के लोक दल के साथ मिल कर सरकार बना ली।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं इस बात को कह रही हूँ कि जो नेता लोग आज डिफैक्शन की बात कर रहे हैं और कहते है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, मैं उनका जवाब दे रही हूं। जो डिफैक्शन की बात कहते हैं और उसी के बल पर जीवित हैं और जिसके बल पर उनके जिन्दगी की अभिलाषा पूरी हुई, वह हमें उपदेश दे रहे हैं।

कश्मीर में जब सैयद मीर कासिम की सरकार थी और देश के हित में हमने उचित

समझा तो 1975 में हमने शेख साहब को अपनी पूरी सरकार देकर कहा कि आप सरकार चलावें और सैयद मीर कासिम ने रिजाइन किया तो कांग्रेस ने सदा देश हित, कम्युनल हारमनी के इन्टरेस्ट में त्याग और बलिदान का रास्ता दिखाया है। पावर से चिपके रहना कांग्रेस ने नहीं सिखाया। और यही इस बार हुआ है कि हमारे लोग कश्मीर मिनिस्टरी में नहीं शामिल हुए हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी को बड़ा भारी ब्लो लगा है। चौधरी साहब जब देश के प्रधान मंत्री बने तो क्या उनके साथ बहुमत था ? वह भी अल्पमत में थे। दूसरे की मदद से वह प्रधान मन्त्री बने रहे। बाहर से मदद करने वाले लोगों ने जब हाथ खींच लिया तो 6 महीने से ज्यादा एक दिन भी प्रधान मन्त्री होकर, इस सदन के लीडर होकर वहां नहीं आ सके। तो उस समय उनको नहीं सूझा था कि सदन में उनका बहुमत है कि नहीं ? उस समय तो उन्हें फिक्र थी कि उनकी जिन्दगी की अभिलाषा पूरी हो रही है, वह प्रधान मंत्री बन रहे हैं चाहे उनके साथ बहुमत हो या नहीं।

आज क्या हो रहा है कर्नाटक में वहां श्री हैगड़े की सरकार है, बाहर रहकर बी. जे. पी. सहायता कर रही है। अल्पमत की उनकी सरकार है। हर स्टेट में जहां जिसको जो सहूलियत होती है उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। हर एक राजनीतिक दल अपनी कनवीनियेंस का ख्याल करके चल रहा है, और हमें नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है। वह लोग जो खुद नैतिकता से बहुत दूर जाकर देश की राजनीति चला रहे हैं, वह हमें शिक्षा देते हैं। किसके लिए वकालत कर रहे हैं विरोधी दलों के नेतागण, मैं पूछना चाहती हूं, जिसके लिए आप बात करने जा रहे है उन्होंने कश्मीर के अन्दर अराष्ट्रीय तत्वों से हाथ मिलाया। आप उनकी वकालत कर रहे हैं ? कह रहे हैं कि यह गलत हुआ है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि आज उनका आपस में डिवीजन हुआ है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य): चुनाव के पहले आप उनके साथ समझौता कर रहे थे। चूंकि ब्रेक हो गया समझौता इसलिए उनको गिरा रहे हैं, यह दुनिया जानती है।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : हमारी बहन को मालूम नहीं है इसलिए ज्यादा क्रोध में बोल रही है। हमने कभी उनके साथ समझौता नहीं किया, आप उस समय के अखबार और स्टेटमेंट्स देखिए। फारुक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा अपनी तरफ से कहा। मैं तो कश्मीर का इन-चार्ज जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं जानती हूँ हर बात को कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा। **(व्यवधान)**

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या राजीव जी मौलवी फारुक के घर नहीं गए ?

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : नहीं। **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए, नहीं तो इसको भी बोलने नहीं दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

डा. राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सम्मानित नेतागण कुछ बातों को लेकर कह रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया और यह अन्याय है, वह अन्याय है । मैं कहना चाहती हू कि जब काश्मीर का हमारे देश के साथ मर्जर हुआ और काश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग बना, उस वक्त भी मौलवी फारुख ....

प्रो. सैफुद्दीन सोज : किस पार्टी ने यह इलहाक, एक्सेशन, कराया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभी पक्षों के तत्वों की खबर होनी चाहिये । हमे सहनशील होना चाहिये । जब आप बोलते हैं तो दूसरे चुप रहते हैं । इस प्रकार चर्चा की अनुमति क्यों दी गई । हम उन सभी तथ्यों को जानने का प्रयास करें ।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : उस समय कश्मीर के जनप्रिय नेता स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला थे, जो महान देशभक्त थे । उन्होंने कश्मीर को देश के साथ मिलाया और काश्मीर भारत का एक अंग हुआ, लेकिन काश्मीर में उस समय भी मौलवी फारुक थे, जिनकी उस समय मुस्लिम कान्फ्रेंस थी, जो बाद में अवामी लीग बनी । उन्होंने दिल से इस बात को कुबूल नहीं किया था और इसलिये उनकी कार्यवाहियां चली आ रही थीं । काश्मीर हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जहां हमेशा सेकुलर दृष्टिकोण रहा है, वहां यह पार्टी है,जिसका वही हरा झंडा है, जो मुस्लिम लीग के कम्युनल सिद्धान्तों को मानने वाली है, जो साम्प्रदायिक तत्वों को लेकर कम्युनल काम और बातें करने वाली हैं । शेख साहब ने करीब पचास वर्ष तक कभी उसको स्वीकार नहीं किया था । जब तक शेख साहब जीवित रहे, उन्होंने कभी भी मौलवी साहब के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया, सैद्धान्तिक समझौता नहीं किया । ऐसी स्थिति थी कि दोनों में एक तरह से बोल चाल भी नहीं थी । शेख साहब कट्टर नेशलिस्ट थे और इन बातों को पसन्द नहीं करते थे ।

काश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ ? जब में काश्मीर वैली में गई, तो मैंने देखा कि नेशनल कान्फ्रेंस के लाल झंडे के साथ-साथ मौलवी फारुक का जो हरा झंडा है, जिसमें चांद और सितारे बने हुये हैं, जिसको एक बार कोई देखे, तो समझे कि पाकिस्तान का झंडा है, वे दोनों एक साथ सिले हुए दे और वह हर जगह लगे हुए थे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तभी बोल सकते हैं, जब वह अपनी बात से हट जायें ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं कोई विवाद पैदा नही कर रहा हूं । पाकिस्तानी झंडे तथा धार्मिक झंडे में फर्क है । मजहबी झंडे और पाकिस्तानी झंडे में फर्क है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बारी आने पर आप इन सभी का खण्डन कर सकते हैं । यहां व्यवस्थित रूप से चर्चा होनी चाहिये ।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि वैली में ऐसा लगता

है हरा झंडा और उसमें चांद सितारा बना हुआ, मानो कि वह पाकिस्तानी झंडे की तरह हो। वह देखने में ऐसा लगता था। उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है कि उसमें बिन्दियां इधर हों या उधर हों या चांद दूसरी तरह का बना हो, यह सब तो हो सकता है, लेकिन वह फहरा रहा था दोनों तरफ। तो जहां पर कि शेख साहब ने कभी ऐसे एलीमेंटस के, ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों और शक्तियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, आज फारुक अब्दुल्ला ने अपने एलेक्शन में जीतने की दृष्टि से हर ऐसे संभव उपाय किये जिससे कि वह जीतकर वहां के चीफ मिनिस्टर बने रहें। यो यह यहां से काश्मीर वैली में जो जहर आना था वह आ गया जो कि इसके पहले नहीं था यहीं से इसकी शुरूआत होती है। जब किसी गलत आदमी का साथ लिया जाता है तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही चीज फारूक अब्दुल्ला के साथ भी हुई।

उनका इतिहास भी ऐसा है, जब वह पड़ते और बाहर थे तब भी उनके कान्टैक्ट्स बाहर ऐसे लोगों के साथ हुये जो कि काश्मीर को अलग करने की बात सोचते या समझते थे कि भारत से उसको लिबरेट किया जाय या जो संस्थाएं बाहर काम कर रही थीं, इंग्लैंड में थीं उनसे वहां मिलते रहे, उनका समर्थन उनसे रहा। अमान उल्ला खाँ जो कि काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट के लीडर थे और जो बाहर आपरेट करते थे उन सब लोगों के साथ इनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। तो एकदम दिमागी तौर से वह बदल नहीं सकते थे। जब भारत आये और उनके हाथ में शक्ति आई तो उन्होंने उन लोगों के साथ अपना सम्पर्क रखा और यही कारण है कि जो जमाते इस्लामी और जमाते तुलबा है. जो कि उसका लिमिटेड हिस्सा है, उनका लड़कों का यंग फोर्स है, उनको इन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। थोड़े ही समय में उनको बढ़ावा देना शुरू किया। वह बढ़ावा दिया तो फिर ये लोग वह नारे लगाने लगे जो काश्मीर वैली में पहले कभी नहीं सुने जाते थे। शेख साहब के वक्त में लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती थी जिन नारों को वह फारूक अब्दुल्ला के वक्त में लगाये गए।

हमें याद है कि जब एलेक्शन की मीटिंग हो रही थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी की आखिरी एलेक्शन की मीटिंग जब काश्मीर में हुई तो, हमें शर्म आती है यह कहने में सदन के सामने, लेकिन उस वक्त नेशनल कान्फ्रेंस के लोगों को कहिये या मालूम मालूम नहीं उनके साथ मिले हुए जो लोग थे या उन्होंने जिन लोगों के द्वारा इस काम को करवाया था यह हम नहीं जानते लेकिन कुछ लोगों ने एक तरह से नंगे होकर प्रदर्शन किया था और यह देश की सबसे बड़ी नेता के समने हुआ। इतनी शर्मनाक तरह की बातें हो रही थीं। मैं जो बोल रही हूं यह कोई गलत नहीं है, रिपोर्ट की बात कह रही हूँ यह रिकार्ड की बात मैं कह रही हूं जो कहीं पर लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं। कितनी कारें हमारी उस दिन तोड़ी गई थीं जबकि वह निकलकर जा रहे थे? उसके बाद क्या हुआ? हर जगह जो मीटिंग होती थीं उसमें ऐसा होता था। यह जो बीज पड़ा, आज कहते हैं आप कि नेशनल इंटीग्रेशन हम तोड़ रहे हैं, जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की? फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? हर मीटिंग में यह कहा कि असम में तो मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया, जम्मू में हिन्दुओं के वोट तो इनको मिलेंगे, मुसलमानों को इन्हें वोट नहीं करना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें कहते रहे।

ये सारी चीजें शुरू हुई तो काश्मीर में कांग्रेस को हिन्दू बना करके और दूसरे लोगों को मुसलमान करके ऐसी चीजें शुरू की गई जिससे इस चीज की जो शुरूआत हुई वह आगे चलकर बढ़ती गई। क्रिकेट मैच के वक्त अक्तूबर में जो नारे लगे, वह आप जानते हैं। पहली बार इस तरह के नारे लगे और भी जो घटनाएं धीरे-धीरे होती गईं वह सबको मालूम हैं। मैं इसलिए इन बातों को कह रही हूँ कि एक तरफ तो इनके आपस के झगड़े की वजह से नेशनल कान्फ्रेंस के अन्दर जो विभाजन हुआ उसकी वजह से ये दो हिस्सों में बंटे। अब उनके ही लोग थे, उनकी ही पार्टी के अन्दर विभाजन हुआ जिससे इनकी गवर्नमेंट गई। हम लोगों ने तो बाहर से सपोर्ट किया। लेकिन साथ-साथ जो एन्टी नेशनल फोर्सेज थीं, ये उनकी मदद कर रहे थे। पंजाब के जो एक्सट्रमिस्ट्स थे, ये उनके कैम्प्स वहां लगा रहे थे। सभी जानते हैं—9 गुरमत कैम्प्स वहां पर हुए, जिनमें 6 जम्मू में लगे और 6 काश्मीर में लगे. आखिरी कैम्प्स पुंछ में लगा और फारुख अब्दुल्ला जो भिण्डरां वाले के साथ थे, वहां गये तथा नारे लगाये गए। वहां पर जो फायरिंग हुई, उसमें एक आदमी मारा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। इस तरह से वह एस्ट्रीमिस्ट लोगों को बढ़ावा देते थे।

मैं उन दिनों अखबारों में पढ़ती थी कि फारुख अब्दुल्ला साहब गुरुद्वारों में बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, आखिर इस के पीछे मामला क्या था? धीरे-धीरे राज खुला कि गुरुद्वारों में जा कर वह एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार भिंडरांवाले से मिले, हम लोगों के पास तस्वीरें हैं, उतनी बार हमेशा अकेले में मिले। भिंडरांवाला आम तौर पर जब भी किसी से मिलता था, विरोधी दलों के बहुत से नेता जानते होंगे, वे भी जब भी उससे मिलने गये होंगे, उस के दूसरे साथी भी साथ होते थे, लेकिन इन के साथ वह अकेले मिलता था? क्या बात थी, जो अकेले मिलता था? जो काश्मीर का लिब्रेशन फ्रंट इंगलैंड में है, उन के नेता और पंजाब के एक्ट्रीमस्ट्स के साथ उन की सांठगांठ थीं। पंजाब के स्वर्ण मन्दिर परिसर में जब आर्मी गई, उस के बाद काश्मीर में जो नारे लगाने गये, जिस तरह से डिमांस्ट्रेशन करवाया गया, उस से स्पष्ट है कि एन्टी नेशनल फोर्सेज को इतने दिनों से इन की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा था जिस से वे ताकतें उभर कर सामने आ रही थीं। उन को बढ़ावा देने में फारुख अब्दुल्ला की गवर्नमेन्ट का बहुत बड़ा हाथ था।

आप मैच की बात को ही लिजिये इतनी बड़ी बात हुई, सबसे पहले तो उन की गवर्नमेन्ट ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, जब उन को यहां से कहा गया तो बहुत मुश्किल से एक-दो लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया गया। जहा तक देश की इन्टीग्रिट और कम्यूनल हारमोनी की बात है शेख अब्दुल्ला साहब ने काश्मीर को एक सैकुलर स्टेट बनाया था, जिस पर सारे देश को नाज था, और आज भी हमें उन पर नाज और गर्व है, लेकिन डा. अब्दुल्ला ने जो किया, एक बार्डर स्टेट होने के नाते भी उस को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। यूं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह इनकी आपस की बात है, इनकी अपनी पार्टी का विभाजन हुआ है, लेकिन वहां जो घटनायें हो रही थीं, उनको देखते हुए सारा राष्ट्र चिन्तत था। जहां पर ऐसा एन्टी नेशनल काम करने वाला मुख्य मंत्री हो और जहां पर इस तरह का काम हो रहा हो, क्या उसको देख कर भी केन्द्रीय सरकार चुप बैठी रहती? वहां पर जो कुछ हुआ है, उन की

अपनी पार्टी का इन्टरमल मामला था, लेकिन उस के बावजूद भी देश की पब्लिक ओपीनियन वहां पर जो कुछ हुआ उस को देखते हुए महसूस करती थी कि वहां जो कुछ हो रहा था वह ठीक नहीं था, क्योंकि वहां की लीडरशिप देश को कमजोर कर रही थी। ··· (**व्यवधान**) ···

श्री ई० बालानंदन (मुकन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। दूसरी ओर बैठे मेरे मित्रगण कृपया इस बात को जान लें कि विरोधी दल के सभी सदस्यों ने एक जुट होकर यह कहा है कि काश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हुई है।

कुछ माननीय सदस्य : ओह, नहीं, नहीं।

श्री ई० बालानंदन : यहां मेरे मित्र इसका मजाक उडा रहे हैं। आपका ऐसा विचार है कि देश में एकमात्र आप ही देश भक्त हैं और आपकी ऐसी धारणा है कि केवल आप ही लोगों को देश से प्रेम है और विरोधी दल के शेष सदस्यों को देश भक्ति, देश की एकता आदि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार की विचार धारा हमें कहां ले जायेगी।

हम लोगों को चाहिए कि सामान्य तर्क से काम लें और इस मामले की जांच करें। काश्मीर में चुनाव होने के ठीक पहले कांग्रेस ई. की, आम चुनाव में, श्री फारुक अबदुल्ला के साथ गठबंधन होने की चर्चा हुई थी। वह नहीं हुआ। माननीय महिला सदस्य का कहना है कि हर बात को व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए। यह ठीक भी है। अब मैं इसे कह रहा हूं। चुनाव होने के अगले दिन काश्मीर की नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी ने सरकार बनाई और उसके ठीक अगले दिन, वह पार्टी राष्ट्र-विरोधी हो गई और कांग्रेस (ई०) पार्टी यह राग अलापने लगी कि चुनावों में धांधली थी। उन्होंने नेशनल कान्फ्रेंस के कुल 46 सदस्यों में से 42 सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें भी दायर कर दिये और इन सदस्यों में वे तेरह तिलंगें (मस्कटीयूर्स) भी हैं, जो इस तरफ आ गये हैं। इसके तुरन्त बाद वे तेरह 'तिलंगें', जो अब तक श्री फारुख अब्दुल्ला और नेशनल कान्फ्रेंस के साथ थे, राष्ट्रवादी बन गये हैं।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, मैं इनका विरोध करता हूं। वह उन्हें इस नाम से नहीं पुकार सकते हैं। वे सभी महान "देशभक्त" हैं।

श्री ई. बालानंदन : सत्तारुढ़ दल के तर्कों को हम लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना है और अब हमारे मुद्दों को भी सुना जाये। यदि हम गलत हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां सुधारी जायें। जो लोग अब तक उस ओर थे, जब 2 जुलाई को वे लोग अचानक इस ओर आ गये, तब वे देश भक्त हो गये। इससे पहले वे सभी राष्ट्-विरोधी थे। वस्तु-स्थिति को इस प्रकार नहीं देखा जाना चाहिए। यही मेरा प्रथम निवेदन है।

दूसरे, जब सत्तारुढ़ दल राज्य में विरोधी दल के रूप में आता है, तब सभी परम्पराओं को तुरन्त अवज्ञा की जाती है। जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य विरोधी दल के रूप में होते हैं तब वे अध्यक्ष के कक्ष में जाते हैं और वें उन्हें धमकाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। वे मुख्य मन्त्री के

कार्यालय में जाते हैं और कुर्सी छीनकर मुख्य मन्त्री को बाहर निकाल देते हैं। कांग्रेस (ई.) दल के सदस्य विरोधी दल के रूप में देश में इस प्रकार कार्य करते हैं।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, वह इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं। यह संसदीय नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह संसद के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अपनी बारी आने पर आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या आप उन्हें झूठे आरोप लगाने की अनुमति देंगे ?

श्री ई. बालानंदन : तब, वे अचानक चीखते हैं और शोर मचाते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है तथा इसलिये बहुत सी अन्य बातें उठाई जाती हैं। ठीक है, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि कांग्रेस (ई.) के सदस्य किसी राज्य में कोई सरकार बदलना चाहते हैं। वे ऐसा करें। किन्तु, केन्द्र में सत्तारुढ़ दल के होने के नाते कांग्रेस (ई.) के सदस्यों को अर्थात मंत्रियों को इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए। कलकत्त अथवा बम्बई में हुई पार्टी की बैठक में अथवा किसी अन्य बैठक में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि काश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई है इसलिए वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दो मँत्री श्री गुलाम नवी आजाद और श्री आरिफ मोहम्मद खाँ, स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ से काश्मीर गये। उन्होंने यह कहते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि इस सरकार का बर्खास्त किया जाये। आरोप अब लगाये जा रहे हैं। अनेक अन्य बातें भी कहीं गई। इसीलिए, मैं कहता हूँ, कि कांग्रेस (ई.) काश्मीर में परेशानियां पैदा कर रही थी। वे लोग चाहते थे कि डा. फारुख अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया जाये। **(व्यवधान)** वे लोग वहां अन्यत्र-स्थिति पैदा करने की चेष्टा कर रहे थे। अन्यत्र स्थिति से तात्पर्य है, आप पाकिस्तान के हित में लगाये गये नारे का उल्लेख कर सकते हैं। हम इस प्रकार के नारों का समर्थन नही करते हैं।

महोदय, मैं आपको एक सूचना देता हूं। केरल में, मालापुरम मध्यावधि चुनाव के दौरान एक विधान सभा सदस्य श्री शीढी हाजी ने जो एक मंत्री हैं, पांच स्थानों पर भाषण दिया था, जिसमें अपना भाषण समाप्त करने के बाद, उन्होंने लोगों से खड़े हो जाने को और 'पाकिस्तान जिन्दावाद' बोलने को कहा। इसके बाद क्या हुआ ? अन्ततोगत्वा, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और यह कहते हुए कि केरल में इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी नारे लगाये जा रहे थे, केरल के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की? उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

हम इस बर्खास्तगी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात की ओर ध्यान दिया जाय कि इस कार्य को किस प्रकार किया गया। श्री बी. के. नेहरू वहां के राज्यपाल थे। दल बदलने के इच्छुक कुछ विधान सभा सदस्यों ने उनसे सम्पर्क किया। उन्होंने उन्हें ठीक ही उत्तर दिया

कि विधान सभा में बहुमत होने का परीक्षण विधान सभा में ही किया जा सकता है, न कि राज्यपाल के निवास पर और वह भी मध्य रात्रि के समय। इसका परीक्षण विधान सभा में ही किया जाये। परम्परा भी यही है। उन्होंने कहा—'इस आधार पर ही मैं कार्यवाही कर सकता हूं।' इसके पश्चात् इस कार्य को सुगम बनाने के लिए, राज्यपाल के पद पर श्री जगमोहन को भेज कर भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने क्या किया ? मैं पूरी कहानी दोहराना नहीं चाहता।

24 जून को, विधान सभा के इन 12 सदस्यों ने उनको एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया था कि वे लोक दल बदल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रारूप किसने तैयार किया था ?

श्री ई० बालानंदन—मुझे नहीं मालूम, पत्र का प्रारूप शायद उन्होंने स्वयं तैयार किया था। किन्तु इसके साथ ही, उनका कर्तव्य क्या है ? राज्यपाल का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उसे अपने पाकिट में रखे रहे। यही एक एसे राज्यपाल हैं जो अपने कर्त्तव्य से विमुख रहे। उनको चाहिये था कि वह मुख्य मंत्री को तुरन्त सूचित करते कि उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विधान सभा के 12 सदस्यों ने यह कहा है कि वे लोग अब उस दल में नहीं हैं। जो भी हो। किन्तु हमारे इन महान राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को कुछ नहीं कहा। वह पत्र को अपने पास रखे रहे। वह विमान से दिल्ली आये और लोगों से परामर्श करके वापिस लौट गये।

(व्यवधान)

लोकतंत्र की हत्या करने का यह महान नाटक खेला गया : पहली तारीख की रात को श्री शाह तथा अन्य लोग राज्यपाल के निवास पर गये और उन्हें यह पत्र दिया। तत्पश्चात राज्यपाल ने कहा : "कुछ न कहें। वहां कोने में बैठें। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा।" इस प्रकार, उन्होंने उन्हें राज्यपाल के स्थान के पास ठहराया और 2 तारीख को प्रातःकाल उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को टेलीफोन करके आने को कहा। वह साढ़े सात बजे वहां पहुंचे। राज्यपाल ने कहा—"यह पत्र है।" इसकी एक फोटो प्रति भी दी गई। "लगभग 12 व्यक्तियों ने दल बदल लिया है।" स्वाभाविक तौर पर, मुख्य मन्त्री ने कहा : "ठीक है; इसका परीक्षण विधान सभा में करना पड़ेगा। मुझे अपने सहयोगियों से परामर्श करना है और मैं आपको उत्तर भेज दूंगा।" वह वापिस चले गये और तब दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखते हुए उन्हें उत्तर दिया।

जो लोग ऐसी बातें कहते हैं उन्हें हमें यह बताना चाहिए ? "क्या राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह देश के कानून का पालन करे ?" वह कांग्रेस (ई) का सदस्य हो सकता है। वह दल बनाना चाहता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हें यह काम कानून के अनुसार करना होगा। कानून क्या है ? **(व्यवधान)** अथवा कम से कम उन्हें यह दर्शाना चाहिए कि वह कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहे थे।

डा० फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कराने का

मौका दिया जाए। यदि नहीं तो आपको विधानसभा भंग करके राज्य में शीघ्र चुनावों के आदेश देने होंगे।" इस तरह का पत्र लिखा गया था। अब काश्मीर के संविधान के अनुसार, इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का सुझाव अंतिम माना जाएगा।

दूसरा तर्क महिला सदस्य द्वारा यह दिया गया कि उस समय उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं था। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि 'कल 31 तारीख है। उस राज्यपाल को जो उन लोगों के बहुमत से इतना अधिक संतुष्ट थे, स्वयं कुछ शंकायें जो।

वह यह क्यों कह रहे हैं कि शक्ति-परीक्षण का पता लगाने के लिए एक महीना दिया गया था। इस मामले में मजेदार बात यह है कि विपक्ष के 13-14 विधायकों को मन्त्रिमंडल के सदस्यों के रूप में शपथ दिलाई गई। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं जबकि हम घूसखोरी तथा अन्य हर प्रकार की बातों के विरोध में है ? हम ईमानदार आदमी होने का दावा करते हैं और सदन में जो लोग उपस्थित हैं वह ईमानदार हैं तथा सरकार से भी यह आशा की जाती है कि वह नैतिक स्तर बनाए रखे। क्या यही नैतिक स्तर है ? काश्मीर मन्त्रिमंडल में केवल 5-6 मन्त्री थे। जब कांग्रेस (इ०) सरकार सत्ता में आई, तो 14 सदस्यों को मन्त्रिमंडल का मन्त्री बना दिया गया है।

पत्र प्राप्त होने के पश्चात राज्यपाल केन्द्र सरकार से मिले उनको सहायता से उन्होंने मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से रिजर्व पुलिस बुलाई थी। 3.30 बजे तक जम्मू और काश्मीर के नेता डा० फारुक अब्दुल्ला थे। उन्हें इस बारे में नहीं पता था। रिजर्व पुलिस सुबह सबेरे पहुंच गई। केवल उतना ही नहीं, सेना को भी सतर्क कर दिया गया था। क्या मुख्यमन्त्री तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त यह कार्य किया जा सकती है। आप लोकतंत्र तथा भारत के संविधान का बहुत सम्मान कर रहे हैं। संविधान यह नहीं कहता कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है। यदि ऐसा है, तो वह राज्य सरकार क्यों बनाई गई है। राज्य के लोग वहां अपनी सरकार बनाना चाहते हैं।

विपक्ष के मित्र सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता की बात कही। उनका कहना है कि इसकी रक्षा की जानी चाहिए। हर तरह से इसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन आप यह काम किससे करवाने जा रहे हैं ? जम्मू और कश्मीर के लोग वहां अपनी सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके बहुमत सरकार बनाई। उन्होंने कश्मीर में दल-बदल विरोधी कानून भी पास किया। कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है तो इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

श्री जगमोहन बड़े आदमी हो सकते हैं। मैं उनके गुणों आदि का विरोध नहीं करता। लेकिन राज्यपाल होने के नाते उन्हें इसका अनुमान लगाने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें यह मामला न्यायालय को सौंपना चाहिए और पता लगाना चाहिए था कि क्या दल बदलना ठीक था या नहीं। एक विशेष कानून के होते हुए वह इस बारे में कैसे निर्णय ले सकते हैं ? इससे परे वह कैसे जा सकते हैं।

जब कश्मीर में विपक्षी सरकार बनाई गई थी तो अचानक उन्होने सरकार को अस्थिर करने के लिए एक आपत्ति उठानी शुरू कर दी। और अन्तत: उन्होंने कुछ विधायकों को मंत्री का ओहदा तथा ढर सा धन देकर खरीद लिया। मैं नहीं जानता कि उन्हें कितना पैसा दिया गया। यदि आप किसी एक राज्य में ऐसा करते हैं तो अन्य राज्यों में भी यही सब हो सकता है, अन्य कई राज्यों में भी यह आम बात हो गई है। हाल ही में सिक्किम में ऐसा हुआ है। वहां बहुमत प्राप्त श्री भंडारी को बर्खास्त कर दिया गया था और श्री गुरुंग को लाया गया। अगले दिन श्री भंडारी 15 विधायकों के साथ दिल्ली आए और श्री गुरुंग की सरकार बर्खास्त की गई। अब वहां राष्ट्रपति शासन है। राज्यपाल शासन से आपका क्या अभिप्राय है? राज्यपाल शासन का अर्थ है कि राज्य सरकार के शासन को व्यावहारिक रूप से सेना को सौंप दिया जाता है। अब जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति हो गई है और वहां सेना है और सेना वहां हर कार्य पर नियन्त्रण करने जा रही है। पंजाब में क्या हुआ? यदि आप ही देश की जनता या किसी राज्य की जनता को विश्वास में लाना नहीं चाहते तो देश की एकता और अखंडता को कौन बनाए रखेगा? आप यह बात भूल गए हैं। अत: मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। विपक्षी दलों की बैठक हुई और उन्होंने मांग की कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, श्री जगमोहन, जिन्होंने 'लोकतंत्र की हत्या करने' जैसा काम किया है, को वापिस बुलाना होगा, और श्री शाह का तुरन्त हटाना होगा तथा चुनाव के आदेश दिए जाने चाहिए। यह हमारी सलाह है। कांग्रेस पार्टी को इन सुझावों की महत्ता समझनी चाहिए। आज यदि आप देश की अखंडता बनाए रखना चाहते हैं तो कम-से-कम आप इस देश में अपनाए गए लोकतंत्र को बनाए रखिए।

आज आप राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? आप सांप्रदायिकता के विरोधी है। क्या ऐसा नहीं है? मेरे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसमें 13-14 दल सम्मिलित है जो कि संप्रदाय' जाति और धर्म के आधार पर बने हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि वे सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। (**व्यवधान**) यद्यपि ये कटु तथ्य हैं तथापि राष्ट्र होने के नाते इसकी एकता को बनाये रखना होगा। गृह मन्त्री ने कहा है कि देश की एकता बनाए रखनी चाहिए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह अपने मन में झांक कर देखें कि क्या जो नीतियां वे अपना रहे हैं वे देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में सहायक होगी। अत: मैं सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे सुझाव स्वीकार करें। लोकतंत्र को बचाने का यही एकमात्र सही रास्ता है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने दो विरोधी दलों के नेताओं की बात बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे अपनी सरकार से दूसरी शिकायत है। मैं, यहां पर जुलाई -14 के ब्लिट्ज की एक खबर के कुछ अंश पढ़ाना चाहता हूं।

> "अकाली उग्रवादियों तथा काश्मीर के पृथकतावादियों में यह मैत्री अचानक नहीं हुई थी। दोनों ही पक्ष 1983 से पहले से ये कार्य कर रहे थे और विश्वसनीय सूत्रों

से प्राप्त सूचना के अनुसार—"स्वर्ण मन्दिर में श्री भिंडरावाले के साथ हुई निजी वार्ता के दौरान फारुक अब्दुल्ला ने उन्हें जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा हर तरह की सहायता और सुविधाएं देने का वचन दिया था ।

इन सूत्रों के अनुसार, इस तरह से सिख छात्र संघ के 100 सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को राज्य के शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया, 'दशमेश' रेजिमेंट ने जम्मू में नानकपुरा में एक अड्डा बनाया और कुछ अकाली जम्मू के रास्ते पाकिस्तान बच निकले ।"

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो खबर निकली है, क्या उनकी इन्टेलिजेंस सोर्सेस से यह पता चला था कि जम्मू-काश्मीर गवर्नमेंट की पंजाब के उग्रवादियों से कोई सांठ-गाठ थी ।

कोई सांठगांठ थी, कोई गठबन्धन था और सिक्ख स्टूडेंटस फैडरेशन के 100 आदमियों को वहां शिक्षा के विभाग में नौकरियाँ दी गई थीं । कुछ लोग जम्मू और काश्मीर गवर्नमेंट की सहायता से पाकिस्तान भाग गए थे। अगर ये सारी बातें सही थीं तो उस समय जम्मू और कश्मीर की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया ? उसी समय जम्मू और कश्मीर की सरकार के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

2.55 म.प.

(श्री आर. एस. स्पैरो पीठासीन हुए)

सभापति जी, अभी हमारे मित्र बालानन्द जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बम्बई और कलकत्ता अधिवेशनों में जम्मू और कश्मीर सरकार के खिलाफ बातें की गईं । हम लोग जरूर जम्मू और कश्मीर सरकार के खिलाफ बात करते थे और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाती थी कि वहां एन्टी नेशनल तत्वों की गतिविधियां बराबर बढ़ती जा रही हैं । ये बातें बे-बुनियाद नहीं थीं । उस समय भी सबको मालूम था और अब भी यह बात खुलकर सामने आ रही है कि जब से जम्मू और कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला की गवर्नमैंट आई है, तब से वहां देशद्रोही शक्तियां ताकत पकड़ रही थीं ।

यहां पर क्रिकेट मैच का जिक्र किया गया, वहां प्रो-पाकिस्तानी नारे लगे लेकिन वे नारे तब वहां लगे जब कि जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री वहां बैठे हुए थे और उनके साथ वहां के कुछ मंत्री भी थे। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, महज दिखाने के लिए और बाद में उनको भी छोड़ दिया गया ।

पंजाब के एक्ट्रोमिस्टस और भिण्डरांवाले के साथ जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बराबर बातचीत होती रही । मैं समझता हूं कि हमारी इंटैलीजैंस इतनी कमजोर नहीं है कि उनके बीच क्या बातचीत होती थी, उसका पता हमारी सरकार को न हो । सरकार को

उन सारी डैवलपमैंटस का पता जरूर रहा होगा। ये गतिविधियां बराबर बढ़ती रहीं। पंजाब के एक्सट्रीमिस्टस बराबर कश्मीर में जाकर पनाह लेते रहे और अपने को सुरक्षित रखते रहे। वहां ट्रेनिंग लेते रहे और कई ट्रेनिंग कैम्प वहां आयोजित किए गए। उसके बारे में इस सदन में भी सवाल उठाये गये और यहां होम मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि इतने-इतने कैम्प लगे। (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर की सरकार को भी लिखा गया कि उनके खिलाफ कार्य-वाही करें। हमारे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की ओर से कई बार जम्मू कश्मीर की सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा गया परन्तु कई पत्र लिखे जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दो-चार आदमियों की जरूर धरपकड़ की गई, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया।

वे सारी गतिविधियां चलती रहीं। हमारी सरकार की जानकारी में यह बात थी तो मेरी सरकार से यही शिकायत है कि फारुख अब्दुल्ला की सरकार को जरुरत से ज्यादा छूट क्यों दी गई। अगर यह छूट न दी गयी होती, उसी समय जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया होता तो शायद आज हम लोग जो सुन रहे हैं, उसके सुनने की नौबत न आती।

मैं सरकार की मन्शा को अच्छी तरह समझता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों कि जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद साधारण स्थिति वापस आयी थी। जम्मू और कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है और पीछे वहां जो कुछ हो चुका है, उससे हमारे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं, बड़ी मुश्किल से वहां सामान्य और साधारण स्थिति को लाया जा सका था। उसके लिये कांग्रेस की सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काग्रेस की चुनी हुयी सरकार को वहां हटाया था, जिसके नेता उस समय के मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम थे और उनको हटा कर शेख अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर का मुख्य मंत्री बनाया गया।

3.00 म. प.

उस समय उनका एक मेम्बर भी जम्मू और कश्मीर असैम्बली में नहीं था। उसके बावजूद भी उनको वहां का मुख्य मंत्री बनाया गया, उनकी सरकार वहां बनीं। केवल इस दृष्टि से कि कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। कश्मीर में भी वैसी स्थिति हो जो हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख साहब जब तक जीवित रहे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल रखी, अपने समय में उन्होने देश-द्रोही तत्वों को दबाये रखा, उनको पनपने नहीं दिया। उस समय देश-द्रोही तत्वों की हिम्मत नहीं थी कि कश्मीर की सड़कों पर या श्रीनगर की सड़कों पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाएं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि देश-द्रोह की बातें की जाएं। अब हमारे शेख साहब जीवित नहीं है। जब उनके बाद फारुख अब्दुल्ला साहब वहां के मुख्य मंत्री बने तो भी हम लोगों को कोई ऐतराज नही था। क्योंकि हमारी सरकार और हमारी पार्टी यह समझती थी कि वे भी शेख साहब के पदचिन्हों पर चलेंगे और जो सामान्य स्थिति उन्होंने कश्मीर में बना रखी थी, वे उसको कायम रखेंगे और उसमें और सुधार करेंगे। फारुख साहब हमारे साथ संसद के भी सदस्य रहे हैं और

हम लोगों के साथ उनकी मुलाकात है हमें ऐसा नहीं लगता था कि जब फारुख साहब जम्मू और कश्मीर वापस जाएंगे, वहाँ के मुख्य मंत्री बनेंगे तो ऐसे लोगों के घेरे में पड़ जाएंगे जो एन्टी नेशनल एलीमेंटस हैं। मैं अपने कश्मीर के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है कि फारुख अब्दुल्ला ने उन लोगों के साथ दोस्ती की जिनको शेख अब्दुल्ला साहब ने कभी मुंह नहीं लगाया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : मैं गलत नहीं, सही बोल रहा हूं। आप सही बोल लीजिएगा। शेख साहब ने कभी ऐसे तत्वों से कोई ताल्लुक नहीं रखा था जो देश-द्रोही या एन्टी नेशनल तत्व थे। शेख अब्दुल्ला साहब का उनसे कोई सारोकार नहीं था और वे उनको ठीक रखे हुए थे, दबाये हुए थे। लेकिन कश्मीर का दुर्भाग्य है और साथ ही इस देश का दुर्भाग्य है कि फारुख अब्दुल्ला साहब इन तत्वों के घेरे में आ गये, बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि उन तत्वों के राजनैतिक बन्दी बन गये थे, उनके राजनीतिक कैदी हो गए थे। मुझे फारुख साहब की नियत पर कोई एतबार नहीं है। लेकिन उन्होंने चुनाव के समय इन तत्वों से हाथ मिलाया, यह उनकी गलती थी चुनावों के समय वे हमारे साथ मिलने की बात कर रहे थे ताकि चुनाव गठबन्धन किया जा सके। कांग्रेस ने भी चुनावों में नेशनल कान्फ्रेंस के साथ गठबन्धन करने की कोशिश की, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ सकते थे, क्यों कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थीं। उस समय नेशनल कान्फ्रेंस में अराष्ट्रीय तत्व शामिल नहीं थे। यदि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़तीं तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं थीं। लेकिन फारूख अब्दुल्ला को उन्हीं तत्वों ने ऐसा नहीं करने दिया और वे उनके हाथों की कठपुतली बन कर रह गये, उनके मजबूर होकर रह गये। फारूख अब्दुल्ला यह समझने लगे कि जब तक इन तत्वों का साथ नहीं मिलेगा, वे चुनाव नहीं जीत सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। शायद यही कारण था कि उन्होंने इन तत्वों को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी और खुलकर हमारे सामने आए। जिन दिनों वहां इलैक्शन हो रहे थे तो श्रीनगर की सड़कों पर किस तरह भारत के खिलाफ बातें कही जा रही थीं, नारेबाजी की जा रही थी, किस तरह देशद्रोह के चर्चे हो रहे थे, वह खुली बात है कोई ढकी या छिपी बात नहीं है। उसको हमारे विरोधी दल के नेता लोग भी जानते हैं, सारे देश की जनता जानती है और हम सभी लोगों को मालूम है कि उस जम्मू और कश्मीर में लोग क्या कह रहे थे, वे कौन से तत्व थे और कौन लोग थे जो इस तरह की हरकत कर रहे थे।

मैं यहां किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, सोज साहब के बारे में भी नहीं कहता, शेख अब्दुल्ला साहब को भी नहीं कहता या नेशनल कांफ्रेंस के किसी नेता पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन मेरी शिकायत है कि उन तत्वों के आप के साथ मिल जाने के कारण ही उनको हिम्मत पड़ गई। क्यों उनको यह हिम्मत पड़ गई कि वे देश-द्रोह की बातें करें। कि वह देश-द्रोह की बात करें, एंटी नेशनल बातें करें। चुनाव में जो कुछ हुआ सब के सामने है। चुनाव जीतने के बाद फारूक साहब उनके कैदी बने रहे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं उनकी दोषी नहीं

ठहराता । लेकिन लोगों को शुबहा हो सकता है उनके पिछले इतिहास से, लंदन में जो उन्होंने किया था उससे लोगों को शुबहा हो सकता है,पाकिस्तान में उन्होंने किस प्रकार का भाषण किया था जब लन्दन से कश्मीर में आते थे तो क्या-क्या बातें करते थे। हम समझते थे फारूक साहब बदल गये । वह शेख साहब के पद चिन्हों पर चलेंगे जिसकी उन्होंने कसम खाई थी । लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह सब गलत था वह शेख अब्दुल्ला के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे थे । वह कश्मीर को दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे ।

जब पंजाब में उग्रवादियों का आतंक बढ़ा तो फारूक साहब की उनके साथ दिलचस्पी का बड़ा कारण था ? उनका बारबार उनसे मिलना, उनसे बात करना, यह क्या इशारा करता है ? इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है ? सिवाय इसके कि वह इस गठबन्धन में जान-बूझ कर या अनजाने में शामिल थे । उन्हें पता रहा हो या नहीं, लेकिन वह शामिल कर लिये थे । और इसके पीछे वही तत्व थे जिनका वह साथ किए हुये थे । उन तत्वों को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी, बल्कि उन तत्वों के कहने पर वह काम करने लगे थे । और जो बात थी वह सामने आयी । मेरी तो सरकार से यही शिकायत है कि उस समय की क्यों नहीं कश्मीर सरकार को बर्खास्त किया गया ? आपने बेहद छूट दी जनतन्त्र के नाम पर । जब पंजाब में श्री दरबारा सिंह की सरकार की, जो कि अपनी पार्टी की सरकार थी, बर्खास्त किया जा सकता है तो कश्मीर में छूट देने की क्या बात थी ? प्रधान मंत्री ने बहुत अधिक नर्मी दिखाई, जरूरत से ज्यादा । शायद इसलिए कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है । बारबार यहां से कहा गया कि फारूक साहब सम्भल जाये, जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे वापस आ जायें । इसके बाद भी सरकार को हमने नहीं हटाया, सरकार ने डिसमिस नहीं किया । वह डिसमिस हो गए । अपने झगड़े में और अपने घर के झगड़े में । यह तो चक फेमिली झगड़ा था । गुलाम मोहम्मद शाह उनके बहनोई हैं, खालिदा उनकी बहन हैं, तारिक अब्दुल्ला उनके भाई हैं । और कुछ नेशनल कनफरेंस के मेम्बर्स इकट्ठे हो गये, उनके साथ मिल गये । आज से नहीं जब से गुलामोहम्मद शाह को मुख्य मंत्री नहीं बनाया तब से वह इस ताक में थे कि नेशनल कानफरेंस की सरकार, या फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराया जाय । और उसमें वह कामयाब हो गये । सरकार गिर गई इसमें हमारा क्या दोष है ? हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, विरोधी दल में बैठते हैं । अगर हमको स्थिति अच्छी लगे जो आये हैं दूसरी पार्टी से उनको हम समर्थन दें, तो जरूर देंगे । आखिर आपने भी तो यही किया है । अभी डा. राजेन्द्र कुमार बाजपेई बता रही थी 1967 में क्या हुआ ? 17 विधायक टूटकर कांग्रेस से चले गये और विरोधी दल के लोगों ने उनकी सरकार बनाने के लिये समर्थन दिया । मध्य प्रदेश में गोविन्द नारायण सिंह ने भी यही किया, उनको भी विरोधी दल के लोगों ने समर्थन दिया । उनकी सरकार बनी । छोड़िए 1979 में जब पाटिल साहब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे । तो शरद पवार साहब ने क्या किया था ? वह कांग्रेस (एस) और कांग्रेस (आई) की मिली-जुली सरकार से अलग हो गये और जनता पार्टी ने उनका साथ दिया । एक नहीं अनेक ऐसी मिसालें हैं कि इन पार्टियों ने डिफेक्टर्ज, दल-बदलुओं, को सरकार बनाने में मदद दी और उन्होंने सरकार बनाई ।

1979 में दिल्ली में पार्लियामेंट में क्या हुआ ? वह तो हाल की घटना है । श्री दंडवते

उस समय मंत्री थे। उनको याद होगा। जनता पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ गई। श्री जार्ज फर्नान्डीज उस समय अविश्वास-प्रस्ताव के डिस्कशन में सरकार का बचाव कर रहे थे, मगर दूसरे दिन वह खुद जनता पार्टी को छोड़ कर चले गये। काफी संख्या में सदस्य जनता पार्टी से अलग हो गये। श्री मोरारजी देसाई ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी साहब को प्रधान मंत्री बनने में मदद दी, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। हमने देश-हित में जो ठीक समझा, वह किया। लेकिन श्री दंडवते एक बात का मानेंगे कि हमने उनकी सरकार नहीं गिराई थी, उसके लिये हमने डिफेंकशन्ज इन्जीनियर नहीं किये थे। उनकी सरकार अपनी कर्मों की वजह से गिरी थी।

प्रो० मधु दंडवते : अपनी सरकार को गिराने की ताकत तो हम लोगों में भी थी।

श्री जैनुल बशर : उस ताकत का आपने पूरा-पूरा इस्तेमाल किया, उसमें आपने कोई कमी नहीं रहने दी।

उस समय हमारी राजनैतिक मंशा यह कहती थी कि हम उस सरकार का समर्थन करें और हमने उस सरकार का समर्थन किया। तो अब इस बात को बुरा क्यों कहा जा रहा है? क्यों आज हमें दोष दिया जाता है कि हमने फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को गिराया है हमने उनकी गवर्नमेंट नहीं गिराई। उनकी गवर्नमेंट को नेशनल कांफरेंस के कुछ लोगों ने मिल कर गिराया है। हमने अपनी राजनीति और देश के हित में यह मुनासिब समझा कि हम श्री शाह को सरकार बनाने में समर्थन दें और हम उनको समर्थन दे रहे हैं। जब तक हम राष्ट्र-हित में जरूरी समझेंगे, तब तक हम उनको समर्थन देंगे और जब जरूरी नहीं समझेंगे, तब अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यह फैसला करना हमारा काम है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो और हम किस तरह से काम करें। दूसरे लोगों को इस बारे में सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। कल अगर कर्नाटक में किन्हीं कारणों से सरकार गिर जाए, तब भी हमारे मित्र कहेंगे कि उसमें हमारा हाथ है। क्या हम कर्नाटक में कुछ कर रहे हैं?

कल अगर हमारी सरकार हरियाणा या केरल में गिर जाए, तो विरोधी दल भी वही काम करेंगे। क्या वे यह काम नहीं करेंगे? वे पहले भी यह काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो फिर इसमें हमारा दोष कहां आ गया? ये लोग बिला-बजह इस मसले पर एकजुट हुए हैं। श्री बालानन्दन ने कहा है कि यह सब विरोधी दल इस प्रश्न पर एकजुट हुए है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई मसला नहीं है, यह मसला तय हो चुका है। बार-बार ऐसा हुआ है कि जहां जिस गवर्नर ने मुनासिब समझा है, वह फैसला किया है। कभी असेम्बली में स्ट्रेंग्थ का ट्रेस्ट हुआ है और कभी बाहर हुआ है।

लेकिन एक खास बात के बारे में विरोधी दल बिल्कुल मौन है। उनकी निगाह सिर्फ एक ही पहलू की तरफ है। दूसरे पहलू की तरफ वे निगाह नहीं रख रहे हैं। काश्मीर में देश-द्रोह की गतिविधियां हो रही थीं और देश द्रोही ताकतें सिर उठा रही थीं। बहुत प्रयास और बड़ी मेहनत के बाद काश्मीर के वातावरण को ठीक किया गया था। अब उस वातावरण को

दूषित करने का काम हो रहा है, मगर उसकी तरफ सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की निगाह नहीं जा रही है। देश-हित का तकाजा तो यह है कि उन्हें उस पर नजर रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि काश्मीर में क्या हो रहा है,

पंजाब में क्या हो रहा है ? आज पंजाब और काश्मीर की स्थिति कैसी हो रही है, इस बारे में भी तो आप को सोचना चाहिए। बस, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट चली गई और डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। कल को आप यह कर लें तो डेमोक्रेसी जिन्दा हो गयी और हम समर्थन कर दें तो डेमोक्रेसी मर गई, यह एक अच्छा ऐटीच्यूड विरोध का हमारी समझ से नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जो भी काम काश्मीर में हुआ है वह जो नार्मल प्रैक्टिस इस देश में रही है उसी के हिसाब से हुआ है। इस कांग्रेस पार्टी या सरकार का कोई कुसूर नहीं है। आज सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है, गृह मंत्री जी इस बात के लिए जवाबदेह हैं और इसका उत्तर वह देंगे कि जो एंटी नेशनल ऐक्टिविटीज काश्मीर में हो रही थीं जिसकी इत्तिला उनको मिल रही थी उसको देखते हुए उन्होंने काश्मीर की गवर्नमेंट को पहले ही क्यों बरखास्त नहीं किया, उसके खिलाफ पहले ही क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी (नरसारावपेट) संक्षेप में अपने विचार प्रकट करते समय मेरा उद्देश्य यह नहीं होगा कि मैं अपने विपक्षी मित्रों को उत्तेजित करूं जो कि मेरे विचार से अपने एक मित्र के लिए, जिसने आत्महत्या कर ली है, औपचारिक रूप से आंसू बहा रहे हैं। (हर्ष ध्वनि) यह एक सुस्पष्ट मामला है।

प्रो० दंडवते ने भी ऐसी ही टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि हम विपक्षियों में स्वयं को नष्ट करने की क्षमता है।"

प्रो० मधु दंडवते : एक विनोद-वृति।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मेरा उद्देश्य फारुक अब्दुल्ला के जीवन-वृत्त जो कि इतना आकर्षक है, उनके छात्र जीवन, इंगलैंड में बिताए गए दिन, किस तरह से वे पाकिस्तान समर्थक तत्वों के साथ गए आदि, पर विचार करना नहीं है और न ही मई, 1983 से हो रही गंभीर घटनाओं के विस्तार में जाना चाहता हूं। कई घटनाएं हुई। मेरी अच्छी मित्र डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने अपने बहुत ही उपयुक्त और सगत भाषण में उन राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और खालिस्तान समर्थक घटनाओं के बारे में कहा जो कि श्री फारुक के उनके साथ साठ-गांठ के कारण हुई। यह बताना संगत होगा कि मेरे विपक्षी सहयोगियों को, जो कि बहुत जिम्मेदार, और प्रतिष्ठित लोग हैं, इस समय जबकि राष्ट्र हित संकट में है, जब कि खतरनाक स्थिति बेकाबू हो रही है तथा राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है, ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे कि सारा देश यह महसूस करे कि आपातकाल में, राष्ट्र संकट के समय सभी दल अपने दल के हितों को छोड़कर मिलकर काम करें। वही मैं कहना चाहता हूं।

मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि डा० फारुक अब्दुल्ला कुछ अस्थिर और अपरिपक्व भी हैं।

मैं उन्हें ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ भी हो वह दरसक अपरिपक्व ही हैं।

जहां तक मुख्य मुद्दे की बात है केन्द्र का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप केन्द्र को क्यों घसीट रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यदि वह कांग्रेस का समर्थन करते तो, क्या वह परिपक्व हो जाते ?

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं नहीं जानता कि क्या आप परिपक्व हो गये होते। देखिए वह मुझे समर्थन देते हैं या आपको, यह उनका काम है। वह मेरा समर्थन कर सकते हैं या आपका। वह किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। उन जैसा व्यक्ति तो एक वर्ष में 100 अलग अलग व्यक्तियों का समर्थन कर सकता है। अतः मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उन्होंने किसका समर्थन किया और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस (इ) के साथ समझौता किया। यदि उनका किसी अन्य विपक्षी दल से समझौता हो गया है तो सिवाय मौलवी फारुख जिसका कि रवैया आप सब जानते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या आप जानते हैं कि श्री राजीव गांधी राजनीतिक समझौते के लिए मौलवी फारुख के पास गये थे। वह उनसे उनके घर जाकर मिले थे।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आप अपने उल्लास को कश्मीर क्षेत्र तक ही आरक्षित रखिये।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : नहीं। वह उनके यहां नहीं गये थे। **(व्यवधान)**

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस प्रकार के साधारण मामले में, किसी को भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। यह साधारण मामला है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री बालानन्दन ने, निस्सन्देह, बड़े ही बे-मन से भाषण दिया है। परन्तु उन्होंने यही कहा है कि यह लोकतन्त्र की हत्या है। मैं कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के निम्न सदन का कोई भी सदस्य हो, परन्तु उन्होंने फिलहाल भारतीय एकता को बचा लिया है। **(व्यवधान)** अतः, हमें अनावश्यक रूप से अन्य आधारों को आड़े लाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र का प्रश्न नहीं उठता है। यह एक साधारण सी बात है कि नेशनल कान्फ्रेंस के 12 विधायक·········

प्रो. सैफुद्दीन रेड्डी सोज : उन्हें "दल बदलू" कहिये।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : कृपया व्यवधान मत डालिये। एक सीमा होती है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : डेफेक्टर्स को प्रेज करते हैं शर्म नहीं आती।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी इन्होंने असंसदीय शब्द बोला है, इनका यहां बोलना मुश्किल हो जायेगा, आप इन्हें रोकिये ।

सभापति महोदय : शान्त रहिए ।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे प्रिय मित्र आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? आप सबने मिलकर उन्हें आपने आपे को मारने दिया । (**व्यवधान**) यह तो बहुत ही साधारण मामला है । उनमें से 13 कांग्रेस (इ) के नेता के पत्र से जिनकी कि संख्या 26 है । सशक्त हो पर उनकी संख्या में राज्यपाल के पास पहुचे उसके बाद राज्यपाल ने डा. फारुख अब्दुल्ला को बुला भेजा । यह एक ऐसा मामला है । जिसमें 13-12 नेशनल कान्फ्रेन्स के और एक निर्दलीय सदस्य ने कांग्रेस-इ के नेता के पत्र के आधार पर कहा कि उन्होंने मुख्य मन्त्री महोदय में विश्वास खो दिया है । कि उन्हें बुलाया गया । वह राज्यपाल से जाकर मिले । वह उनसे लम्बे समय तक बातचीत करते रहे और उन्होंने बाद में राज्यपाल को पत्र भी भेजा । आप इसको ध्यान में रखिये । राज्यपाल को अपने उत्तर में, उन्होंने कहा है कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कीजिए अथवा विधान सभा की बैठक बुलाइये आदि आदि । परन्तु वह इस तथ्य को नकार नहीं सके कि उनमें से 39 उनके विरुद्ध हैं और वह अपना बहुमत खो चुके हैं ।

मेरा तो केवल यह कहना है कि जब 13 विधायकों और 26 विधायकों सहित कांग्रेस-इ के नेता से राज्यपाल महोदय का सामना हुआ तो उन्होंने फारुख अब्दुल्ला को बुला भेजा । वह आये, बात की और हो सकता है लम्बे समय तक बात की और घर अपने मित्रों से सलाह-मशीवरा किया । सम्भवतया अपने वकीलों से भी सलाह थी । उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि बहुमत उनके साथ है । उन्होंने केवल यह कहा, "आप विधान सभा भंग कर दीजिए, आप शक्ति का पता लगाने के लिए नई विधान सभा बुलाइये ।" उन्होंने यही तो कहा था । अतः, फिर 'क' या 'ख' या 'ग' का प्रश्न ही कहां रह गया । यहां पर एक साधारण सी बात है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने अपना बहुमत खो दिया और यह कहना राज्यपाल का परिबद्ध कर्त्तव्य था "आपका खेल समाप्त हो गया है ।"

मान लीजिए आन्ध्र या कर्नाटक में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है···(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कर्नाटक या आन्ध्र प्रदेश ही क्यों ?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : ठीक है । श्री वाजपेयी जी की आपत्ति के कारण, मैं कर्नाटक या आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश या बिहार को ले लेता हूं । मान लीजिए विधायकों का बहुमत राज्यपाल से जाकर कहता है "हम बहुमत में हैं ।" तो वह क्या करता ? वह भी यही सब करता ।

प्रो. मधु दण्डवते : परमात्मा के वास्ते, आपने इन विचारों के साथ किसी राज्य के राज्यपाल मत बन जाइये।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं नहीं समझता कि मुझे यह कष्ट दिया जायेगा।

यह तो सरल सी बात है। यदि उन्होंने वह नहीं किया होता जो कुछ उन्होंने किया तो मैं कहता कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य के विरुद्ध कार्य किया। अत:, अपना बहुमत खोने के बाद किसी मुख्य मन्त्री महोदय के यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है, "आप विधान सभा को भंग कर दीजिये।" तब तो कोई भी सरकार टिक ही नहीं सकेगी। गृह मन्त्री महोदय, आप सावधान रहिये।

मैं आपको उस मामले की याद दिलाता हूं, जो मध्य प्रदेश में हुआ था और जिसके बारे में श्री सतीश अग्रवाल को पता होगा। 1968 में, डी. पी. मिश्र ने अपना बहुमत खो दिया था और उन्होंने राज्यपाल से विधान सभा भंग करने की सिफारिश की। उसी राज्यपाल ने विधान सभा को भंग नहीं किया। वर्तमान प्रधान मंत्री महोदय तब भी प्रधान मन्त्री थीं। आपने देखा था कि श्री गोविन्द नारायण सिंह ने सरकार बनाई थी जो कि कांग्रेस सरकार नहीं थी।...

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप स्वयं जम्मू और कश्मीर के मामले को जानते हैं जिसमें कांग्रेस-इ ने अपने दो सदस्यों, श्री अफजल बेग और शेख साहिब का समर्थन वापिस ले लिया और उन्होंने विधान सभा भंग करने की सिफारिश की थी तथा श्री एल.के. झा ने विधान सभा को भंग कर दिया था और वहां चुनाव हुए थे।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं उस सच्चाई का खण्डन कर सकता हूँ। श्री एल.के. झा मेरे कोई संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं है और न ही मेरे गुरू हैं। आप मेरे मुद्दे का उत्तर दीजिए। आप श्री एल.के. झा ने जो कुछ किया, उस बात पर क्यों जाते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह जून या जुलाई, 1977 की घटना है। श्री एल. के. झा जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। राज्य वही है। और वहीं घटना भी घटी है, जिसमें मुख्य मन्त्री की सिफारिस पर विधानसभा भंग कर दी गई थी।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह तो एक मुख्यमन्त्री के बहुमत खो देने का स्पष्ट मामला है।.........

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमान रेड्डी जी क्या मैं आपकी बात काट सकता हूं ? मैं आमतौर से ऐसा करता नहीं हूं। आपने मेरा उल्लेख किया है।

यह कैसे हुआ कि चौधरी चरणसिंह की सरकार में आप मन्त्री मण्डल में थे और कांग्रेस-इ द्वारा समर्थन वापिस लेने पर, उन्होंने राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी को लोक सभा भंग करने की

सिफारिश की थी और उन्होंने लोक सभा भंग कर दी थी। आप तो तब मन्त्री परिषद के सदस्य थे। श्री संजीव रेड्डी ने अल्पमत वाली सरकार के कहने पर लोकसभा को भंग कर दिया था।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं कोई वकील नहीं हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वह एक लोकतान्त्रिक सरकार थी।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं न ही तो आपका और न ही श्री संजीव रेड्डी का या श्री चरणसिंह का वकील हूँ, समझे ?

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे उत्तर मिल गया है।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : नहीं, नहीं। जो कुछ उन्होंने किया, वह उनका अपना काम था।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह एक बहुत ही कमजोर मामले की वकालत कर रहे हैं।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सर्वाधिक शक्तिशाली मामला है।

प्रो. मधु दण्डवते: यह मन्त्री मण्डल का निर्णय है। आपको याद है कि जब आप चरणसिंह मन्त्रीमण्डल में थे और आप वह भूल गये हैं।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : जब आप आत्महत्या करने में सफल हो गये थे तो कुछ समय के लिए एक सरकार बनी थी।

सभापति महोदय : हम विषय तक ही सीमित रहें, अन्य मामलों में न उलझें और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : दूसरा मुद्दा यह उठाया गया था कि उन्हें उनकी सिफारिश पर विधान सभा भंग करनी चाहिये। जब कोई मुख्य मन्त्री अपना बहुमत खो देता है तो विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

तीसरा मुद्दा यह उठाया गया है, कि "आप समय क्यों नहीं देते, विधान सभा की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं और चर्चा करके कोई संकल्प पारित क्यों नहीं कर देते हैं ?" मेरा कहना यह है कि यह बहुत खतरनाक बात होगी। एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने बहुमत खो दिया हो सभी प्रकार के लोगों के पास जाने, सभी प्रकार के लोगों को घूस देने और सभी प्रकार के लोगों को घूस देने और सभी प्रकार करें भाग दौड़ में भाग लेने की अनुमति देना, जिसके हम और आप सभी विरुद्ध हैं, ठीक नहीं होगा और यदि विधान सभा की बैठक बुलाने का समय दिया जाता तो, यही सब जम्मू और काश्मीर में भी होता।

इन सभी कारणों पर विचार करने पर, यह एक साधारण मामला बनता है। इसमें

क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल, को यह अधिकार था और यदि मैं कहूं तो वह अपना कर्तव्य पालन कर रहा था जिसमें इस प्रकार कार्यवाही करके तथा डा० फारुख को हटाकर एक ऐसी सरकार बना दी जो मेरे विचार से धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की परम्पराओं के अनुरूप कार्य करेगी।

सभापति महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फर पुर) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात, गृह राज्य मन्त्री महोदय द्वारा 26 तारीख को दिए गये वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति उठाते हुए आरम्भ करता हूं।

आपको याद होगा कि उस दिन जब सभा आरम्भ हुई तो हमने जम्मू और कश्मीर का प्रश्न उठाया था और आपको पता है कि उस दिन सदन में क्या हुआ था। अध्यक्ष महोदय ने तब चर्चा कराने का वायदा किया था। सरकार का कहना था कि वे वक्तव्य देंगे और गृह राज्य मन्त्री ने 26 तारीख को यह वक्तव्य दिया।

मुझे इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्तव्य से सर्वथा सदन की अवमानना होती है। हमने अध्यक्ष महोदय से यह कहा था कि हम चाहेंगे कि सरकार हमें वह सब बताये जिसके जम्मू और काश्मीर में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे यह परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया था।

यदि हम वक्तव्य को पढ़ें तो फारूख को हटाना और कटपुतली सरकार बनाना यह सब पैराग्राफ 5 के एक वाक्य में ही आ जाता है। उसमें कहा गया है :-

"एक अन्य घटना में" दूसरे शब्दों में, कुछ घटनाएं घटी थीं। उस पर मैं बाद में आऊंगा।

> "दूसरी घटना में, जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार को 2-7- 1984 को बर्खास्त किया और जम्मू और काश्मीर के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जी.एम. शाह को नई सरकार बनाने के लिए मुख्य मन्त्री के रूप में शपथ दिलाई।"

बस। यह सभा सरकार से आशा करती थी कि इसे कुछ सम्मान दिया जाये।

कल के समाचार पत्रों में हमने एक श्वेत पत्र के बारे में पढ़ा जिसे जम्मू और काश्मीर में स्थापित कठपुतली सरकार ने प्रकाशित किया है।

गृह मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं यह बताना चाहूंगा कि कुछ समाचार पत्रों ने यह संज्ञा दी है। जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है ..

प्रो. मधु दण्डवते : यह श्वेत नहीं होगा, यह पीला हो सकता है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उन्होंने कोई सफेद कागज देखा होगा और इसे ही श्वेत पत्र कह दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय गृह मन्त्री द्वारा किये गये शुद्धि करण को मानते हुए भी यह एक दस्तावेज है...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैंने यही कहा है कि जम्मू और काश्मीर में स्थिति श्वेत-पत्र की स्थिति तक नहीं पहुंची है। यही कारण है कि कोई श्वेत पत्र नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने गृह मंत्री का वक्तव्य पढ़ लिया है और मैं इस बारे में गृह मंत्री के वक्तव्य को स्वीकार करता हूं। किन्तु यह एक सरकारी दस्तावेज है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री इस तथ्य को मानने से इन्कार नहीं करेंगे कि 21 पृष्ठ का यह दस्तावेज जम्मू और काश्मीर की कठपुतली सरकार का एक सरकारी दस्तावेज है ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कठपुतली मत कहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, जम्मू और काश्मीर की सरकार। यदि जम्मू और काश्मीर सरकार ने यह जरूरत महसूस की किस-पृष्ठ का एक वक्तव्य निकाला जाये और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये तथा इसमें श्री फारूक अब्दुल्ला को फांसी देने का प्रस्ताव किया जाये तथा विपक्ष के उन दलों को फांसी देने का प्रस्ताव किया जाये जो उन का समर्थन कर रहे हैं अथवा जिन्होंने उनका समर्थन किया है और एक ऐसा मामला बनाया जाये कि कुछ राष्ट्र विरोधी हैं तो क्या सरकार द्वारा एक वक्तव्य देकर इस सभा को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था ? और क्या वे सभी मांगें जो हमने की हैं, अध्यक्ष ने हमें जो वचन दिया है तथा सरकार ने हमसे जो वायदा किया है उसे एक ही वाक्य में समाप्त किया गया है ? इस वक्तव्य का वास्तव में शीर्षक है "जम्मू और काश्मीर में हाल की घटनाओं के बारे में...का वक्तव्य।" मैं जानना चाहूंगा कि "हालां की, शब्दों का क्या अर्थ है...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं नहीं जानता...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक सरकार का वक्तव्य है। सम्भवतः गृह मन्त्री इसका आश्रय लेंगे और कहेंगे, यह मेरा वक्तव्य नही है, 'यह मेरे राज्य मन्त्री का वक्तव्य है...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं उसका आश्रय नहीं ले रहा हूं।

श्री जार्जफर्नान्डीज : यह वह वक्तव्य है जो गृह मन्त्री ने दूसरे सदन में दिया है...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हां, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह किसी दूसरे ने दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : "हाल ही" शब्दों का वस्तुतः क्या अर्थ है ? क्या यह 'एक महीने' अथवा 'दो महीने' है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उस वक्तव्य में मैंने यह कहा है जो हम 'हाल ही की घटनाओं' से समझते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अन्य शब्दों में, इतिहास उस दिन से आरम्भ होता है जब श्री फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव जीता; वह 'हाल ही' की बात है क्योंकि यह वक्तव्य उससे आरम्भ होता है;

> "जम्मू और काश्मीर राज्य में 1983 के अन्तिम छ: महीनों से कतिपय तत्व राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी गतिविधियों में लगे हुये थे..."

दूसरे शब्दों में, जब से श्री फारूक अब्दुल्ला चुने गये, उनका दल चुना गया तथा वह मुख्य मन्त्री बने।

जहां तक वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैंने जो कुछ कहा है और सरकार द्वारा जिस प्रकार से सभा के साथ अपना व्यवहार किया गया है उस पर मैंने जो पूर्ण रूप से शेष प्रकट किया है, यही मेरा अब निवेदन है। मुझे जो आश्चर्य हुआ वह यह है कि उन्हें यह करने में इतनी देर हुई है। अब मैं आपको एक पत्र पढ़ कर सुनाने जा रहा हूं जिसे प्रधान मन्त्री ने केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य श्री सयैद मीर कासिम को 2 जुलाई, 1983 को लिया था **(व्यवधान)**

'आपका पत्र मेरे हाथ में कैसे आया।' यह पत्र भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री निवास नई दिल्ली से 2 जुलाई, 1984 को श्री सयैद मीर कासिद को लिखा गया है अर्थात् फारूक अब्दुल्ला सरकार के बनाने के उत्साह के अन्दर लिखा गया। इसमें क्या कहा गया है? यह श्री सयैद मीर कासिम के उस पत्र के उत्तर में लिखा गया जिसमें उन्होंने समझौते सहित कई बातों के बारे में लिखा है। मुझे उन भाषणों पर आश्चर्य हुआ जो कुछ सदस्यों ने यहां दिये और साथ ही उन वक्तव्यों पर भी मुझे आश्चर्य हुआ जो कुछ लोगों द्वारा सभा से बाहर दिये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये, प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहीं कहा है कि जम्मू और काश्मीर में जो कुछ हुआ है उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है और यह एक परिवारिक झगड़ा है। यदि मुझे ठीक याद है, सत्ताधारी दल के ऐसे भी कई सदस्य हैं जिन्होंने वह वक्तव्य दिया है। वास्तव में सभा में ऐसी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। एक ओर उस पक्ष के माननीय सदस्य कानून और व्यवस्था के पूर्ण असफल होने की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों आदि की बात करते हैं तथा उन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहते हैं और कहते हैं कि वे जम्मू और काश्मीर में हैं और श्री फारूक अब्दुल्ला से व्यक्तिगत रूप से मिले। यही उन्होंने कहा। दूसरी ओर प्रधान मंत्री सहित सत्ताधारी दल के ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह सारा मामला पारिवारिक झगड़ा है और हम इसके बारे में क्या जानते हैं। महोदय, यह न तो पारिवारिक झगड़ा है और ना ही इसका राष्ट्र विरोधी अथवा जैसा भी आप उन्हें कहें कोई सरोकार है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : महोदय, क्या वह मुख्य मन्त्री के तीन महीने पहले दिये गये इस वक्तव्य का खंडन करते हैं कि जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्व संक्रिय हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : भारत की राजधानी में देश के किसी भी भाग की अपेक्षा कहीं अधिक समाज विरोधी तत्व हैं। इस सरकार की बरखास्तगी के लिए हम किस के पास जायें ? अतः हम इस वक्तव्य पर विचार करें। फारूक सरकार की बरखास्तगी के पीछे साजिश है और मैं गृह मन्त्री को चुनौती देता हूं कि वह इसका खंडन करें-जिसका कारण शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस (ई) के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करने में असफलता है। प्रधान मन्त्री इसे कई शब्दों में कहती हैं। उनका कहना है, जिसे मैं उद्धृत करता हूँ (व्यवधान) महोदय यदि सभा की अनुमति हो तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ :—

"प्रिय श्री कासिम,

* * * *

जम्मू और काश्मीर में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों के मिलकर व्यापक रूप से काम करने का जो प्रस्ताव था, जिसमें कांग्रेस का निसन्देह प्रमुख प्रतिनिधित्व रहा है, अब मात्र एक समझौता ही रह गया है, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस का मंत्रिमण्डल में कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं रहा और इससे हमारे दल का जम्मू और कांग्रेस की राजनीति से निस्कासन हुआ है।

* * * *

मेरे लिये यह समझौता राज्यों में सभी धर्मनिरपेक्ष और देशभक्त शक्तियों में फलदायक सहयोग का एक तरीका था और है। इसका निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं है कि वहां कांग्रेस का नाम ही समाप्त हो जाना चाहिए। मैंने समझौते की यह व्याख्या नहीं मानी है और न मान सकती हूं। किन्तु आपका दृष्टिकोण मालूम होता है बुरी बात यह थी कि आप शेख साहब और बाद में डा. फारूक अब्दुल्ला को अपना दृष्टिकोण मनवाने में सफल हुए। हमारे और नेशनल कान्फ्रेंस के बीच जो गड़बड़ी हुई उसका यही मूल कारण है। नेशनल कांफ्रेंस की सत्ता के पीछे यही एक घृष्टता है।"

आपने मंत्रालय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया, आपने एक राजनीतिक तंत्र बनाया, आपने काश्मीर के लोगों का समर्थन प्राप्त किया जिससे मेरे दल को मिटा दिया गया और वह कहती हैं मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी।

मैं आगे उद्धृत करता हूँ।

"1983 के चुनावों को इस पृष्ठ भूमि के मुकाबले में देखा जाना चाहिए।

* * * *

"मूल प्रश्न यह था कि क्या कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दल के रूप में जम्मू और काश्मीर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करता

रहेगा। कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता को इसमें सन्देह नहीं है कि इसमें कोई भी बाधा अर्थात यदि जनता का निर्णय भी इस प्रकार के कार्य करण में बाधक होता है तो उसका प्रभावी तौर पर सामना किया जाना चाहिए (इसे समाप्त किया जाना चाहिए)।'' (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, नियम 369 के अन्तर्गत मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि यह एक समाचार पत्र से पढ़ा गया यह एक नाजुक वक्तव्य है, इस दस्तावेज को आपके द्वारा जांच करने के बाद सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हां, इसकी जांच करने के बाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जब एक बार प्रधान मन्त्री ने यह रवैया अपनाया तो स्वभावत: बाकी सबको उसके अनुसार काम करना था और यही उन्होंने किया। मेरे सहयोगी श्री राजेश पाइलट यह जानना चाहते थे कि क्या उनके नेताओं द्वारा कोई वक्तव्य दिये गये हैं।

श्री राजेश पाइलट नहीं। डा. फारूक अब्दुल्ला द्वारा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया करनी आरम्भ की? प्रतिक्रिया करने वाला पहला व्यक्ति कांग्रेस (इ) के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वह क्या कहते हैं? मैं "खिदमत" से उद्धत कर रहा हूं जो जम्मू और काश्मीर में कांग्रेस (ई.) का अपना समाचार-पत्र है। कांग्रेस (ई.) के कार्यकारी अध्यक्ष, श्री कमलापति त्रिपाठी इस प्रकार कहते हैं-

> "नेशनल कांफ्रेंस ने जिस प्रकार अपने उम्मीदवारों को सफल बनाया उस पर हमारा दल चुप नहीं रह सकता है।"

यह 8 जून, 1983 के 'खिदमत' में है, (व्यवधान) साथ ही मौलवी इक्तिरवार अन्सारी ने इसे स्पष्ट किया जो 20 जून, 1983 के 'खिदमत में प्रकाशित हुआ "नेशनल कांफ्रेंस की गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष निरन्तर चलता रहेगा।" यह कांग्रेस (ई.) के अपने समाचार पत्र से है। इसके बाद कांग्रेस (ई) के नेता मौलवी इक्तिखार ने 14 जून, 1983 को घोषणा की कि-

> "जब तक नये चुनाव नहीं कराये जाते तब तक सामान्य स्थिति नहीं बनने दी जा सकती है"

28 जून, 1983 को उन्होंने फिर से कहा-

> "कांग्रेस (ई.) तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक चुनावों के परिणामों को निरस्त नहीं किया जाता है।"
>
> हम चैन से नहीं बैठेंगे।

उसके बाद इस सभा के माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू श्रीनगर गये और 1 जुलाई, 1983 को इसी प्रकार की धमकी दी।

"हम नेशनल कांफ्रेंस सरकार के सामने हार नहीं मानेंगे।"

उसके बाद श्रीनगर में हमारा एक सम्मेलन हुआ इसमें इस सभा के प्रतिनिधि दलों ने भाग लिया जिनमें से कुछ दलों की विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं। जनता पार्टी की कर्नाटक में, मार्क्सवादियों की पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, एन. टी. राम राव की तेलगू देशम पार्टी की आन्ध्र प्रदेश में सरकारें हैं। अतः इन सभी दलों की श्रीनगर में बैठक हुई और डा. फारूक अब्दुल्ला उस सम्मेलन में उपस्थित थे। जैसे ही यह सम्मेलन हुआ जिसे सामान्य तथा 'कानक्लेव' कहा जाता है, तीन वक्तव्य दिये गये। जम्मू और काश्मीर में कांग्रेस (ई.) के अध्यक्ष श्री मुफ्ती सैयद ने अपने वक्तव्य में कहा-

"फारूक अब्दुल्ला ने उनके हाथ मजबूत किये हैं जो पृथकतावादी उद्देश्यों के लिये केन्द्र को कमजोर करना चाहते है। वे देश की स्थिरता को ही नष्ट करना चाहते है।" यह भी खिदमत में छपा है। **(व्यवधान)**

यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप हम सभी को इस सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि हम राष्ट्र-विरोधी हैं ...

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इस का फैसला जनता करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जनता क्या करेगी यह जनता निश्चित करेगी। जनता की ओर से मत बोलिये। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, प्रधान मन्त्री से देश भक्ति सीख लेने के लिए अब बहुत देर हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर, महोदय, प्रान्तीय कांग्रेस (ई) समिति के महामन्त्री श्री मलिक एमदीन और श्री अब्दुल क्वायूम इस प्रकार कहते हैं-

"श्रीनगर में विपक्षी दलों का सम्मेलन राष्ट्र-विरोधी शक्तियों का संगुटीकरण है जो भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।" फिर, खिदमत **(व्यवधान)** तब, फिर, भी श्री मुफ्ती सैयद कहते हैं—

"जम्मू और काश्मीर में वर्तमान स्थिति बहुत गम्भीर है। अतः राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए।" (खिदमत 17 अक्तूबर, 1983)

और स्वयं आपके पूर्ववर्ती माननीय मन्त्री, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी का जम्मू और काश्मीर में आपके समाचार पत्र दिडेली ने हवाला दिया है ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : क्या वह उसे उद्धृत कर सकते हैं जो उन्होंने पार्टी के कार्यालय में कहा है ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कहा है कि हाल की बात यह है। यही कारण है कि मैंने आपसे पूछा है। गृह मंत्री महोदय, यदि आपने स्पष्टीकरण न होता कि 'हाल ही में' शब्दों का अर्थ यह है तो मैं यह नहीं कहता (व्यवधान)। यह आपका दैनिक समाचार-पत्र है और यह आपका अपनी पार्टी का समाचार पत्र है।

प्रो. मधु दण्डवते : वे अफवाहों की बात कर रहे हैं और हम आपकी पार्टी के समाचार पत्र के बारे में नहीं कह सकते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : साथ ही आपकी पार्टी के समाचार-पत्र 'खिदमत' दिनांक 19 अक्तूबर 1983 में श्री प्रकाश चन्द्र सेठी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है—

> "जम्मू और काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादी ताकतों के प्रकट होने के बारे में केन्द्र को चिन्ता है।"

> "जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री, फारूक अब्दुल्ला उन ताकतों के साथ मैत्री कर रहे हैं जो अस्थिरता पैदा करना तथा देश की एकता को नष्ट करना चाहते हैं।"

उनका आशय उन विपक्षी पार्टियों से है जिन्होंने श्रीनगर के सम्मेलन में भाग लिया था। (व्यवधान) मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री और उनके दल को फारूक अब्दुल्ला की सरकार को जब से वह बनी, गिराने के लिये पूरे तेरह महीने लगे। अत: तथ्य यह है कि हमें यह मालूम था कि जिस दिन श्री बी. के. नेहरू वापस बुलाये गये, भवन गिराने में विशेषज्ञ श्री जगमोहन का एक व्यक्ति गिराऊ दस्ता—तुर्कमान गेट की झुग्गी-झोपड़ियों का जीता जागता इतिहास है—श्रीनगर भेजा गया, और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि पांसा फेंका गया है और अब केवल समय की बात है। सदस्यों ने क्या कहा और क्या किया, इस बारे में अनेक वक्तव्य दिए गए हैं।

मैंने इस महीने की 14 तारीख को राज्यपाल से भेंट की और श्रीनगर में राज्यपाल के साथ पूरे एक घंटे तक रहा। राज्यपाल ने मुझे एक-एक घटना का विवरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि पहली तारीख की रात 10.30 बजे उन्हें कुछ विधान सभा सदस्यों से एक टेलीफोन मिला। उन्होंने उन्हें कहा कि वे राज्यपाल के निवास पर उसी समय आना चाहते हैं। राज्यपाल ने उन्हें कहा कि उन्हें खेद है कि वह अपने निवास पर रातभर उन सभी को नहीं रख सकते। उन्होंने उनसे कहा कि यदि वे उनके पास सुबह आयेंगे तो उन्हें गलियों में मार डाला जाएगा।

यही उनका लोकप्रिय समर्थन है जिनकी सरकार आपके समर्थन से काश्मीर में बनी है। अतः राज्यपाल ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा। ये लोग सुबह 5-30 बजे आये। किन्तु 5-30 बजे से पहले मध्य प्रदेश से विशेष आर्मी पुलिस 3-30 बजे श्रीनगर के लिए जहाज से रवाना होनी शुरू हो गई थी। अन्य अर्ध-सैनिक और सुरक्षा बल भी वहां पहुंचने आरम्भ हो गये थे। मैंने राज्यपाल से पूछा यह कैसे हुआ। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को सुबह बरखास्त कर दिया और शाम को श्री जी. राम. शाह को मुख्य मन्त्री के रूप में शपथ दिलाई किन्तु अर्ध-सैनिक बल सुवह 3-30 बजे हवाई जहाज से वहां पहुंच चुके थे। महोदय, आप जानते हैं कि राज्यपाल का क्या उत्तर था ? राज्यपाल ने मुझे कहा कि अर्ध-सैनिक बलों के बारे में आदेश से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस अधिकारी यह करने के लिये सक्षम हैं और उनके पास उपयुक्त संख्या में अर्ध-सैनिक दल नहीं है, अत: वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में कार्य-वाही की होगी और उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैंने राज्यपाल की बात स्वीकार नहीं की और मैंने उनसे यही कहा।

श्री फारूक अब्दुल्ला को जगाया गया और राज्यपाल के निवास पर सुबह 7 बजे बुलाया गया। किन्तु उन्होंने वहां क्या पाया ? उन्होंने वहां दो जनरलों को देखा जिनके पास उस क्षेत्र की सेना की कमान है। जनरल छिल्लर और जनरल सून। (व्यवधान)

उन्हें वहां राज्यपाल के निवास पर 7-30 बजे सुबह ये दो सेना के जनरल 12 दल-बदलू तथा पुलिस महानिदेशक मिले।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या गलत है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गलत है ? सभी कुछ गलत है, बिल्कुल गलत और असंवैधानिक।

मुख्य मन्त्री वहां जाते हैं और उन्हें वहां एक पत्र दिया जाता है। पत्र की विषय-वस्तु यह है। पत्र-प्रकाशित हुआ है। यह सरकारी दस्तावेज है, और अब गोपनीय नहीं है। राज्य-पाल ने मुख्य मंत्री से कहा कि 12 विधान सभा सदस्य उनके पास आये थे और उन्होंने बताया कि वे अब श्री फारूक अब्दुल्ला का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें कांग्रेस (ई) का भी एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वे उन 12 लोगों का समर्थन कर रहे हैं, राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री से कहा कि उन्होंने बहुमत खो दिया है, अत: वह उनसे त्याग-पत्र देने के लिए कह रहे हैं। मुख्य मन्त्री उन बारह व्यक्तियों को तथा दो सेना के जनरलों को वहां देखते हैं। वह समस्या की गम्भीरता को महसूस करते हैं और राज्यपाल से कहते हैं, "आप राज्यपाल का शासन घोषित कीजिए।" राज्यपाल इस बात पर उस पत्र पर एक पश्च-लेख लिखते हैं। पश्च-लेख यह है।

"हम मिले हैं और इस विषय पर चर्चा हुई है। आपने मुझे जम्मू और काश्मीर के संविधान की धारा 92 के अन्तर्गत राज्यपाल का शासन लागू करने के लिये तथा

विधान मण्डल को स्थगित रखने के लिए कहा है। मैं आपका आभारी हूँगा यदि आप लिखित रूप में तत्काल इस सम्बन्ध में पुष्टि करने की कृपा करें।"

उसके बाद, महोदय, जब श्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्यपाल के साथ अपनी बात समाप्त की तो राज्यपाल को कहा कि वह इस बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मन्त्रि परिषद की सलाह लेनी है। यही सारांश में इसका अर्थ है, मैं नहीं जानता कि गृह मन्त्री अपना सिर क्यों हिला रहे हैं। इसमें कहा गया है : "मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप इस सम्बन्ध में लिखित रूप में तत्काल अपनी पुष्टि करने की कृपा करें।"

श्री पी. वी. नरसिंह राव : पुष्टि का क्या अर्थ है? वह व्यक्तिगत रूप से सहमत हुए हैं। राज्यपाल चाहते हैं कि वह इसकी पुष्टि करें। बस।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : "आप अपनी पुष्टि मुझे भेजिये।" श्री फारूक अब्दुल्ला वापस अपनी सरकार के पास जाते हैं और······

श्री पी. वी. नरसिंह राव : और फिर अपना विचार बदलते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह अपनी मंत्री परिषद के पास जाते हैं किन्तु वह अपना विचार नहीं बदलते हैं। वह एक पत्र लिखते हैं और इस पत्र में वह कहते हैं, अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह लेने के बाद; "मैंने इस विषय पर अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से परामर्श कर गहराई से विचार किया है और आपको सूचित करना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक परम्परायें ऐसी रही हैं कि विश्वास खो जाने के प्रश्न की हमेशा सभा में ही परीक्षा की जानी चाहिए।" अत: वह कहते हैं : "विधान सभा की बैठक बुलाइए। मैं सभा में देखूं कि आया मेरा बहुमत है अथवा नहीं। यदि सभा में मेरा बहुमत नहीं है······" फिर वह जम्मू और काश्मीर के संविधान का सहारा लेते हैं जिसमें राज्यपाल को राज्य की मन्त्रीपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। जम्मू और काश्मीर के संविधान की धारा 35 (21 में कहा गया है;

> "राज्यपाल द्वारा धारा 36, 38 और 92 के अधीन राज्यपाल के कृत्यों के सिवाय सभी कृत्य मन्त्रि परिषद की सलाह से किये जायेंगे।"

अब मैं माननीय सदस्य डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा दिए गए मजेदार वक्तव्य का उल्लेख करूंगा। उस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए आज दोपहर के बाद उनसे कुछ बातों को सुनकर मैं अत्यन्त खुश हुआ हूँ क्योंकि वास्तव में उनके मुख से यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई;

"शेख अब्दुल्ला महान देशभक्त थे जिन्होंने देश के साथ काश्मीर को मिलाया। शेख साहब ने सेक्युलर स्टेट बनाई थी जिनको उनके बेटे ने बिगाड़ने का काम किया।"

लेकिन इस महान व्यक्ति, इस महान देशभक्त शेख अब्दुल्ला के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मैं उसकी सराहना करता हूं ·· (**व्यवधान**)

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : खड़े हुए

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री रेड्डी, यह आपके बस का नहीं है। हम चीनी के मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जम्मू और काश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने न केवल राज्य का विलय किया था अपितु उन्होंने 1953 और 1975 के बीच राज्य को धर्म-निरपेक्ष प्रशासन भी प्रदान किया था, वे या तो जेल में रहे अथवा निर्वासित रहे और उन्हें आपकी सरकार और पार्टी द्वारा देश के अन्दर और बाहर इस देश के हित के लिये एक विद्रोही के रूप में माना गया। मरणोपरान्त उनके मुख से यह सुनकर मैं वस्तुत: खुश हुआ हूँ और मैं इस वक्तव्य के लिये उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम इसके लिये शेख साहिब के ऋणी है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस सदन में कहे कि वह एक महान देशभक्त थे और वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस राज्य को धर्म-निरपेक्ष शासन प्रदान किया। लेकिन जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद इसी शेख अब्दुल्ला को आपने 1977 में समर्थन देना बन्द कर दिया और शेख अब्दुल्ला 1975 के समझौते आधार पर बने रहे जिसका समर्थन आपकी पारी दे रही थी। इस समर्थन को वापस लेने के बारे में आपके केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के एक सदस्य ने क्या कहा। उसे मैं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मीर कासिम के पत्र से उद्धृत करता हूं। माननीय सदस्य कुमारी बाजपेयी कह रही थीं कि किस प्रकार आपने सत्ता का त्याग किया और किस प्रकार आपने मीर कासिम को त्याग-पत्र देने के लिये कहा और शेख अब्दुल्ला के लिये जगह बनाई। अत: यह महान व्यक्ति, जो सत्ता को छोड़ने के लिये तैयार था, आपकी पार्टी का एक विशिष्ट, व्यक्ति, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड का एक सदस्य, केन्द्र में आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस समय आपके लिये किलेबंदी की जब शेख अब्दुल्ला की कई वर्षों तक उपेक्षा करके उन्हें सत्ता से बाहर रखा गया था—उन्होंने 17 जुलाई, 1983 को प्रधान मंत्री को लिखा था जिसे मैं उद्धृत करता हूँ।

"केन्द्र में जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद 1977 में शेख साहिब को हमारे विधायकों द्वारा समर्थन का वापस लिया जाना पीठ में छुरा घोपना था।"

आपने इस महान देशभक्त के साथ यह किया था जिन्होंने जम्मू और काश्मीर को इस देश के साथ मिलाया था और उन्होंने एक ऐसे राज्य को धर्म-निरपेक्ष प्रशासन दिया जहां आपके अनुसार साम्प्रदायिक ताकतें हमेशा लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं। आपके केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के एक सदस्य सैयद मीर कासिम के अनुसार आपने उनको पीठ में छुरा घोंपा था।

4.00 म.प.

उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि "वह जम्मू और काश्मीर तथा देश की समग्र रूप से आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के आम अनुमत में राजनीतिक शक्तियों को साथ मिलाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसे हमारी उदारता समझें। यह मीर कासिम ने प्रधान मन्त्री को 17 जुलाई, 1983 को एक पत्र में लिखा था।

आपने शेख साहिब को दिया गया समर्थन वापस ले लिया था और जब उनकी दो सदस्यीय कैबिनेट बनी तो वह और मिर्जा अफजल बैग ही ऐसे दो व्यक्ति थे जो विधान सभा में बचे थे। समस्त प्रयोजनों के लिए दो सदस्यीय मन्त्रीमंडल या और तब इस मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि जम्मू और काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर इस विधान सभा को भंग किया जाए और राज्यपाल ने इस विधान सभा को भंग कर दिया। शेख अब्दुल्ला की ओर से राजधानी में यह पत्र कौन लाया था ? यह एक बड़ी कानूनी हस्ती श्री डी० डी० ठाकुर थे जो अब उप मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : वहां पर वैकल्पिक सरकार बनाने की कोई गुंजाइश न हीं थी यही कारण है कि इसे भंग किया गया था। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। (व्यवधान) वे सरकार का गठन करने में रूचि नहीं रखते थे अथवा वे सरकार का गठन नहीं कर सके, ये दोनों बातें अलग-अलग हैं। यह सत्तारूढ़ दल के महासचिव द्वारा की गई अत्यन्त संयमित करने वाली स्वीकारोक्ति है कि सदन में बहुमत होने पर भी दो सदस्यीय शेख अब्दुल्ला के मंत्रिमण्डल की सदन में पर्याप्त बहुमत की तुलना में लोगों के बीच में अधिक शक्ति, राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। (व्यवधान)

जम्मू और काश्मीर के संविधान को राज्यपाल द्वारा दूषित किया गया है। राज्यपाल ने इसके विपरीत कार्य किया है। राज्यपाल ने संविधान को दूषित किया अथवा इस बात पर विचार करने की परवाह नहीं की कि दल-बदल विरोधी कानून है जिसमें कहा गया है कि ज्यों ही कोई सदस्य उस पार्टी को, जो उसे विधान सभा में लाई थी, अपनी निष्ठा देना बंद कर देता है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। इस कानून के अन्तर्गत वह सदस्य नहीं रहता है। इस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वर्ष 1981 में उच्च न्यायालय ने इस कानून को स्वीकार किया था। इसके उपरान्त संबंधित सदस्य उच्चतम न्यायालय में गया और लम्बित मामले के अन्तिम रूप से निपटान होने तक उच्चतय न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। उसने सीमित संशोधन के साथ यह स्वीकार किया है कि सदस्य का स्थान तो बना रहेगा लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मैंने इस बारे में राज्यपाल से पूछा। उन्होंने कहा, "यह विभाजन है।" मैंने राज्यपाल से कहा, "राज्यपाल महोदय, आपने विभाजन के बारे में फैसला नहीं देना है, किसी पार्टी में विभाजन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसका फैसला राज्यपाल नहीं करता है। यह कार्य चुनाव आयोग का है।" उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उनके पास स्पष्टीकरण तो था लेकिन उत्तर नहीं।

आपका संविधान है। इसे दूषित किया गया है। आपका कानून है जिसका उल्लघंन हुआ है। कुछ परम्परायें हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। हमारे अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठ अध्यक्ष ने जिन्होंने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण

टिप्पणी की थी जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ उन्होंने कहा, "किन्हीं भी परिस्थितियों में यह निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होना चाहिये कि किसी मुख्य मंत्री को सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। यहां तक कि यदि सदस्य लिखित रूप में अपनी राय राज्यपाल को बता देते हैं तो भी इस मामले पर निर्णय देना विधान सभा का परमधिकार है।" यह बात लब्धप्रतिष्ठा अध्यक्ष ने कही है जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने थे।

इसके बाद राज्यपालों की एक समिति का गठन वर्ष 1871 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने कहा जहां राज्यपाल संतुष्ट है कि इस सरकार को किसी भी प्रक्रिया अथवा तरीकों से बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त है तो उन्हें मुख्य मंत्री को विधान सभा में कम से कम समय के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये कहना चाहियें। यदि मुख्य मंत्री अपने प्राथमिक दायित्व से बचते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं तो राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार के मामलें में मुख्य मंत्री जिन्हें मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत से जिताया है, यदि कुछ सदयों के दल-बदल के कारण उनका सतारूढ़ दल अपना बहुमत खो देता है और मुख्य मंत्री विधान सभा के भंग करने की सिफारिश करता है ताकि वह मत-दाताओं से दोबारा अपील कर सकें तो राज्यपाल इसे भंग करने की अनुमति दे सकता है। मात्र यह तथ्य, कि कुछ सदस्यों ने दल-बदल किया है, अनिवार्य रूप से यह सिद्ध नहीं करता है कि पार्टी ने मतदाताओं का विश्वास खो दिया है।

साथ ही राज्यपाल समिति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई ये दो टिप्पणियां अथवा सिफारिशें हैं। अब मैं विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मेरा पूरा ध्यान आपकी ओर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आप का ध्यान एक ऐसे दस्तावेज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसे जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल समिति की सिफारिश पर और एक ऐसी समिति जिसने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है—कृपया यह समझने का प्रयास करें कि इन संस्थाओं को अवमानित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री पी. वी. नरसिंह राव : क्या आप... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया इसे समझें और मैं टाइम्स ऑफ इण्डिया, जिसने यह अच्छा समाचार दिया गया है, से उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि इस समाचार-पत्र ने काफी बड़ा समाचार प्रकाशित किया है।

4.06 म.प.

(डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुई)

सरकार का यह समाचार-पत्र, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, कहता है

"विपक्षी दलों द्वारा यह दलील दी गई है कि राज्यपालों की एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि बहुमत के बारे में विवाद होने की स्थिति में राज्यपाल को विधान सभा के सदस्यों की गिनती नहीं करनी चाहिये। ऐसा हो सकता है लेकिन कहीं पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि इस प्रकार की सिफारिश संसद" अथवा भारत सरकार ने कभी स्वीकार की थी। हमारे विचार से...

अर्थात श्री गुल शाह के विचार से

"यदि राज्य समिति द्वारा ऐसी सिफारिश कभी की गई थी... अवमान देखिए।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कहीं पर इसे कार्य रूप दिया गया है। हमारे पास ये समाचार हैं। मैं इन समाचारों से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य मंत्री जिसने अपना बहुमत खो दिया है, इस बात का सदन में कभी परीक्षण हुआ है और यदि हां, तो ऐसे मामलों की और अन्य मामलों की प्रतिशतता क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मामला यह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया पीठासीन अधिकारी ने इस वाद-विवाद में भाग लिया था। आपने 1967 का उल्लेख किया था। जहां तक तथ्यों का संबध है, आपकी बात ठीक थी। वर्ष 1967, 1968, 1969 और 1970 में जो कुछ हुआ उसके कारण राष्ट्रपति ने इस मामले के बारे में राज्यपालों की एक समिति नियुक्त करना उचित समझा। यह सिफारिश की गई है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप उत्तर दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उत्तर दे रहा हूं। यह मेरा मामला है। आपमें से कोई नहीं समझ सकता। मैं इसे वाद-विवाद का मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं भी इसे कोई वाद-विवाद का मुद्दा नहीं बना रहा हूं। यही कारण है कि मैंने यहां पर भी विद्यमान सभी वरिष्ठ सदस्यों से यह प्रश्न किया है। मेरी भी कुछ वरिष्ठता है। मैंने अपने मस्तिष्क को लगाया है। मैंने ऐसी किसी स्थिति को नहीं देखा है। यदि आप किन्हीं उदाहरणों को दें तो कृपया मुझे बतायें कि इन उदाहरणों का प्रभाव क्या है।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : क्या मैं एक बयान दे सकता हूं सामान्यतया राज्य सरकार की बर्खास्तगी में अथवा चाहे यह कुछ भी हो, राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट होते हैं। वे केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं।

राज्यपाल या विधान सभा अध्यक्ष ही इस बात का फैसला करता है और अगर वह

अपने आप ही सरकार को बर्खास्त कर देता है तो, बैठक बुलाने का और बहुमत सिद्ध करने का मौका ही कहां मिला ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने मेरी बात समझ ली है और मैंने भी उनकी बात समझ ली है। अगर सत्ताधारी दल के सदस्यों को मेरी बात समझ में नहीं आई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं केवल तथ्यात्मक स्थिति जानना चाहता था। अपनी यादाश्त से माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं। यह केवल मेरी जानकारी के लिए ही हैं। कृपया आगे कहें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा मुद्दा यह नहीं है कि क्या इसे लागू किया जा चुका है या इसे स्वीकार किया जा चुका है। मैं इस बात से दुःखी हूं कि जम्मू और काश्मीर सरकार इन राज्यपालों के जिन्होंने ये सिफारिशें की हैं, के प्राधिकार की तथा उस व्यक्ति के पद का जिस ने उस समिति की नियुक्त की थी अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पद को अवमान किया है। यही मेरी चिन्ता है। मैं इसे उद्धृत करूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने अगर उन कागजातों को न देखा हो तो कृपया मेरी बात सुनें। हमारे विचार से—वह अब शाही लहजे में कह रहे हैं—अगर राज्यपाल समिति द्वारा कभी ऐसी सिफारिश की भी गई हो तो—अवमान देखिए— तो वह पूर्णतः अनुचित, नाजायज है और इसे संविधान का समर्थन प्राप्त नहीं है इनमें से प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जिसके हम में से कई सदस्य हैं। और यहां ऐसा मुख्य मंत्री है—जब मैं उन्हें कठपुतली मुख्य मंत्री कहता हूं तो आप बुरा मानते हैं—जो कि ढिठाई और घमण्ड से यह कहते हैं कि चाहे यह सिफारिश की भी गई हो...

श्री पी.वी. नरसिंह राव : अगर वह कठपुतली होते तो वह ऐसा न कहते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसे भी अवसर मौजूद है जब कठपुतलियों ने भी चिढ़ाना सीखा है। आपकी कठपुतली ने पहले ही आपको चिढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि श्री गुल शाह वही व्यक्ति थे जो पुनर्वास विधेयक पर सारे इतिहास को ही भूल गये; आपने श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को उनकी आत्मकथा के बारे कहते हुए सुना है; मैं लोगों की आत्मकथा पर चर्चा नहीं करना चाहता; हममें से हां कोई दूसरों की आत्मकथा के बारे में चर्चा कर सकता है—पिछले ही वर्ष विधान मण्डल में श्री बी. के. नेहरू को राकते का एजेंट वहां गया था। उन्होंने इससे भी आगे कहा कि या तो पुनर्वास विधेयक पर हस्ताक्षर कीजिए या त्यागपत्र दे दीजिए। ये हैं गुल शाह कठपुतियां भी काम की होती हैं और कठपुतलियां चिढ़ाना भी जानती हैं.. (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपालों की समिति ने ऐसी सिफारिश की भी है तो हमारे विचार से...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अब किसी अन्य मुद्दे पर बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भारत के राष्ट्रपति को राज्यपालों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की पूर्ण अवहेलना से सहमत हैं। जहां तक इस मामले का संविधानिक और कानूना औचित्य है, मैंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है।

आज जम्मू और काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उस के सदर्भ में मैं एक अन्तिम बात कहना चाहूंगा। आप लोगों से धमकाने के लिए सभी सम्भव काल्पनिक तरीके अपना रहे हैं। कल 'बिधान सभा सदस्य गृह' (वे जिस्लेटर्स होम) में एक घटना हुई— एक गुन्डा वहां घुस आया और उसने विधान सदस्यों को पीटना आरम्भ कर दिया। मुझे अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक विधान सभा सदस्य ने आरोप लगाया है कि उसे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर बहुमत सिद्ध करने वाले दिन—यानि 31 तारीख को—उसने फारूक अब्दुल्ला का समर्थन किया तो उसकी हत्या कर दी जायेगी। जिस दिन से आपने यह फैसला किया है कि इस सरकार को खत्म करना है आपने सभी तरह के तरीकों—पैसों, गुण्डों, राज्य सत्ता आदि—का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। 25 जून को आपके श्री मुफ्ती ने एक घोषणा की थी, जो कि 26 जून के समाचार पत्रों में छपी थी कि जहाँ तक जम्मू और काश्मीर सरकार का संबंध है आप लोगों को एक बहुत ही सुखद आश्चर्य वाली खबर दी जायेगी। और यह आश्चर्य 2 तारीख को सामने आया। 2 तारीख से 19 तारीख तक आपको राजधानी श्रीनगर में कर्फ्यू लगा कर शासन करना पड़ा। आपके मंत्री बाहर नहीं जा सकते थे। आपके मंत्री बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आपके मंत्री उन लोगों से डर रहे थे, जिनके ऊपर उनको शासन करना था। मैं इस स्थिति का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे अन्य सहयोगी भी इसके साक्षी थे राजधानी श्रीनगर में संसद सदस्यों, महासचिवों और राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को उनके घरों में कैद कर रखा था। बाद में, जब मैं श्रीनगर में था तो वहां जो स्थिति थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं।

लेकिन अर्ध-सैन्य बल की मौजूदगी और कुछ हद तक सेना की मौजूदगी से पहले तो गुल शाह की सरकार को बनाया नहीं जा सकता था और दूसरे यह टिक नहीं सकती थी अत: अपने दल के संसदीय बोर्ड के सदस्य सैयद मीर कासिम को प्रधान मंत्री ने जो पत्र लिखा है, और जिसे मैंने यहां उद्धत किया है उसके बाद मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री से किसी प्रकार का अनुरोध करने का कोई लाभ होगा या उनकी कोई प्रतिक्रिया होगी। मैं केवल एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आप जम्मू और कश्मीर को 1953 वाली स्थिति में ले गये हैं। आप इतिहास की पुनरावृति करना चाहते हैं; एक महान व्यक्ति ने इतिहास के बारे में कहा है कि पहले तो इतिहास के बारे में कहा है कि पहले तो इतिहास की पुनरावृति होती ही नहीं है, अगर यह होती भी है तो यह विनाशकारी होती है। इसलिए जम्मू और काश्मीर को लोगों के जीवन से खिलवाड़ न कीजिए। आपके दल के विधान सभा के नेता भी इफ्तिकार अन्सारी ने कहा है कि 1953 में जब हमने शेख अब्दुल्ला को हटाया था—हालांकि जब वह 'हम' कहते हैं तो इस समय वह कांग्रेस (आई) में नहीं थे—तो उस समय 1500 लोगों मारे गये थे, लेकिन अब कोई नहीं मारा गया। इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जो कुछ वहां हुआ है, उसे स्वीकार

कर लिया है। यह श्री अन्सारी का यह वक्तव्य है कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को हटाया गया तो 1500 लोग मारे गये थे। इस बात का क्षेत्र डा. फारूक अब्दुल्ला को जाता है कि वह कश्मीर के लोगों को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में लाये हैं ? उन्होंने कुछ हद तक विपक्ष से गठबंधन किया, उन्होंने कुछ हद तक विपक्षी सदस्यों के चुनावों में भी सहयोग दिया, हालांकि आप भी उनके द्वारा चुनाव प्रचार किए जाने का स्वागत करेंगे, जैसा कि आपने 1980 में और पुन: 1983 में यहां नगर निगम के चुनावों में किया था, आम चुनावों से कुछ ही पहले, यहां अप्रैल या मई 1983 में नगर निगम के चुनाव कराये गये थे और वह यहां आये और आपके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उनका समर्थन निर्णायक सिद्ध हुआ, उनके समर्थन से ही आप दिल्ली नगर निगम के चुनाव जीत सके। यहां उन बातों को न भूलाइए इन बातोंकोन भूला-इय मगर आप उनकी निन्दा भी करना चाहते हैं तो अपनी गलती को न अस्वीकार करें क्यों कि यह इतिहास का अंश है और यह आपके बीते समय का ही एक हिस्सा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बेशर्म लोग।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फारूक अब्दुल्ला ने वह करके दिखा दिया है जो कि उससे पहले किसी ने कही करके नहीं दिखाया यानि वह भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में काश्मीर के लोगों को लाए। कृपया जम्मू और काश्मीर में इसके विपरीत परिस्थितियां पैदा न कीजिए। मैं जानता हूं कि यह आपकी प्रधान मंत्री की राजनीतिक नीति के अनुरूप है। दोनों अल्पावधि और लम्बे समय की नीति··· (व्यवधान)

मैं प्रधान मंत्री पर आरोप लगाता हूं······ (**व्यवधान**) पंजाब का उदाहरण एक स्पष्ट उदाहरण है जम्मू और काश्मीर··· का एक स्पष्ट उदाहरण है··· (**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) इससे पता चलता हम पहले ही····में है··· (**व्यवधान**)···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जम्मू और काश्मीर के लोगों का अपमान न कीजिए। जम्मू और काश्मीर के लोग किसी से भी······अधिक देश-भक्त हैं··· (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मेरा आरोप है कि पंजाब और जम्मू और काश्मीर में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय विघटन की नीति अपना रही हैं···· (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : यह आरोप आपके मित्र के विरूद्ध है। गलत वक्तव्य न दें··· ···(**व्यवधान**) जम्मू और काश्मीर के लोग, किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक देशभक्त हैं ····· (**व्यवधान**) यह आरोप आपके मित्र व उनके दल के विरूद्ध है न कि जम्मू और काश्मीर के लोगों के विरुद्ध ······ (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि अगर

फारूक अब्दुल्ला सभी बातों के लिए प्रयत्नशील रहते जिनमें से कुछ के बारे के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे परिवार आदि बातों पर चर्चा कर रहे हैं······(**व्यवधान**) किसी ने जिक्र किया है हथियार लाए गए थे, किसी ने जिक्र किया है कि सिख छात्र फैडरेशन के सदस्य पकड़े गए थे, किसी ने आरोप लगाया है कि हवाई जहाज का अपहरण किया गया था। देश में कितने हवाई जहाजों का अपहरण किया गया है ? जब इन हवाई जहाजों का अपहरण हुआ तो किस की सरकार थी ?······(**व्यवधान**)··· लखनऊ में दारूल शफा में सूचना पट्ट लगे हुए हैं कि : मैं विधान सभा का सदस्य हूं, मैंने अपहरण किया है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्हें अपना मधुर संरक्षण दीजिए····

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर श्री फारूक अब्दुल्ला ने इन कथित आरोपों को किया है, जो कि उन्होंने नहीं किये, लेकिन जिसका कि उन पर किए जाने का आरोप है; तो श्री दरबारा सिंह की सरकार को पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए था और उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपका दल ही है, यह आपकी सरकार ही है, यह आपकी प्रधान मंत्री हैं जो कि देश की राजनीति में आज सबसे बड़े अस्थिरता पैदा करने वाले घटक है, देश में अखण्डता पैदा करने वाले सबसे बड़े घटक हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी सरकार को जाना ही है तो इस (केन्द्रीय) सरकार को जाना होगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदया, इससे पहले कि आप अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारें, मैं काश्मीर पर कुछ अधुनातन जानकारी सदन को देना चाहूंगा।

जम्मू एवं काश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश श्री आदर्श सेन आनन्द ने आज निर्णय दिया है कि नेशनल कांफ्रेंस के जिन 12 विधायकों ने बर्खास्त मुख्य मन्त्री श्री फारूख अब्दुल्ला को समर्थन देना बन्द कर दिया था और 2 जुलाई को मुख्य मन्त्री श्री जी. एम. शाह को वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए, समर्थन दिया था, वे किसी प्रकार अयोग्य नहीं हुए हैं। (**व्यवधान**) मैं केवल वही पढ़ रहा हूँ जो टेलीप्रिंटर में आया है···(**व्यवधान**)

अगली सूचना और भी दिलचस्प है। जबकि उच्च न्यायालय यह कह रहा है कि वे किसी प्रकार से अयोग्य नहीं है, जम्मू एवं काश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष, जिन्हें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, यह केवल उच्च न्यायालय···

एक माननीय सदस्य : हम यह जानना चाहते हैं कि सूचना क्या है, आपकी राय नहीं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसमें कहा गया है :

श्री वली मोहम्मद रट्टू ने आज नेशनल कांफ्रेंस के कुछ सदस्यों को जिन्होंने मुख्य मंत्री श्री जी.एम. शाह का समर्थन दिया है, राज्य विधान सभा के सदस्य होने के अयोग्य करार दिया है···(**व्यवधान**)

मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदया, मेरा एक अनुरोध है । चूंकि माननीय सदस्य काफी समय ले रहे हैं और उन सदस्यों की संख्या अधिक है जो इस बाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं, अतः इसे आज समाप्त करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा । अतएव, इसे कल जारी रखा जा सकता है ।

सभापति महोदय : क्योंकि इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, वाद-विवाद कल भी जारी रहेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : हमें मन्जूर है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : यह निर्णय अन्तिम होना चाहिए इसे दोबारा बदला नहीं जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : यह अन्तिम है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पिछली बार हमें बताया गया था कि चर्चा अगले दिन जारी रहेगी और तत्पश्चात् यह उसी दिन समाप्त कर दी गई ।

सभापति महोदय : यह जारी रहेगी ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अभी अभी जब माननीय गृहमंत्री जी ने इस माननीय सदन को सूचित किया, कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में और कश्मीर असेंबली,······

मैं जार्ज साहब से कह रहा था और वे ही जा रहे हैं । मैंने देखा कि माननीय सदस्यों ने स्पीकर के निर्णय के बारे में तालियां बजाकर उसका स्वागत किया । मैं यह सोच रहा था कि अगर वही निर्णय इन माननीय सदस्यों पर लागू होने लगे जो कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने दिया है तो कितने दिन पहले माननीय जार्ज फर्नांडिस इस सदन की सदस्यता से वंचित हो गए होते और कितने दिन पहले यह फैसला और दूसरों पर लागू हो गया होता । व्यवधान पैदा करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन, इस तरह व्यवधान पैदा करें कि मैं सुन सकूं और जवाब दे सकूं ।······(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सारी समस्या यह है कि काश्मीर की समस्या को काश्मीर में होने वाली घटनाओं को, खासतौर से हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य या तो केवल अपने मित्रों के या उन अखबारों के माध्यम से सुनना चाहते हैं, जिनको उचित और अनुचित, हर तरह से केन्द्रीय सरकार की आलोचना करनी है । अगर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह तकलीफ गंवारा की होती कि श्रीनगर वैली में या वहां के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां की घटनाओं के अध्ययन करने का प्रयास करते तो मुझे विश्वास है कि उन्हें भी दूसरे का दुख देखकर दुख होता । अगर वे भी भारत विरोधी गतिविधियां देखेंगे तो उन्हें भी चिंता होगी । इस

बात पर वे भी सहमत होंगे कि आतंकवादियों को संरक्षण न दिया जाए। मेरा, उनसे यह निवेदन है कि वे थोड़ा काश्मीर की स्थिति के बारे में अध्ययन करें। आज, फारूक साहब से भी मुझे हमदर्दी हो रही है और मैं आपके माध्यम से उनके हमदर्दी व्यक्त करना चाहता हूँ। फारुक अब्दुल्ला साहब की डिसमिसल को लेकर जब इस सदन में चर्चा हो गई है तो विपक्ष के सदस्यों की कुल तादाद इस वक्त कितनी है ? इस विषय पर उनकी ओर से कोई भी अपने स्तर का नेता बोलने नहीं जा रहा है। हरेक पार्टी ने अपने दूसरे और तीसरे स्तर के सदस्यों को बोलने के लिए लगाया है। जार्ज साहब तो खुद बोलकर चले गए। और विपक्षी दल ही क्यों खुद नेशनल कान्फ्रेंस के तीन सदस्य है। उनमें से सिर्फ सोज साहब मौजूद हैं। बाकी दो सदस्य मौजूद नहीं हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : श्री काबुली श्रीनगर में है और श्री कोचक हज करने चले गए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों को ही दिलचस्पी नहीं है तो दूसरे विपक्ष के सदस्यों को कैसे हो सकती है ? सही बात कहने के लिए मन में शंका है, इसलिए इस मामले पर इस प्रकार का ठंडा रवैया है। जार्ज साहब को मैंने बहुत रोका, लेकिन वे फिर भी उठकर चले गए। जब इस ओर से माननीय सदस्य ने कुछ बात कहने की कोशिश की तो माननीय जार्ज साहब ने कहा :

> "यह आपके अधिकार से परे है। हम जम्मू एवं काश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं। यह चीनी नहीं है।

मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। अधिकार सबसे ज्यादा जार्ज साहब को है, इसलिए कि यह विषय ऐसा है जिसमें हिंसा, घरों में आग लगाने, मासूमों की जान लेने, पुल उड़ाने, सड़कों और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के किस्से हैं। तो, निश्चित ही कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिकारी है, इस विषय पर चर्चा करने का तो वह माननीय जार्ज साहब हैं। इसलिए कि उनका इतिहास इस बात से मिला-जुला है, सरकारी सम्पत्ति, रेलवे ट्रैक और मासूमों तथा निहत्थे लोगों को नुकसान पहुचाना। लेकिन, चर्चा करने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए था और सुनना चाहिए था। उसको भी सुनना चाहिए था।

सभापति महोदय, मैं इस मामले के संवैधानिक पहलू में नहीं जाना चाहता। हमारी पार्टी की महामंत्री, डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेई ने उस पर काफी रोशनी डाली है।......

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : व्यक्तित्व तो एक ही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं संविधान पहलुओं में नहीं जाना चाहता, उस पर काफी चर्चा हो गई। मैं समझता हूं शायद अपोजीशन के माननीय सदस्यों के मन में कहीं यह धारणा है कांग्रेस (आई) की जिम्मेदारी केवल देश और प्रदेशों की सरकारें चलाने की ही नहीं है, बल्कि यह भी जिम्मेदारी है कि हम विरोधी दलों को भी अच्छे तरीके से चलायें। अगर आपके अपने दलों के अन्दर झगड़े और बटवारे होते हैं, अगर सरकार की या कहीं नेता की निष्क्रियता

के कारण वहां के सदस्य उस नेता और सरकार से नाराज होते हैं तो क्या आप इसे हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम उन सदस्यों को जबरदस्ती पकड़ कर रखें ?

मेरे पास श्रीनगर से ही निकलने वाले अखबार की कापी है, और सोज साहब मुझ से सहमत होंगे कि वह अखबार फारूक अब्दुल्ला का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका मालिक फारुक अब्दुल्ला का नजदीकी रिश्तेदार नहीं बल्कि समर्थक भी है। उस अखबार का नाम है "आफताबा" मैं जितना पढ़ता हूं उस अखबार को मैंने हमेशा उसको फारूक अब्दुला का समर्थक पाया और अपनी उसी समर्थन की भावना के साथ उसके एक सम्पादकीय लिखा, यह आज से 6 महीने पहले का संपादकीय है, यह लिखता है कि जिस तरह 1953 में शेख साहब को सरकार से हटाया गया था आज अगर उसी तरह की स्थिति पैदा होती है, फारूक अब्दुल्ला को सरकार से हटाया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे ? अखबार लिखता है शेख साहब ने अपने आपको कश्मीर और कश्मीर लोगों के लिये समर्पित रखा, शेख साहब का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन उन्होंने अपने आपको कश्मीर और कश्मीरी लोगों के लिये समर्पित रखा और उनकी भलाई के लिये काम करते रहे। फारूक अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने विपक्ष के अनक्लेब कई अटेंड किये हैं, उन्होंने मुल्क के दूसरे हिस्सों में जा कर जन सभाओं में हिस्सा लिया है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के गरीब लोगों की हालत सुधारने के लिये या वहां के ऐड-मिनिस्ट्रेशन की ठीक करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया। और अखबार लिखता है कि अगर 1953 की तरह फारूक अब्दुल्ला को अगर सत्ता से हटाया गया तो यह मुमकिन है कि देश के दूसरे हिस्सों में उस पर प्रोटेस्ट किया जाय, लेकिन कश्मीर के अन्दर स्थिति यह है कि अगर फारूक अब्दुल्ला हटाये गये तो यहां पर कोई उस पर किसी किस्म की मुखालिफत या एतराज नहीं करेगा।......व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : दो हफ्ते के लिये जो वहां करफ्यू लगा वह इस बात को गलत साबित करता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह मेरा आरोप नहीं है, यह फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कान्फरेंस के राज्य सभा के एक माननीय सदस्य के छोटे भाई जिस अखबार के मालिक हैं, जो रात दिन फारूक की तारीफ में अखबार छापते हैं, यह उस अखबार का सम्पादक है और उसने अपने सम्पादकीय में यह लिखा है जो मैंने आपको बताया।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : दो हफ्ते का करफ्यू जो लगा वह क्या साबित करता है।...

सभापति महोदय : आप बैठिये, आपको बोलने का मौक मिलेगा।

आप बैठिए, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त आप बोलियेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : फिलहाल मैं नहीं मान रहा हूं। कृपया मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।

सभापति महोदया : जब वे खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसी अखबार ने अपनी हमदर्दी की भावना से फारूक अब्दुल्ला साहब को यह मश्वरा दिया कि खुदा के वास्ते काश्मीर के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी लीजिए, कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं, उन हालात को सुधारिये, कश्मीर के इंतजाम को ठीक कीजिए, कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कीजिए, यहां के लोगों के हालात को ठीक बनाइये। लेकिन, फारूक साहब को हालात को ठीक करने की बजाए उन बम्बई से आने वाली फिल्मी कलाकारों को मोटर साइकल पर बिठा कर घुमाने का शौक ज्यादा था और वे पहलगाम में बम्बई से आने वाली उन फिल्मी आर्टिस्टस को मोटर साइकल पर पीछे बिठा कर सुबह से शाम तक चक्कर लगाया करते थे। लेकिन कश्मीर के गरीब लोगों के लिए, कश्मीर के किसानों के लिए, कश्मीर के मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या यह चर्चा के साथ प्रासंगिक है ?

सभापति महोदया : जब आपको मौका मिलेगा तो आप पोजीशन क्लिअर कर दीजिए। अभी आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य : उस फिल्मी कलाकार का नाम भी बता दीजिए,

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कलाकार का नाम मैं नहीं बताऊंगा।

मैं समझता हूँ कि वह समझ नहीं पाए हैं। मैं यह कह रहा था कि वह बम्बई के फिल्म कलाकारों के साथ घूमने में अधिक शौक रखते थे।

उन्हें पीछे मोटर साइकल पर उठा कर सारे पहल गाम में घुमाने का शौक ज्यादा था।

सभापति महोदय : आप कृपया उनकी बात सुनिए। बीच में मत बोलिए। आपको भी समय मिलेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, अगर माननीय सदस्य को मेरे ऐसा कहने पर ऐतराज है ·· (**व्यवधान**)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : एन्टी डिफैक्शन ला के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन भी देख लीजिए ·· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, जब आप बोलेंगे तो अपने कानून और सब बातों के बारे में बता दीजिए, आपको मौका मिलेगा। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि बम्बई के किस फिल्मी कलाकार को वे पीछे अपनी मोटर साइकल पर लेकर घुमाते थे या बम्बई

के किस कलाकार के गले में हाथ डालकर नाचते थे। फिल्मी मैगजीनों में जो फोटो छुपे हैं मुझे उनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि माननीय सदस्य को कोई ऐतराज है तो मैं माफी मांग लेता हूं। इसलिए कि इन बातों में कि वे किस के साथ नाचते हैं और पीछे बिठा कर पहलगाम की सैर करवाते हैं। मुझे कोई (व्यवधान) दिलचस्पी नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह प्रासंगिक नहीं है। वह डा० फारुक के निजी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं तो यह कह रहा हूं कि फारुक अब्दुल्ला साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि चूंकि वे नौजवान हैं इसलिए नौजवानी के काम करते हैं। इसीलिए मुझे लोग डिस्को चीफमिनिस्टर कहते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यहां पर डिस्कशन किस चीज पर हो रही है और आप उसको कहां ले जा रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं सोज साहब से निवेदन करूंगा···(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप मेहरबानी करके कानून को कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जो कुछ कह रहे हैं उसका इस विषय से कोई रैलैवैंस नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का कांसटीटयूशन ही देख लीजिए। यदि उस पर डिस्कशन करते हुए ऐसी बातें कही जा सकती हैं तो हमें भी ऐसा कहने का मौका मिलना चाहिए, मैं भी वैसी बातें करूंगा··(व्यवधान)

सभापति महोदया : अच्छा ठीक है, बैठ जाइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि मैंने कोई आरोप लगाये हों तो आप निशानदेही कर दीजिए, मैं माफी माँग लूंगा।

प्रो. मधु दडवते : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या कलाकारों के साथ घूमना राष्ट्र विरोधी कार्य है ?

सभापति महोदया : वह यह नहीं कह रहे हैं कि यह राष्ट्र विरोधी कार्य है। वह यह कह रहे हैं कि वह यह सब कर रहे थे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह प्रासंगिक नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस देश में अन्य नेता क्या कर रहे हैं—हम बहुत कुछ जानते हैं।

सभापति महोदया : अब आप दूसरे पायंट पर आइए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब मैं उसका इलबोरेट नहीं करूंगा।

आफताब अखबार में छपने वाले सम्पादकीय में मुख्य मन्त्री को यह परामर्श दिया गया है कि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दीजिए। उस संदर्भ में मैंने यह बात कही, वर्ना जैसा कि मैंने पहले कहा है, मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उसी अखबार ने 3 जुलाई और 4 जुलाई के एडीटोरियल भी पढ़ कर सुनाइए। उसने कहा है कि हिन्दुस्तान में जम्हूरियत का कत्ल हो गया है और एक निहायत हरदिल-अजीज चीफ मिनिस्टर को बरखास्त कर दिया गया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदया : मैं आनरेबल मेम्बर्ज से दरखास्त करूंगी कि वे आरिफसाहब को बोलने दें। बाद में उनको वक्त मिलेगा, तब वे इन बातों को एक्सप्लेन कर दें। आप बीच में न बोलिए : आप बार-बार बोलते हैं, यह बहुत गलत है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब मैं उन बातों की तरफ आता हूं, जिन पर मुझे एतराज है। अभी कांग्रेस के आफिशल आर्गन की बात हो रही थी जिस नैशनल कांफरेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला है, उनका आफिशल आर्गन है नवाए सुबह। इसमें हैडिंग है "नेशनल कांफरेंस की कामयाबी आपके कौमी तशख्खुस की जामिन है।" यह उर्दु में है। मुझे इसे अंग्रेजी अनुवाद करने की अनुमति दी जाए।

> "केवल नेशनल कांफ्रेंस की सफलता ही आपके राष्ट्रीय अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकती है।"

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : अगर कोई उर्दू जानने वाला इस उर्दू के हैडिंग का कोई दूसरा अनुवाद कर दे, तो मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।

डा० सैफुद्दीन सोज : मैं बताऊंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कौमी तशख्खुस कहते हैं नैशनल पर्सनेलिटी को। काश्मीर नैशनल पर्सनेलिटी नहीं है। काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है।

डा. सैफुद्दीन सोज : जरूर है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हिन्दुस्तानी नैशनलिज्म है और काश्मीर हिन्दुस्तानी कौम का हिस्सा है।

एक माननीय सदस्य : आर्टिकल 370।

श्री आरिफ मोहमद खाँ : आर्टिकल 370 भी नैशनल पर्सनेलिटी की बात नहीं करता। आर्टिकल 370 केवल ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा आटानोमी देता है। लेकिन सिर्फ काश्मीर

का ही सवाल नहीं है। हमारे संविधान में कई और एरियाज के लिये विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : और कोई नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : अगर आपको पता न हो, तो छोटा नागपुर है, विदर्भ हैं। मैं अनुच्छेद 370 की बात नहीं कर रहा हूं। मै केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए संविधान में किए गए प्रावधान के बारे में बात कर रहा हूं।

उन एरियाज के विशेष हालात को देखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ केवल यही है कि काश्मीर एक राष्ट्रीय विशिष्टता है, राष्ट्र विरोधी विशिष्टता नहीं। बस इतना ही।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इनकी सारी समस्या यही है कि श्रीमती गांधी के विरोध का ऐसा चश्मा इन्होंने लगाया है कि अगर कहीं राष्ट्रविरोधी हरकतें भी हो रही हों, तो वे भी इनको नजर नहीं आती है। अगर इन्हें लगता है कि अमुक व्यक्ति श्रीमती इन्दिरा गांधी का विरोधी है, भले ही वह राष्ट्र-विरोधी हो, तो ये उसका भी समर्थन करने के लिए तैयार है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

माननीय श्री वाजपेयी सिर हिला रहे हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान और इज्जत करता हूं। वह बहुत सक्षम वक्ता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीख सकूं। एक दिन मैं इस सदन में था। कोई यह न कह दे कि यह कसे रेलिवंट है। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह काश्मीर पर नहीं, मुझपर बोल रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : आप स्वागत करेंगे। आप हमेशा बड़े दयालु हैं इस मामले में।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में आकर इत्तिला दी कि पहला भारतवासी अंतरिक्ष में पहुंच गया है, तो पूरे सदन ने मेजें थपथपा कर उस खबर का स्वागत किया। श्री वाजपेयी भी इस सदन में मौजूद थे। लेकिन बाद में वह कानपुर पहुंचे। कानपुर में यह जन-सभा के सामने भाषण दे रहे थे। मेरा चुनाव क्षेत्र है वहां पर। श्री वाजपेयी ने कहा :

> "श्री राकेश शर्मा को अन्तरिक्ष में भेजने से कोई लाभ नहीं हुआ। इससे रूस को जरूर लाभ हुआ।..."

यह किसी छोटे मोटे अखबार में नहीं निकला है, दैनिक जागरण में है जो हिन्दुस्तान के बड़े अखबारों में एक अखबार है और आप की फोटो भी है। आप उससे नाराज नहीं होंगे। आपने कहा :

"इससे रूस का ज्यादा प्रचार हुआ। आज आवश्यकता है कि राकेश शर्मा को अन्तरिक्ष में न भेज कर सेवा योजना कार्यालय में चक्कर काटने वाले राकेश शर्मा को रोजगार उपलब्ध कराया जाय।"

यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह दैनिक जागरण कह रहा है। आपकी अनुमति होगी तो मैं इसे सदन के पटल पर रखूंगा।

सभापति महोदय : आप काश्मीर पर बोलिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा यह बताने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि हमारे विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सब बातों को जानते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठने का धर्म यह मानते हैं कि हर बात को जिस में कहीं सरकार का विरोध होता हो उसको समर्थन दिया जाय और इस बात को देखने की चेष्टा नहीं करेंगे कि कहीं इससे राष्ट्र हितों का तो विरोध नहीं हो रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है। महाभारत की लड़ाई में यही जवाब भीष्म पितामह ने दिया है। वह जानते थे कि सच्चाई क्या है लेकिन कौरवों के साथ रहने पर मजबूर थे। आपकी भी मजबूरी है। आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है लेकिन आप कौरवों के साथ रहने पर मजबूर हैं। इसलिये आप अपना विपक्ष का धर्म निर्वाह कर रहे है। मुझे कोई एतराज नहीं है।

मैं तो विशेषत: उन बातों की तरफ आना चाहता हूं जिन पर मुझे एतराज है। जैसे मैं ने अभी बताया यह कहा नेशनल कांफ्रेंस को काश्मीर का तशख्खुस-यानी काश्मीरियों में अलाहगी की भावना पैदा करना, काश्मीरियों को यह कहना कि तुम्हारी नेशनल अक्डेंटिटी है, यह प्रचार करना-यह प्रचार बड़े सुनियोजित ढंग से नेशनल कान्फ्रेंस के जरिए काश्मीर में किया गया। मैं इसमें कोई मोटिव या नीयत की बात नहीं कहना चाहता कि नीयत कहीं खराब है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों में कहीं यह धारणा है, अभी चित्त बासु जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने आखीर सेंटेंस में यह कहा :

"इससे जम्मू एवं काश्मीर तथा भारत की धर्म निरपेक्ष शक्तियां मजबूत होंगी।"

तो इंडिया और जम्मू काश्मीर अलग अलग नहीं हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इसमें गलत क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह इसीलिये कहा, मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं उस जुमले को पर ही देता हूं जो माननीय चित्त बसु जी ने कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी नीयत पर मैं सुबहा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि नेशनल कान्फ्रेंस वाले यह माहोल पैदा करने में कामयाब हुए हैं कि सब-कांशसली आर अनकांशसली आदमी उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है जिसके नतीजे में चित्त बसु जी जैसे प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट. हिन्दुस्तान की इंटीग्रिटी और यूनिटी के हामी है उनके मुंह से भी एकाध शब्द शायद अनकांशसली निकल गया :

"यह भारत की धर्म निरपेक्ष शक्तियों तथा जम्मू एवं काश्मीर की धर्म निरपेक्ष शक्तियों के बीच सेतू का काम करेगा।"

प्रो. मधु दंडवते : यह केवल व्याकरण की भूल है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आप पर बिलकुल सुबहा नहीं कर रहा हूं और उसी मामले को और आगे बढ़ा कर।

प्रो. मधु दंडवते : उनके कहने का यही मतलब है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि उन्होंने कहा होता, "यह जम्मू एवं काश्मीर तथा शेष भारत की धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक शक्तियों के बीच-सेतू होगा", तो मैं इसे समझ सकता हूं, मैं उसकी सराहना कर सकता हूं।

उसी मामले को और आगे बढ़ाया गया। यह सौज साहब की पार्टी का "नवाय-सुबह" आफिशियल आर्गन है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह सौज साहब का साज है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय गृह मन्त्री जी ने ठीक फरमाया कि यह सौज साहब का साज है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हो सकता है, आपको हिदायत के रास्ते पर ला दे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप तीन सदस्य थे, मैं समझता हूं कि दो हिदायत की राह पर आ गए हैं। आप एक रह गए हैं।

कांग्रेस-आई का नेशनल कांफ्रेंस का राजनीतिक झगड़ा हो सकता है। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस अखबार में सबसे बड़ा कॉलम है—कांग्रेस आई ने काश्मीर में पैर जमाया तो आवाम पर पंजाब जैसे मजालिम तोड़े जायेंगे। यह फारूख साहब कह रहे हैं, उस मीटिंग में जहां सरदार प्रकाश सिंह बादल मौजूद है, जहां तलवण्डी साहब मौजूद हैं, जहां टोहरा साहब मौजूद हैं, जहां पर बी. बी. राजेन्द्र कौर जी मौजूद हैं। ऐसे मौके पर, जब इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में चलने वाला पंजाब में आंदोलन, बेबस और निहत्थे मासूम लोगों की जानें ले रहा था, उनके बीच में ऐसी सभा में जहां ये नेता मौजूद हों, वहां फारूख साहब कहते हैं—अगर कांग्रेस-आई ने काश्मीर में पैर जमाया तो पंजाब जैसे मजालिम आवाम पर काश्मीर पर तोड़े जायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी, जानना चाहता हूं कि वे क्या मजालिम थे जो सरकार ने पंजाब में तोड़े? क्या जुल्म हैं, जो सरकार ने किया है? पंजाब में उन्हीं लोगों के जरिये से जुल्म किए गए, जिनके बीच में खड़े होकर फारूख साहब यह बात कहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं सरकार की तरफ से नहीं अगला जुमला कह रहा हूं, मैं

अपनी निजी हैसियत से कह रहा हूं। आज से नहीं, बहुत दिनों से मेरा मत है कि आज तो फारूक साहब की सरकार के अपने गुनाहों के कारण, चूंकि उनके अपने सदस्यों में, अपनी पार्टी में, फूट पड़ गई, उनके पास बहुमत नहीं रहा, उसके कारण मजबूर होकर काश्मीर के गवर्नर के पास कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया था सिवाय उस सरकार को डिसमिस करने का। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, तत्वों को संरक्षण दिया गया, जिस प्रकार हिंसा में लगे हुए लिप्त लोगों को काश्मीर के अन्दर ट्रेनिंग दी गई, जिस तरह से पंजाब में एक्शन होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद काश्मीर की घाटी में वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के घरों को, उनकी इबादत गाहों को जलाया गया, जिस तरह से उनके घरों में रात को आग लगाई गई, यह सरकार इस बात की अधिकारी थी कि इसको आज नहीं बहुत दिन पहले डिसमिस किया जाना चाहिए था।

मेरा निश्चित मत है कि अगर इस प्रकार इस सरकार को कुछ दिन और रहने दिया गया होता, अगर यह सरकार कुछ दिन और चल गई होती, अपना बहुमत खोने के आरोप में नहीं, बल्कि उन कामों के आरोप में, उन हरकतों के आरोप में जो हरकतें वहां पर की गई, उसके आरोप में इस सरकार को डिसमिस किया जाना चाहिए था।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रो. सोज साहब से जानना चाहूंगा, इत्तिफाक से वे अकेले अधिकारी हैं···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं अकेला कहा हूं, सारा अंजुमन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : दो और कहां गए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसलिये कि वे इत्तिफाक से अपने दल के अकेले अधिकारी प्रवक्ता हैं। गैर अधिकारी प्रवक्ता तो इस सदन में अच्छे-खासे मिल जायेंगे, लेकिन अधिकार रूप से वे ही जवाब दे सकेंगे। इसलिए मैं जानना चाहूंगा, 6-7 जून को श्रीनगर में कितने घरों में आग लगाई गई ? मैं खास तौर से 6-7 जून की बात कर रहा हूं। उस हफ्ते में अमृतसर में एक्शन होने के बाद जो आतंकवादी वहां पनाह पा रहे थे, उन्होंने जब जलूस निकाला तो उनके साथ खालिस्तान का नारा लगाने वाले और पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले कौन थे ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या वहीं पर श्रीनगर के अन्दर आर्यसमाज मन्दिर के अन्दर आग लगाई गई ? यह भी 6-7 जून का ही किस्सा है।

एक माननीय सदस्य : यह वाजपेयी जी को पता होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वाजपेयी जी को उसमें दिलचस्पी नहीं। वाजपेयी जी को दिलचस्पी तब होती है, जब प्रधान मंत्री जी के विरोध में बात जाती हो। श्रीनगर शहर के अन्दर कितनी इमारतों पर, खालिस्तान लिखा हुआ, खालिस्तान का झण्डा लहराया गया और कितने समय तक वह झण्डा वहां लहराता रहा, सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको उतारने की कोशिश नहीं की गई ?

80 साल की उम्र का एक नान-काश्मीरी साधु जो पिछले 15-20 सालों से वहीं शहर के नजदीक एक जगह पर तपस्या कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। काश्मीरी जुबान में साधु को ऋषि कहते हैं और इसका कांसेप्ट है—आपस में मुहब्बत, भाई-चारा। साधु और ऋषि को मानने वाले हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं, ठीक इसी तरह से इस साधु के पास जाने हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। लेकिन उसको एक खास रंग देकर उसी दिन उस साधु की हत्या कर दी गई।

जम्मू डिवीजन में नानक नगर और पुंछ में······

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जम्मू शहर में।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं खाली जम्मू शहर की बात नहीं कह रहा हूँ, डिवीजन की बात कर रहा हूं, जिसमें पूंछ भी है, वहां पर बाकायदा इमारतों पर बोर्ड लगाये—जिनमें लिखा गया—सिफारतखाना पाकिस्तान, सिफारतखाना खालिस्तान, सिफारतखाना यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका। कितने दिनों तक ये बोर्ड उन इमारतों पर लगे रहे, कितने दिनों तक यह इम्प्रेशन दिया गया कि यहां से पाकिस्तान, खालिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका के दूतावास कार्य कर रहे हैं? सभापति महोदय, ऐसी एक नहीं अनेक घटनाओं का जिक्र अखबारों में आता रहा है, मैंने उन एक का भी उद्धरण यहां नहीं सुनाया, वे घटनायें अपने आप में इतनी काफी थीं इस बात को साबित करने के लिये कि फारूक साहब न केवल ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रहे थे, बल्कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगण्डा करने में लगे हुए थे, जिससे अलगाववादी भावना को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे सकें।

यहां पर कांग्रेस (आई) लीडर्स के बारे में बहुत कुछ गया जैसे—हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को हटा नहीं देते। मैं यह कहना चाहता हूँ—यह कोई हमारे कहने की बात नहीं थी, हमने तो आरोप ही लगाया था कि नेशनल कांन्फरेंस ईमानदारी से चुनकर सरकार नहीं बनाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां पर हिंसा का वातावरण बनाया गया, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वह अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो दूसरी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप इजाजत दें---

4 58 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मै एक ऐसे अखबार से, जो कांग्रेस-विरोधी अखबार है और लिखने वाला एक ऐसा आदमी है जो फारुक साहब का समर्थक रहा है, जिसने कई लेखों में उनका समर्थन किया है एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। यह 26 जनवरी, 1984 का इन्डियन-एक्सप्रेस है, और श्री एच. के. दूआ का लेख है, जो कांग्रेस (आई) समर्थक नहीं कहे जा सकते······

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वह एक वस्तुपरक पत्रकार हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की राय में वह आब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लिखा है :

"नेशनल कान्फ्रेंस ने कई चुनाव क्षेत्रों में चुनाव में धांधली की। इसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। श्री फारूक अब्दुल्ला को तब भी अच्छा बहुमत प्राप्त होता और वह सरकार बना सकते थे। मौलवी-फारुक गठजोड़, जिसे राज्य की राजनीति में 'शेर-बकरा गठजोड़' के नाम से जाना जाता है, केन्द्र की आंखों खटक रहा है। मौलवी ने राज्य के भारत के साथ अधिमिलन को स्वीकार नहीं किया है।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रधान मन्त्री, हमेशा उनको बुला बुलाकर बात करती रही हैं।

(व्यवधान)

5.00 **म.प.**

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : उपाध्यक्ष जी, श्री हरिकेश बहादुर जो परेशान हैं, वह मैं समझ सकता हूं। इसलिए कि अभी एक ऐसा तथ्य जो इस देश के लोगों की जानकारी में नहीं आया था, वह यह है कि भिंडरावाला और फारूख अब्दुल्ला के बीच में जो आदमी उनके लिंक का काम कर रहा था, जिसने उन्हें मिलवाया था, वह भिंडरावाला का विश्वस्त था और श्री हरिकेश बहादुर की पार्टी का सदस्य था, शाह वेग सिंह।···**(व्यवधान)**···मैं नहीं कह रहा हूं। शाह वेग सिंह ने अपने इन्टरव्यू में कहा है और यह दिल्ली से निकलने वाला अखबार है, "बीसवीं सदी"।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, हमारे दल में शाहवेग सिंह नाम का कोई सदस्य नहीं है : यह आधारहीन आरोप है। यह एक गम्भीर आरोप है। **(व्यवधान)** वे ऐसे लोगों को थोप रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं इस आरोप का पूरे जोर से खंडन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर दिया जाएगा, और उस समय आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं हरिकेश भाई की बहुत इज्जत करता हूं। मेरा उनके ऊपर कोई निजी आरोप नहीं है। यह आरोप भी नहीं है। मैं तो केवल दिल्ली से छपने वाले एक मासिक पत्र, जो उर्दू का लिटरेरी और पालीटीकल, सबसे बड़ा अखबार हिन्दुस्तान का है "बीसवीं सदी", जिसका सर्कुलेशन एक लाख से भी ज्यादा है, जो हिन्दुस्तान के हर हिस्से में जाता है। उसमें दिल्ली के उर्दू के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नाज अन्सारी का इन्टरव्यू है जो उन्होंने संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल और भिंडरावाला से लिया है और उस इन्टरव्यू को दिलवाने में शाह वेग सिंह ने मदद की है। शाह वेग सिंह उनके साथ गए थे और शाह वेग सिंह ने नाज अन्सारी से कहा है जब उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी

राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, तो नाज अन्सारी ने "बीसवीं सदी" में यह लिखा है कि शाह बेग सिंह ने यह कहा है कि मैं बहुगुणा साहब की डी. एस. पी. का मेम्बर हूं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : ये सब इनके आदमी हैं, जो कि इससे भी इमेज मैलाइन कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हरिकेश बहादुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में शाह बेग सिंह नाम का कोई सदस्य नहीं है और इस तरह के जो एजेन्ट आप लोग जगह जगह पर प्लान्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर इस तरह से गलत प्रचार करने के लिए और उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, आप ऐसी हरकतों को बन्द कीजिए। वास्तविकता यह है कि इस देश के टुकड़े करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जो राजनीति खेली जा रही है, वह बहुत खतरनाक है।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : उपाध्यक्ष जी, इनके साथ मेरी सहानुभूति है लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुगुणा जी की क्षमता से ये खुद भी परिचित हैं और यह जानते हैं कि वे हर काम इनसे पूछ कर नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : इन्दिरा जी क्या आप से पूछ कर हर काम करती हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : श्रीमन्, मैंने पहले कहा है कि यह कोई कांग्रेस समर्थक अखबार नहीं है। आम तौर पर कांग्रेस के खिलाफ ही इसमें छपता है और ऐसे जर्नलिस्ट का यह इन्टरव्यू है। यह बात उसी सिलसिले में निकली, तो मैंने कह दी। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए और अगर बात गलत है, तो कान्ट्रडिक्शन अखबार में भेजना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : यह कौन सा अखबार है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह 'बीसवीं सदी' अखबार है उपाध्यक्ष महोदय, आज से कई महीने पहले की बात है और सी. पी. आई. (एम) के माननीय सदस्य श्री बाला नन्दन ने उस को लेकर यहां पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे एक सहयोगी मंत्री मंडल के सदस्य श्री गुलाम नबी आजाद और मैं उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जिस में काश्मीर के हमारे कुछ और सहयोगी भी थे। और हम राष्ट्रपति जी से जा कर मिले थे। राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने यही शिकायत की थी कि आज कश्मीर वैली के अन्दर भारत-विरोधी, तत्व सक्रिय हैं। उनको सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सम्मानजनक स्थिति दी जा रही है और उनको यहां तक सम्मान मिल रहा जबकि वे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाएंगे। उस ज्ञापन के बाद माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार से पूछा और भारत सरकार ने कश्मीर सरकार से पूछा और भारत सरकार ने कश्मीर सरकार से पूछा। मुझे आज तक याद है कि जब फारुख अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "जम्मू एवं काश्मीर में कोई पार्थवादी गतिविधि नहीं हुई है।" (व्यवधान)

कर्नाटक का जब मौका आयेगा तब उसको भी डिस्कस करेंगे। उसका भी इंतजार कीजिए। माननीयउपाध्यक्ष जी, यहां कर्नाटक के बारे में कोई मोशन नहीं है, इसलिए उसको कैसे डिस्कस किया जा सकता है। (व्यवधान) जब हम उस पर आएंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे।

मुझे उम्मीद है कि मधु दंडवते जी इस चीज को उसी ह्युमरस वे में लेगे जिस तरह ह्युमरस वे में लेने के लिए वे ब्रह्मानन्द रेड्डी जी को कह रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, फारुख अब्दुल्ला जी ने असेम्बली के अन्दर भी यह कहा था। जब भारत सरकार के गृह मन्त्री ने पहली अप्रैल को उन्हें पत्र लिखा था, यह उसी दिन की बात है। गृह मंत्री जी ने पत्र लिख कर यह चिंता व्यक्त की थी कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्व सक्रिय हैं।

उस ज्ञापन को देने के बाद जब भारत सरकार की तरफ से थोड़ा-सा सख्त रवैया अपनाया गया और क्रिकेट मैच के मौके पर जो "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाये गये, के बारे में बताया और कहा कि और ऐसी बातों को अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तो उसके बाद एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक गिरफ्तारियां होती रहीं और यह कहा गया कि एक्सट्रीमिस्ट्रीस और सेसेसनिस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दो फरवरी को कोई एक्ट्रीमिस्ट और सेसेसनिस्ट नहीं था तो दस दिन बाद किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगर वह ज्ञापन हल राष्ट्रपति जी को नहीं देते जिसकी ओर भारत सरकार ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा था तो ये कार्यवाहियां इसी तरह से वहां जारी रहतीं जिनसे कि आने वाले दिनों में देश की एकता और अखंडता को खतरा बन जाता।

यह जो टेलीग्राफ अखबार है, यह कांग्रेस समर्थक अखबार नहीं है। इसमें लिखा है-

> "कल तक 150 से अधिक पाकिस्तानी तथा उग्रवादी तत्वों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनमें से अधिकतर को जल सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मौलवी फारूक के नेतृत्व वाली आवामी पार्टी को छुआ तक नहीं गया।"

यह खास तौर से ध्यान देने की बात है और केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाने की बात है कि प्रो-पाकिस्तानी और सेसेसनिस्ट एलीमेंट्स के खिलाफ कश्मीर सरकार कार्यवाही कर रही है। प्रो-पाकिस्तानी और सेसेसनिस्ट दो-ढाई-सौ लोगों को बन्द भी किया गया लेकिन मौलवी फारूक और उनके किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाया गया। अब मौलवी फारूक क्या हैं, इसके बारे में सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बारे में मैं भी कह चुका हूं। अभी दो-चार दिन पहले सोज साहब ने जो कहा, उसकी तरफ से नहीं जा रहा हूं लेकिन यह सही है कि उन्होंने अपनी नेशनेलिटी बताने से इंकार कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आप हिन्दुस्तानी हैं तो उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा। यह खबर टाइम्स आफ इंडिया में छप चुकी है। अभी एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने आपको हिन्दुस्तानी मान

लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो भी वह भूला नहीं कहलाता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज सदैव भारत के पक्ष में हैं। प्रो. सोज, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अभी तीन महीने पहले का इंटरव्यू है। सौ दिन पुराना है। मौलवी फारुख साहब ने बंबई से निकलने वाले अखबार को दिया है।

श्री मधु दण्डवते : बंबई को क्यों खराब करते हो।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : "सण्डे आब्जर्वर" अब मेरे खयाल से स्वामी जी कहेंगे कि आब्जेक्टिव है। दण्डवते साहब का मुझे नहीं मालूम।

श्री मधु दण्डवते : कल का आब्जर्वर पढ़ा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो चर्चा हो रही है, उसको सामने रखकर ही तो बात होगी। आप इससे आगे जाना चाहें तो इसमें मुझे एतराज नहीं है। अखबार के प्रतिनिधि ने पूछा-

> "क्या यह सच है कि एक चुनाव सभा में उन्होंने फिर जनमत संग्रह का प्रश्न उठाया है ?" उन्होंने उत्तर नहीं दिया' "मैंने नहीं कहा, मैं एक आन्दोलन छेड़ूंगा। मैंने केवल इस मुद्दे की पृष्ठभूमि प्रकट की है कि यह एक कायदा था जो कि काश्मीर... ने लोगों के साथ किया था"। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, " क्या शिमला समझौता नहीं है ?" वह काश्मीर के संदर्भ में शिमला समझौते की बात कर रहे हैं। भारत की बैध स्थिति है, पाकिस्तान की भी।" औरइसी प्रकार काश्मीर की जनता की भी।" "लेकिन क्या वे काश्मीर मुसलमानों को भारतीय नागरिक नहीं समझते ?" वह मुस्कराए और उनके काले चश्मे के पीछे उनकी भौवें कुछ धनुषाकार सी हो गईं। मैंने इसे ही उत्तर मान लिया। "क्या आप उससें सहमत हैं ?

श्री सैफुद्दीन सोज : यह आप मुझसे पूछ रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चुनाव इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। आंदोलन इनके साथ मिलकर चलायेंगे। उनके भारतीय होने का और मेन स्ट्रीम में आने का सर्टिफिकेट ये देंगे, तो सवाल इनसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? यदि यह प्रश्न विवाद ग्रस्त नहीं है तो आप काश्मीर में संयुक्त रास्ट्र के प्रेक्षकों की उपस्थिति की अनुमति क्यों देते हैं ? आप उन्हें हटवा क्यों नहीं देते ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इस पूरे विषय पर मा. गृह मंत्री जवाब देंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : सभी कठिन प्रश्न उन पर छोड़ दिए जाते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह स्वाभाविक है. वह मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि इसका उत्तर में प्रधान मन्त्री पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी सांझी जिम्मेदारी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला जैसा मैंने पहले कहा कि यह मामला केवल कश्मीर में अलगाव वादी, हिंसा करने वाले, राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने तक ही सीमित नही था, यहां एक हिन्दुस्तान के काफी मशहूर जरनलिस्ट ने लिखा है, उनका लिखा हुआ जो बिटविन दी लाइन्स कालम आता है, उसका हैडिंग है "फारूक अब्दुल्ला का प्रस्ताव।" इंदिराजी कहें तो मैं अकालियों के साथ समझौता करा सकता हूं। अब मुझे पता नहीं कि वाजपेयी जी ने, दण्डवते जी ने सारी मित्रता के बावजूद जो अकालियों के साथ है, किसी दिन यह दावा किया कि हम समझौता करा सकते हैं। बल्कि यह जरूर कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे, उसमें शामिल हुए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने अधिकारिक रूप से कहा कि अगर इंदिराजी मुझसे कह दें तो मैं अकालियों के साथ समझौता करा सकता हूं। निश्चित ही अकालियों से इनका संबंध था। खासतौर से इसलिए कह रहा हूँ कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि काश्मीर में गुरमत ट्रेनिंग कैम्प लगाए गए तो इतनी ज्यादा आपत्ति बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश गए तो वहां की सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं की जाती ? इसलिए नहीं कि ये ट्रेनिंग कैम्प सरकार की जानकारी और संरक्षण में चलाए गए। काश्मीर गुरमत ट्रेनिंग कैम्प में ट्रेनिंग लेने वाले जो शिक्षार्थी थे, उनका एक समूह माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर या आफिस में ले जाया जाता था। वहां पर मुख्य मंत्री बाहर आते थे। उसके बाद उस ड्राईंग रूप में जाते थे जहां मुख्य मंत्री का चित्र भिण्डरा वाले के चित्र के साथ लगा हुआ था। उसके बाद बाहर निकल कर नारे लगाए जाते थे "खालिस्तान जिन्दाबाद" "भिण्डरावाला जिन्दाबाद" "पाकिस्तान जिन्दाबाद" इन नारों में मुख्य मन्त्री शामिल होते थे। इसीलिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में सरकार को यह जानकारी मिली होती कि इन कैम्पों मे हिंसा की ट्रेनिंग दी जा रही है तो निश्चित ही वहां पर कार्यवाही की गई होती। अगर, एतराज करने वालों ने किसी को सूचना दे दी होती तो मैं नहीं समझता कि सरकार फौरीतौर पर कार्यवाही न करती। फारुक साहब को सूचना दी गई। लेकिन फिर भी, कैंप उसी तरह से लगते रहे। मेरे पास एक अखबार है, जो रजिस्ट्रार आफ न्यू-पेपर्स के यहां रजिस्टर्ड नहीं है। यह अखबार फारुक साहब की पार्टी के कार्यालय मजाहिद मंजिल के बाहर बांटा गया। इसका नाम है, "अल-जिहाद"। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, इसका मतलब समझ गए होंगे।...

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : डिप्टी स्पीकर साहब को इसका मतलब अंग्रेजी में समझाइए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : जी हां, महोदय, क्यों कि मैं उर्दू में बोल रहा हूं, तो यह स्वाभाविक है कि यह आपके लिए कठिन है। जेहाद का अर्थ है 'धार्मिक युद्ध या संघर्ष' और जब आप इसे अरबी लहजे में बोलते हैं तो यह अल जेहाद बन जाता है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अखबार में लोगों का क्या हिदायतें दी गई हैं ? "इस संकट की घड़ी में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार को केन्द्रीय सरकार के इशारे पर डिसमिस कर दिया गया है तो कश्मीरियों को क्या करना चाहिए ?

प्रो. सैफुधीन सोज : यह अखबार कहां छपता है ? (व्यवधान) महोदय जब तक वह इसका नाम तथा प्रकाशन स्थान नहीं बताते, वह आगे नहीं बोल सकते ।

श्री आरिफ मोहमंद खाँ : मुद्रक, सम्पादक तथा प्रकाशन श्री फारूक अब्दुल्ला हैं । यह प्रकाशन भी अनाधिकृत है । यह भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह पंजीकृत अखबार नहीं है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह कहां से प्रकाशित होता है ? कम से कम मैंने इस अखबार के बारे में कभी नहीं सुना है ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मुझे पता है कि दंडवते साहब अपने प्वाइंट आफ आर्डर में क्या कहना चाहते हैं । यही कहेंगे कि इस अखबार को कोट न करें । ठीक है, मैं कोट नहीं करता । मैं उस अखबार को कोट करता हूं जो दिल्ली से निकलता है ।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अखबार के नाम का उद्धरण न दें । यह उनका अपना भाषण, यद्यपि वह अखबार के उद्धरण दे रहे हैं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : बिलकुल झूठ ।

श्री आरिफ मोहमंद खाँ : अब मैं एक ऐसे उर्दू अखबार से उद्धरण दे रहा हूं जो भारत के समाचार पत्र पंजीयक के पास पंजीकृत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह कहां से प्रकाशित होता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । क्या आप अपने कथन पर अडिग हैं ?

श्री आरिफ मोहमंम्द खां : मैं अपने कथन से नही हट रहा हूं । मुझे पहले उद्धरण देने दीजिए ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: उन्हें बताना होगा कि यह कहां छपा है। वे इसे वापिस नहीं ले सकते

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आप दो मापदण्ड नहीं रख सकते। अब वे किसी समाचार पत्र से उद्धरण दे रहे हैं। जब अन्तुले पर चर्चा चल रही थी तो आप पीठासीन थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई उद्धरण मत दीजिए। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तभी आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं कौन से नियम का उल्लंधन हुआ है, यह अध्यक्ष को मत बताइए। आपको अध्यक्ष को नहीं बताना चाहिए, आपका व्यवस्था का प्रश्न ही सही नहीं है। आपको अपना व्यवस्था का प्रश्न ऐसा नहीं करना चाहिए जिनमें अध्यक्ष को शामिल किया गया हो। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह संसदीय नहीं है तो हमे सभा में इसकी अनुमति देनी ही होगी। (**व्यवधान**)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने पहले समाचार पत्र को ले लिया है। (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मैं उस समाचार पत्र में से उद्धरण दे रहा हूं जो दिल्ली से छपता है, जिसने मेरा विवरण दिया है (**व्यवधान**) यदि आप मुझे सुनने की तकलीफ करें तो आप मेरे पिछले वक्तव्य को भी समझ जाएंगे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे इस प्रकार उद्धरण देते हैं तो ये उनके भाषण का हिस्सा होंगे। आप इसके बारे में चिंता क्यों करतें हैं ? वे अपना भाषण यहां पर दे रहे हैं। लेकिन उसके बगैर मैं आपको नहीं बता सकता, जब तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं यहां पहले स्टेटमैंट के बारे में बात कर रहा हूं, श्रीमान, जिसमें कहा गया है, हिदायतें दी गई हैं कि केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को आग लगाई जाए, बम बनाए जाएं और उन मौहल्लों में सप्लाई किए जाएं। उसके आगे यह कहा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जन-सभा में जाकर वहां उनके ऊपर बम फेंके जाएं। इस के बाद कहा गया है...(**व्यवधान**)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह दिल्ली का अखबार है, सर, उसमें यह कहां छपा है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु हमें इसकी अनुमति देनी होगी।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। नियम 353 में इस प्रकार लिखा है;

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान हानि कारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मन्त्री को भी पूर्व-सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 353 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं

कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा और अपना निर्णय दूंगा। कृपया बैठ जाइये। मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा और यदि कोई आरोप हुआ तो हम उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देंगे।

***श्री पी. नामग्याल (लद्दाख)** : मैं कहना चाहता हूं कि जार्ज फर्नान्डीज साहब ने जब कोट किया था, खिदमत अखबार में से वह अंग्रेजी में कहीं भी नहीं छपता है, बल्कि उर्दू में छपता हैं वे कहां से कोटेशन दे सकते थे···

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अखबार में कश्मीर के आवाम को कहा गया है कि वह अपने पास असला जमा करें, हथियार जमा करके रखें। क्योंकि उन्हें जल्द ही मैदान-ए-जंग में उतरना होगा, उन्हें तबीले जिद्दो-जहद करनी होगी, उन्हें जिहाद करनी होगी : यह बात इसमें साफ तौर पर कही गई है। यह अखबार किस दिन बंटा है, जिस दिन श्रीनगर पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दो दिनों से गायब हो गए हैं और जिस दिन विपक्ष से सम्बन्ध रखने वाले एक माननीय सदस्य जिनके इतिहास में बम लगाना और पुलों तथा रेलवे लाइनों को उड़ाना है वह भी उसी दिन श्रीनगर में मौजूद थे। बम बनाने का तरीका बताया गया इस अखबार में। मुझे बताया गया है कि उनसे ही सलाह मशिवरा करने के बाद बम बनाने की तरकीब इस अखबार में छापी गयी। और उसके बाद वह अखबार मुजाहिद मन्जिल, जो नेशनल कान्फ्रेंस का हैडक्वार्टर है उसमें जो मीटिंग हुई, उसके बाहर इस अखबार को बटवाया गया। मेरा कहना सिर्फ यही है कि हमें यह देकना पड़ेगा···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रत्येक दल को कुछ समय दिया गया है। सत्तारूढ़ दल को भी समय दिया जाता है। अतः वे सत्तारूढ़ दल का समय ले रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। सत्तारूढ़ दल का समय 2 घण्टे 20 मिनट हैं। संभवतः सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्यों को समय न दिया जाये। वे उनका समय ले रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने शेख साहब के लिये कुछ कहा जिसकी फर्नान्डीस जी ने बड़ी अजीब-सी तस्वीर बनाई कि आज शेख साहब की तारीफ कर रहे हैं। निश्चय ही हम शेख साहब को राष्ट्रीय नेताओं में से एक मानते हैं। राजनीतिक मतभेद होना, या किसी वक्त समर्थन देना या वापस लेना यह एक अलग बात है। अगर इसी आधार पर किसी का व्यक्तित्व तय होना है कि आप कितनी देर तक राजनीतिक समर्थन देते हैं तो आप लोग बड़े संकट में आ जायेंगे। पता नहीं कौन कितनी देर तक किस के साथ राजनीतिक तौर पर रहा है। इसलिये इस आधार पर किसी का राष्ट्रीय व्यक्तित्व तय नहीं हो सकता। निश्चित ही हम शेख साहब को राष्ट्रीय नेता मानते है। हां, आज ही फारूक साहब के बहुत समर्थक बन गये हैं, 1977 में जनता पार्टी के शासन में आने के बाद उस समय की बात यहां की गई है, शेख साहब और मिर्जा अफजल बेग की संस्तुति पर प्रदेश असेम्बली को डिजोल्व किया गया, हम तो मानते हैं कि गवर्नर का डिस्क्रीशन अगर है

वह चाहता है तो वह वैकल्पिक में असेम्बली को डिजोल्व करे या सम्भव हो सके तो दूसरी सरकार बनाये । लेकिन इसके साथ-साथ जब चुनाव के सिलसिले में शेख साहब से समझौता करने के लिए जनता पार्टी ने बात की और ब्रोडवे होटल में मीटिंग हुई, शेख साहब को यहां से सूचना दी गई, लेकिन जो अपमानजनक रवैया शेख साहब के साथ जनता पार्टी ने अपनाया वह रवैया वह आखीर वक्त तक नहीं भूले । हम से तो उनका राजनीतिक मतभेद या राजनीतिक समर्थन हो सकता है, लेकिन फारूक सासब का समर्थन करने वाले और शेख अब्दुल्ला का बड़े प्यार से नाम लेने वाले लोगों ने उनके लिये जो अपमान जनक रवैया अपनाया था उसकी बजह से शेख साहब ने वहां चाय तक नहीं पीयी और मीटिंग से निकल कर चले गए । जनता पार्टी के दूसरे तीसरे नम्बर के मन्त्री ने शेख साहब के लिए जिन अलफाज का इस्तेमाल किया था, जिसको सोज साहब बतायेंगे, जब कि शेख साहब को दिल का दौरा पड़ा हुआ था और वह विस्तर पर थे, जो अलफाज उस राष्ट्रीय नेता के लिये उन्होंने पिछले दौरे के वक्त इस्तेमाल किये उतने अपमानजनक अलफाज इस्तेमाल करने की कल्पना कांग्रेस का कोई आदमी कर भी नहीं सकता जो कि जनता पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहे थे । मैं कहना चाहता हूं कश्मीर के तकरीबन सभी लोग, जो मौलवी और फारूक के असर में नहीं, वह सब राष्ट्र भक्त हैं और हिन्दुस्तान और कश्मीर में फर्क नहीं समझते हैं…

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी कह रहे हैं हिन्दुस्तान और कश्मीर में इसी पर एत-राज कर रहे हैं ।

श्री आरिफ मौहम्मद खां : यही तो कह रहा हूं कि वह फर्क नहीं मानते हैं । वह कश्मीर को उसका अंग मानते हैं । वह दोनों में फर्क नहीं करते हैं । मैं वही कह रहा हूं । उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया । वह यहां तो कहते रहे कि मैं भारतीय हूं और वहां पर अलगावादी ताकतों को बढ़ाते रहे । उन्होंने वहां पर यह इम्प्रेशन दिया कि सब कुछ मेरे साथ तय कीजिये, तो मैं इनको एक रख सकता हूं, अगर मुझे हाथ लगाया, तो कश्मीर आपके हाथ से निकल जायेगा । वह बार-बार यह बात करते रहे ।

मेरा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाने का हरगिज नहीं है । मेरा उद्देश्य विपक्ष के सम्मानित नेताओं से निवेदन करना था । आपके माध्यम से मैं एक बार फिर उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे एक बार फिर काश्मीर घूम कर आएं । वे फारूक अब्दुल्ला के साथ जा कर लोगों से न मिलें । वे उन मुहल्लों में जाएं, जहां वे लोग रहते हैं, जो राजनैतिक तौर पर नेशनल कान्फ्रेंस का साथ नहीं देते हैं । जरा उनसे मालूम कीजिए कि किस तरह उनके हवादत घरों में कूड़ा फेंका गया । उन लोगों से मालूम कीजिए कि जब उनके बच्चे, बेटे, बेटियाँ स्कूल जाते थे, तो किस तरह गुण्डों से उनको धमकियां दिलवाई जाती थीं । उन पर जिन्दगी के दरवाजे तंग किये जाते थे ।

उनको छोड़िये, शेख अब्दुल्ला की अपनी बेटी, जिसने उस वक्त शेख साहब का साथ दिया, जब वह कठिनाई में थे, जबकि फारुक अब्दुल्ला लन्दन में जिन्दगी के पूरे मजे ले रहे थे—

शेख साहब की मुसीबत की साथी, जब उसने राजनैतिक मतभेद जाहिर किया, तो उस पर प्राण-घातक हमला कराने की कोशिश की गई।

क्या यह वास्तविकता नहीं है कि श्री हिस्सामुद्दीन, काश्मीर विधान सभा के मेम्बर के बारे में यह अफवाह उड़ जाने पर कि उसने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनके घर को गुण्डों के जरिये पत्थरों से भरवा दिया गया ?

फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की एकता बनाए रखने के लिये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा था। अखबारी रिपोर्ट है कि एक एक एम एल ए के पीछे दस दस सी आई डी के आदमियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर का मामला कोई एक राज्य का मामला नहीं है। काश्मीर का मामला भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। काश्मीर के वगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत तभी पूर्ण होता है, जब कश्मीर उसका हिस्सा रहता है। जो ताकतें इस एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है, जो इसमें बाधा डालना चाहती है, जो अलगाववादी प्रव्रतियों को बढ़ाना चाहती है, उनसे निपटने के लिए उनसे लड़ने के लिये हम सब को राजनैतिक मतभेद भुला कर मिल कर काम करना होगा। तभी हम देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, जिन घटनाओं के बारे में राज्य मंत्री के वक्तव्य में यह कहा गया है कि ये जम्मू और कश्मीर में हुई, हाल की घटनाएं है और बिशेष रूप से वहां की घटनाओं के बारे में श्री आरिफ मोम्मद खां का भाषण सुनने के बाद मैं जब बोलने के लिये उठा तो मुझे फैज अहमद फैज की बहुत प्रसिद्ध कविता याद आ गई जिसे उसने 20 वर्ष पहले लिखा था और जो उस समय पाकिस्तान से संबंधित थी। उस कविता का विषय तो अब भी पाकिस्तान से संबधित है परन्तु दुर्भाग्यवश, कांग्रेश (इ) के बुरे कार्यों के कारण वह कविता भारतीय हालत से भी संबंधित हो गई है। चूंकि आह उर्दू नहीं समझते मैं इसका अनुवाद बाद में कर सकता हूं। मैं दो कविताएं बोलूंगा। श्री आरिफ मोहम्मद खां का भाषण हृदय से दिया गया है। यदि श्री अरुण नेहरू और श्री राजीव गांधी को वाद-विवाद में भाग नहीं लेना था तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सदन में मत आया करें क्यों कि जब श्री अरुण नेहरू आते है तो कांग्रेस (इ) की ओर से जो बोलते हैं, उनमें जोश आ जाता है और जब श्री राजीव गांधी आते हैं तो उनमें दुगना जोश आ जाता है और वे सारा समय दर्शकों की बाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। सारा समय श्री आरिफ मोहम्मद खां... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल सभा को सम्बोधित करें

प्रो. सैफुद्दीन सोज : लगभग 30 वर्ष पूर्व फैज ने पाकिस्तान को कहा...

आरिफ मोहम्मद खाँ साहब की इस **.... से भरी हुई तकदीर पर और इस लगू पर मैं मजम्मत करता हूं। इस पर मुझे दो मिसरे कहने हैं;

निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन कि जहां
चली है रस्म कि कोई न सिर उठा कर चले।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह फेज साहब ने फौजी शासन के लिए कहा था।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सुनिए मेरी बात। आप ने इस को रेलीवेंट बना दिया है हिन्दुस्तान की सीमा पर।

निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन कि जहां
चली है रस्म कि कोई न सिर उठा कर चले।
बने हैं अहले हवश मुद्दई की मुंसिफ भी।
किसे बकील करें किस से मुंसफी चाहें।।

जो लोग सत्ता में हैं, खुद ही मुद्दई हैं और खुद ही न्यायाधीश है, तो आप का मुकदमा लड़ने के लिए आपको वकील कहां से मिल सकते हैं और न्याय की आशा आप किससे कर सकते हैं? यह फैज अहमद फैज था जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था। मेरे राज्य में जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं, किन्तु आरिफ महोम्मद खां ने जो कुछ बाते आपको बतायी हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। मुझे आरम्भ में ही धोखे और झूठ के इस नाटक को अस्वीकार कर देना चाहिए। वे भाग रहे हैं। आप उन्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहिए। जब तक वे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वे नहीं जा सकते ···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरे राज्य सभा में एक बिल हैं, मैं आप से इजाजत चाहूँगा। मैं भाग नहीं रहा हूं। उसके बाद आऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल गृह मन्त्री से उत्तर लेने के लिए बोल रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं जानता हूं वे एक अच्छे मंत्री हैं परन्तु उन्हें यह मंत्रालय हाल ही में दिया गया है। मैं नहीं समझता कि वे इस अवसर के अनुरूप उत्तर दे सकते हैं ···(व्यवधान)। परन्तु वे मेरा प्रश्न समझ गए हैं। आरिफ मोहम्मद खां के बारे में मैं नहीं जानता कि वे कांग्रेस आला कमान से क्या चाहते हैं। मैं आपको इमानदारी के साथ बताता हूं कि वे जानते है कि वे झूठ बोल रहे थे। इस भ्रम में मत रहिये कि वे कभी नहीं जानते थे कि झूठ बोल रहे थे और वे इस सदन को गुमराह कर रहे थे और इस सम्माननीय सभा के माध्यम से वे सारे देश को गुमराह कर रहे थे। वे इस बात को जानते थे परन्तु वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ और प्राप्ति हो। मैं नहीं जानता कांग्रेस आला कमान उन्हें क्या आदेश दे सकती है। मैं उनके लिए शुभ कामना करता हूं कि ने इन तीन-चार महीनों के लिए मन्त्रीमण्डल स्तर के मन्त्री बन जांए उनका स्वागत है। आपको मेरा विश्वास करना चाहिए कि मैं आपसे एक देश भक्त के रूप में बात कर रहा हूं और मैं आप को

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य वाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्राश्वासन देता हूँ कि श्रारिफ महोम्मद, खां जैसे लोग ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार हैं। यदि वे यूरोप अथवा अमरीका में मन्त्री होते तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ जाता, यदि वे उस देश के राष्ट्रपति के पास चले जाते जिसके वे मंत्री होते क्यों कि इसका अर्थ यह होता कि वे प्रधान मंत्री के अधिकार का उल्लंघन करके राष्ट्रपति के पास गए हैं। कहीं पर भी यह रिकार्ड नहीं मिलता जिससे यह साबित हो कि एक ऐसे प्रतिनिधि मंडल के साथ, राष्ट्रपति के पास गए हो जिसमें अन्य सदस्य भी थे, श्रौर उनके सामने वक्तव्य दे सके हों। वह श्रारोप नितांत झूठा श्रौर असत्य था। उन्होंने श्रारोप लगाए हैं श्रौर कहा :

चीफ मिनिस्टर के घर पर नारे लगते थे कि भिण्डराबाले जिन्दाबाद, खालिस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान जिन्दाबाद। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। यदि वे साबित कर दें कि डा. फारुख अब्दुल्ला के घर पर ये नारे लगाए गए थे तो मैं संसद तथा नेशनल कान्फरेन्स से भी त्याग पत्र दे दूंगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : वह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुश्रा है। वह एक तथ्य है·· **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कतिपय श्रारोपों के बारे में बातचीत करना श्रावश्यक हो गया है। उन्होंने कुछ गम्भीर मामले उठाये है। उन्होंने **'अल–जोहद'** समाचार-पत्र का उल्लेख किया है। यदि यह पत्र श्रीनगर में मुद्रित श्रौर प्रकाशित हुश्रा होता तो उन्होंने निश्चय ही सम्पादक, मुद्रक श्रौर प्रकाशक का नाम बता दिया होता श्रौर उन्हें डा. फारुक श्रब्दुल्ला सम्बन्धी बल्कि सगा-संबंधी रिश्ता बना दिया होता। परन्तु दुर्भाग्यवश मन्त्री महोदय इस सभा में झूठ बोलकर सभा से चले गये हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। यह पत्र भारत में कहीं श्रौर प्रकाशित हुश्रा है, हो सकता है दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता में प्रकाशित हुश्रा हो।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : बम्बई में प्रकाशित नहीं हुश्रा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : फिर संभवतः दिल्ली में प्रकाशित हुश्रा होगा। यदि सम्पादक ने यह कहा है कि क्योंकि यह कोई धार्मिक मामला नहीं है इसलिये मुसलमानों को जेहाद करना चाहिए, तो उसने निस्संदेह एक शरारतपूर्ण वक्तव्य दिया है। श्रब संपादक से पूछ-ताछ करना श्रौर उसे दण्ड देना श्रापका काम है जहां तक श्रीनगर मे समाचार-पत्र वितरण का संबंध है श्राप ही की श्रोर से कोई शरारत करने का प्रयास कर रहा है। श्रापको यह बात श्रवश्य स्वीकार करनी चाहिए। श्रापने श्रीनगर के कुछ समाचार-पत्रों **'श्राफताब', श्रीनगम टाइम्स'** श्रौर **'नबाए सुबह'** का उल्लेख किया है। समाचार-पत्रों का दृष्टिकोण भी जिम्मेवार रहा है। वे इस प्रकार की रद्दी बातों को प्रकाशित नहीं कर सकते। यदि यह रद्दी बात प्रकाशित हुई है तो इसका श्रर्थ है श्रापके पास इश्तिहासिक श्रौर नकली लेख हैं जो कभी भी उचित बात समझ नहीं सकते··· **(व्यवधान)** श्रापने उनके वक्तव्यों श्रौर उनके द्वारा मुद्रित श्रौर प्रकाशित पुस्तकों को प्रस्तुत किया है। इस समाचार-पत्र का निश्चय ही श्रापसे सम्बन्ध है। श्रापको श्रवश्य ही जांच करानी चाहिए। यह गृह मन्त्री का काम है कि देश के कानून के श्रनुसार कार्यवाही करें। श्रापको संपादक

मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध अवश्य हीं कार्यवाही करनी चाहिए। वह-समाचार-पत्र का नाम तक नहीं बताएंगे। तथापि इसका नेशनल कान्फ्रेन्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह निश्चय ही हमसे यह नहीं कह सकते कि हम उस समाचार-पत्र का वितरण कर रहे हैं। जम्मू और काश्मीर (व्यवधान) के बाहर कुछ समाचार-पत्र···(व्यवधान) थे।

उन्होंने यहां वक्तव्य दिया है, बल्कि मुझ से प्रश्न पूछा है कि 6 और 7 जून को कितनी बसें चलाई गईं। मैं अब गृह मन्त्रीं के माध्यम से उन्हें उत्तर दे रहा हूं कि पंजाब में जब सैनिक कार्यवाही हुई तब श्रीनगर में भी प्रतिक्रिया हुई जिसमें सिख गलियों में निकल आए जैसा कि उन्होंने देश के अन्य भागों में भी किया। इसे ढाई घंटों में काबू कर लिया गया। दो इमारतों को आग लगाई गई। एक निरंकारी सदन था और दूसरी इमारत आर्य समाज की थी। जब भीड़ उत्तेजित और घबड़ाई हुई होती है तब वह किसी भी इमारत को जला सकती है चाहे वह बैंक हो या सरकारी कार्यालय अथवा आर्य समाज की इमारत हो। केवल दो इमारतों को आग लगाई गई थी। आग बुझाने वाले आये, पुलिस ने कार्यवाही आरम्भ कर दी, गोली चलाई गई और कई लोग मारे गए। यह सब ढाई घंटों में हो गया। मुख्य मन्त्री फारुक अब्दुल्ला घटना-स्थल पर पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि सिखों का आन्दोलन काबू में आ जाए। उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। आपको अवश्य ही जानकारी होगी। श्री आरिफ मोहम्मद खां जानते हैं कि पुलिस की गोलीबारी में 11 व्यक्ति मरे।

उन्होंने दो अत्यन्त आपत्तिजनक बातें कहीं हैं। उन्होंने आपको यह बताने का और विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि एक साधुजी मारे गए थे। क्या कोई विश्वास करेगा कि श्री फारुक अब्दुल्ला के कहने पर एक साधु को मारा गया? क्या वह कातिल हैं?

आपके साथ क्या बीती होगी जब आपको इस सम्मानित सभा में इस रद्दी बात को सुनना पड़ा होगा? मैं शर्म महसूस कर रहा हू कि मुझे लोक सभा में सत्ताधारी पक्ष के जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से ये रद्दी बातें सुननी पड़ी····(व्यवधान) आप इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मैं इस बारे में गृह मन्त्री को चुनौती देता हूं।

मैंने पहले ही कहा है कि यदि यह प्रमाणित होता है कि ये नारे श्री फारुक अब्दुल्ला की बैठक में अथवा शयन कक्ष में लगाये गए तो मैं संसद के साथ-साथ नेशनल कान्फेंस से भी त्याग-पत्र दे दूंगा। इसी प्रकार यदि यह प्रमाणित हो जाये कि नेशनल कान्फेंस के किसी व्यक्ति के कहने पर एक स्वामी जी को मारा गया है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितनी बार त्यागपत्र देंगे? आप केवल एक बार त्यागपत्र दे सकते हैं?

श्री आर.वाई. घोरपाड़े (बेल्लारी) : क्रिकेट मैच के समय क्या नारे लगाये गये थे? उत्तर दीजिए।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : साधु को आप लोगों के इशारे पर मारा गया होगा।

***प्रो. सैफुद्दीन सोज** : आरिफ मुहम्मद खां कहते हैं और अपोज़ीशन के मैम्बर्स से अपील करते हैं—अगर आप श्रीनगर घाटी में जायें तो आप देखेंगे कि डा० फारुक की जमायत ने कितने बच्चों को मदरसे जाने से रोका, कितने लोगों के साथ मारपीट की गई, कितनी बहू-बेटियों को सताया गया। मैं आरिफ साहब को कहता हूं—वह अपनी जमायत के दो-तीन लोगों को लें, फारुक अब्दुल्ला को आप ने डिस्मिस किया है, वह अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप देहातों में जाइये और देखिए, आप इस के बिलकुल बरेकस कहानी देखियेगा।

आप ने प्राइम मिनिस्टर को भी मिसलीड किया, जब वह बाहर के दौरे से बम्बई एअरपोर्ट पर आई थी, तो उन से बयान दिलाया गया कि कांग्रेसियों के घर जलाये जाते हैं, राशन बन्द किया जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि प्राइम मिनिस्टर से भी ** बुलवाया गया और आज भी देख रहा हूं कि आरिफ मोहम्मद खां साहब आप की तरफ बैठ कर ** बोल रहे हैं। इस से आप को न कोई फायदा अब तक हुआ है और न आगे होगा।

श्री आर. वाई. घोरपाड़े : वेस्टईंडीज के मैच में क्या नारे लगाये गए थे ?

प्रो· सैफुद्दीन सोज : आपने कुछ दिन पहले इस पर कई घंटे चर्चा की थी और हमने अपना स्पष्टीकरण दिया था कि जिस दिन श्रीनगर में क्रिकेट मैच खेला गया, उस दिन क्या हुआ। एक कोने में से कुछ लोगों ने नारे लगाए और पुलिस उन्हें बाहर ले गई।

श्री आर. वाई. घोरपाड़े : आपके मुख्य मंत्री जी भी वहां बैठे थे।

प्रो, सैफुद्दीन सोज : लगभग 4 बजे मौसम खराब था। आप नहीं जानते परन्तु हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। आपने आगे कहा है कि उन्हें गिरफतार किया गया परन्तु बाद में छोड़ दिया गया। ऐसी बात नहीं है। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें दण्डित किया गया। उन्हें जेल ले जाया गया और उनकी सही ढंग से पहचान की गई। उन लड़कों में से एक के पिता को डा. फारुक अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से जानते थे। और जब वह मुख्य मंत्री से अपने बेटे को छोडने के लिए कहने गए तो डा. फारुक अब्दुल्ला ने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने यह भयंकर भूल की है और राष्ट्र की एकता को आघात पहुचाने वाले ये नारे लगाए हैं उन सब को भुगतना पड़ेगा। उसे नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार श्री आरिफ साहब ने जो कुछ कहा है उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप बार-बार क्रिकेट मैच पर चर्चा नहीं कर सकते। कोई भी मैच कहीं भी खेला जा सकता है और किसी भी प्रकार के नारे लगाए जा सकते हैं। चूंकि ये नारे जम्मू और कश्मीर में लगाए गए थे इसलिए आपको फटकार लगाना और यह कहना आसान लगा कि सम्पूर्ण कश्मीर घाटी राष्ट्र विरोधी तत्वों से भरी पड़ी है। यह ठीक नहीं है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैं अब जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई घटनाओं को फिर से लेता हूं। इस संबंध में मैं सभा को एक बार फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि जब रेडियो और दूरदर्शन पर प्रथम चुनाव परिणाम की घोषणा की गई तो कांग्रेस (इ) घबरा गई और इसके जल्दी बाद जब दूसरे चुनाव परिणाम की घोषणा हुई तो कांग्रेस (इ) कहने लगी कि चुनावों में धांधली हुई है। रेडियो और दूरदर्शन के बुलेटिन आपके पास मौजूद है। आप पता लगा सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं या ठीक पांच जून को चुनाव हुए थे। आप चार, पांच और छः तारीखों के बुलेटिनों को देखिये आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास जी कृपया व्यवधान न डालें। जब वह कुछ कह रहे हैं तो आप उन्हें बोलने दें। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो आपको खड़ा होकर उसकी अनुमति लेनी चाहिए कि क्या वह आपको बोलने की अनुमति देने को तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : जैसे ही घोषणा की गई कांग्रेस (इ) ने महसूस किया कि नेशनल कान्फ्रेन्स जीत जाएगी और उन्होने चुनावों में धांधली की बातें करनी आरम्भ कर दीं। और जब दस चुनाव परिणाम आ गए तो उन्होंने धांधली की अपनी बातें और भी जोर शोर से करनी शुरू कर दीं। और जब यह सब खतम हो गया और डा. फारूक भारी बहुमत से सत्ता में आ गए तो उन्होंने धांधली के सम्बन्ध में शोर मचाना आरम्भ कर दिया। यह उनके लिए उचित नहीं था और काश्मीर के लोगों को ऐसा लगने लगा मानो किसी अन्य देश ने उन पर आक्रमण कर दिया है। प्रधान मन्त्री जी ने स्वयं ने 300 भाषण दिए हैं और वह राज्य के प्रत्येक भाग में गई वास्तव में यह उनका अधिकार था ; यह आम चुनाव नहीं था, परन्तु किसी तरह उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य में जाने का फैसला किया और 300 भाषण दिए। फिर भी डा. फारुक अब्दुल्ला सत्ता में आए और सरकार बनाई। आपके पास यह बताने के लिए रिकार्ड उपलब्ध हैं कि 6 जून से मध्य अगस्त में वहां पर कांग्रेस (इ) दल ने या तो केन्द्र में सत्ताधारी दल के आदेश पर अथवा फिर इसके सामंजस्य से चुनाव में गड़बड़ी के प्रश्न को उठाया और यहां दिल्ली में एक सेमिनार था जिसमें मुझे बुलाया गया था।

श्री के. जी. उन्नीकृष्णन (बदागरा) : क्या यह सेमिनार गड़बड़ी पर था ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : जी हां श्रमजीवी पत्रकारों ने एक सेमिनार आयोजित किया था और वहां पर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी कांग्रेस (इ) का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने यह कह कर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया कि लोगों ने कांग्रेस (इ) को वोट दिया है।

श्री बी.आर. भगत (सीतामढ़ी) : इलैक्शन कमीशन ने जो जिक्र किया है, वह भी कर दीजिए। इलैक्शन कमीशन ने कहा है कि यह जो इलेक्शन था, फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन के स्टैन्डर्ड के काबिल नहीं था। (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : क्या आपने पश्चिम बंगाल में 1972 के चुनावों के बारे में सुना है ? आप चुप रहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भगत जी, आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, तो सारे मामलों में मानना चाहिए। आपने अपने गवर्नर से पहले ही इस चीज का फैसला करवाया। यह तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है। आप ने गवर्नर से पहले ही फैसला करवा दिया। आप इलेक्शन कमीशन की सारी बातों को नही मानते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई हिदायत देता है, तो हम उसे मानेंगे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। वह अपनी बात बात पर अड़े हुए हैं। [**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पनिका। सारा समय आप कहां थे ? कृपया बैठ जाईए।

गिरधारीलाल डोगरा (जम्मू) : हाई कोर्ट कैसे गया। और फैसला हो गया।

प्रो०सैफुद्दीन सोज : मेरे पास हाई कोर्ट का वरडिक्ट है। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं और आरिफ मोहम्मद खां तो कानून मानते ही नहीं हैं। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उन पर आरोप लगाया है। बल्कि वे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। (**व्यवधान**) कांग्रेस (ई)दल उत्तेजित हो गया तथा उन्होंने डा. फारूक अब्दुल्ला को सभी तरफ से बदनाम किया और सिर्फ हेरा-फेरी तथा गड़बड़ी के बारे में बोलते रहे, और अगस्त के मध्य तक यह नाटक जारी रखा। मैं यह तथ्य बता रहा हूं इसमें एक प्रकार की संगति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 जुलाई, 1984 को क्या हुआ। तैयारियां कर ली गई थीं, एक योजना भी और यह योजना डा० फारूक अब्दुल्ला ने सरकार बनाने तथा उससे पहले से ही इन सभी आंदोलनों में अपनाई जा चुकी थी। यह पहला चरण था जब उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में गड़बड़ी हुई है और चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। जम्मू तथा काश्मीर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिये। रिकार्ड मौजूद है आप अखबारों, पत्रिकाओं आदि तथा जिम्मेवार कांग्रेस(ई)नेताओं के बयानों से पता लगा सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा चरण शुरू हुआ। उन्होंने पाया कि भारत के लोगों ने गड़बड़ी के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यहां तक कि सेमिनार में भी पाया जिसका मैंने उल्लेख किया था उसमें एक संकल्प था जिसमें बताया गया था कि यद्यपि कुछ गलत कार्य दोनों पक्षों की ओर से किए गये हैं, अत्यधिक बड़े स्तर अथवा उस स्तर तक जिससे सरकार का गठन बदला जा सके गड़बड़ी किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। जब कांग्रेस (ई) दल ने अनुभव किया कि भारतवासियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है तो वे आगे बढ़े और उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर में हिंसा का होवा फैलाया और रिकार्ड इस बात से भरा पड़ा है कि किस प्रकार कांग्रेस (ई) कार्य-कर्त्ताओं ने सरकारी इमारतों को आग लगाई किस तरह से रास्तों को बन्द किया तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए उत्तर दायी व्यक्तियों को सताया। हम यह बातें बहुत पहले आपको बता चुके थे। हमने आपको सबूत दिये कि यह हिंसा की बारदातों का नाटक बहुत अच्छी तरह

योजनाबद्ध था और एक पुस्तिका के द्वारा जिसे हमने संसद के बाहर पत्रकारों तथा संसद सदस्यों में बांटा था, हमने लोगों के सामने यह साबित कर दिया था कि हिंसा का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। जम्मू तथा काश्मीर सरकार स्वयं ही स्थिति से निपटी और काश्मीर में आंदोलन का यह दौर नवम्बर के मध्य में समाप्त हुआ।

कांग्रेस (ई) कार्यकताओं द्वारा आंदोलन का जम्मू तथा काश्मीर पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा और उस उद्योग के लिये सबसे गंदे प्रकार की बस्ती बनाई गई। वह उद्योग आज तक भी उभर नहीं सका।

इसका श्रेय आपको ही करना है क्यों कि जम्मू तथा कश्मीर में ऐसी स्थिति आपने ही पैदा की है।

इस चरण में भी उनके असफल हो जाने के पश्चात् (व्यवधान)।

मैं आपको वे बातें बता रहा हूँ जिनका मेरे पास लिखित सबूत है। उस आंदोलन के दौर के बाद आता है तीसरा चरण। अनुमानतया यह नवम्बर के मध्य में शुरू हुआ। पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने सम्मिलित प्रयास किए हैं। वे अलगाववाद तथा आतंकवाद की बात करते हैं। जिसे हिन्दी में कहते हैं कि वहां देशद्रोही पार्टियां हैं। अब एकदम से ही वे जमाहत-उल इस्लामिया जमाहत उल-तुलबा तथा मौलवी फारूक की बात करते हैं। मैं आपको अवश्य ही बताऊँगा। कि जमाहत-उल-इस्लामी मूल रूप में एक धारर्मिक संस्था है। परन्तु कन्ग्रेस उनको दीक्षा दे करके राजनीति में ले आई श्री आरिफ मोहम्मद खान ने बताया

(व्यवधान)

5.57 म. प.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

आरिफ साहब ने अखबारों की बात कहीं, स्पीकर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर में सेसेसनिस्ट्स की बात कही गई, जमायते तुलबा की बात कही गई, मौलबी फारूक की बात कही गई। जमायते इस्लामी, को वहां कौन लाया था? वह कांग्रेस पार्टी लाई थी। जब मीर कासिम वहां के चीफ मिनिस्टर थे और वहां इलेक्शन आ गए थे तो उस वक्त इलेक्शन में जमायते इस्लामी को पांच सीटें असेम्बली में मिली थीं। वे कांग्रेस की शह पर मैदान में आई थी। जब शेख साहब वहां के चीफ मिनिस्टर हो गये और 1977 के इलेकशन हुए तो जमायते इस्लामी को एक ही सीट मिली। उसके बाद जब डा. फारूख अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर हो गए और इलेकशन हुए तो उनके हाथ से वह एक सीट भी चली गई।

मैं संसदीय चुनाव क्षेत्र बारामुला से चुनाव लड़ रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि राज्य में आपका दल अर्थात कांग्रेस (ई) श्री आरिफ मोहम्मद खां जैसे व्यक्ति की सहायता से श्री नगर आए और नेशनल कांग्रेस के विरुद्ध जमातयते इस्लाम का समर्थन किया।

संसदीय कार्य खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : असंसदीय है ··(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने श्री आरिफ मोहम्मद खां को कभी नहीं सुना।

श्री बूटा सिंह : मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है। मैंने आपके मौलवी को बोलते हुए सुना है। जो कुछ वह बोल रहे थे वह अकुलीन से कम नहीं था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सरदार साहब इतनी देर कर के क्यों आते हैं, थोड़ी देर पहले आ जाते। अब सरदार साहब भी आ गए हैं, स्पीकर साहब भी आ गए हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं यहीं था। मेरा आना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। परन्तु अध्यक्ष का आना किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) आपके आने से ये परेशान क्यों हो गये ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय 6 बजे हैं। मेरे विचार से आप कल बोल सकते हैं।

600 म. प.

श्री बूटा सिंह महोदय, मेरा एक निवेदन है। आप सुबह आपने हमें वक्तव्य देने के लिए कहा था। हमें तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ही तथ्य प्राप्त हो जायेंगे, हम सदन में आकर बतायेंगे (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सुबह वादा किया गया था कि आज बयान दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसी के बारे में तो बताया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वो सभी लोग कहां हैं जो वक्तव्य की मांग कर रहे थे ?

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म. पू. पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगल बार, 31 जुलाई, 1984/9 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक लिए स्थगित हुई।

——

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली